सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India

परमाणु ऊर्जा विभाग
क्रय एवं भंडार निदेशालय

वार्षिक प्रतिवेदन

2024-2025

दृष्टिकोण

क्रय एवं भंडार निदेशालय का लक्ष्य अपने हितधारकों के लिए कुशल, पारदर्शी, समयबद्ध तथा उपयोगकर्ता के अनुकूल सामग्री प्रबंधन प्रक्रिया को अपनाने का प्रयास करना तथा परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी के विकास और विकिरण प्रौद्योगिकी के बढ़ते अनुप्रयोग के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के दृष्टिकोण को पूरा करने में मदद करना है।

उद्देश्य

वर्ष 1972 में क्रय एवं भंडार निदेशालय का गठन एक सेवा संगठन के रूप में किया गया था, ताकि परमाणु ऊर्जा विभाग की घटक इकाइयों की उद्देश्यों संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार के प्रासंगिक नियमों और विनियमों के अनुसार एक-समान, पारदर्शी, व्यवस्थित, कुशल और किफायती पद्धति अपना कर लेखांकन, भंडारण और सामग्री जारी करना सुनिश्चित करते हुए सही स्रोत से सही समय पर सही मात्रा में और सही कीमत पर, सही गुणवत्ता वाली भंडार सामग्री का प्रापण किया जा सके।

अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना (निदेशक, क्रभंनि)	3
2	संपादक की कलम से	5
3	संपादकीय टीम	6
	संगठन– क्रभंनि	
4	क्रभंनि : हितधारकों को बेहतर सेवाएं देकर अवसर प्रदान करना	10
5	क्रभंनि की इकाइयां	17
6	क्रभंनि परिषद	24
	आवश्यक कार्य	
7	क्रय एवं भंडार निदेशालय	34
8	केन्द्रीय क्रय एकक	41
9	केन्द्रीय भंडार एकक	43
10	स्टॉक सत्यापन दल/मुख्यालय संपर्क	47
11	मद्रास क्षेत्रीय क्रय एवं भंडार एकक	49
12	हैदराबाद क्षेत्रीय क्रय एवं भंडार एकक	59
13	इंदौर क्षेत्रीय क्रय एवं भंडार एकक	65
14	एनआरबी क्षेत्रीय क्रय एवं भंडार एकक	69
15	केंद्रीय प्रशासन एकक	71
16	केंद्रीय लेखा एकक	74
	ज्ञान का आदान-प्रदान	
17	क्रभंनि एक समान वस्तु संहिताकरण की ओर अग्रसर	78
18	जीईएम खरीद को आसान बनाया गया - क्या यह वास्तविकता है?	82
19	विक्रेता-क्रेता सम्मेलन - वास्तविक अर्थों में पारदर्शिता	84
20	क्रभंनि: युवा मस्तिष्क प्रदर्शन, भागीदारी और बदलाव करता है	86
21	ग्राहक संतुष्टि: लिटमस टेस्ट	88
22	प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: एक संगठन एक प्रणाली	90
23	बाद के चरण की जटिलताओं से बचने के लिए आयात खेपों के लिए अपनाने योग्य तौर-तरीके	92

क्रम संख्या	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
अनुभव साझा करना		
24	टेबल के दूसरी तरफ बैठना	96
25	चार दशकों का सफर: अनुभव और सीख	102
26	क्रभंनि में मैनुअल मोड से ई-प्रापण तक का मेरा सफर	106
आउटरीच		
27	कॉन्क्लेव-मीट	110
28	एमएसएमई के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम	115
29	विक्रेता सम्मेलन	117
आयोजन		
30	महिला दिवस समारोह	126
31	स्वच्छता पखवाड़ा	129
32	सतर्कता जागरूकता सप्ताह	135
33	अन्य आयोजन	138
34	नवागंतुकों का स्वागत	142
35	कृतज्ञता के साथ विदाई	144
36	प्रापण के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न	148
37	पारिभाषिक शब्दावली	157

प्रस्तावना

क्रय एवं भंडार निदेशालय (क्रभंनि) की वर्ष 2024-25 का वार्षिक प्रतिवेदन आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे बेहद खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। इस रिपोर्ट में पऊवि की सभी इकाइयों को सेवाएं प्रदान करने की दिशा में की गई उत्तरोत्तर प्रगति और अटूट प्रतिबद्धता नजर आती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा क्रभंनि एक प्रभावी एवं कुशल सेवा संगठन हैं, हम कार्यबल परिवर्तन को एक प्रमुख प्राथमिकता मानते है, ताकि हमारा ध्यान पऊवि की सभी घटक इकाइयों की आवश्यकताओं को पूरा करने और उनके रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित रहे।

पऊवि को बिजली उत्पादन, सामाजिक अनुप्रयोगों, राष्ट्र की सुरक्षा और संरक्षा के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी के अनुसंधान, विकास और अनुप्रयोग का व्यापक अधिदेश है। इस अधिदेश को प्राप्त करने के लिए, एक सेवा संगठन के रूप में क्रभंनि सामग्री प्रबंधन कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्रभंनि ने निरंतर सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देकर सरकारी दिशानिर्देशों के दायरे में सामग्री, भंडारण और सूची नियंत्रण, लॉजिस्टिक आदि के स्रोत के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करते हुए क्रय संबंधी गतिविधियों में उत्कृष्ट विशेषज्ञता हासिल की है।

क्रय और भंडारण संबंधी गतिविधियों की मात्रा कई गुना बढ़ गई है, तथापि हमारे मानव संसाधन कार्यबल में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। बदलती सार्वजनिक प्रापण नीतियों, महत्वपूर्ण कौशल में कमी, डिजिटलीकरण के सीमित संपर्क के चलते प्रापण चक्र का समय बढ़ गया है।

सुधार एक सतत प्रक्रिया है और क्रभंनि द्वारा कार्यप्रवाह में स्वचालन को बढ़ाने, प्रापण चक्र को सुव्यवस्थित और सरल बनाने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। डेटा एकीकरण और जीईएम बोली और अनुबंधों का एमएमएस पोर्टल पर निर्बाध हस्तांतरण लागू किया गया है। ई-क्रय तकनीक को अपनाकर क्रभंनि, प्रक्रिया को स्वचालित करके, प्रक्रियाओं को मानकीकृत करके क्रय और भंडारण में एकरूपता ला सकता है, जिससे त्रुटियों की कम संभावना के साथ बेहतर दक्षता प्राप्त होगी। क्रभंनि की सभी इकाइयों में डिजिटल प्रगति को और तेज करने और उन्हें विस्तारित किए जाने की आवश्यकता है। प्रापण चक्र में पूरी गतिविधियाँ एकल आईटी समाधान यानी एमएमएस के माध्यम से की जा रही हैं और क्रभंनि का रूपांतरण एक कागज-रहित कार्यालय में हो रहा है।

मांगपत्र तैयार करने, अनुमोदन के लिए पदानुक्रम, मांगकर्ताओं को निर्देश, जीईएम/सीपीपी पोर्टल के माध्यम से निविदा देने के लिए एसओपी तैयार किए गए, जिससे मांगपत्र और निविदा तैयार करने की गुणवत्ता में सुधार हुआ और प्रापण समय में कमी आई।

इनपुट, मार्गदर्शन, मामलों को हल करने और निविदा के बाद प्रश्नों के समाधान के लिए प्रत्यक्ष बातचीत करने हेतु उपयोगकर्ताओं को खुली खिड़की (ओपन विंडो) उपलब्ध कराई गई है। प्राप्त पत्राचार के जवाब समर्पित ई-मेल आईडी के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर दिए जाते हैं। क्रय फाइलों से संबंधित मामलों को हल करने हेतु बाहरी इकाइयों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पाक्षिक बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

चूंकि क्रभंनि पऊवि की तेजी से विकसित हो रही एकक की चुनौतियों का सामना कर रहा है, अतः इसकी मानव संसाधन प्रबंधन नीति इसके विकास और सफलता की आधारशिला है। यह नीति निरंतर सीखने, नवाचार और उत्कृष्टता की संस्कृति अपनाने के लिए बनाई गई है, ताकि कर्मचारियों द्वारा अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सशक्त बनाया जा सके। मानव संसाधन नीति क्रभंनि के विजन और मिशन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

क्रभंनि परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष, कंप्यूटर डिवीजन, बीएआरसी तथा विभाग की अन्य इकाइयों से निरंतर और दृढ़ समर्थन की उम्मीद करता है, जिससे क्रभंनि को अपने रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

मैं संपादकीय टीम को भी अपना हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस वार्षिक प्रतिवेदन को सफलतापूर्वक प्रकाशित करने के लिए कड़ी मेहनत की है। क्रभंनि की गतिविधियों में और सुधार के लिए सुझावों का स्वागत है।

वेद सिंह

वेद सिंह
निदेशक, क्रभंनि

संपादक की कलम से

क्रय एवं भंडार निदेशालय वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, जिसमें एक क्रय एकक तथा सेवा संगठन के रूप में परमाणु ऊर्जा विभाग (पऊवि) को सहायता प्रदान करने के लिए की गई प्रगति और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा नई चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे मूल्यों को प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

हमारी रणनीति का उद्देश्य उपयोगकर्ता, प्राप्तकर्ता, लेखा और प्रशासन के साथ-साथ विक्रेताओं के बीच संपर्क स्थापित करना भी है, ताकि उपयोगकर्ता और आपूर्तिकर्ता दोनों संतुष्ट हों। इस रिपोर्ट में हमारी प्रगति को भी दर्शाया गया है और हमारे मिशन में हमारी टीम के समर्पण पर भी प्रकाश डाला गया है।

हमें अपनी टीम द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों पर गर्व है और हम आने वाले वर्षों में भी सकारात्मक प्रभाव डालने को जारी रखने हेतु उत्सुक हैं। हम भविष्य की ओर देखते हुए, अपना ध्यान भारत सरकार की निरंतर विकास और नवाचार को बढ़ावा देनेवाली उभरती नीतियों के अनुकूल ढलने पर केंद्रित कर रहे हैं।

यह रिपोर्ट क्रय और भंडारण की हमारी मुख्य गतिविधियों, क्रभंनि अधिकारियों के अनुभवों को प्रस्तुत करती है और क्रभंनि के मुख्यालय और विभिन्न घटक इकाइयों में हुई अतिरिक्त घटनाओं पर भी प्रकाश डालती है। मैं वर्ष 2024-2025 के दौरान क्रभंनि के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में योगदान देने वाले सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

मैं क्रभंनि के निदेशक श्री वेद सिंह को उनके प्रेरक मार्गदर्शन, अभिरुचि, समर्थन और लेखों को व्यवस्थित रूप से पढ़ने में उनके द्वारा दिए गए बहुमूल्य समय के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिससे वर्ष 2024-2025 को इस वार्षिक प्रतिवेदन को जारी करना संभव हो सका है।

हम इस वार्षिक प्रतिवेदन को समय पर अंतिम रूप देने की दिशा में योजना बनाने और इसे प्रकाशित करने में किए गए भरसक प्रयासों के लिए हमारी संपादकीय टीम के सदस्यों का विशेष आभार व्यक्त करते हैं।

डॉ. कित्तेरी जोसफ
क्षेत्रीय निदेशक, एमआरपीएसयू

संपादकीय सदस्य

डॉ. कित्तेरी जोसफ

डॉ. कित्तेरी जोसफ चेन्नई के लोयोला कॉलेज से रसायन विज्ञान में एम.एससी. की स्वर्ण पदक विजेता हैं। वे बीएआरसी प्रशिक्षण विद्यालय के 33वें बैच से हैं और उन्होंने वर्ष 1990 में आईजीसीएआर में अपनी सेवा शुरू की। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। वे क्रभंनि, पऊवि की पहली महिला क्षेत्रीय निदेशक हैं। वे फरवरी 2024 से आईजीसीएआर और कलपक्कम तथा भापासं, थूथुकुडी की अन्य इकाइयों के लिए क्रय एवं भंडारण संबंधी गतिविधियों का कार्य देख रही हैं।

श्री ए. के. झा

श्री ए.के. झा ने आईआईटी, मुंबई से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में एम.टेक. की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने बीएआरसी प्रशिक्षण विद्यालय के 36वें बैच से स्नातक करने के बाद बीएआरसी, ट्रॉम्बे में अपनी सेवा आरम्भ की और वर्तमान में वे 23/08/2022 से एनआरबीपीएसयू, क्रभंनि के क्षेत्रीय निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। वे एनआरबी की परियोजनाओं और परिचालन संयंत्रों से संबंधित दैनिक सामग्री प्रबंधन गतिविधियों संबंधी कार्यों को देख रहे हैं।

श्रीमती सरिता एन. म्हात्रे

श्रीमती सरिता एन. म्हात्रे बी.कॉम स्नातक हैं और उन्होंने आईएमएम से डीजीएमएम में डिप्लोमा किया है। विभाग में 6 फरवरी,1989 को सेवा शुरू करने के बाद से, उन्होंने क्रभंनि में विभिन्न पदों पर विभिन्न अनुभागों में काम किया है। जनवरी, 2025 में इस निदेशालय में उप निदेशक के पद पर रहते हुए, वे वर्तमान में सीपीयू की विभिन्न प्रापण गतिविधियों की देखरेख कर रही हैं, जिसमें चिकित्सा और आईटी से संबंधित प्रापण शामिल है और साथ ही विभिन्न समितियों के अध्यक्ष/सदस्य-सचिव/सदस्य के रूप में भी कार्य कर रही हैं।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह

श्री दिवाकर विक्रम सिंह वर्तमान में क्रय एवं भंडार निदेशालय (मुख्यालय), मुंबई में उप निदेशक (राजभाषा) के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय (उत्तर प्रदेश) से एम.ए. (अंग्रेजी) और एम.ए. (हिंदी अनुवाद) की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने अन्नामलाई विश्वविद्यालय (तमिलनाडु) से "भाषा विज्ञान" में मास्टर डिग्री और "मानवाधिकार" में मास्टर डिग्री भी प्राप्त की है। उन्हें क्रभंनि के मुंबई स्थित मुख्यालय के साथ-साथ इसकी सभी क्षेत्रीय इकाइयों में भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

श्री के. एल. एन. राव

श्री के.एल.एन.राव वाणिज्य में स्नातक हैं, तथा काकतीय विश्वविद्यालय से औद्योगिक संबंध एवं कार्मिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारक हैं, तथा अन्नामलाई विश्वविद्यालय से सामग्री प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारक भी हैं। वे वर्ष 1991 में क्रभंनि में शामिल हुए तथा उन्होंने भापासं (मनुगुरु), एचआरपीयू/एनएफसी-हैदराबाद, बीएआरसी-विजाग, एफआरएफसीएफ-कल्पाक्कम में कार्य किया और वे वर्तमान में एनएफसी-हैदराबाद में भंडार अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं।

श्री राजा बिनोद

श्री राजा बिनोद भौतिकी में स्नातक हैं और कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारक हैं। वे वर्ष 1997 में क्रभंनि में शामिल हुए और क्रभंनि की विभिन्न इकाइयों में काम किया और वर्तमान में एएमपीयू, एएमडी, हैदराबाद में सहायक क्रय अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। वे जीईएम और सीपीपीपी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए क्रभंनि के निदेशक द्वारा गठित समिति के सदस्य हैं।

श्रीमती ललिता विनोद जोशी

श्रीमती ललिता विनोद जोशी वाणिज्य में स्नातक की डिग्री और मानव संसाधन में व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर की डिग्री धारक हैं। वे वर्ष 1998 में विभाग में शामिल हुईं और वर्तमान में 2024 से इस निदेशालय में सहायक कार्मिक अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। वे स्थापना अनुभाग की मुख्य गतिविधियों को देखती हैं, जिसमें आम तौर पर कार्मिक मामलों का प्रबंधन और कर्मचारियों से संबंधित अन्य प्रशासनिक कार्य शामिल होते हैं।

श्रीमती अमीषा पाटिल

श्रीमती अमीषा पाटिल मुंबई विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक हैं। उन्होंने पब्लिक प्रोक्योरमेंट में ग्रेजुएट डिप्लोमा और नेशनल लॉ स्कूल यूनिवर्सिटी, बैंगलोर से बिजनेस लॉ में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने वर्ष 2008 में क्रभंनि में अपना करियर शुरू किया और वर्तमान में वे क्षेत्रीय क्रय एकक मनुगुरु, भारी पानी संयंत्र, हैदराबाद में सहायक क्रय अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं।

जयिता घोषाल

जयिता घोषाल कलकत्ता विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में ऑनर्स से स्नातक हैं। वे 28-10-2022 को क्रभंनि में शामिल होने से पूर्व छह महीने की जेपीए/जेएसके इंडक्शन ट्रेनिंग प्राप्त करनेवाले प्रथम बैच का हिस्सा रही हैं और वर्तमान में केन्द्रीय क्रय एकक में कनिष्ठ क्रय सहायक के रूप में कार्यरत हैं।

संगठन - क्रभंनि

क्रभंनि: हितधारकों को बेहतर सेवाएं देकर अवसर प्रदान करना

श्री वेद सिंह, निदेशक, क्रभंनि

क्रय एवं भंडार निदेशालय (क्रभंनि) परमाणु ऊर्जा विभाग की घटक इकाइयों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिनांक 22 जून 1972 से एक सेवा संगठन के रूप में अस्तित्व में आया। क्रभंनि की अखिल भारतीय स्तर पर 31 इकाइयां हैं जो परमाणु ऊर्जा विभाग की विभिन्न अनुसंधान एवं विकास इकाइयों, औद्योगिक इकाइयों और सेवा संगठनों को परमाणु ऊर्जा विभाग में परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी के विकास और विकिरण प्रौद्योगिकी के बढ़ते अनुप्रयोग के दृष्टिकोण को सुविधाजनक बनाने के लिए सेवाएं प्रदान करती हैं। क्रभंनि का अधिदेश सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए गए प्रासंगिक नियमों और विनियमों के अनुसार लागत-प्रभावी प्रक्रिया का पालन करके सामग्री प्रबंधन प्रक्रिया को कुशल बनाना है, तथा अपने हितधारकों के लिए पारदर्शी, समयबद्ध और उपयोगकर्ता अनुकूल तरीके से कार्य करना है। क्रभंनि में क्रय एकक, भंडार एकक, लेखा एकक और प्रशासन एकक शामिल हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग के देश भर में स्थित सभी उपयोगकर्ता और विक्रेता इसके प्रमुख हितधारक हैं। उपयोगकर्ताओं और विक्रेताओं दोनों के साथ मजबूत संबंधों को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे किसी संगठन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं और इसके लिए अन्य हितधारकों यानी क्रय, भण्डार और लेखा के बीच समन्वय स्थापित किया जाना आवश्यक है।

उपयोगकर्ताओं को स्पष्ट दिशा-निर्देश सुनिश्चित करने, कुशल प्रक्रिया का पालन करने, जवाबदेही, पारदर्शिता, पहुंच सुनिश्चित करने और सार्वजनिक निधि का कुशल उपयोग सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है। आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं को निष्पक्ष और पारदर्शी अवसर, समय पर भुगतान और स्पष्ट संचार की आवश्यकता होती है।

प्रापण प्रणाली को बेहतर बनाने और इन हितधारकों को बेहतर सेवा देने के लिए क्रभंनि ने निम्नलिखित अवसर प्रदान किये हैं:

- **बढ़ी हुई पारदर्शिता और पहुंच:**

क्रभंनि ने पारदर्शिता बढ़ाने और प्रापण संबंधी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम), केंद्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल (सीपीपीपी) जैसे ई-प्रापण प्लेटफार्मों के माध्यम से प्रापण के तरीके को अपनाया है।

क्रभंनि ने अपनी लगभग 95% खरीद जीईएम के माध्यम से पूरी करने में सफलता प्राप्त की है। पोर्टल को बेहतर बनाने/आवश्यकताओं की अनूठी प्रकृति के अनुसार अनुकूलित करने के लिए जीईएम अधिकारियों के साथ नियमित बातचीत की जा रही है।

कागज़-रहित कार्यालय की ओर बढ़ना डिजिटलीकरण की दिशा में एक कदम है जो दक्षता, जवाबदेही और पहुंच को बढ़ाएगा।

क्रभंनि को विभिन्न इकाइयों से विभिन्न प्रकार के मांगपत्र प्राप्त हो रहे हैं। यह देखा गया है कि मांगपत्रों पर कार्रवाई करने में देरी का मुख्य कारण मांगपत्र का सभी तरह से पूरा न होना है। इस कारण से क्रभंनि ने मांगकर्ताओं के लिए एक विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। ये दस्तावेज़ बीटीएस-बीएआरसी पोर्टल के साथ-साथ विभिन्न इकाइयों के संबंधित पोर्टल पर भी उपलब्ध कराए गए हैं। क्रभंनि अधिकारियों की एक टीम मांगपत्र अधिकारियों से मिलने जाएगी और उन्हें उन प्रमुख क्षेत्रों से अवगत कराएगी जहां आमतौर पर डेटा अधूरा होता है या जहां डेटा अनिवार्य होता है।

मांगकर्ता अधिकारी को सभी तरह से पूर्ण मांगपत्र तैयार करने में सक्षम बनाने के लिए क्रभंनि द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. उच्च मूल्य वाली तथा विभिन्न तकनीकी विवरण/आपूर्ति के दायरे वाली आवश्यकता के लिए मांगपत्र जारी करने से पहले, मांगपत्र जारी करने वाले अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे मांगपत्र के विवरण को अंतिम रूप देने के लिए क्रभंनि के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रारंभिक चर्चा करें। यह बैठक व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्य दिवसों में आनेवाले सभी बुधवार को आयोजित की जाएगी।

2. क्रभंनि के अधिकारियों की एक टीम बीएआरसी/पऊवि इकाइयों के प्रत्येक समूह का समय-समय पर दौरा करेगी, ताकि मांगपत्र जारी करते समय मांगपत्र जारी करने वाले अधिकारी को अनिवार्य आवश्यकता तथा पालन किए जाने वाले सामान्य निर्देशों से अवगत कराया जा सके, जिससे देरी को कम किया जा सके तथा बार-बार संचार से बचा जा सके।

3. मांगपत्र जारी करने हेतु एमएमएस या किसी अन्य आईटी प्रोग्राम में मांगपत्र की प्रक्रिया शुरू करने से पहले, मांगपत्रित अधिकारी को अनिवार्य रूप से सभी मामलों में पूर्ण मांगपत्र तैयार करने हेतु उपलब्ध कराए गए निर्देशों को पढ़ना होगा।

- **यह सुनिश्चित करें कि प्रापण से संबंधित सभी जानकारी सभी हितधारकों के लिए आसानी से उपलब्ध हो:**

क्रभंनि ने संबंधित इकाइयों के लिए तकनीकी सहायता की मदद से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रापण के सभी कार्यों को सहजता से एकीकृत करने में सफलता प्राप्त की है। क्रभंनि ने आने वाले वर्षों में पूरे भारत में सभी इकाइयों के लिए स्वीकार्य और सुलभ सामान्य प्लेटफॉर्म बनाने का भी प्रयास किया है, ताकि कार्य प्रक्रियाओं में एकरूपता, आसान डेटा शेयरिंग और पहुंच प्राप्त की जा सके और कार्य वातावरण की सहज जानकारी रखी जा सके। इस उपलब्धि को प्राप्त करने की दिशा में, एमएमएस को वर्तमान में पायलट आधार पर मुंबई स्थित पऊवि की सभी इकाइयों अर्थात डीसीएसईएम, एईआरबी, ब्रिट, एचडब्ल्यूबी के लिए विस्तारित किया जा रहा है।

- **सरलीकरण और मानकीकरण:**

प्रापण प्रक्रियाओं को सरल बनाना और निविदा दस्तावेजों को मानकीकृत करना ताकि जटिलता, अस्पष्टता को कम किया जा सके और त्रुटियों और देरी को कम करने के लिए स्पष्ट और संक्षिप्त दिशानिर्देश प्रदान किए जा सकें। क्रभंनि ने क्रय और भंडारण के लिए एसओपी तैयार किया है और उसे जारी किया है।

- **क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण:**

संगठन की दक्षता में सुधार के लिए प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। क्रभंनि अधिकारियों को व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय/अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा आयोजित किए जा रहे विभिन्न प्रकार के सामग्री प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया ताकि प्रापण नियमों और सर्वोत्तम प्रथाओं की उनकी समझ को बढ़ाया जा सके। जेपीए/जेएसके पद के लिए वर्ष 2022 से नियमित सरकारी कर्मचारियों के रूप में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति से पहले छह महीने की अवधि के लिए परिचयात्मक प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है, ताकि परिचयात्मक प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद प्रत्यक्ष कामकाजी माहौल में सुचारू रूप से कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

विक्रेता बैठक - बोलीदाताओं/विक्रेताओं को घटनाक्रम से अवगत रखने के लिए, यह क्रेता और विक्रेता के लिए मिलने का एक साझा मंच है। क्रभंनि हर साल पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर विक्रेता बैठकें आयोजित करता है, जिससे सभी बोलीदाताओं को अपने-अपने स्थानों पर भाग लेने की सुविधा मिलती है। विक्रेता बैठकों में सूचनात्मक सत्र शामिल होते हैं, जिसमें विभिन्न सामग्री प्रबंधन विषयों पर प्रस्तुतियाँ दी जाती हैं, साथ ही विक्रेताओं की शंकाओं को दूर करने/उनका समाधान करने के लिए संवादात्मक सत्र भी आयोजित किए जाते हैं।

- **प्रापण की व्यावसायिकता को बढ़ावा देना:**

क्रभंनि ने समय को कम करने और समयबद्ध उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पर स्वचालन गतिविधियों के उपयोग के कार्यान्वयन और वृद्धि पर जोर दिया है। प्रत्येक एकक का अपना उपयोगकर्ता, क्रय, भंडार और लेखा से जुड़ा स्वयं का सामग्री प्रबंधन सॉफ्टवेयर है।

ई-ऑफिस के उपयोग से फाइलों का प्रत्यक्ष संचालन पूरी तरह से समाप्त हो गया है। एमएमएस का उपयोग मांगपत्र की प्रक्रिया, विभिन्न चरणों में अनुमोदन, आदेश जारी करना, संशोधन, बैंक गारंटी की स्वीकृति/मुक्ति, विभिन्न रिपोर्ट, भुगतान जारी करने के लिए बिल प्रसंस्करण, आपूर्ति की स्थिति के लिए विक्रेताओं को ईमेल, भुगतान/कटौती की सूचना आदि कार्यों के लिए किया जा रहा है। क्रभंनि के सभी कर्मचारियों को नवीनतम कम्प्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं तथा प्रत्येक अनुभाग को स्कैनर उपलब्ध कराया गया है।

- **निगरानी और मूल्यांकन तंत्र को मजबूत करना:**

क्रभंनि में आवश्यकताओं को मांगपत्र प्राप्त होने से लेकर वारंटी अवधि की समाप्ति तक एंड-टू-एंड आधार पर संसाधित किया जाता है। क्रभंनि ने प्रापण की स्थिति को ट्रैक करने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए मजबूत निगरानी और मूल्यांकन तंत्र स्थापित किए हैं। यह तंत्र अनुबंध में शामिल किसी भी एजेंसी जैसे विक्रेता, उपयोगकर्ता और क्रेता द्वारा की गई चूक या दोषों को समय पर सुधारने की सुविधा प्रदान करता है। इस समीक्षा प्रणाली से समय-सीमा में काफी कमी लाने और अनुबंध प्रबंधन में सुधार करने में मदद मिली है। इससे विक्रेता के कार्य-निष्पादन का आकलन करने में भी मदद मिलती है।

- **हितधारकों की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र लागू करना:**

आपस में बातचीत प्रभावी और पारदर्शी व्यवहार की दिशा में एक कदम है। क्रभंनि उपयोगकर्ता विभागों, विक्रेताओं, भंडार और लेखा अनुभागों के साथ समय-समय पर आयोजित इंटरैक्टिव सत्रों के माध्यम से इसका अनुसरण करता है। इस उद्देश्य के लिए समर्पित ईमेल आईडी बनाई गई हैं; उपयोगकर्ताओं के लिए support.indentor@dpsdae.gov.in और विक्रेताओं के लिए support.vendor@dpsdae.gov.in यह सुनिश्चित किया जाता है कि इन ईमेल के माध्यम से प्राप्त संचार का 48 घंटों के भीतर जवाब दिया जाए।

- **एमएसएमई भागीदारी को बढ़ावा देना:**

क्रभंनि मौजूदा सरकारी नीतियों, जीएफआर और सीवीसी दिशानिर्देशों के सख्त अनुपालन में अपनी प्रापण संबंधी गतिविधियों को संचालित करता है। सार्वजनिक प्रापण नीति में यह प्रावधान है कि सार्वजनिक प्रापण में शामिल प्रत्येक विभाग को सरकारी प्रापण में एमएसई भागीदारी को बढ़ाने के लिए

विक्रेता बैठक आयोजित करनी चाहिए। यह निदेशालय एक जिम्मेदार क्रय एकक के रूप में विशेष रूप से विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों में एमएसएमई फर्मों के लिए विक्रेता बैठक आयोजित करता है ताकि संबंधित स्थानों पर स्थित विक्रेताओं की भागीदारी को आसान बनाया जा सके। इन बैठकों के माध्यम से, विक्रेताओं को सरकारी नीतियों में बदलाव के कारण क्रभंनि की कार्यप्रणाली में होने वाले बदलावों के बारे में जानकारी दी जाती है।

क्रभंनि ने कई डीपीआईआईटी बैठकों में पऊवि का प्रतिनिधित्व किया है और 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत सरकारी प्रापण नीतियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न पऊवि इकाइयों के साथ समन्वय कर रहा है।

- **विक्रेताओं को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना:**

आपूर्ति का कार्य पूरा होने पर आपूर्तिकर्ताओं को समय पर भुगतान जारी करना क्रेता संगठन/लेखा/भुगतान प्राधिकरण की जिम्मेदारी है। जीईएम पोर्टल पर दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, भुगतान 10 दिनों की निर्दिष्ट अवधि के भीतर किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर विक्रेताओं द्वारा घटना/ कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है, जिसके चलते अंततः पोर्टल पर क्रेता को 'रेड बायर' के रूप में चिह्नित किया जा सकता है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं सहित आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं को समय पर भुगतान किया जाए। यदि 45 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं को उनके भुगतान पर ब्याज देना होगा। चूँकि एमएसएमई पर किए गए अनुबंध की पहचान संबंधित इकाइयों के एमएमएस/ सामग्री प्रबंधन सॉफ्टवेयर के उपयोग से की जा रही है, अतः एमएसएमई विक्रेताओं को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही एमएसएमई-समाधान पोर्टल पर प्राप्त किसी भी प्रश्न का समाधान और उत्तर नियत समय में दिया जा रहा है।

प्राप्तकर्ता (परेषिती) की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आपूर्ति प्रभावित होने पर प्राप्तकर्ता को जीईएम पोर्टल पर उपलब्ध निर्दिष्ट समय के भीतर सीआरएसी तैयार करना होता है। इसलिए प्राप्तकर्ता को जीआर तैयार करना होता है, मांगकर्ता अधिकारी से निरीक्षण रिपोर्ट/स्थापना/कमीशनिंग/प्रशिक्षण प्रमाणपत्र प्राप्त करना होता है और सीआरएसी तैयार करना होता है। प्राप्तकर्ता को भुगतान जारी करने के लिए एमएमएस/ सामग्री प्रबंधन सॉफ्टवेयर पर सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होते हैं।

- **प्रौद्योगिकी एकीकरण:**

सूचना प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ, क्रभंनि ने भी सामग्री प्रबंधन के लिए स्वचालन और सूचना के उपयोग को अपनाया है। क्रभंनि ने दस साल पहले ऑनलाइन टेंडर प्रोसेसिंग शुरू की थी। क्रभंनि की सभी इकाइयों में इंडेंट प्रोसेस करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। वर्तमान में सभी इंडेंट ई-टेंडर मोड के माध्यम से प्रोसेस किए जाते हैं। पऊवि की प्रमुख इकाइयों में, इन-हाउस विकसित सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इंडेंट जनरेशन और अनुमोदन का कार्य किया जाता है। ये इंडेंट क्रभंनि को प्राप्त होने पर उन्हें ऑनलाइन निविदाओं में परिवर्तित कर दिया जाता है तथा ई-निविदाएं जारी करने और विक्रेताओं से प्रस्ताव प्राप्त करने का काम इंटरनेट आधारित पोर्टल पर होता है। ई-टेंडर पोर्टल से प्राप्त प्रस्तावों को इन-हाउस सॉफ्टवेयर के उपयोग से ऑर्डर जारी करने, बैंक गारंटी/एफआईएम की स्वीकृति, आपूर्ति अनुस्मारक, सामग्री की स्वीकृति, सीएसआरवी जारी करने, भुगतान, कटौती ज्ञापन जारी

करने आदि के लिए संसाधित किया जाता है। इन-हाउस सॉफ्टवेयर में सुधार के क्षेत्रों को खोजने में मदद के लिए डेटा एनालिटिक्स जैसे मॉड्यूल भी शामिल हैं।

- **जीईएम प्राधिकारियों के साथ बातचीत:**

क्रभंनि, पऊवि की आवश्यकता के अनुसार प्रापण और सुविधाओं के संवर्द्धन से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए जीईएम अधिकारियों के साथ नियमित रूप से संपर्क बनाए हुए है। क्रभंनि ने जीईएम पोर्टल में नई सुविधाएँ शामिल कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे जीईएम में प्रापण प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिली है।

इन क्षेत्रों में ध्यान दिए जाने से, क्रभंनि की प्रापण प्रणाली अधिक कुशल, पारदर्शी और जवाबदेह बन सकती है, जिससे सभी हितधारकों को लाभ होगा। कुल मिलाकर, प्रापण प्रक्रिया में सफलता सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ अच्छा समन्वय स्थापित किया जाना महत्वपूर्ण है। इससे क्रय एकक और हितधारकों के बीच अनावश्यक पत्राचार में काफी कमी आएगी। इससे वांछित लक्ष्य की प्राप्ति होगी।

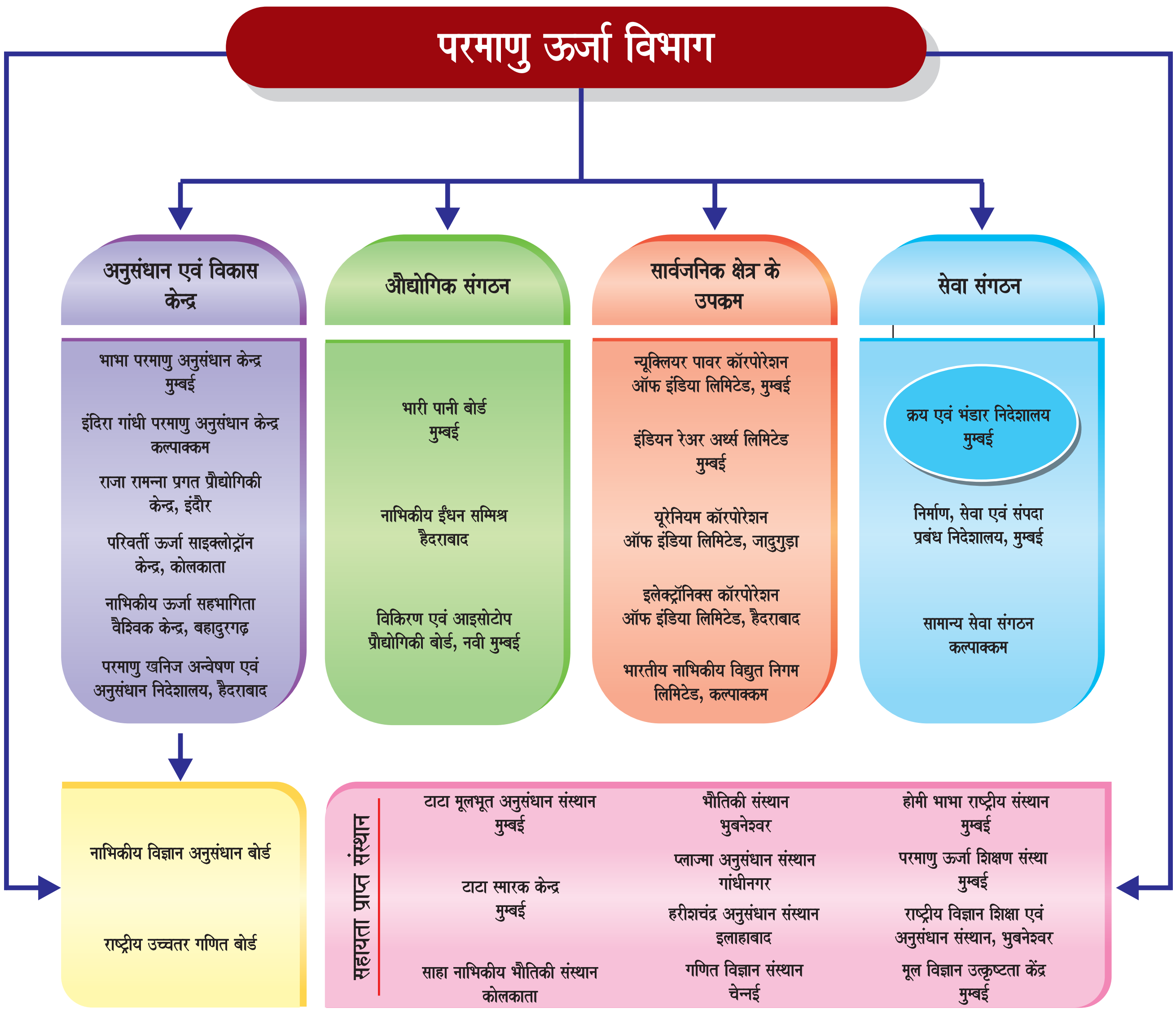

क्रय एवं भंडार निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग (पऊवि) के अधीन एक सेवा क्षेत्र की इकाई है, जो अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों जैसे कि भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी), मुम्बई, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र (आईजीसीएआर), कलपक्कम, राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र (आरआरसीएटी), इंदौर, परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र (वीईसीसी), कोलकाता और औद्योगिक सेट-अप जैसे परमाणु ईंधन परिसर (एनएफसी, हैदराबाद), विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (बीआरआईटी), नवी मुंबई, तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन विभिन्न स्थानों पर स्थित भारी पानी संयंत्रों के सामग्री प्रबंधन कार्यों के लिए उत्तरदायी केन्द्रीकृत एजेंसी है।

क्रभंनि की इकाइयाँ

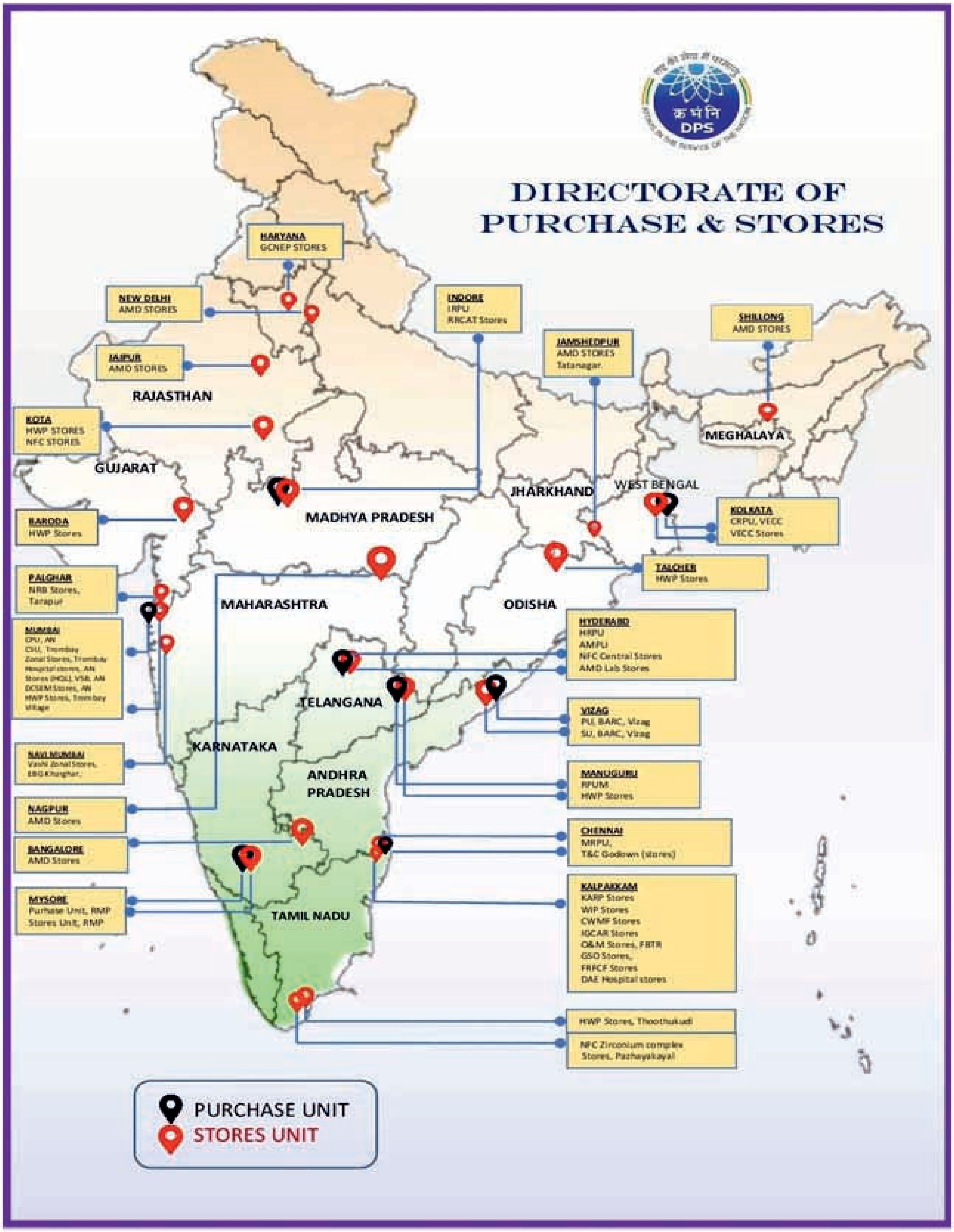

क्रभंनि की विभिन्न इकाइयों का स्थान दर्शानेवाला मानचित्र

क्रभंनि की इकाइयां

केंद्रीय क्रय एवं भंडार एकक, मुंबई

क्रय एवं भंडार निदेशालय (क्रभंनि) विक्रम साराभाई भवन, अणुशक्तिनगर, मुंबई से संचालित होता है। इसमें केंद्रीय क्रय एकक (सीपीयू), केंद्रीय लेखा एकक (सीएयू) और केंद्रीय प्रशासन एकक तथा भंडार एचक्यूएल कार्यालय है।

संयुक्त निदेशक और उप निदेशक अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर बीएआरसी, एचडब्ल्यूबी, ब्रिट, वीईसीसी, एएमडी, जीसीएनईपी, एईआरबी और डीसीएसएंडईएम की प्रापण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय क्रय एकक की गतिविधियों को पूरा करने में निदेशक, क्रभंनि की सहायता करते हैं।

केंद्रीय भण्डार एकक बीएआरसी परिसर के अंदर स्थित है और अपने दैनिक कार्यों को पूरा करता है। मुंबई से 15 क्षेत्रीय भण्डार संचालित होते हैं।

नाभिकीय पुनर्चक्रण बोर्ड क्रय एवं भंडार एकक (एनआरबीपीएसयू)

एनआरबीपीएसयू, एनआरबी मुख्यालय, अणुशक्तिनगर से संचालित हो रहा है और तारापुर और आंशिक रूप से कलपक्कम के सभी एनआरबी परियोजनाओं और परिचालन संयंत्रों की क्रय गतिविधियों का ध्यान रखता है। मुंबई के अणुशक्तिनगर में स्थित क्रय एकक परिवहन अनुबंधों सहित क्रय अनुबंधों का कार्य पूर्ण करता है, जबकि तारापुर/कलपक्कम में स्थित भंडार एकक रसीदों, खेप के सुरक्षित भंडारण, वस्तुओं के निर्गमन और अग्रिम नीलामी के माध्यम से स्क्रैप के निपटान का ध्यान रखते हैं।

मद्रास क्षेत्रीय क्रय एवं भंडार एकक (एमआरपीएसयू)

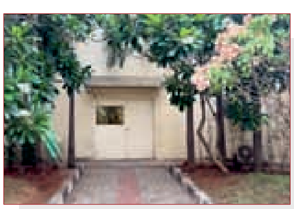

चेन्नई के पल्लवरम में स्थित मद्रास क्षेत्रीय क्रय एवं भंडार एकक (एमआरपीएसयू) डिजिटल रूप से एक सक्षम केंद्र है जो परमाणु ऊर्जा विभाग (पऊवि) की प्रमुख इकाइयों के लिए सामग्रियों के प्रापण, उसे जारी करने और निपटान को सुव्यवस्थित करने का कार्य करता है। एमआरपीयू की आईटी टीम पीएंडडब्ल्यूएमएस, आईजीसीएआर के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के सहयोग से ई-प्रापण प्रणाली का प्रबंधन करती है और आईटी बुनियादी ढांचे को बनाए रखती है। एमआरपीएसयू एक मजबूत ई-प्रापण मंच का लाभ उठाते हुए, कलपक्कम में पऊवि अस्पताल के लिए दवाओं और औषधियों के लिए दर अनुबंध भी स्थापित

करता है। इसके अतिरिक्त, कलपक्कम परिसर के भीतर भंडार एकक आईजीसीएआर, एनआरबी-के बीएआरसीएफ/एफआरएफसीएफ, भापासं (टी) और पऊवि अस्पताल, कलपक्कम के विभिन्न प्रभागों/समूहों की सामग्री की जरूरतों को पूरा करते हैं। चेन्नई के पल्लवरम में स्थित एमआरपीयू परिवहन एवं निकासी गोदाम सभी परिवहन एवं निकासी गतिविधियों के प्रबंधन में आपूर्ति श्रृंखला पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कुशल लॉजिस्टिक प्रबंधन पद्धतियों को अपनाता है। एमआरपीएसयू एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और एक उत्प्रेरक, सुविधाकर्ता, सक्षमकर्ता, प्रेरक शक्ति और प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में कार्य करता है, जिससे परमाणु ऊर्जा विभाग की विभिन्न इकाइयों को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए समय पर सामग्री का प्रापण सुनिश्चित होता है।

हैदराबाद क्षेत्रीय क्रय एवं भंडार एकक (एचआरपीएसयू)

हैदराबाद क्षेत्रीय क्रय एवं भंडार एकक, हैदराबाद में क्रभंनि का एक क्षेत्रीय एकक है, जिसे परमाणु ईंधन सम्मिश्र के लिए कच्चे माल, रसायन, उपभोग्य सामग्रियों, स्वदेशी और आयातित दोनों प्रकार के उच्च मूल्य वाले पूंजीगत उपकरणों जैसे विभिन्न वस्तुओं के प्रापण का काम सौंपा गया है।

इसके अलावा, एचआरपीएसयू विभिन्न रिएक्टर साइटों और पऊवि की अन्य इकाइयों में रणनीतिक सामग्री की आवाजाही सहित सामग्री की आवश्यक परिवहन गतिविधियों का समन्वय कर रहा है। साथ ही, एचआरपीएसयू हैदराबाद, पलायकयल और कोटा में परमाणु ईंधन परिसर की 3 इकाइयों के बीच सामग्री की आवाजाही के परिवहन के लिए सहायता प्रदान करता है। पलायकयल के जेडसी में स्थित क्रभंनि भंडार एकक जेडसी के लिए सामग्री प्रबंधन गतिविधियों की पूर्ति कर रहा है।

इंदौर क्षेत्रीय क्रय एवं भंडार एकक (आईआरपीएसयू)

इंदौर क्षेत्रीय क्रय एवं भण्डार एकक, राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र की प्रापण और सामग्री प्रबंधन गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। यह केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग की एक अनुसंधान एवं विकास इकाई है, जो कण त्वरक और लेजर तथा संबद्ध प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में काम करती है।

क्षेत्रीय क्रय एकक (मणुगुरु), हैदराबाद

हैदराबाद में स्थित क्षेत्रीय क्रय एकक (मणुगुरु) हैदराबाद में क्रभंनि का एक एकक है और यह मुख्य रूप से भारी पानी, समृद्ध बोरॉन कार्बाइड पाउडर, H2O18 के संवर्धन और भारी पानी संयंत्र, मणुगुरु में कैप्टिव पावर प्लांट के संचालन के लिए रसायनों, उपकरणों, पुर्जों, उपभोग्य सामग्रियों, ईंधन तेलों, पेट्रोलियम उत्पादों आदि जैसे विभिन्न सामानों के प्रापण कार्य से जुड़ा है।

साथ ही, आरपीयूएम गैर-परमाणु अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न देशों को भारी पानी की खेपों के निर्यात कार्य से भी जुड़ा है।

क्रय एवं भंडार एकक, मैसूर

दुर्लभ सामग्री परियोजना, मैसूर में स्थित क्रय एवं भंडार एकक, रणनीतिक सामग्रियों के प्रापण में दुर्लभ सामग्री परियोजना, मैसूर की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है।

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय के विभिन्न क्षेत्रों में क्रभंनि के क्षेत्रीय भंडार

परमाणु खनिज क्रय एकक, हैदराबाद

एएमडी, हैदराबाद में स्थित क्रय एकक परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडीईआर) और इसकी सभी क्षेत्रीय इकाइयों की प्रापण आवश्यकताओं का ख्याल रखता है, जो मूल रूप से देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए आवश्यक खनिज भंडारों के लिए भूवैज्ञानिक अन्वेषण में लगे हुए हैं। एएमडीईआर की क्षेत्रीय इकाइयाँ देश के विभिन्न भागों में स्थित हैं।

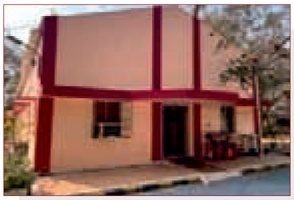

हैदराबाद, तेलंगाना

यह भंडार एकक अनुसंधान और खनिजों के ड्रिलिंग कार्यों से जुड़े एएमडी मुख्यालय और एएमडी दक्षिण मध्य क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करता है।

बेंगलुरु, कर्नाटक

बेंगलुरू में स्थित भंडार एकक एएमडी दक्षिणी क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करता है और बीएआरसी, सिस्मिक ऐरे स्टेशन, गौरीबिदनूर, ब्रिट, बेंगलुरु, पीओसीटीए गेस्ट हाउस (आरएमपी) के लिए एक जीईएम कंसाइनी के रूप में भी कार्य करता है।

टाटानगर, झारखंड

यहाँ के भंडार एकक की स्थापना वर्ष 1986 में सुंदरनगर पोस्ट, झारखंड में हुई और इसे बाद में वर्ष 1996 के दौरान खासमहल में स्थानांतरित किया गया और यह एएमडीईआर, पूर्वी क्षेत्र, टाटानगर की आवश्यकता को पूरा करता है।

नई दिल्ली, एनसीटी

यह भंडार एकक पहली बार वर्ष 2022 में शुरू हुआ। यह एकक खनिजों के अनुसंधान और ड्रिलिंग कार्यों में लगे एएमडी उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली को सेवाएं प्रदान करता है।

जयपुर, राजस्थान

यह भंडार एकक वर्ष 2022 में शुरू हुआ और एएमडी पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर स्थित 10 ड्रिलिंग इकाइयों और 07 शिविरों की सामग्री की जरूरतों को पूरा करता है। इस भंडार का प्राथमिक कार्य विभिन्न क्षेत्र इकाइयों और क्षेत्रों को ड्रिलिंग सामग्री की व्यवस्था और आपूर्ति करना है।

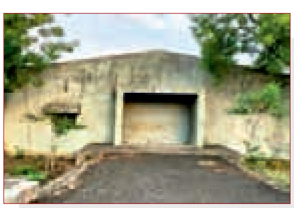

नागपुर, महाराष्ट्र

यह भंडार एकक वर्ष 1976 में शुरू हुआ था और यह एएमडी मध्य क्षेत्र के के अंतर्गत 08 विभिन्न ड्रिलिंग यूनिटों, सर्वेक्षण यूनिट, रेजिडेंट जियोलॉजिस्ट कैंप और 15 से अधिक प्रयोगशालाओं और जांचों को सेवाएं प्रदान करता है।

यह दो अलग-अलग स्थानों पर स्थित है;

(i) वाडी, नागपुर, इसकी प्राथमिक भूमिका ड्रिलिंग सहायक उपकरण जैसी भारी और स्थूल वस्तुओं की प्राप्ति और उन्हें जारी करना है और (ii) शहर के केंद्र में

दूसरा एकक यानी एएमडी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, नागपुर है, जो छोटे और हल्के सामानों की प्राप्ति और जारी करने के लिए क्षेत्रीय मुख्यालय है।

शिलांग, मेघालय

यह भंडार एकक 2022 में शुरू हुआ और मुख्य रूप से अन्वेषण गतिविधि और खानों के अनुसंधान के लिए एएमडी उत्तर पूर्वी क्षेत्र, शिलांग की सामग्री प्रबंधन आवश्यकताओं को पूरा करता है।

कलकत्ता क्षेत्रीय क्रय एवं भंडार एकक (सीआरपीएसयू)

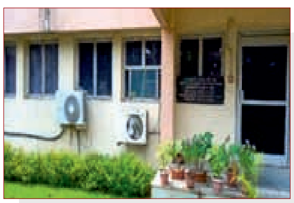

कलकत्ता क्षेत्रीय खरीद एकक (सीआरपीयू) परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन सेंटर, कोलकाता की प्रापण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है, जो पऊवि की प्रयोगात्मक परमाणु भौतिकी, विकिरण क्षति अध्ययन और अनुसंधान तथा परमाणु दवाओं के लिए आइसोटोप उत्पादन के क्षेत्र में काम करनेवाली एक अनुसंधान और विकास इकाई है। सीआरपीयू भारी पानी बोर्ड सुविधाओं, तालचेर, उड़ीसा की प्रापण संबंधी गतिविधियों में भी काम करता है, जो विभिन्न ऑर्गेनो-फॉस्फोरस सॉल्वैंट्स सहित विशेष रसायनों के उत्पादन, संवर्धन और रूपांतरण में लगी हुई है।

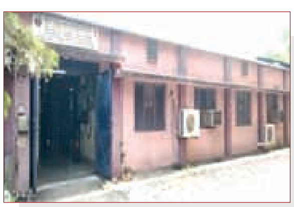

कोलकाता क्षेत्रीय भंडार एकक, वीईसीसी, कोलकाता वीईसीसी और पऊवि की विभिन्न इकाइयों अर्थात आरएमआरसी (रेडिएशन मेडिसिन रिसर्च सेंटर), बीएआरसी, बीआरआईटी, एमसीएफ (मेडिकल साइक्लोट्रॉन सुविधा) के लिए खेपों (स्थानीय, देश-विदेशी और विदेशी) की प्राप्ति, प्रापण, निपटान और सामग्री प्रबंधन गतिविधियों का कार्य कर रहा है।

भारी पानी संयंत्र की इकाइयों में क्रभंनि क्षेत्रीय भंडार एकक

मणुगुरु, तेलंगाना

यह भंडार एकक भारी पानी उत्पादन की सबसे बड़ी सुविधा- भारी पानी संयंत्र (मणुगुरु) की जरूरतों को पूरा कर रहा है, यह सुविधा भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में योगदान देती है, और O18 के उत्पादन के साथ-साथ हेवी वाटर बोर्ड की प्रमुख इकाई है। भारी पानी संयंत्र, मणुगुरु की रीढ़, कैप्टिव पावर प्लांट मुख्य

	प्लांट की जरूरतों को पूरा करता है। यह एक ISO-9001:2015, ISO-14001:2015 और ISO 45001:2018 प्रमाणित संगठन है। भारत और विदेश सहित विभिन्न गंतव्यों तक भारी पानी का परिवहन इस भंडार एकक के लिए प्रतिष्ठित कार्य बन गया है। भारी पानी बोर्ड के इतिहास में, अब तक निर्यात किए गए 100 टन से अधिक भारी पानी में से सबसे बड़ी खेपों में से एक "50टन भारी पानी" यूएसए को भेजा गया है।
	तालचेर, उड़ीसा एचडब्ल्यूबीएफ, तालचेर स्थित भंडार एकक, भारी पानी बोर्ड सुविधाएं, तालचेर के लिए प्रापण और सामग्री प्रबंधन गतिविधियों की पूर्ति कर रहा है, यह परमाणु ऊर्जा विभाग की एक औद्योगिक इकाई है जो विभिन्न परमाणु ग्रेड सॉल्वैंट्स और संबद्ध उत्पादों के उत्पादन के क्षेत्र में काम कर रही है जिनका उपयोग धातु निष्कर्षण में किया जाता है।
	कोटा, राजस्थान भापासं (कोटा) में स्थित कोटा क्षेत्रीय भंडार एकक, भारी पानी संयंत्र (कोटा) की सामग्री प्रबंधन और निपटान गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। यह परमाणु ऊर्जा विभाग की एक औद्योगिक इकाई है जो परमाणु ग्रेड भारी पानी (डी2ओ) के उत्पादन में शामिल है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से दबावयुक्त भारी पानी रिएक्टरों (पीएचडब्ल्यूआर) में मॉडरेटर और शीतलक के रूप में किया जाता है।
	वडोदरा, गुजरात भारी पानी बोर्ड सुविधाएं (वडोदरा) में स्थित भंडार एकक, भारी पानी बोर्ड सुविधाएं (वडोदरा) के लिए सामग्री प्रबंधन गतिविधियों को पूरा कर रहा है, जो पऊवि की एक औद्योगिक इकाई है जो मोनो-थर्मल अमोनिया-हाइड्रोजन एक्सचेंज प्रक्रिया, पोटेशियम धातु, सोडियम धातु और ट्राई-ब्यूटाइल फॉस्फेट के उत्पादन को नियोजित करके भारी पानी के उत्पादन के क्षेत्र में काम कर रही है।

	थूथुकुडी, तमिलनाडु थूथुकुडी का क्रभंनि भंडार एकक, भारी पानी संयंत्र, थूथुकुडी के लिए सामग्री प्रबंधन संबंधी गतिविधियों से जुड़े कार्य कर रहा है।
बीएआरसी भंडार एकक, विशाखापत्तनम (वाईजाग)	
	क्रभंनि भंडार एकक, वाईजाग, बीएआरसी, विशाखापत्तनम के लिए सामग्री प्रबंधन संबंधी गतिविधियों से जुड़े कार्य कर रहा है।

क्रभंनि परिषद

क्रय एवं भंडार निदेशालय एक विशिष्ट इकाई के रूप में कार्य करते हुए परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने जैसे विभाग के उच्च-स्तरीय लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु परमाणु ऊर्जा विभाग को प्रापण संबंधी सुविधा प्रदान करता है। क्रभंनि, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा अमृतकाल 2047 के लिए निर्धारित लक्ष्यों का भी एक हिस्सा है। इसके अतिरिक्त, क्रभंनि प्रापण, लॉजिस्टिक, स्क्रैप और अनुपयोगी वाहनों के निपटान में पऊवि की सभी घटक इकाइयों को सेवाएं प्रदान करता है।

निर्णय लेने की प्रणाली के विकेंद्रीकरण और वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के परिणामस्वरूप निर्णय लेने में तेजी आई है। शक्तियों के प्रत्यायोजन का तात्पर्य जवाबदेही के साथ अधिकार भी है। विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया संबंधी शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी गई हैं, जबकि प्रशासनिक शक्तियां निदेशक, क्रभंनि के पास हैं।

निर्णय लेने में एकरूपता बनाए रखने और नीतिगत निर्णय लेने के लिए, वर्ष 2005 में क्रभंनि परिषद नामक एक निकाय का गठन किया गया था। इस प्रकार गठित परिषद निदेशक, क्रभंनि के लिए एक सलाहकार समिति के रूप में है। इस परिषद के समक्ष निर्णय के लिए लाए गए किसी भी मामले पर विस्तार से विचार-विमर्श किया जाता है और सदस्यों के सुझावों/विचारों पर विचार करने के बाद अध्यक्ष द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है। आवश्यकतानुसार परिषद की समय-समय पर बैठकें होती हैं। आवश्यकता पड़ने पर परिषद की विशेष बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

परिषद के कार्य इस प्रकार हैं:

1) क्रभंनि के सुचारू और कुशल संचालन से संबंधित नीतिगत निर्णयों का कार्यान्वयन।

2) भर्ती, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि से संबंधित सभी प्रशासनिक नीतिगत मामलों पर विचार करना, समीक्षा करना और सिफारिश करना।

3) नीति और प्रक्रिया के सभी मामलों की समीक्षा करना, निर्णय लेना और सभी इकाइयों के प्रदर्शन/प्रगति की समीक्षा करना ताकि PRIS-G विशेषज्ञ समिति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।

4) निदेशक, क्रभंनि की सिफारिश के लिए सदस्यों द्वारा परिषद में लाए जाने वाले किसी अन्य मामले पर विचार करना।

संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय निदेशक, आतंरिक वित्त सलाहकार, मुख्य प्रशासन अधिकारी और उप निदेशकों सहित क्रभंनि के वरिष्ठ अधिकारी इस क्रभंनि परिषद के सदस्य हैं।

क्रभंनि परिषद के सदस्य

श्री वेद सिंह
अध्यक्ष एवं निदेशक, क्रभंनि

श्री वेद सिंह ने लखनऊ विश्वविद्यालय से बी.टेक (मैकेनिकल) की पढ़ाई पूरी की है। वे भापअकें प्रशिक्षण विद्यालय के 34वें बैच से हैं और उन्होंने वर्ष 1991 में भापअकें में वैज्ञानिक अधिकारी (सी) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था।

उन्होंने पश्च अंत्य ईंधन चक्र सुविधाओं और भापअकें की अन्य सुविधाओं के लिए परमाणु सुरक्षा श्रेणी के उपकरण और पाइपिंग को डिजाइन करने पर प्रमुख रूप से काम किया है। पश्च अंत्य ईंधन चक्र सुविधाओं की परमाणु सुरक्षा प्रणालियों की भूकंपीय डिजाइन संबंधी आवश्यकताओं की दिशा में भी उन्होंने बड़े पैमाने पर काम किया है। उन्होंने संरक्षा और प्रचालन जीवन को बढ़ाने के लिए पुनर्संसाधन और अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों के संचालन हेतु विभिन्न प्रणालियों के लिए अभिनव डिजाइन समाधान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उन्होंने वर्ष 2016 से 2019 तक एनआरबीपीएसयू के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्य किया और इस निदेशालय में दिनांक 01.03.2024 से निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने से पहले एनआरबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में भी काम किया है।

श्री वी. नागा भास्कर
सदस्य एवं क्षेत्रीय निदेशक, एचआरपीएसयू

श्री वी. नागा भास्कर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। वे भापअकें प्रशिक्षण विद्यालय के 31वें बैच से हैं और उन्होंने वर्ष 1988 में हैदराबाद के नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र में कार्यभार ग्रहण किया। उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र "मापयंत्रण, नियंत्रण और स्वचालन प्रणालियों का कार्यान्वयन" है। उनके कुछ योगदानों में यूरेनियम ऑक्साइड संयंत्र के लिए अत्याधुनिक उच्च उपलब्धता पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण प्रणाली का डिज़ाइन, अवधारणा, प्रापण और उसका कार्यान्वयन; रिमोट इनपुट और आउटपुट आधारित पीएलसी नियंत्रित 19 और 37ele PHWR ईंधन बंडल निरीक्षण प्रणाली की अवधारणा, विनिर्देश, कार्यान्वयन, स्थापना और

कमीशनिंग; एक्सट्रूज़न और पियर्सिंग प्लांट में 3780 टन प्रेस की नियंत्रण प्रणाली का आधुनिकीकरण; सेवन एक्सिस डाई प्रोफाइल ग्रूव कटिंग मशीन (केबी 65) के नियंत्रण प्रणाली का विकास और कार्यान्वयन; ब्राइट एनीलिंग फर्नेस का पुनरुद्धार शामिल हैं।

उन्हें पऊवि ग्रुप अचीवमेंट अवार्ड और एनएफसी के वर्क ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे वर्तमान में मार्च 2019 से एचआरपीएसयू के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।

डॉ. कित्तेरी जोसफ

सदस्य और क्षेत्रीय निदेशक, एमआरपीएसयू

डॉ. कित्तेरी जोसफ चेन्नई के लोयोला कॉलेज से रसायन विज्ञान में एम.एससी. स्वर्ण पदक विजेता हैं। वे भापअकें प्रशिक्षण विद्यालय के 33वें बैच से हैं और उन्होंने वर्ष 1990 में आईजीसीएआर में कार्यग्रहण किया। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने सोडियम रसायन विज्ञान, तापीय विश्लेषण, ठोस अवस्था परमाणु सामग्री और परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त किया है।

उन्होंने इलेक्ट्रोकेमिकल हाइड्रोजन मीटर के लिए एक नया इलेक्ट्रोलाइट और संदर्भ सामग्री विकसित करने हेतु प्रमुख भूमिका निभाई, जिसका उपयोग सोडियम में हाइड्रोजन का पता लगाने के लिए किया जाता है। उन्होंने मेटल फ्यूल एंड रीप्रोसेसिंग ग्रुप के एसोसिएट डायरेक्टर के रूप में, उन्होंने मेटल फ्यूल फैब्रिकेशन, प्रयोगशाला और प्लांट स्तर पर पाइरोकेमिकल रीप्रोसेसिंग और डायरेक्ट ऑक्साइड इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन (DOER) प्रक्रिया द्वारा यूरेनियम ऑक्साइड को मेटालिक यूरेनियम में बदलने की दिशा में टीम का नेतृत्व किया। उन्होंने परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में भारत-ब्रिटेन नागरिक सहयोग में आईजीसीएआर की टीम का भी नेतृत्व किया।

उन्होंने फरवरी 2024 में क्रभंनि, पऊवि के क्षेत्रीय निदेशक का पद संभाला और क्रभंनि के क्षेत्रीय निदेशक का पद संभालने वाली वे पहली महिला हैं। वे आईजीसीएआर और कलपक्कम में स्थित अन्य इकाइयों तथा भारी पानी संयंत्र, थूथुकुडी की आवश्यकताओं को पूरा करने में क्रय एवं भंडार टीम का नेतृत्व करती हैं।

श्री ए.के. झा

सदस्य एवं क्षेत्रीय निदेशक, एनआरबीपीएसयू

श्री ए.के. झा ने आईआईटी, मुंबई से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में एम.टेक की डिग्री पूरी की है। वे भापअकें प्रशिक्षण विद्यालय के 36वें बैच से स्नातक करने के बाद भापअकें, ट्रॉम्बे में शामिल हुए और वर्तमान में दिनांक 23/08/2022 से एनआरबीपीएसयू, क्रभंनि के क्षेत्रीय निदेशक के पद पर हैं।

वे एनआरबी की परियोजनाओं और परिचालन संयंत्रों से संबंधित दैनिक सामग्री प्रबंधन गतिविधियों को संभालते हैं।

श्री. प्रशांत खरे

सदस्य एवं क्षेत्रीय निदेशक, आईआरपीएसयू

श्री प्रशांत खरे एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। उन्होंने वर्ष 1989 में आरआरसीएटी में कार्यग्रहण किया। वर्तमान में वे प्रोटॉन एक्सेलेरेटर समूह के निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं, तथा क्रायोमॉड्यूल विकास और क्रायो-इंजीनियरिंग अनुप्रयोग प्रभाग के प्रमुख हैं और साथ ही आईआरपीएसयू के क्षेत्रीय निदेशक भी हैं। उनकी रुचि के क्षेत्र क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग और क्रायोमॉड्यूल, एससीआरएफ कैविटी के लिए क्षैतिज परीक्षण क्रायोस्टेट और लेजर वेल्डिंग के माध्यम से एससीआरएफ कैविटी के विकास जैसे इस पर आधारित प्रणालियों का विकास हैं। उन्हें वर्ष 2018 के लिए प्रतिष्ठित होमी भाभा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार, पऊवि वैज्ञानिक एवं तकनीकी उत्कृष्टता पुरस्कार - 2013, 2009 और 2014 में दो पऊवि ग्रुप अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हुए हैं।

उनकी "शिवाय" तकनीक विकसित करने वाली टीम के आविष्कारक और लीडर के रूप में भूमिका रही है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी/डीएसटी द्वारा प्रकाशित संग्रह में "स्वतंत्र भारत में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में 75 ऐतिहासिक उपलब्धियों" में से एक के रूप में चुना गया है। प्रकाशनों में, श्री खरे के नाम 6 पेटेंट, 9 जर्नल प्रकाशन और 45 सम्मेलन हैं।

श्री शैलेश कुमार जाखोटिया

सदस्य और आईएफए, क्रभंनि

श्री शैलेश कुमार जाखोटिया भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और क्रभंनि के आंतरिक वित्तीय सलाहकार हैं। श्री जाखोटिया प्रतिष्ठित भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा (आईएएंडएएस) के वर्ष 2003 बैच के सिविल सेवक हैं और उन्हें सरकारी लेखा परीक्षा और वित्तीय प्रबंधन में 21 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। श्री जाखोटिया ने भारत सरकार के 7 प्रांतीय कार्यालयों में विभिन्न वरिष्ठ पदों पर कार्य किया है, जिसमें न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के लेखा परीक्षक बोर्ड के उप निदेशक का पद भी शामिल है।

श्री जाखोटिया ने जिनेवा में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, वियना, भूटान और फिलीपींस में भारतीय दूतावासों के वित्तीय लेखा परीक्षा और अनुपालन लेखा परीक्षा जैसे लेखा परीक्षा और आश्वासन के कई प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय कार्य किए हैं।

श्रीमती मंदाकिनी एस. भांगे

सदस्य एवं उप निदेशक, क्रभंनि

श्रीमती मंदाकिनी एस. भांगे ने पुणे बोर्ड से एस.एस.सी. पास की। वे फरवरी, 1989 में क्रय क्लर्क के रूप में विभाग में शामिल हुईं और उन्होंने क्रभंनि में विभिन्न पदों पर विभिन्न अनुभागों में काम किया। 30.11.2022 से इस निदेशालय में उप निदेशक के पद पर रहते हुए, वे केन्द्रीय क्रय एकक की प्रापण संबंधी गतिविधियों और भंडार इकाइयों की सभी गतिविधियों की देखरेख करती हैं और विभिन्न क्रय, भंडार और प्रशासन समितियों में अध्यक्ष/सदस्य-सचिव/सदस्य भी हैं।

श्रीमती कलावती सी. पिल्लई

सदस्य एवं उप निदेशक, क्रभंनि

श्रीमती कलावती सी. पिल्लई मुंबई विश्वविद्यालय से वाणिज्य की स्नातक हैं। उन्होंने वर्ष 1986 में क्रभंनि, मुंबई में क्रय क्लर्क के रूप में अपनी सेवा शुरू की। उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया। एचआरपीयू में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्हें 26 जनवरी 2022 को सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत परफॉर्मर के रूप में सम्मानित किया गया। उन्होंने प्रापण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी), अनुमोदन हेतु पदानुक्रम के लिए एसओपी तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इंडेंटिंग अधिकारियों के साथ इंटरैक्टिव सत्रों के लिए टीम का नेतृत्व किया। वे इंडक्शन प्रशिक्षुओं के लिए एक संकाय सदस्य भी हैं।

श्री. आर. विजय कुमार

सदस्य एवं उप निदेशक, एचआरपीएसयू

श्री आर. विजय कुमार कला में स्नातक हैं और वर्ष 1989 में भंडार क्लर्क के रूप में इस निदेशालय में शामिल हुए। उन्होंने विभिन्न भंडार इकाइयों में काम किया और वे विभिन्न भंडार इकाइयों के विकास/नवीनीकरण गतिविधियों में शामिल रहे। उन्होंने क्रभंनि की कई इकाइयों में सर्वेक्षण और निपटान समिति के सदस्य सचिव के रूप में भी काम किया। उन्हें वर्ष 2019 में एचआरएसयू, एनएफसी, हैदराबाद में समूह नेता के रूप में स्वच्छता अभियान उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे जीईएम फॉरवर्ड नीलामी के अनुरूप विभिन्न स्क्रैप/अनुपयोगी/अतिरिक्त वस्तुओं के निपटान से संबंधित एनआईटी दस्तावेजों की समीक्षा और संपादन कार्य में शामिल रहे और उन्होंने मेसर्स एमएसटीसी के माध्यम से कार्यकाल समाप्त हुए वाहनों के निपटान के लिए नई एसओपी की संरचना की।

श्रीमती सरिता एन. म्हात्रे

सदस्य एवं उप निदेशक, क्रभंनि

श्रीमती सरिता एन. म्हात्रे बी.कॉम स्नातक हैं और उन्होंने आईएमएम से डीजीएमएम में डिप्लोमा प्राप्त किया है। वर्ष 1989 में विभाग में अपनी सेवा आरम्भ करने के बाद से उन्होंने विभिन्न पदों पर काम किया है। जनवरी, 2025 से इस निदेशालय में उप निदेशक के पद पर रहते हुए, वे वर्तमान में केन्द्रीय क्रय एकक की विभिन्न प्रापण गतिविधियों को देख रही हैं, जिसमें चिकित्सा और आईटी से संबंधित प्रापण शामिल है और विभिन्न समितियों में अध्यक्ष/सदस्य-सचिव/सदस्य के रूप में भी कार्य कर रही हैं।

श्री एस. वाय. कांबले

सदस्य एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, क्रभंनि

श्री एस. वाय. कांबले वाणिज्य में स्नातक हैं और सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय से मानव संसाधन में एमबीए की डिग्री प्राप्त की है। वे मार्च 1989 में पऊवि सचिवालय में विभाग में शामिल हुए और पऊवि की विभिन्न इकाइयों में कार्य करने के बाद वर्तमान में क्रभंनि, मुंबई में तैनात हैं। विभिन्न प्रशासनिक गतिविधियों की देखरेख के अलावा, वे अंशकालिक सतर्कता अधिकारी, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, शिकायत अधिकारी, एससी/ एसटी/ ओबीसी/ पीडब्ल्यूबीडी के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। श्री कांबले ने अपने 35 वर्षों से अधिक के सेवाकाल में पावर के अलावा विभाग के सभी क्षेत्रों अर्थात् सचिवालय, अनुसंधान एवं विकास, औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में कार्य किया है।

श्री एम.पी. विनोद

सदस्य एवं प्रबंधक (क्रय), आरपीयूएम

श्री एम.पी. विनोद, वैज्ञानिक अधिकारी (ई) ने उस्मानिया विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक (रासायनिक प्रौद्योगिकी) की डिग्री प्राप्त करने के बाद वर्ष 1989 में भारी पानी संयंत्र, मणुगुरु में कार्यभार संभाला। उनके कार्य का मुख्य

क्षेत्र ड्यूटेरियम के संवर्धन के लिए एक्सचेंज यूनिट, रासायनिक विनिमय के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड उत्पादन, सोडियम सल्फेट रिकवरी, अपशिष्ट उपचार आदि रहा है। उन्हें फरवरी 2009 में, हैदराबाद में भारी पानी सामान्य सुविधाओं में संपर्क अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था और वे संयंत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के साथ समन्वय करने, संयंत्र संचालन के लिए आवश्यक विभिन्न सामग्रियों के लिए निर्माताओं के कारखाने के मूल्यांकन, सामग्री निरीक्षण आदि में कार्यों से जुड़े रहे। अगस्त 2021 से, वे क्षेत्रीय क्रय एकक (मणुगुरु) में प्रबंधक (क्रय) के रूप में कार्यरत हैं, जो भारी पानी संयंत्र (मणुगुरु) की क्रय गतिविधियों को पूरा करता है।

श्री. अमित कुमार जैन

सदस्य एवं प्रभारी, एएमपीयू

श्री अमित कुमार जैन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली से एम.टेक. (रासायनिक विश्लेषण के आधुनिक तरीके) प्राप्त करने के बाद वर्ष 2002 में एएमडी में वैज्ञानिक अधिकारी/सी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने एएमडी उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, शिलांग और एएमडी उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली में रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में काम किया है, जहां उन्होंने यूरेनियम अन्वेषण के लिए यूरेनियम, प्रमुख, लघु, ट्रेस और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के लिए विभिन्न भूवैज्ञानिक नमूनों का विश्लेषण किया है।

श्री अमित कुमार जैन को पऊवि के ग्रुप अचीवमेंट अवार्ड 2016 से सम्मानित किया गया है और उन्होंने विभिन्न सेमिनारों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं के साथ-साथ कई इनहाउस प्रकाशनों में 25 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। नवंबर 2024 से वे मैटेरियल्स मैनेजमेंट ग्रुप एएमडी हैदराबाद के प्रभारी और एएमपीयू, क्रभंनि के प्रभारी के रूप में तैनात हैं।

आवश्यक कार्य

क्रय एवं भंडार निदेशालय (क्रभंनि)

कार्यकारी सारांश

क्रय एवं भंडार निदेशालय (क्रभंनि) का गठन वर्ष 1972 में एक केन्द्रीकृत एजेंसी के रूप में किया गया था। क्रभंनि परमाणु ऊर्जा विभाग का एक सेवा संगठन है तथा एक केन्द्रीकृत एजेंसी है, जिसे परमाणु ऊर्जा विभाग की विभिन्न इकाइयों के लिए क्रय एवं भंडारण गतिविधियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें एचडब्ल्यूबी, एनएफसी, ब्रिट जैसे परिचालन संयंत्र एवं परियोजनाएं, बीएआरसी, आईजीसीएआर, आरआरसीएटी, वीईसीसी, एनआरबी एवं जीसीएनईपी जैसी अनुसंधान एवं विकास इकाइयां तथा डीसीएसईएम एवं जीएसओ जैसे निर्माण एवं सेवा संगठन शामिल हैं।

क्रभंनि को विकेन्द्रीकृत किया गया, जिसका मुख्यालय मुम्बई में है तथा क्षेत्रीय इकाइयां हैं - हैदराबाद में एचआरपीएसयू, एएमपीयू, आरपीएमयूएम, इंदौर में आईआरपीएसयू, चेन्नई में एमआरपीएसयू, कोलकाता में सीआरपीयू तथा मुम्बई में एनआरबीपीएसयू। क्रभंनि के 32 क्रय एवं भंडार एकक हैं, जो देश भर में परमाणु ऊर्जा विभाग की सभी घटक इकाइयों को सेवाएं प्रदान करते हैं।

क्रभंनि परियोजनाओं के लिए सामग्री की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं का प्रापण अत्यंत तेजी से प्राप्त करने में योगदान देता है, जिसके परिणामस्वरूप परमाणु ऊर्जा विभाग के बड़े अंतिम लक्ष्य अर्थात परमाणु ऊर्जा और विकिरण प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना पूरा हो जाता है। परियोजनाओं की सामग्री आवश्यकताएँ कठोर गुणवत्ता की आवश्यकता के साथ अत्यधिक विशिष्ट प्रकृति की हैं। क्रभंनि अन्य सेवाएँ प्रदान करता है जैसे कि लॉजिस्टिक सहायता, रसीद, लेखा, विभिन्न इकाइयों तक सामग्री का परिवहन, आयात की सीमा शुल्क निकासी, बीमा की व्यवस्था, माल का निर्यात, उचित भंडारण और इकाइयों को आवश्यकतानुसार सामग्री जारी करना। इन्वेंटरी प्रबंधन और अन्य संबद्ध गतिविधियाँ भी इस विभाग द्वारा प्रदान की जाती हैं।

क्रभंनि भारत सरकार की सार्वजनिक प्रापण नीति के अनुरूप प्रापण गतिविधियों को प्रभावी ढंग से लागू करने और निष्पादित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्रभंनि ने सरकारी ई-मार्केट के जरिये प्रापण, केंद्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल, तरजीही प्रापण नीति, भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले आपूर्तिकर्ताओं से प्रापण पर प्रतिबंध और वैश्विक निविदा पूछताछ आदि जैसे गतिशील सामग्री प्रबंधन आवश्यकताओं के माध्यम से एक समान, पारदर्शी, व्यवस्थित, कुशल और किफायती प्रक्रिया में प्रापण के लिए परिवर्तनों और कार्यों को तुरंत अपनाया है। क्रभंनि 200 करोड़ से कम मूल्य की सभी निविदाओं को स्वदेशी रूप से संसाधित करके वैश्विक निविदा पूछताछ संबंधी मानदंडों का सख्ती से पालन करता है।

जीईएम पोर्टल/सरकार पर होने वाले परिवर्तनों/अपडेट के बारे में जागरूकता लाने के लिए इंडेंटिंग अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रभावी कामकाज के लिए नीतियों के हिस्से के रूप में, इस उद्देश्य के लिए समर्पित ई-मेल आईडी बनाई गई हैं जैसे support.indentor@dpsdae.gov.in तथा helpdeskdps@dpsdae.gov.in इन ई-मेल के माध्यम से प्राप्त पत्र का उत्तर 48 घंटों के भीतर दिया जाता है।

बोली प्रक्रिया में विक्रेताओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ प्रतिस्पर्धी बोली सुनिश्चित करने के लिए क्रमशः इंदौर, कोलकाता, हैदराबाद,

तारापुर, नई दिल्ली में 2, चेन्नई में 2 तथा मुम्बई में 3 कुल 10 विक्रेता-क्रेता बैठकें आयोजित की गईं।

वर्ष 2024-25 की विशेष उपलब्धियां

1. क्रभंनि ने विकसित भारत@2047 के लिए अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं और इन लक्ष्यों का प्रदर्शन नाइसर, भुवनेश्वर में आयोजित पऊवि कॉन्क्लेव में किया गया है।

2. क्रभंनि जीईएम के माध्यम से अपनी पात्र खरीद का 100% हासिल करने में सफल रहा है। क्रभंनि ने 23396 मांगपत्रों को प्रभावी ढंग से संसाधित किया है और 1698.33 करोड़ रुपये के 27754 खरीद अनुबंध जारी किए हैं। क्रभंनि के भंडार एकक ने 279 बिक्री निविदाएं जारी की और 230 ई-बिक्री आदेश जारी किए हैं।

3. क्रभंनि के विभिन्न भंडार एककों ने 279 बिक्री निविदाएं जारी की हैं और 230 ई-बिक्री आदेश जारी किए हैं। इस वर्ष के दौरान जारी किए गए सीएसआरवी की कुल संख्या 35967 थी। इसके अतिरिक्त, 356715 वाउचरों के आधार पर 149211 वस्तुएं जारी की गईं तथा उनका लेखा-जोखा रखा गया।

4. स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत निदेशालय ने 8333.8 मीट्रिक टन स्क्रैप का निपटान किया, जिससे 55.99 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। भंडार एकक ने इस वर्ष 46048 वस्तुओं को संहिताबद्ध किया है, जिससे इसके इन्वेंट्री प्रबंधन में सुधार हुआ है।

5. क्रभंनि ने पोर्टल के माध्यम से आरटीआई, सीपीजीआरएएमएस और समाधान से प्राप्त प्रश्नों का समय सीमा के भीतर उत्तर दिया।

6. भर्ती के मिशन मोड कार्यक्रम के तहत मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए पारदर्शी तरीके से भारत में विभिन्न स्थानों पर परीक्षा आयोजित की गई। वर्ष 2024 में 59 प्रशिक्षुओं के दूसरे बैच को भारत में विभिन्न स्थानों पर सफलतापूर्वक तैनात किया गया। 62 कनिष्ठ क्रय सहायक/कनिष्ठ भण्डारी के लिए तीसरे बैच का छह महीने का परिचयात्मक प्रशिक्षण जारी है।

7. क्रभंनि ने सरकारी कामकाज में हिंदी के अधिक से अधिक प्रयोग की दिशा में अपने प्रयास जारी रखे हैं। क्रभंनि की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों के दौरान हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की तिमाही समीक्षा की जाती है।

8. एमएमएस में बिलों को संसाधित करने के बाद, प्रणाली द्वारा आपूर्तिकर्ताओं को स्वचालित मेल भेजे जाने की व्यवस्था क्रभंनि के लेखा एकक में लागू की गई है।

9. सीपीयू, क्रभंनि, मुंबई ने कंप्यूटर डिवीजन, बीएआरसी की मदद से एमएमएस सिस्टम में स्वीकृति/डिस्चार्ज बैंक गारंटी मॉड्यूल, इंडेंट/रसीद वाउचर/क्रय आदेश में डिजिटल हस्ताक्षर, पत्राचार/नोटिंग मॉड्यूल, जीईएम स्पष्टीकरण मांगना, प्रस्तावों की स्वीकृति/अस्वीकृति को लागू किया है।

10. क्रभंनि ने क्रभंनि, मुंबई में एकल आईटी समाधान के तहत कागज-रहित कार्यालय की शुरुआत की है।

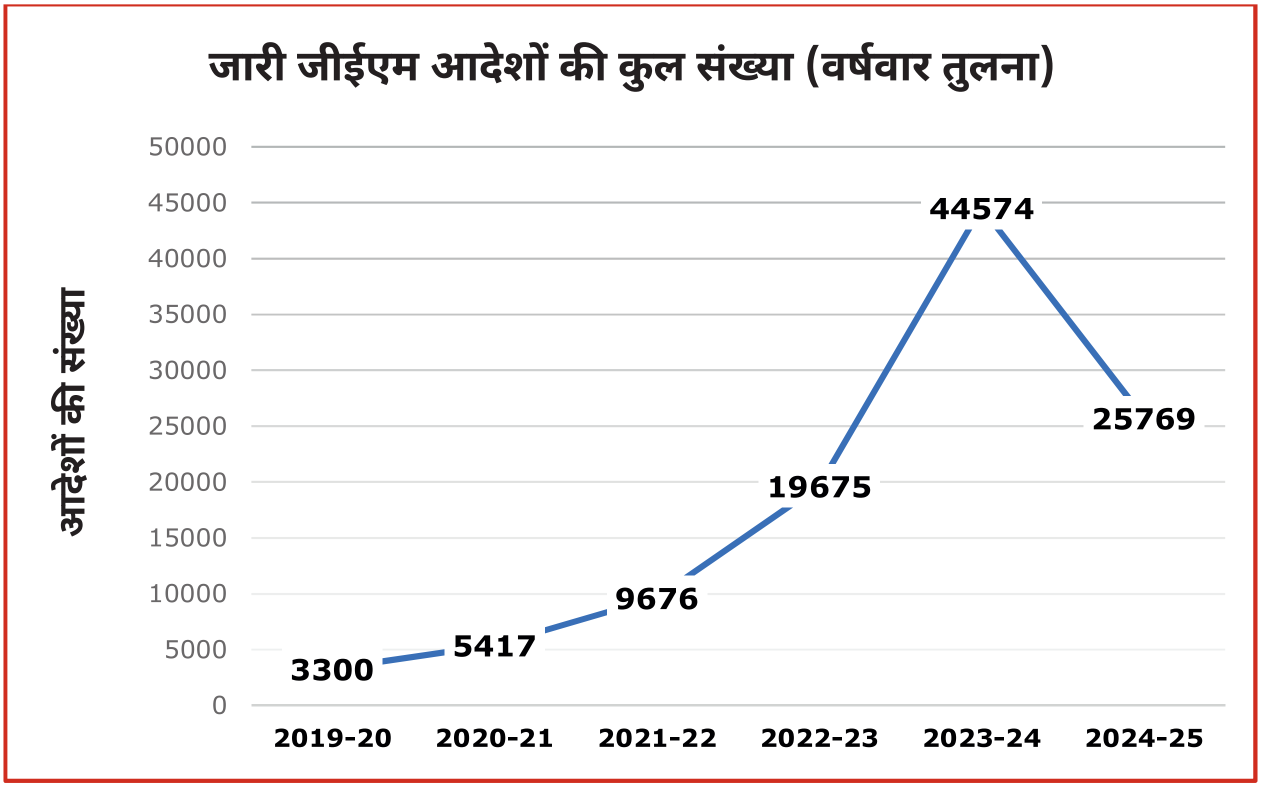

(चित्र - 1)

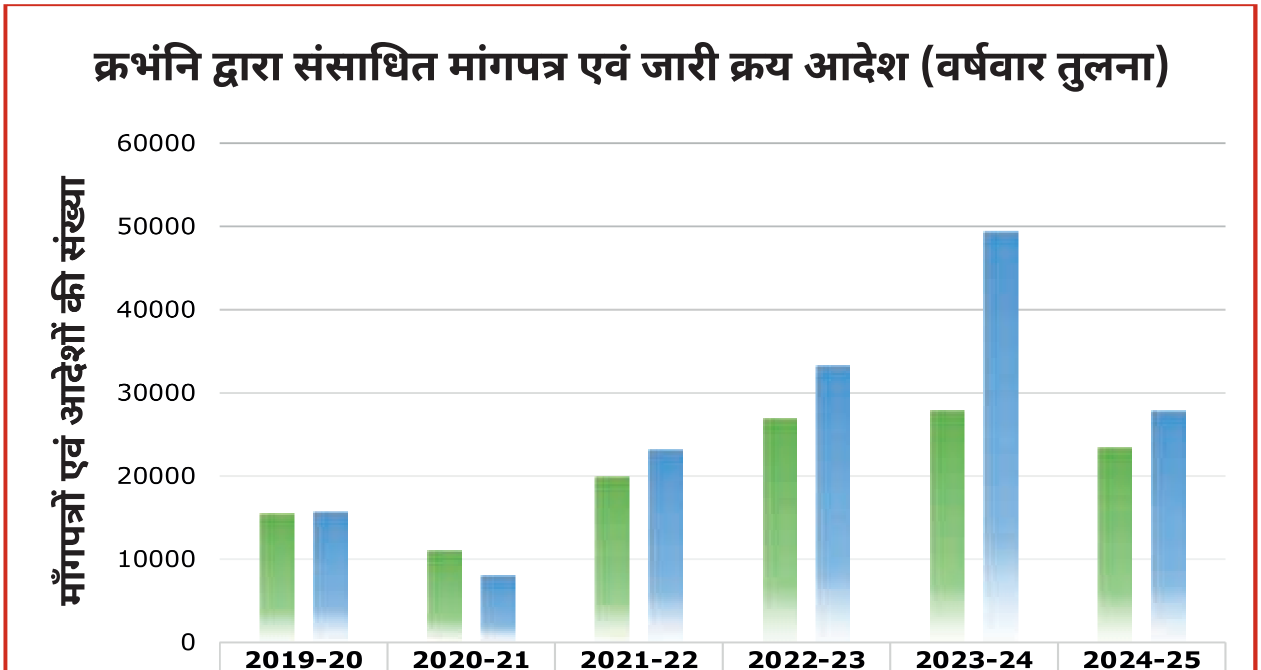

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
मांगपत्र	15429	10966	19843	26842	27869	23396
आदेश	15656	8060	23107	33246	49355	27754

(चित्र - 2)

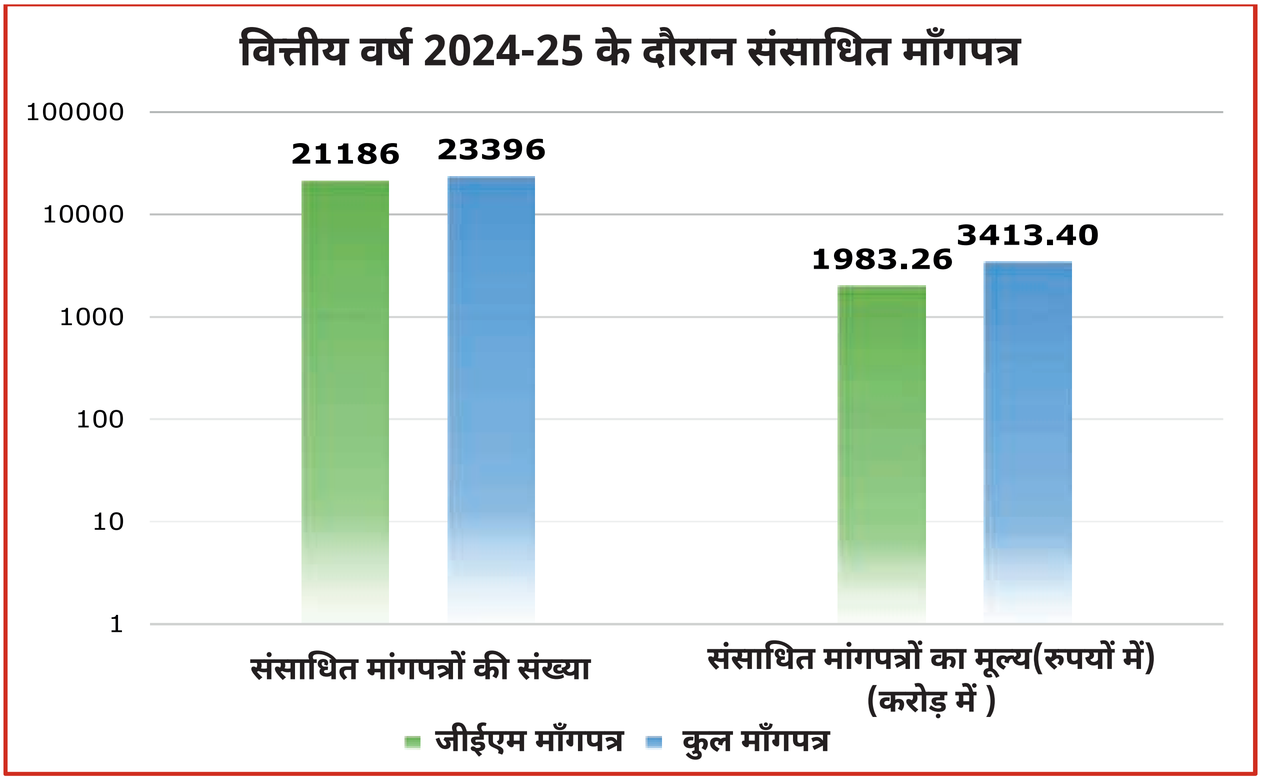
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान संसाधित माँगपत्र
100000
10000
1000
100
10
1
21186
23396
1983.26
3413.40
संसाधित मांगपत्रों की संख्या
संसाधित मांगपत्रों का मूल्य(रुपयों में) (करोड़ में)
जीईएम माँगपत्र
कुल माँगपत्र

(चित्र - 3)

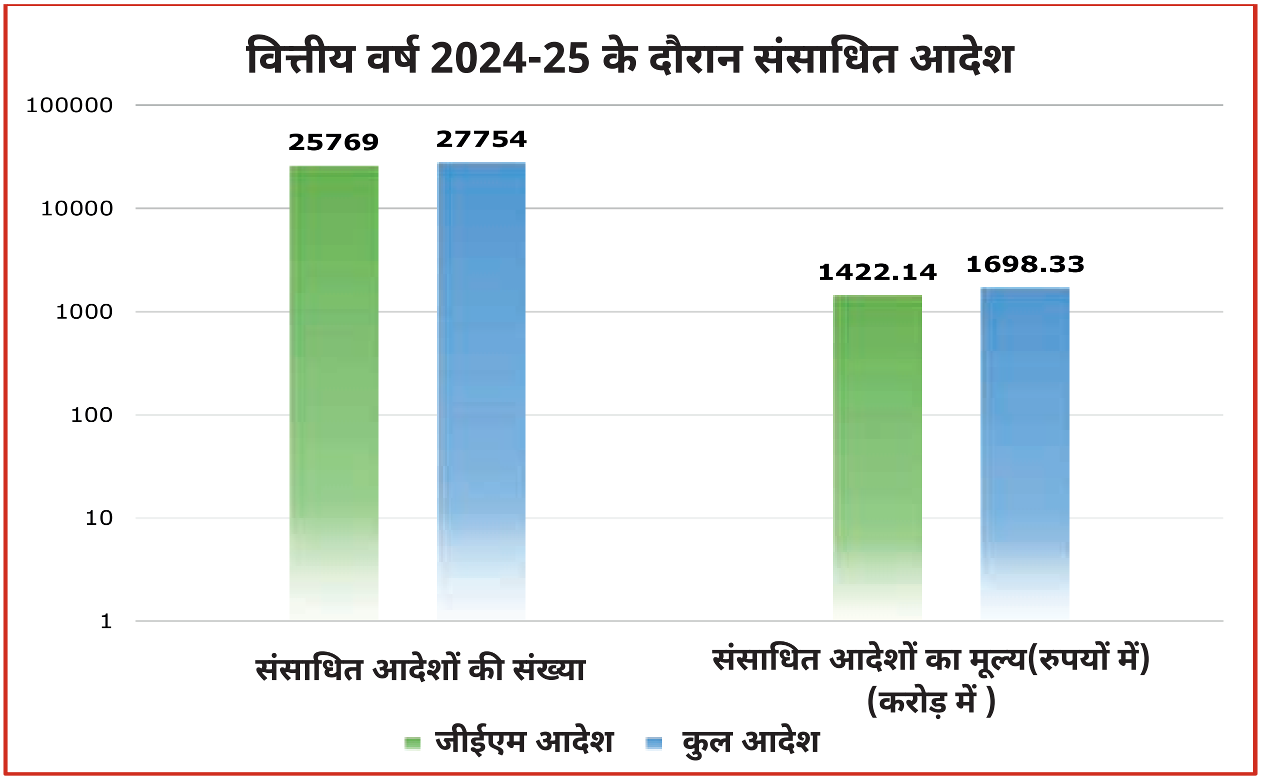
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान संसाधित आदेश
100000
10000
1000
100
10
1
25769
27754
1422.14
1698.33
संसाधित आदेशों की संख्या
संसाधित आदेशों का मूल्य(रुपयों में) (करोड़ में)
जीईएम आदेश
कुल आदेश

(चित्र - 4)

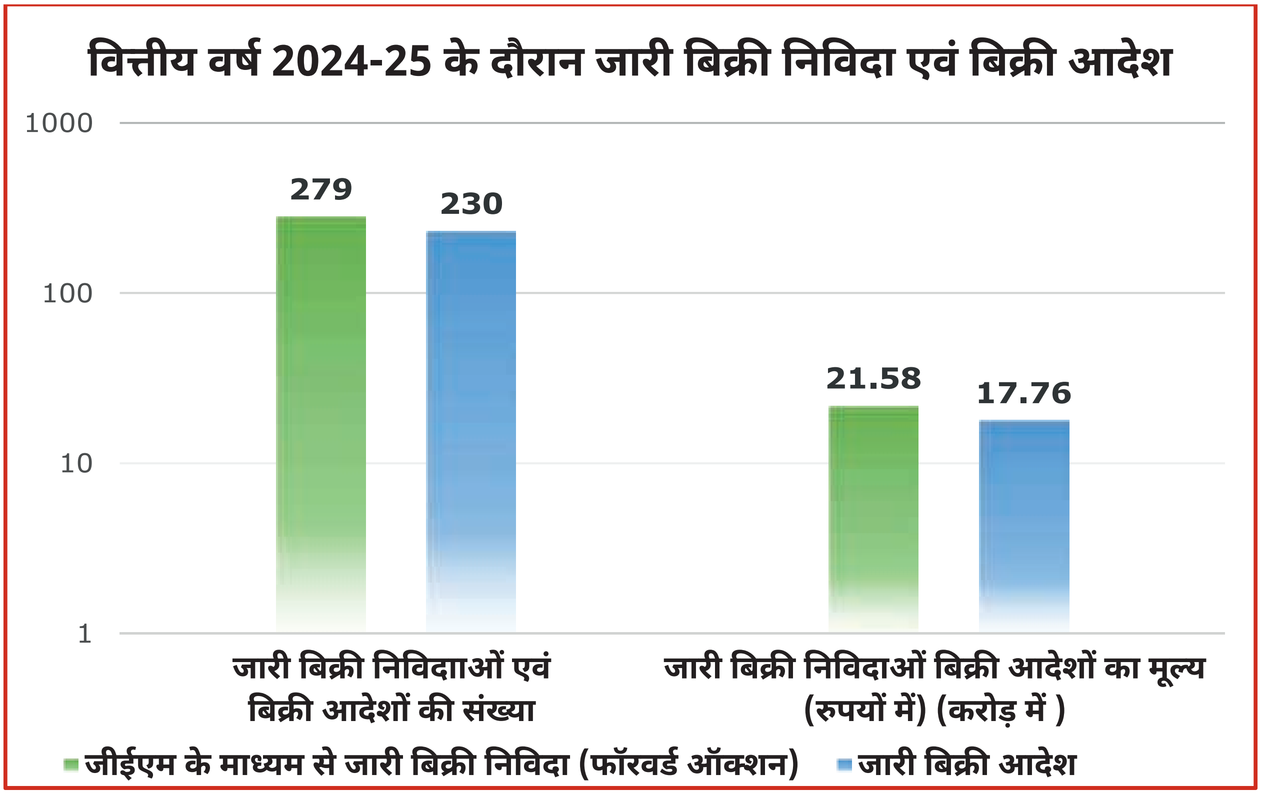

(चित्र - 5)

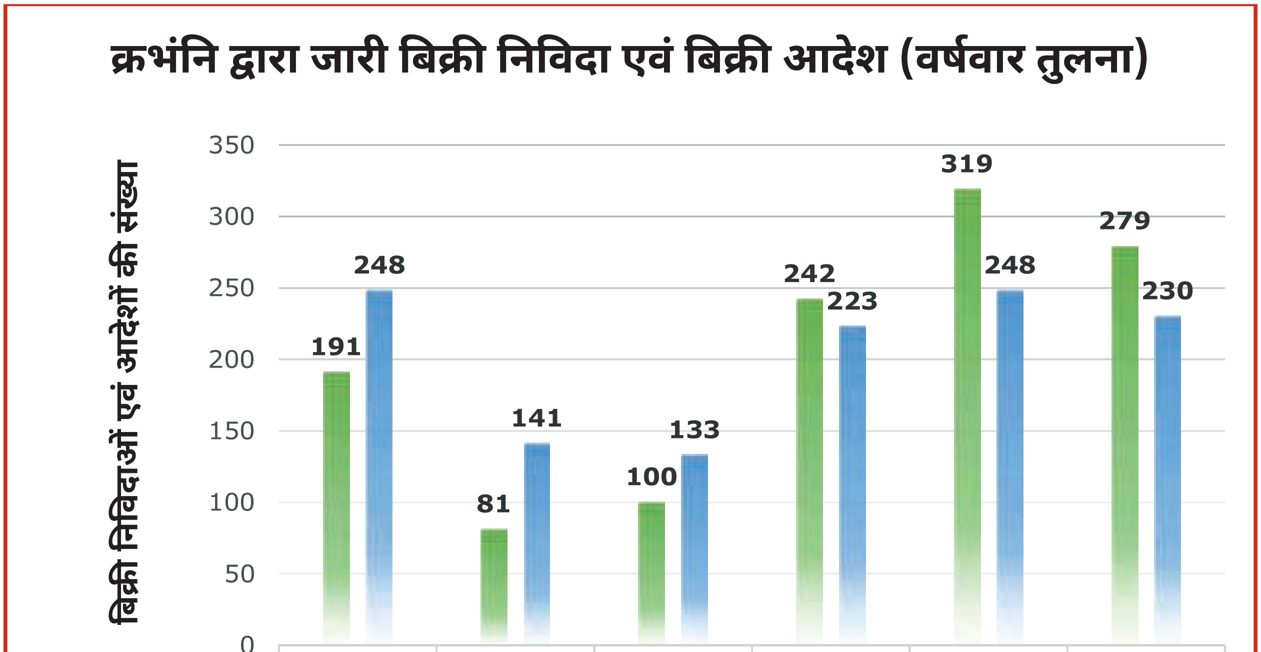

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
बिक्री निविदा	191	81	100	242	319	279
बिक्री आदेश	248	141	133	223	248	230

(चित्र - 6)

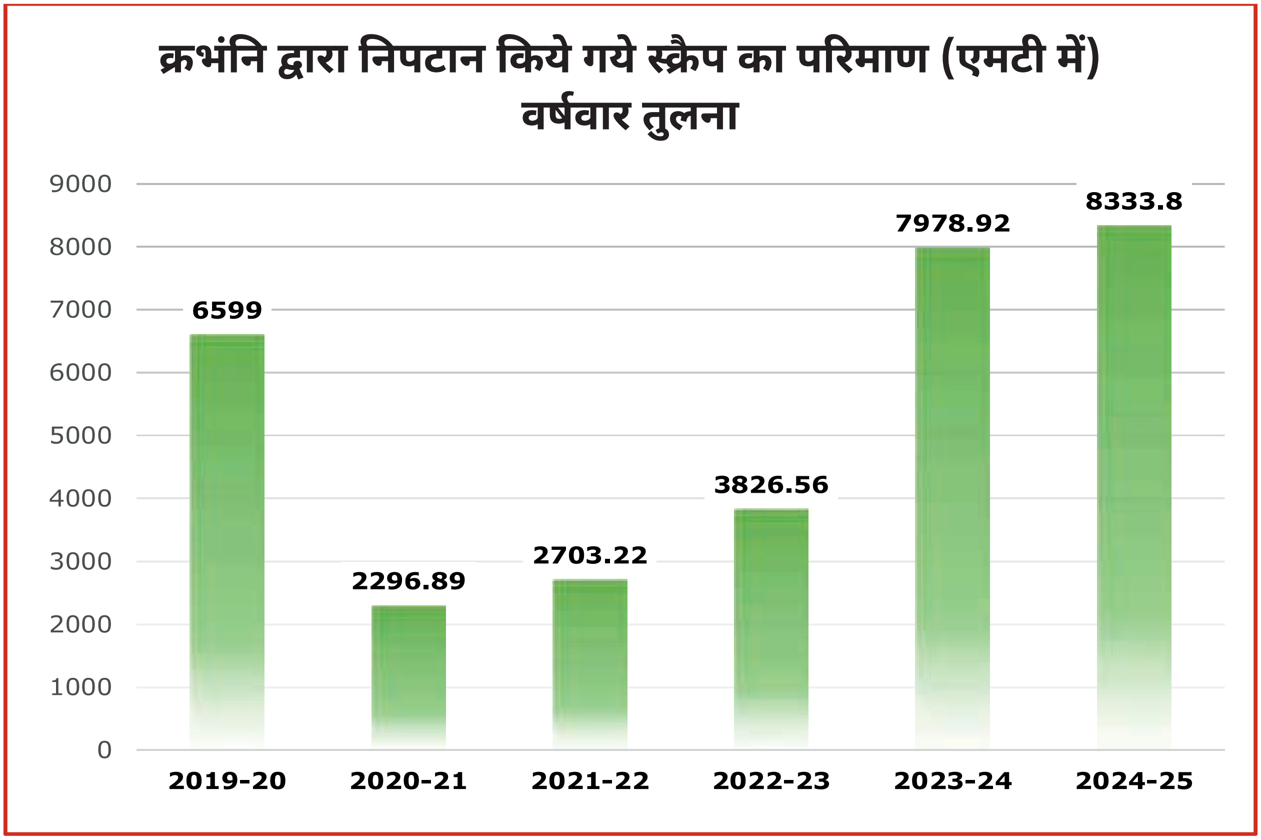
क्रभंनि द्वारा निपटान किये गये स्क्रैप का परिमाण (एमटी में)
वर्षवार तुलना
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
6599
2296.89
2703.22
3826.56
7978.92
8333.8
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23
2023-24
2024-25

(चित्र - 7)

अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक की गतिविधियों का सारांश

		सीपीयू / सीएसयू		एचआरपीएसयू		एमआरपीएसयू		आईआरपीएसयू		एनआरबी		क्रभंनि	
		कुल संख्या	मूल्य (करोड़ रुपये में)	कुल संख्या	मूल्य (करोड़ रुपये में)	कुल संख्या	मूल्य (करोड़ रुपये में)	कुल संख्या	मूल्य (करोड़ रुपये में)	कुल संख्या	मूल्य (करोड़ रुपये में)	कुल संख्या	मूल्य (करोड़ रुपये में)
1	जीईएम से बाहर संसाधित किए गए कुल इंडेंट की संख्या (ए)	1343	1013.45	153	317.66	694	92	14	3.57	6	2.45	2,210	1,429.13
2	जीईएम के माध्यम से संसाधित किए गए इंडेंट की संख्या (बी)	11963	686.51	3066	729.18	3,537	145	616	136.1	2004	286.47	21,186	1,983.26
3	**संसाधित कुल इंडेंट की संख्या (ए+बी)**	**13306**	**1699.96**	**3219**	**1046.85**	**4231**	**238**	**630**	**139.67**	**2010**	**288.92**	**23,396**	**3,413.40**
4	जीईएम से बाहर संसाधित स्वदेशी आदेशों की संख्या (ए)	1167	107.47	195	120.34	566	11	11	2.24	32	28.1	1,971	269.15
5	संसाधित विदेशी क्रय आदेशों की संख्या(बी)	9	6.06	0	0	1	0.058	4	0.47	0	0	14	6.59
6	जीईएम (सी) के माध्यम से संसाधित क्रय आदेशों की संख्या	11882	478.24	7261	718.95	4310	121.08	722	53.28	1594	50.59	25,769	1,422.14
7	**संसाधित क्रय आदेशों की कुल संख्या (ए+बी+सी)**	**13058**	**591.76**	**7456**	**839.29**	**4877**	**132.6**	**737**	**55.99**	**1626**	**78.69**	**27,754**	**1,698.33**
8	उपरोक्त क्रम संख्या 7 में शामिल एमएसएमई क्रय आदेशों की कुल संख्या	9060	279.08	4978	291.91	2,872	51.87	592	37.43	347	55.47	17,849	715.76
9	जीईएम (फॉरवर्ड नीलामी) के माध्यम से जारी बिक्री निविदाओं की संख्या	87	3.21	79	9.14	45	3.55	42	2.42	26	3.27	279	21.58
10	जारी किए गए बिक्री आदेशों की संख्या	90	6	54	4.46	30	2.66	34	1.95	22	2.7	230	17.76
11	मीट्रिक टन/संख्या में निपटाए गए स्क्रैप की मात्रा	807.84 MT & 3296 Nos	3.66	1297.465 MT	5.97	428.88 MT	2.62	860.789 MT	17.59	4938.826	26.15	8333.8 MT & 3296 Nos	55.99
12	अनुपयोगी वस्तुओं की संख्या	2748	0.89	24	0.015	4470	0.51	1835	0.207	449	0.79	9,526	2.41
12A	मीट्रिक टन में अनुपयोगी वस्तुओं की संख्या	21.64 MT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.64 MT	0
12B	निपटारा किये गए पुराने वाहनों की संख्या	87	0.98	32	0.23	0	0	7	0.045	0	0	126	1.26
13	**निपटान का कुल राजस्व (12+12ए+12बी)**	0	1.87	56	0.25	4,470	0.51	1,842	0.25	0	0.79	6,368	3.67
14	आने वाले ट्रकों की आवाजाही	2990	0	6686	0	2374	0	593	0	1685	0	14,328	0
15	बाहर जाने वाले ट्रकों की आवाजाही	1258	0	4038	0	188	0	228	0	1411	0	7,123	0
16	जारी किए गए आरवी की कुल संख्या	12179	0	11511	3,314.28	6577	453.15	3339	84.65	2361	105.56	35,967	3,957.64
17	उपरोक्त आरवी में वस्तुओं की संख्या	20809	0	19289	3,560.62	9773	0	4659	0	3422	105.56	57,952	3,666.17
18	जारी किए गए वाउचरों की कुल संख्या	77754	0	34085	107.04	15043	0	9620	758.65	12709	7.97	1,49,211	873.66
19	उपरोक्त वाउचर में शामिल वस्तुओं की कुल संख्या	213834	0	55225	107.04	37105	0	21458	0	29093	7.97	3,56,715	115.01
20	संहिताबद्ध (कोडीफाइड) वस्तुओं की कुल संख्या	12738	0	7419	0	17028	0	4813	0	4050	0	46,048	0

केंद्रीय क्रय एकक

केंद्रीय क्रय एकक (सीपीयू) क्रभंनि मुख्यालय, विक्रम साराभाई भवन, मुंबई में स्थित है। सीपीयू मुंबई और बाहरी इकाइयों में पऊवि की विभिन्न घटक इकाइयों की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। क्षेत्रीय इकाइयों जैसे एएमडी, वीईसीसी, एचडब्ल्यूपी आदि प्रत्यायोजित की गई शक्तियों से ऊपर कोई प्रापण हो तो उसका निपटान सीपीयू द्वारा किया जाता है। सीपीयू, क्रभंनि, मुंबई पऊवि की घटक इकाइयों को लॉजिस्टिक सेवाएं भी प्रदान करता है।

कार्य के समान वितरण और क्रय के त्वरित निष्पादन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सीपीयू में विभिन्न क्रय अनुभाग बनाए गए हैं। इसके अलावा, आयात और सीमा शुल्क निकासी, परिवहन और निकासी, केंद्रीय प्रेषण, भंडार और उपकरण समिति (एस एंड ईसी)/भंडार क्रय समिति (एसपीसी) से संबंधित कार्य और लेखापरीक्षा के बाद के कार्य स्वतंत्र अनुभागों द्वारा संभाले जा रहे हैं।

सीपीयू के क्रय कार्यों की देखरेख क्रय अधिकारी और सहायक क्रय अधिकारी जैसे उप निदेशकों और पर्यवेक्षी स्तर के अधिकारियों द्वारा की जाती है। निविदाओं/अनुबंधों के प्रसंस्करण के दौरान सामने आने वाले किसी भी विचलन/नीतिगत निर्णय के लिए निदेशक, क्रभंनि की मंजूरी ली जाती है। सार्वजनिक प्रापण नीति में परिवर्तनों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और उन्हें अपनाया जाता है।

सीपीयू, क्रभंनि, मुंबई ने कंप्यूटर डिवीजन, बीएआरसी की मदद से एमएमएस सिस्टम में निम्नलिखित सुविधाओं को शामिल किया है:-

स्वीकृति/डिस्चार्ज बैंक गारंटी मॉड्यूल, इंडेंट/रसीद वाउचर/क्रय आदेश में डिजिटल हस्ताक्षर, पत्राचार/नोटिंग मॉड्यूल, जीईएम स्पष्टीकरण मांगना, प्रस्तावों की स्वीकृति/अस्वीकृति, ऑनलाइन डिलीवरी अवधि संशोधन अनुरोध और किसी भी संशोधन के लिए उपयोगकर्ता से ऑनलाइन अनुशंसा की प्राप्ति, संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करना, उपयोगकर्ता/लेखा/भंडारों के लिए पत्राचार का सृजन, लंबित कार्यों को दर्शाने के लिए डैशबोर्ड का निर्माण, बीएफ फाइलों तक पहुंच के लिए 'अग्रानीत', पूर्ण प्रापण चक्र दस्तावेज यानी निविदा, सीएसटी, अनुबंध, बैंक गारंटी आदि। सीपीयू, क्रभंनि, मुंबई ने क्रभंनि, मुंबई में एकल आईटी समाधान के तहत कागज-रहित कार्यालय की शुरुआत की है।

माल प्राप्त होते ही, उसे बिना किसी देरी के समय पर आसानी से मंजूरी दे दी गई। सीपीयू ने सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लगातार बदलती सामग्री प्रबंधन आवश्यकताओं के अनुरूप सर्वोत्तम प्रदर्शन किया है।

वर्ष 2024-25 के दौरान सीपीयू ने 12,253 मांगपत्रों को प्रभावी ढंग से संसाधित किया और 1164.88 करोड़ रुपये के 30,548 खरीद अनुबंध जारी किए हैं। सीपीयू जीईएम के माध्यम से अपनी 85% खरीद करने में सफल रहा। सीपीजीआरएएमएस/समाधान पोर्टल के माध्यम से प्राप्त सभी आरटीआई प्रश्नों और शिकायतों का सीपीयू द्वारा समय-सीमा के भीतर उत्तर दिया जाता है। मार्गदर्शन के लिए और मुद्दों/प्रश्नों को संबोधित करने के लिए बाहरी इकाइयों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपयोगकर्ता बातचीत सत्र आयोजित किए गए।

संसाधित किए गए मांगपत्रों, जारी किए गए अनुबंधों के बारे में विवरण ग्राफ़िक रूप से दर्शाए गए हैं।

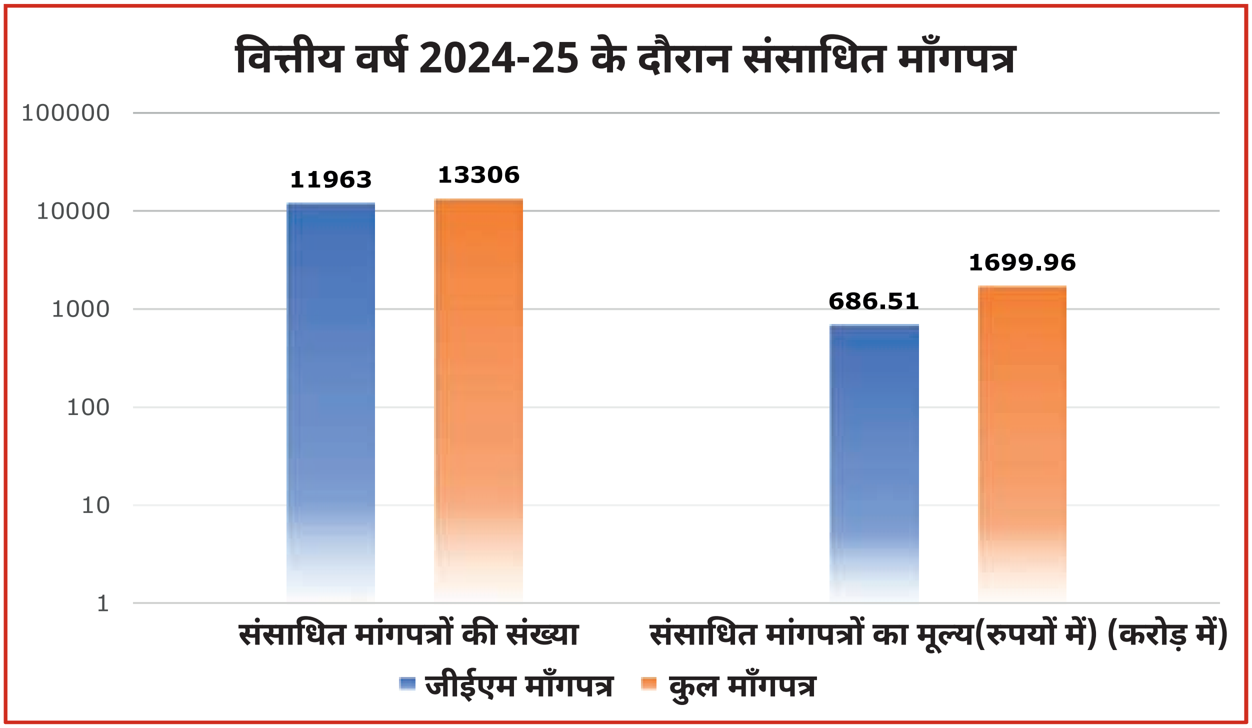
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान संसाधित माँगपत्र
100000
10000
1000
100
10
1
11963
13306
686.51
1699.96
संसाधित मांगपत्रों की संख्या
संसाधित मांगपत्रों का मूल्य(रुपयों में) (करोड़ में)
जीईएम माँगपत्र
कुल माँगपत्र

(चित्र - 1)

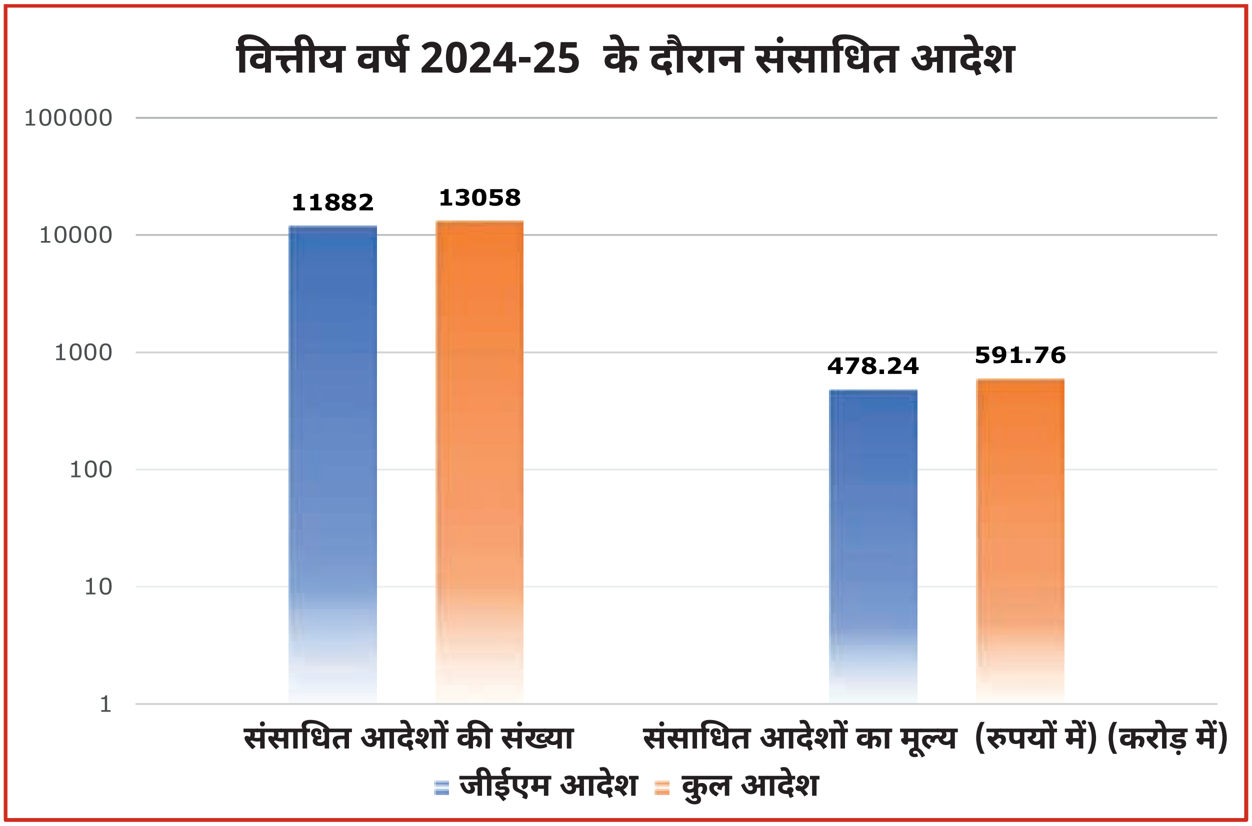
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान संसाधित आदेश
100000
10000
1000
100
10
1
11882
13058
478.24
591.76
संसाधित आदेशों की संख्या
संसाधित आदेशों का मूल्य (रुपयों में) (करोड़ में)
जीईएम आदेश
कुल आदेश

(चित्र - 2)

केंद्रीय भंडार एकक

परमाणु ऊर्जा विभाग (पऊवि) की मुंबई स्थित प्रत्येक इकाई की इन्वेंट्री आवश्यकताओं का आबंटन क्रय एवं भंडार निदेशालय, मुंबई की केंद्रीय भंडार एकक (सीएसयू) द्वारा किया जाता है। केंद्रीय भंडार एकक अपने अनेक हितधारकों और क्षेत्रीय भंडारों की सहायता से, निरंतर विस्तारित और विविध आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। केंद्रीय भंडार एकक के विभिन्न अनुभाग निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सामान्य स्टॉक मदों का प्रापण, विभिन्न प्रकार की सामग्री प्राप्त करना, सामग्री का लेखा-जोखा रखना और उसका भंडारण करना, संरक्षकों को सामग्री जारी करना और अवशिष्टों के साथ-साथ अनुपयोगी वस्तुओं/निष्क्रिय वाहनों का निपटान जैसे कार्य संभालते हैं। केंद्रीय भंडार एकक इन्वेंट्री आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा, भापाअकेंद्र के कई अनुसंधान एवं विकास प्रभागों और पऊवि की अन्य घटक इकाइयों की लोजिस्टिक आवश्यकताओं के लिए सहायता करता है।

केंद्रीय भंडार एकक का **प्रावधान अनुभाग** मुंबई में स्थित पऊवि की विभिन्न इकाइयों के लिए आम स्टॉक वस्तुओं की आवश्यकताओं को समेकित करने के लिए लगभग 1000 वस्तुओं के लिए प्रापण कार्रवाई करने हेतु प्रभारी अनुभाग है। इसकी सभी गतिविधियों में, मांग के आधार पर माल की खरीद की योजना बनाना, नई वस्तुओं, अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं को शामिल करना और बड़ी मात्रा में माल का भंडारण करना तथा क्षेत्रीय भंडार की आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं को जारी करना शामिल हैं। केंद्रीय भंडार एकक का प्रावधान अनुभाग निर्धारित सुरक्षा मानदंडों का पालन करते हुए सामग्री रखने वाले तीन स्टॉक अनुभागों, पेट्रोल पंप और ज्वलनशील भंडारों के प्रबंधन का भी प्रभारी है। केंद्रीय भंडार एकक के प्रावधान अनुभाग ने पऊवि की विभिन्न इकाइयों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, वर्ष 2024-25 के दौरान 325 मांगपत्र तैयार किए, मांगों को सुनिश्चित करते हुए पूरा किया तथा निरंतर गारंटीकृत आपूर्ति प्रदान की।

सामग्री की प्राप्तियों में हो रही लगातार वृद्धि का प्रबंधन केंद्रीय भंडार एकक के **प्राप्ति अनुभाग** द्वारा किया जाता है, जो विभाग और उसके आपूर्तिकर्ताओं के बीच संपर्क का काम करता है। विभिन्न तरीकों और प्रकारों (विदेशी और स्वदेशी दोनों) के माध्यम से प्राप्त आपूर्ति का समन्वय भापाअकेंद्र के उत्तरी द्वार के करीब स्थित सामग्री प्राप्ति कक्ष द्वारा किया जाता है। यह अनुभाग सामग्री को जल्द से जल्द प्राप्तकर्ता के स्थान पर प्राप्त करने और उतारने के लिए आपूर्तिकर्ताओं, सुरक्षा, मांगकर्ताओं और क्षेत्रीय भंडार के साथ समन्वय करता है। प्राप्ति अनुभाग ने वर्ष 2024-2025 के दौरान खरीद और लॉजिस्टिक चैनलों के माध्यम से प्राप्त 5362 प्राप्तियों को संभाला। यह अनुभाग आपूर्ति से प्राप्त सामग्रियों की त्वरित और आसान आवाजाही और उसे उतारना सुनिश्चित करने के लिए आश्चर्यजनक गति और सटीकता के साथ अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा कर रहा है।

केंद्रीय भंडार एकक का **संचलन अनुभाग**, विभिन्न अनुसंधान एवं विकास इकाइयों के लिए आवश्यक सभी आवश्यक मानक सामग्रियों के संचालन का कार्य देखता है। यह अनुभाग सामग्री की हैंडलिंग में निरंतर सहायता और सामग्री की आवाजाही के लिए लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करता है। यह संचलन अनुभाग परिवहन अनुबंधों को पूरा करने के माध्यम से सभी मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सामग्रियों के सुरक्षित और निर्बाध स्थानांतरण को सुनिश्चित करता है, जिससे बिना किसी अप्रिय घटना के सामग्री का संचलन सुनिश्चित होता है। यह अनुभाग आधुनिक उपकरणों, औजारों और कुशल श्रमिकों का उपयोग करके अनियमित आयामों, आकृतियों और

क्षमताओं के शिपमेंट को भी संभालता है ताकि सामग्रियों को सुरक्षित और सुचारू रूप से संभालना सुनिश्चित हो सके। हालाँकि यह अत्यधिक व्यस्ततावाला कार्य था, लेकिन 4248 ट्रकों का उपयोग करके मुंबई के भीतर विभिन्न स्थानों और पूरे भारत में फैली विभिन्न पऊवि इकाइयों तक सामग्री का परिवहन सफलतापूर्वक किया गया। वर्ष 2024-25 के दौरान, संचलन अनुभाग ने विभिन्न परिवहन अनुबंधों को पूरा करने के लिए 06 मांगपत्र प्रस्तुत किए। दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों के अलावा, संचलन अनुभाग बड़ी, भारी सामग्रियों के परिवहन में पऊवि के विभिन्न अनुभागों, प्रभागों और इकाइयों को सहायता प्रदान करता है। यह अनुभाग मशीनीकृत उपकरणों और श्रम की सहायता से सामग्री को ले जाने, लोड करने और उतारने का असामान्य कार्य संभालता है, जो स्थान की सीमाओं के कारण बेहद चुनौतीपूर्ण है।

केंद्रीय भंडार एकक में **गैस अनुभाग**, गैस सिलेंडरों को संभालने के सुरक्षा नियमों और कानूनी आवश्यकताओं का पालन करते हुए विभिन्न प्रकार की गैसों से भरे सिलेंडर वितरित करता है। यह आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली गैसों और कुछ क्रायोजेनिक सामग्रियों की प्रापण प्रक्रिया शुरू करने के लिए मात्रा का भी आकलन करता है। गैस अनुभाग ने वर्ष २०२४-२५ के दौरान १५ मांगपत्र जारी किए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ताओं को हमेशा गैस उपलब्ध हो। विभिन्न उपयोगकर्ता विभागों को आवश्यक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, इस अनुभाग ने विभिन्न गैस सिलेंडरों के स्टॉक को बनाए रखने के लिए लगन से काम किया।

सीएसयू के अधीन दो निपटान अनुभाग हैं।

निपटान अनुभाग-I यह अनुभाग फॉरवर्ड नीलामी कार्यक्षमता का उपयोग करके जीईएम पोर्टल के माध्यम से सामान्य स्क्रैप वस्तुओं का निपटान सुनिश्चित करता है। **निपटान अनुभाग**-II अधिशेष, अप्रचलित और अनुपयोगी वस्तुओं से निपटता है जो विभाग की जरूरतों को पूरा कर चुके हैं और अंतिम निपटान के लिए नियत हैं। भारत सरकार द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों के अनुसार, निपटान अनुभाग II ने एमएसटीसी के माध्यम से निष्प्रयोज्य वाहनों के निपटान की प्रक्रिया भी शुरू की है। दोनों अनुभागों ने मिलकर वर्ष 2024-25 के दौरान 829.48 मीट्रिक टन सामान्य स्क्रैप सामग्री, 2748 पूंजीगत/अनुपयोगी सामग्री और 87 निष्प्रयोज्य वाहनों का सफलतापूर्वक निपटान किया, जिससे राजकोष में 5,52,80,588/- रुपये प्राप्त हुए। इन अनुभागों ने स्क्रैप वस्तुओं की और अधिक गिरावट को रोकने और राजस्व सृजन सुनिश्चित करने हेतु, समय पर, पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार और वैज्ञानिक तरीके से निपटान गतिविधियों को पूरा किया।

केंद्रीय भंडार एकक का **कंप्यूटर अनुभाग**, सामग्री प्रबंधन प्रणाली (एमएमएस) सॉफ्टवेयर के नए विकास और संवर्द्धन पर काम कर रहा है। नए एमएमएस मॉड्यूल बनाने की स्थिति में यह अनुभाग सबसे आगे रहता है। यह अनुभाग कंप्यूटर डिवीजन, भापाअकेंद्र की सहायता से डेटा की सटीकता को बनाए रखते हुए एमएमएस को अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। केंद्रीय भंडार एकक के कंप्यूटर अनुभाग की जिम्मेदारी पर्सनल कंप्यूटर और अन्य कंप्यूटर सहायक उपकरण का अधिग्रहण जैसे बुनियादी ढांचे के विकास की है।

सामग्री की स्थिति घोषित करने और उसके अंतिम निपटान में सहायता करनेवाली एस एंड डीसी की बैठक, **अधिशेष और अनावश्यक भंडार**, केंद्रीय भंडार एकक द्वारा आयोजित की जाती है।

केन्द्रीय भंडार एकक का **मुख्य कार्यालय**, केन्द्रीय भंडार

एकक के विभिन्न अनुभागों से सभी आवश्यक दस्तावेजों को एकत्रित करके तैयार करने तथा अनुरोध किए जाने पर शीघ्रता से आवश्यक रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है।

भापाअकेंद्र के परिसर के अंदर और बाहर दोनों जगह स्थित 15 क्षेत्रीय भंडार, वैज्ञानिक समुदाय की डोर-टू-डोर इन्वेंट्री आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। प्राप्त सामग्री की शीघ्र निकासी, प्रबंधन और सामग्री जारी करने के माध्यम से, **क्षेत्रीय भंडार** ने अपने द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले प्रभागों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान की। वर्ष 2024-25 के दौरान क्षेत्रीय भंडारों को अनुबंधों और क्रय आदेशों के लिए कुल 12022 सामग्री प्राप्त हुई, तथा उन्होंने कुल 75982 इश्यू वाउचर के माध्यम से मांगकर्ताओं और उपयोगकर्ता वर्गों को सामग्री वितरित की।

उपलब्धियां: केंद्रीय भंडार एकक ने आपूर्तिकर्ताओं और स्क्रैप डीलरों के लिए 11 दिसंबर, 2024 को एक विक्रेता-क्रेता बैठक आयोजित की, ताकि क्रय एवं भंडार निदेशालय की विभिन्न गतिविधियों- जो शायद उनकी रुचि की होंगी, के बारे में जागरूकता लाई जा सके। इस कार्यक्रम में 59 विक्रेता और स्क्रैप डीलर शामिल हुए। वरिष्ठ अधिकारियों ने विक्रेताओं और स्क्रैप खरीदारों के सुझावों और प्रश्नों का उत्तर दिया, और उन्हें जीईएम पर क्रय/फॉरवर्ड नीलामी कार्यक्षमता के संबंध में नवीनतम विकास के बारे में बताया गया। इसके अतिरिक्त, 12 और 13 फरवरी, 2025 को, केंद्रीय भंडार एकक ने विक्रेता विकास कार्यक्रम में भाग लिया, जिसका आयोजन मेसर्स ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा किया गया था और इसे एमएसएमई मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इस दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान एमएसई में शामिल विनिर्माण विक्रेताओं को पऊवि द्वारा अपेक्षित एमएसई वस्तुओं के बारे में सफलतापूर्वक परिचित कराया गया।

स्वच्छता अभियान - कार्यालय परिसर को साफ-सुथरा रखने के उद्देश्य से केन्द्रीय भंडार एकक में स्वच्छता अभियान/स्वच्छता पखवाड़ा चलाया गया। इन गतिविधियों के तहत केन्द्रीय भंडार एकक में वृक्षारोपण किया गया। स्वच्छता अभियान सभी भंडार एककों द्वारा उस प्रभाग के साथ समन्वय से चलाया गया, जिसे वे सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, ध्यान देने की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई तथा आवश्यक सुधारात्मक उपाय शुरू किए गए। वर्ष 2024-25 की अवधि के दौरान आवश्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए 41519 अभिलेखों को हटाया गया तथा कबाड़ की वस्तुओं को हटाकर 80715 वर्ग मीटर क्षेत्र में सफाई की गई।

प्रशिक्षण

वर्ष 2024-2025 के दौरान केन्द्रीय भंडार एकक के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जीईएम गतिविधियों, एमएमएस गतिविधियों, यूसीएस गतिविधियों, भंडारों के विभिन्न रुचिकर विषयों तथा ई-ऑफिस आदि पर अधिकारियों को 26.50 घंटे का प्रशिक्षण/पुनश्चर्या कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएसयू के अधिकारियों द्वारा मार्च, 2025 के महीने में भापाअकेंद्र के श्रेणी-I प्रशिक्षुओं के लिए भंडार प्रक्रिया पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

बुनियादी ढांचे का विकास

मौजूदा कंप्यूटरों के उन्नयन के साथ तकनीकी विकास किए गए और कर्मचारियों के कल्याण के लिए अवसंरचना का विकास किया गया। केन्द्रीय क्षेत्रीय भंडार/हार्डवेयर/इलेक्ट्रिकल/स्टेशनरी अनुभागों के कर्मचारियों के लिए नए केबिन बनाए गए हैं। निसेसंप्रनि भंडार का नवीनीकरण किया गया है और सामग्री के लिए

सुरक्षित भंडारण स्थान उपलब्ध कराने के लिए भंडारण शेड को नवीकृत किया गया है। कर्मचारियों के लिए सामग्री को समायोजित करने और स्वस्थ कार्य वातावरण के लिए अधिक भंडारण स्थान प्रदान करने हेतु मॉड लैब भंडार का नवीनीकरण शुरू किया गया है। मेसर्स आईओसीएल के प्राधिकारियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद पेट्रोल पंप स्टेशन पर कैनोपी और अन्य प्रतिष्ठानों का नवीनीकरण कार्य पूरा हो गया है। भापाअकेंद्र सुरक्षा परिषद की आरआईटी के निरीक्षण के दौरान उठाए गए सभी सुरक्षा बिंदुओं का अनुपालन किया गया। सामग्री की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए ट्रॉम्बे विलेज भंडार के स्क्रैप यार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अधिक भंडारण स्थान उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल के क्षेत्रीय भंडारों का नवीनीकरण किया गया है।

स्टॉक सत्यापन दल/मुख्यालय (संपर्क)

स्टॉक का सत्यापन

जीएफआर 2017 के नियम 213 के अनुसार, क्रय एवं भंडार निदेशालय के अंतर्गत सभी भंडारों का सत्यापन एक स्वतंत्र स्टॉक सत्यापन दल (एसवीटी) द्वारा किया जाता है, जिसका नेतृत्व एक भंडार अधिकारी मुख्यालय (एल) (मुख्यालय-संपर्क) करता है, जो सीधे निदेशक, क्रभंनि को रिपोर्ट करता है। इस दल द्वारा सभी भंडारों पर उपभोज्य, पूंजीगत, फर्नीचर और फिक्सचर (एफएंडएफ) की श्रेणियों के अंतर्गत आनेवाली वस्तुओं का सत्यापन आवधिक तरीके से और क्रय एवं भंडार निदेशालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया।

स्टॉक सत्यापन दल देश भर में स्थित परमाणु ऊर्जा विभाग के 65 भंडार एककों में संग्रहीत वस्तुओं का सत्यापन करता है। सत्यापन के दौरान पाई गई कमियों और विसंगतियों की रिपोर्ट की जाती है और सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव दिया जाता है। प्रत्येक भंडार एकक द्वारा विसंगतियों के समाधान को सत्यापित किया जाता है और उसे एसवीटी रिकॉर्ड में अद्यतन किया जाता है। विसंगतियों के समय पर निपटान के लिए अनुस्मारक भेजे जाते हैं।

मुख्यालय की प्रमुख गतिविधियाँ:

बजट तैयार करना

मुख्यालय क्रय एवं भंडार निदेशालय में वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, अनुबंधों के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करता है। बजटीय डेटा की समीक्षा और प्रस्तुति समय-समय पर की जाती है।

सुविधा प्रबंधन:

- मुख्यालय (एल) विक्रम साराभाई भवन से संचालित क्रय, प्रशासन और लेखा अनुभागों से प्राप्त विभिन्न सेवा अनुरोधों को पूरा करता है।
- एयर कंडीशनर, कॉपियर मशीनों के लिए सीएमसी, कॉस्मेटिक रखरखाव, कीट नियंत्रण आदि के लिए अनुबंध जैसे विभिन्न सेवा अनुबंध मुख्यालय (एल) द्वारा किए जाते हैं।
- फर्नीचर की मरम्मत, लिनन की धुलाई आदि का काम "आवश्यकता पड़ने पर" के आधार पर किया जाता है।
- क्रय एवं भंडार निदेशालय के लिए विशिष्ट स्टेशनरी वस्तुओं की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जैसे मुद्रित फाइलें, कार्ट्रिज, रबर स्टैम्प, सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए स्मृति चिन्ह आदि मुख्यालय (एल) द्वारा खरीदे जाते हैं।
- मुख्यालय क्षेत्रीय भंडार और एनआरबी, भापाअकेंद्र, विक्रम साराभाई भवन के लिए खरीदी गई सामग्री के लिए मुख्यालय (एल) एक प्राप्तकर्ता के रूप में भी कार्य करता है।
- यह क्रय एवं भंडार निदेशालय के विभिन्न अधिकारियों से प्राप्त स्वीकृत अनुरोध के आधार पर या तो अंतिम सेवा अनुबंध के माध्यम से उपलब्ध वाहनों की सुविधा प्रदान करता है या विभागीय वाहनों के उपयोग की सुविधा प्रदान करता है।
- निदेशक कार्यालय, लेखा, प्रशासन, क्रय और मुख्यालय (एल) के अधीन वाहनों के लिए आवश्यक विविध वस्तुओं की खरीद नकद अग्रदाय खाते के माध्यम से की जाती है।

वर्ष के दौरान प्रमुख गतिविधियाँ:

- उपलब्ध प्रिंटर/स्कैनर की सर्विसिंग के लिए दो वार्षिक रखरखाव अनुबंध प्रदान किए गए।
- विक्रम साराभाई भवन में क्रय एवं भंडार निदेशालय परिसर के लिए कॉस्मेटिक रखरखाव सह मल्टीटास्किंग (अकुशल) कार्य और कीट नियंत्रण प्रदान करने के लिए जीईएम के माध्यम से एक अनुबंध प्रदान किया गया।
- जीईएम के माध्यम से प्रिंटर कार्ट्रिज का प्रापण।
- विक्रम साराभाई भवन में क्रय एवं भंडार निदेशालय के सर्वर कक्ष का नवीनीकरण किया गया।
- विक्रम साराभाई भवन के भूतल पर स्थित आईजीसीएआर क्षेत्र में स्वचालित वर्टिकल स्टोरेज सिस्टम की स्थापना, कमीशनिंग और प्रशिक्षण कार्य किया गया।
- वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान जीईएम पर दिए गए प्रत्यक्ष क्रय आदेशों की संख्या 1367 है, जिसका मूल्य 2,98,12,906.96/- रुपये (लगभग 3 करोड़ रुपये) है।
- विक्रम साराभाई भवन स्थित क्रय एवं भंडार निदेशालय में स्थित इकाइयों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 2,84,45,577.41/- रुपये मूल्य के 73 मांगपत्र जारी किए गए।
- निर्माण सेवा एवं संपदा प्रबंधन निदेशालय के समन्वय से विक्रम साराभाई के साउथ विंग एक्सटेंशन बिल्डिंग में प्रशिक्षण हॉल का नवीनीकरण किया गया।
- स्वच्छता पखवाड़ा २०२५ के तहत महाराष्ट्र के पालघर जिले के ३ स्कूलों में पेयजल सुविधा की आपूर्ति और स्थापना, जल भंडारण टैंक, प्लंबिंग कार्य, शौचालय की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए कार्य आदेश जारी किए गए।
- मुख्यालय (एल) ने नए भर्ती किए गए कनिष्ठ क्रय सहायक/कनिष्ठ भंडारी के प्रशिक्षण के अलावा, पऊवि कन्वेंशन सेंटर, अणुशक्तिनगर में विक्रेता-क्रेता सम्मलेन 2025 आयोजित करने संबंधी टीम में सक्रिय रूप से भाग लिया।
- विक्रम साराभाई भवन के क्रय एवं भंडार निदेशालय की अधिशेष, अप्रचलित, अनुपयोगी और समाप्त हो चुकी फाइलों/वस्तुओं को निपटान अनुभाग, ट्रॉम्बे विलेज भंडार में स्थानांतरित किया गया।

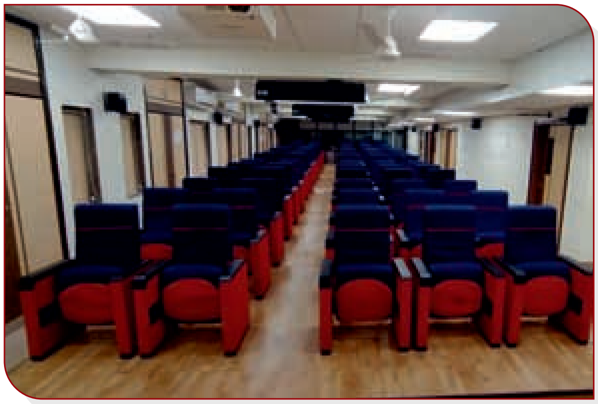

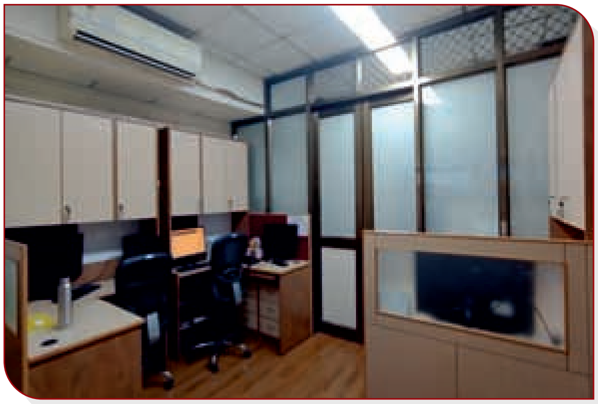

मद्रास क्षेत्रीय क्रय एवं भंडार एकक (एमआरपीएसयू)

परिचय: क्षेत्रीय निदेशक के नेतृत्व में मद्रास क्षेत्रीय क्रय एवं भंडार एकक (एमआरपीएसयू) परमाणु ऊर्जा विभाग (पऊवि) की प्रमुख इकाइयों के लिए प्रापण और भंडार प्रबंधन संबंधी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। इनमें आईजीसीएआर, एनआरबी-कलपक्कम के भापाअकेंद्र एफ/एफआरएफसीएफ, भापासं-थूथुकुडी और अस्पताल सहित जीएसओ शामिल हैं। एमआरपीएसयू में चेन्नई में मद्रास क्षेत्रीय क्रय एकक (एमआरपीयू) और कलपक्कम, थूथुकुडी और पझायाकयाल (केवल प्रशासन) में भंडार एकक शामिल हैं, साथ ही चेन्नई में एक परिवहन और निकासी (टीएंडसी) गोदाम भी है। इन मुख्य कार्यों के अलावा, एमआरपीयू देश भर में पऊवि अस्पतालों के लिए दवाओं और औषधियों के लिए दर अनुबंध भी निश्चित करता है।

प्रमुख उपलब्धियाँ और गतिविधियाँ

प्रशासन एकक: मद्रास क्षेत्रीय प्रशासन एकक, केंद्रीय प्रशासनिक एकक, क्रभंनि मुंबई की नीतियों और क्षेत्रीय निष्पादन के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है, जो श्रम कानूनों, सेवा नियमों और पऊवि और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी प्रशासनिक दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करता है। यह लगभग 120 कर्मचारियों की ज़रूरतों को पूरा करता है और एमआरपीयू, एमआरएयू, एमआरएडीयू चेन्नई, टीएंडसी गोदाम और कलपक्कम, तूतीकोरिन और पझायाकायल में सहित भंडार एककों के कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड का भी संरक्षक है।

स्थापना कार्यों के अलावा, प्रशासन एकक विभिन्न समूह गतिविधियों के माध्यम से कर्मचारियों की सहभागिता और सकारात्मक कार्य वातावरण को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है।

- 16 मई, 2024 को यौन उत्पीड़न रोकथाम (POSH) अधिनियम पर केंद्रित एक विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीण महिला सामाजिक शिक्षा केंद्र की एनजीओ सदस्य श्रीमती एन. श्रीलक्ष्मी वक्ता के रूप में शामिल हुईं। इस सत्र का उद्देश्य सभी कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने के महत्व के बारे में शिक्षित करने, सभी महिला कर्मचारियों, चाहे उनकी रोजगार स्थिति कुछ भी हो, के कल्याण पर जोर देना था।

- 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में, 30 जुलाई, 2024 को योग प्रशिक्षकों- श्रीमती लक्ष्मी ठाकुर और श्रीमती अमुथा के नेतृत्व में एक योग सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया और कार्यालय के माहौल के लिए अनुकूल योग आसन और श्वास अभ्यास कराये गए।

- स्वच्छता विशेष अभियान के उपलक्ष्य में, स्वच्छ और हरित भारत को बढ़ावा देने के लिए 10 अक्टूबर, 2024 को एमआरपीएसयू कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया।

- एमआरपीयू ने 15 अक्टूबर, 2024 को चेन्नई के तारामणि स्थित वीएचएस ब्लड सेंटर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। कर्मचारियों ने 9 यूनिट रक्तदान किया, जिससे थैलेसीमिया रोगियों और अन्य जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए केंद्र के प्रयासों में योगदान मिला।

- 14 नवंबर, 2024 को सतर्कता जागरूकता पर व्याख्यान आयोजित किए गए, जिसमें संयुक्त नियंत्रक और सतर्कता अधिकारी श्रीमती एस अरुलमथी और एमआरपीयू की क्षेत्रीय निदेशक डॉ.

(श्रीमती) किथेरी जोसेफ ने व्याख्यान प्रस्तुत किये। इन व्याख्यानों में पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन दोनों में निवारक सतर्कता और नैतिक आचरण पर जोर दिया गया।

- पूरे वर्ष स्वच्छता गतिविधियाँ आयोजित की गईं, जिसमें 28 फरवरी, 2025 को पल्लवरम में स्वच्छता शपथ का आयोजन तथा कार्यालय परिसर की सक्रिय सफाई शामिल थी। स्वच्छ और हरित भारत के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए एक मॉड्यूलर सेल्फी बूथ स्थापित किया गया था।

- 7 मार्च, 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जिसमें जीएसओ अस्पताल, पऊवि की पूर्व चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एम जयश्री ने 'कार्य-जीवन संतुलन' पर व्याख्यान दिया। इस कार्यक्रम के साथ खेलों और पुरस्कार वितरण का भी आयोजन किया गया था, जिससे सौहार्द और उत्साह की भावना को बढ़ावा मिला।

  प्रशासन एकक ने पूरे वर्ष के दौरान क्रभंनि भंडार एकक, कलपक्कम और एमआरपीयू, चेन्नई में तिमाही आधार पर हिंदी कार्यशालाएँ भी आयोजित कीं, जिसमें लगभग 20 कर्मचारियों और अधिकारियों ने भाग लिया। सितंबर माह के तीसरे सप्ताह में हिंदी सप्ताह मनाया गया, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं और पुरस्कार दिए गए। हिंदी, अंग्रेजी और तमिल में कर्मचारियों के योगदान वाली इन-हाउस हिंदी पत्रिका "अणुप्रभा" का दूसरा अंक मार्च 2025 में जारी किया गया।

लेखा एकक: मद्रास क्षेत्रीय लेखा एकक (एमआरएयू) एमआरपीएसयू के भुगतानों पर कार्रवाई करने और वित्तीय लेनदेन के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान विधियों में वृद्धि हुई है जिसके कारण चेक के उपयोग में कमी आई है।

कुल ₹299.57 करोड़ में से 83.44% (₹249.96 करोड़) का भुगतान ई-भुगतान के माध्यम से किया गया, जबकि 16.56% (₹49.61 करोड़) का भुगतान चेक के माध्यम से किया गया।

- एकक ने कुल 5,446 बिलों का प्रसंस्करण किया, जिसमें जीईएम के तहत 4,015 बिल और अन्य 1,431 बिल शामिल थे।

- एमआरएयू ने 5,224 दावों का भी प्रसंस्करण किया, जिसमें 4,914 चिकित्सा दावे, 260 यात्रा भत्ता संबंधी दावे और 50 छुट्टी यात्रा रियायत के दावे शामिल थे।

- उच्च मूल्य के भुगतान पर कार्रवाई कुशलतापूर्वक की गई, जिसमें एक विदेशी आपूर्तिकर्ता को ₹81.62 करोड़ (भारतीय मुद्रा में), भारतीय आपूर्तिकर्ताओं को ₹31.57 करोड़ और फर्नेस ऑयल आपूर्ति के लिए लगभग ₹39.43 करोड़ शामिल हैं।

- वायर ट्रांसफर, लेटर ऑफ क्रेडिट (एलओसी) और सीमा शुल्क भुगतान जैसे विदेशी मुद्रा भुगतान समय पर कार्रवाई पूरी की गई।

- एकक ने कलपक्कम में स्थित पऊवि इकाइयों को इष्टतम बजट उपयोग और रिपोर्टिंग के लिए सहायता प्रदान की।

- आईजीसीएआर और जीएसओ के लेखा कर्मियों को पीएफएमएस पर प्रशिक्षण दिया गया ताकि अगले वित्तीय वर्ष में उन्हें इस प्रणाली में शामिल होने में सुविधा हो।

- पीएफएमएस लेनदेन को क्रॉस-सत्यापित करने और इकाइयों को पिन-वार व्यय विवरण प्रदान करने हेतु एक क्रय प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) बनाई गई थी।

- ई-प्रापण पोर्टल के माध्यम से कुल 1,678 फाइलों का पूर्व-ऑडिट किया गया, जिसमें अस्वीकृत/संशोधन संबंधी फाइलें और क्रय आदेश/डिलीवरी अवधि विस्तार संबंधी फाइलें शामिल हैं।

- क्रय अनुभागों के साथ प्रभावी समन्वय के माध्यम से प्रिस संबंधी लक्ष्यों को लगातार हासिल किया गया, जिससे शीघ्र बिल प्रसंस्करण और भुगतान सुनिश्चित हुआ।

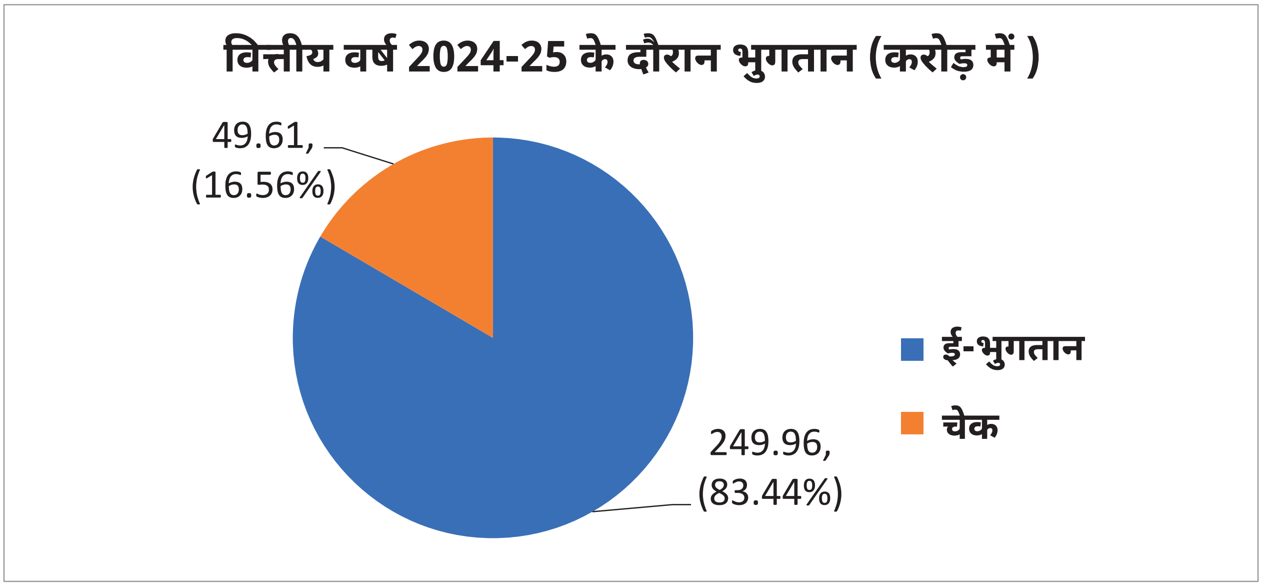

चित्र - 1

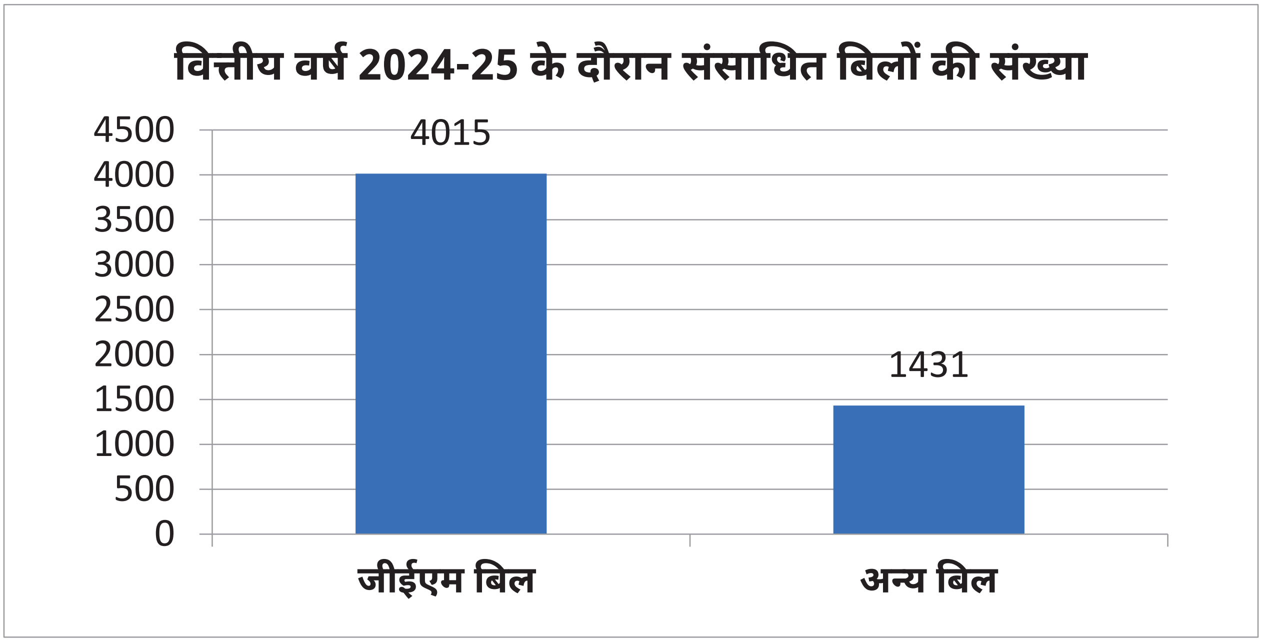

चित्र - 2

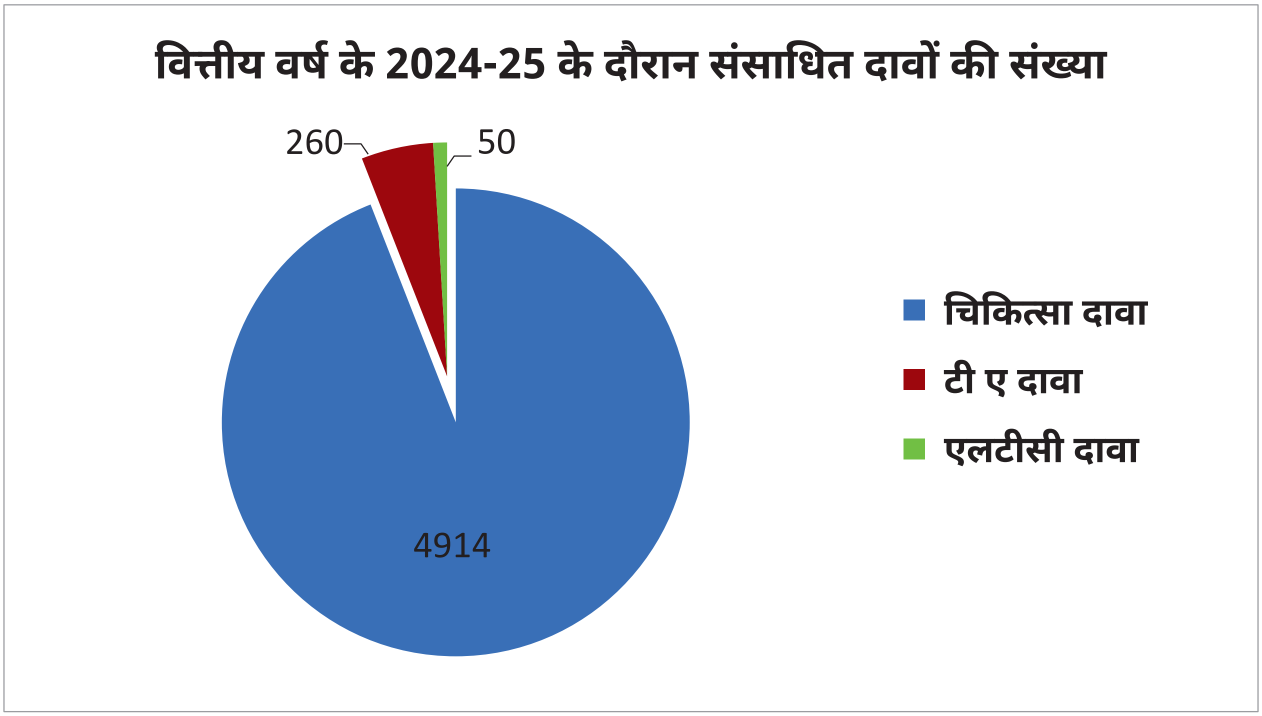

चित्र - 3

क्रय एकक: क्रय एकक, एमआरपीएसयू का एक अभिन्न अंग है, जो पऊवि की विभिन्न इकाइयों के लिए प्रापण संबंधी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- क्रय एकक ने ₹132.12 करोड़ के कुल मूल्य के 4818 क्रय आदेश सफलतापूर्वक जारी किए।
- ₹2 करोड़ से अधिक के 6 क्रय आदेश दिए गए, जिनका कुल मूल्य ₹19.20 करोड़ था।
- कुछ महत्वपूर्ण क्रय आदेश इस प्रकार हैं:
  - एनआरबी हेतु 6 किलोवाट और 0.8 किलोवाट औद्योगिक माइक्रोवेव हीटिंग सिस्टम (₹2,06,58,600/-)।
  - एनआरबी के लिए कार्बन स्टील स्पन पाइप (₹4,03,54,440/-)।
  - एनआरबी हेतु सीमलेस कार्बन स्टील पाइप का निर्माण, निरीक्षण, परीक्षण और आपूर्ति (₹4,63,60,530/-)।
  - आईजीसीएआर के लिए 750 टीआर क्षमता वाले 2 वाटर कूल्ड सेंट्रीफ्यूगल चिलरों की डिजाइन, निर्माण, संयोजन, 9 लोड प्वाइंटों पर फैक्ट्री प्रदर्शन परीक्षण, सुरक्षित लोडिंग, परिवहन, सुरक्षित डिलीवरी, स्थापना, साइट परीक्षण और कमीशनिंग (₹3,41,28,000/-)।
  - एनआरबी के लिए कैडमैटिक 3डी पाइपिंग डिजाइन सॉफ्टवेयर की आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग और प्रशिक्षण (₹2,51,92,999.5)।
  - एनआरबी के लिए IS 264/1960 के अनुरूप नाइट्रिक एसिड (₹3,03,50,000)।

भंडार एकक :

एमआरपीएसयू के तहत आनेवाले भंडार एकक, जिनमें आईजीसीएआर में स्थित केंद्रीय भंडार और एनआरबी/ भापाअकेंद्र (एफ), एफबीटीआर (ओएंडएम), सीडब्ल्यूएमएफ, एनडीडीपी और जीएसओ (जनरल और मेडिकल) के भंडार, कलपक्कम में भंडार, साथ ही चेन्नई में टीएंडसी गोदाम शामिल हैं, की व्यापक सामग्री प्रबंधन गतिविधियों की जिम्मेदारी है। एफआरएफसीएफ, कलपक्कम में स्थित भंडार एकक विशेष रूप से एफआरएफसीएफ परियोजना के लिए सामग्री का प्रबंधन करता है। सभी सामग्रियों को उचित सामग्री हैंडलिंग उपकरणों का उपयोग करके अत्यंत सुरक्षा के साथ संभाला जाता है।

- प्रावधान अनुभाग ने आईजीसीएआर और जीएसओ की आवश्यकताओं संबंधी क्रय के लिए 57 मांगपत्र बनाए और उन्हें नियमित किया। 73सामान्य उपयोगकर्ता आइटम, जिनकी कीमत ₹1,46,12,321/- थी, जीईएम के माध्यम से खरीदे गए।

- प्राप्ति अनुभाग ने 5,658 जीआर संसाधित किए और 5,374 प्राप्ति वाउचर तैयार किए, जिनमें 8,256 आइटम शामिल थे। सीआरएसी समय पर तैयार किए गए और विसंगतियों को तुरंत दूर किया गया।

- प्राप्तियों में 3,996 भरे हुए गैस सिलेंडर शामिल थे, 141.729 मीट्रिक टन स्टील और 12,060 किलोलीटर डीजल शामिल था।

- महत्वपूर्ण खेपों को सुरक्षित तरीके से संभाला गया, जिसमें मैनिपुलेटर्स (२६ करोड़ रुपये की लागत) के २२ पूरे ट्रक लोड शामिल थे, जिन्हें एफआरएफसीएफ में उतारा गया और ६६ बक्से (50 मीट्रिक टन) फैब्रिकेटेड मदों को संयंत्र स्थल पर स्थानांतरित किया गया।

- स्टॉक अनुभाग ने 10,498 वैध आरसीआईवी के लिए 27,335 स्टॉक आइटम जारी किए और तथा 3 निःशुल्क सामग्री जारी करने हेतु कार्रवाई पूरी की। 156.2615 मीट्रिक टन स्टील जारी किया गया।

- 65,17,78,008.90/- रुपये मूल्य की 5,371 धीमी खपत की/कम आवश्यक वस्तुओं की पहचान की गई और संबंधित अनुभागों को सूचित किया गया।

- 4,262 भरे हुए औद्योगिक और चिकित्सा गैस सिलेंडर जारी किए गए, और 2,8181 वस्तुओं को संहिताबद्ध किया गया और स्टॉक कार्ड में दर्ज किया गया।

- भंडार एककों में किए गए अवसंरचना विकास में एक नए 5MT फोर्कलिफ्ट का प्रापण, एक पिकअप वाहन का प्रावधान, एक स्टोरेज कॉम्पैक्टर और स्वचालित ऊर्ध्वाधर भंडारण प्रणाली की स्थापना, सामग्री हैंडलिंग और भंडारण दक्षता को बढ़ाना शामिल है।

- भंडार एकक ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और स्वच्छता पखवाड़ा सहित संगठनात्मक कार्यक्रमों में भी सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसमें उसे द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

आईटी टीम:

- ई-प्रापण और सिस्टम सहायता: एमआरपीयू में ई-प्रापण का उपयोग निविदा निर्माण से लेकर क्रय आदेश जारी करने तक क्रय सॉफ्टवेयर के रूप में किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर में क्रय आदेश पश्चात फॉलो-अप जैसे संशोधन, बैंक गारंटी की स्वीकृति

और निर्वहन, निविदा-पश्चात और क्रय आदेश अनुशंसा, स्पष्टीकरण/पुनर्कार्य प्रसंस्करण संबंधी ऑनलाइन कार्य भी होते हैं।

- ई-प्रापण सॉफ्टवेयर को क्रय टीम द्वारा आवश्यकतानुसार अद्यतन किया गया। क्रभंनि द्वारा जारी नवीनतम एसओपी या परिपत्रों को भी पीएंडडब्ल्यूएमएस, आईजीसीएआर में डेवलपर्स के सहयोग से लागू किया गया।

अवसंरचना में सुधार:

- प्रत्येक सहायक क्रय अधिकारी समूह को ऑटो डॉक्यूमेंट फीडर स्कैनिंग सुविधा वाले हाई स्पीड मल्टी-फंक्शन प्रिंटर से की अद्यतन सुविधा दी गई है।

- 16 जीबी रैम और 1 टीबी एसएसडी के साथ मिड लेवल i5 डेस्कटॉप खरीदा गया और एमआरपीयू के क्रभंनि कर्मचारियों - स्टेनो, वैयक्तिक सहायक और कनिष्ठ क्रय सहायक को जारी किया गया।

- एमआरपीयू लैन की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ़ायरवॉल और प्रॉक्सी सर्वर को समय-समय पर नवीनतम पैच के साथ अद्यतन किया गया।

- एमआरपीयू में तैनात पऊवि के सभी कर्मचारियों के लिए संपर्क रहित फेशियल बायोमेट्रिक सिस्टम स्थापित किया गया। उपस्थिति विवरण क्रभंनि प्रशासन द्वारा व्यक्तिगत या समूहों के लिए आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रारूपों में प्राप्त किया जा सकता है।

- K7 एंटी वायरस सिस्टम को सर्वर पर 3 साल के लिए नए लाइसेंस से अद्यतन किया गया। क्लाइंट मशीन पर ऑटो अपडेशन फॉर्म सर्वर के साथ क्लाइंट मोड भी किया गया है।

- लेखांकन प्रक्रिया और प्रणालियाँ: लेखा अनुभाग द्वारा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) और क्रय प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) का उपयोग पुराने भुगतानों पर नज़र रखने और वर्तमान भुगतान करने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है।

परिवहन और आयात निकासी अनुभाग:

एमआरपीयू का परिवहन और आयात निकासी अनुभाग क्रभंनि/सीपीयू मुंबई द्वारा किए गए हवाई समेकन/ बीमा/परिवहन/आयात और सीमा शुल्क निकासी के लिए अनुबंधों का उपयोग करके और खेप की समय पर निकासी करके आईजीसीएआर/ बीआरसीएफ कलपक्कम की आयात निकासी संबंधी जरूरतों को पूरा करता है। इसके अलावा रूस से ऑप्टिकल ग्लास के समुद्री शिपमेंट के लिए परिवहन अनुबंध भी पूरा हो गया। सभी खेपों को बिना किसी बड़े विलंब और किसी भी नुकसान के मंजूरी दे दी गई। रूस से ऑप्टिकल ग्लास की खेप की निकासी वर्ष 2024-25 के दौरान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही।

उपर्युक्त के अलावा, एमआरपीयू के परिवहन और आयात निकासी अनुभाग द्वारा दोषपूर्ण वस्तुओं की पुनः निर्यात संबंधी गतिविधियाँ, निःशुल्क/बदली वस्तुओं के लिए निःशुल्क निकासी और आईजीसीएआर/ बीआरसीएफ, कलपक्कम से संबंधित सभी प्रकार की आयात/पुनः निर्यात की गतिविधियाँ नियमों और प्रक्रिया के सख्त अनुपालन में की जाती हैं।

निष्कर्ष: एमआरपीएसयू ने अपने सभी एककों में कुशल क्रय, भंडार प्रबंधन और प्रशासनिक सहायता के लिए अपनी मजबूत प्रतिबद्धता दर्शाई है। क्रय, भंडार, प्रशासन, लेखा और आईटी सहायता टीम के योगदान और समन्वय ने कलपक्कम और थूथुकुडी में पऊवि की विभिन्न इकाइयों की सेवा करने में एमआरपीएसयू के सुचारू संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

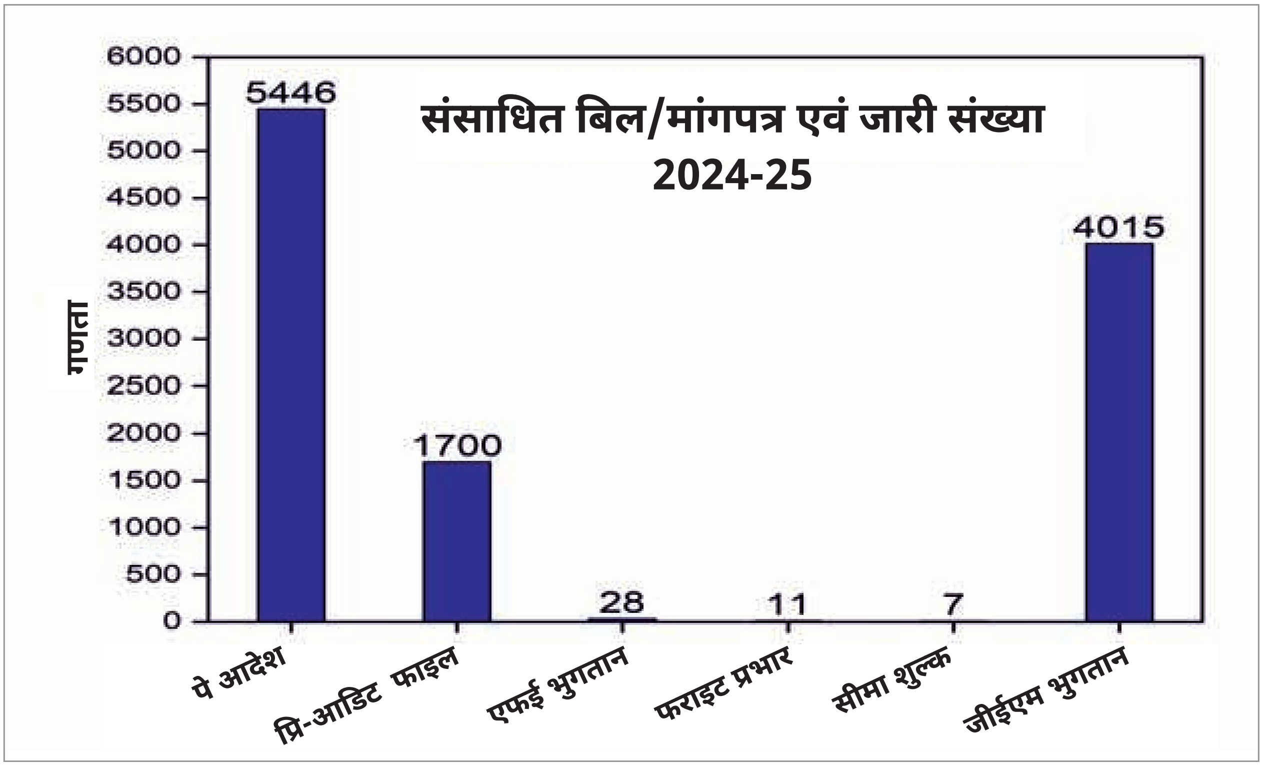

संसाधित बिल/मांगपत्र एवं जारी संख्या
2024-25
गणता
6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
5446
1700
28
11
7
4015
पे आदेश
प्रि-आडिट फाइल
एफई भुगतान
फराइट प्रभार
सीमा शुल्क
जीईएम भुगतान

चित्र - 4

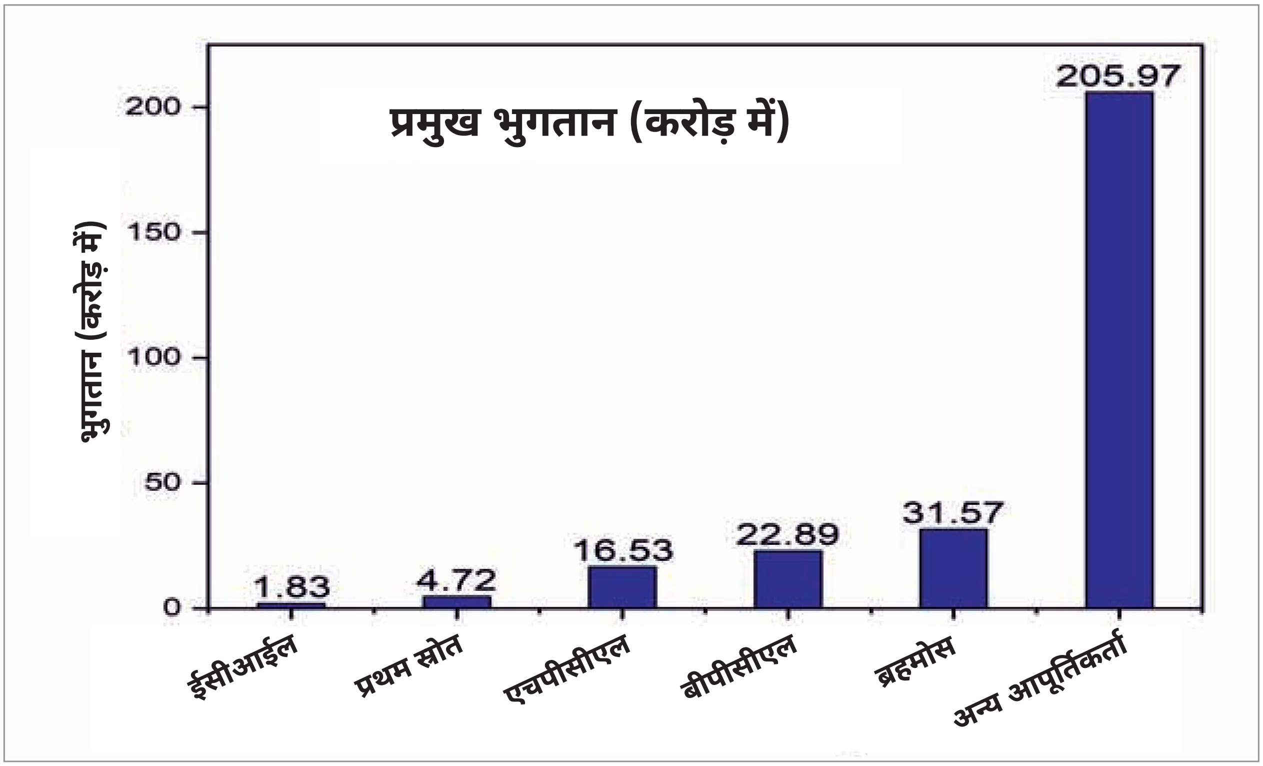

प्रमुख भुगतान (करोड़ में)
भुगतान (करोड़ में)
200
150
100
50
0
1.83
4.72
16.53
22.89
31.57
205.97
ईसीआईल
प्रथम स्रोत
एचपीसीएल
बीपीसीएल
ब्रह्मोस
अन्य आपूर्तिकर्ता

चित्र - 5

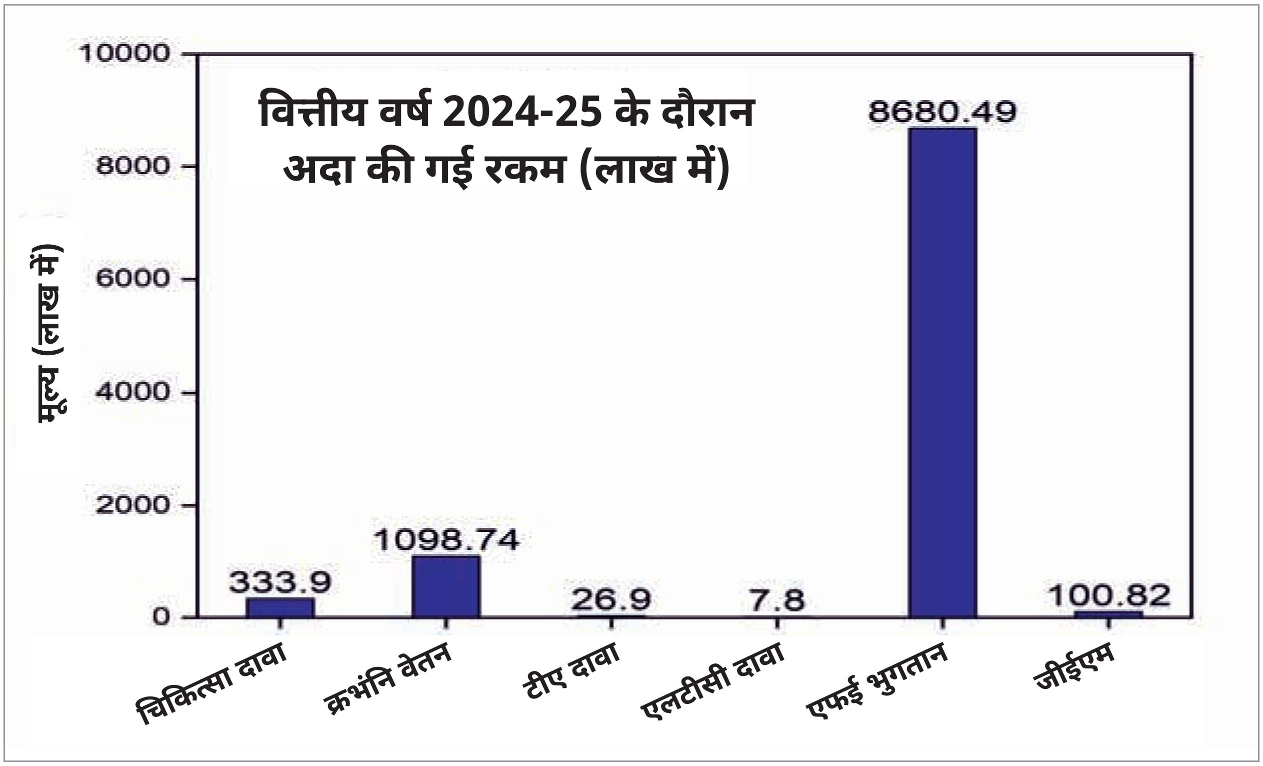
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान
अदा की गई रकम (लाख में)
मूल्य (लाख में)
10000
8000
6000
4000
2000
0
333.9
1098.74
26.9
7.8
8680.49
100.82
चिकित्सा दावा
क्रभंनि वेतन
टीए दावा
एलटीसी दावा
एफई भुगतान
जीईएम

चित्र - 6

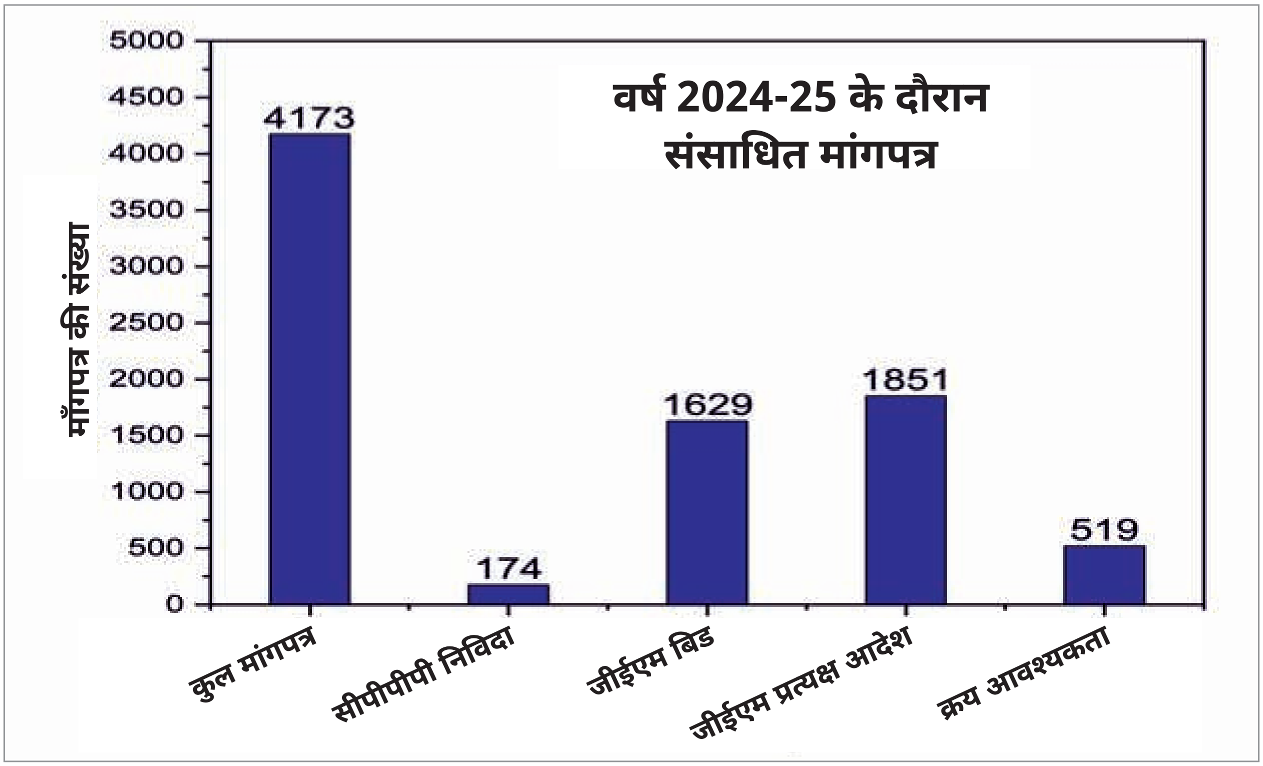
वर्ष 2024-25 के दौरान
संसाधित मांगपत्र
माँगपत्र की संख्या
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
4173
174
1629
1851
519
कुल मांगपत्र
सीपीपीपी निविदा
जीईएम बिड
जीईएम प्रत्यक्ष आदेश
क्रय आवश्यकता

चित्र - 7

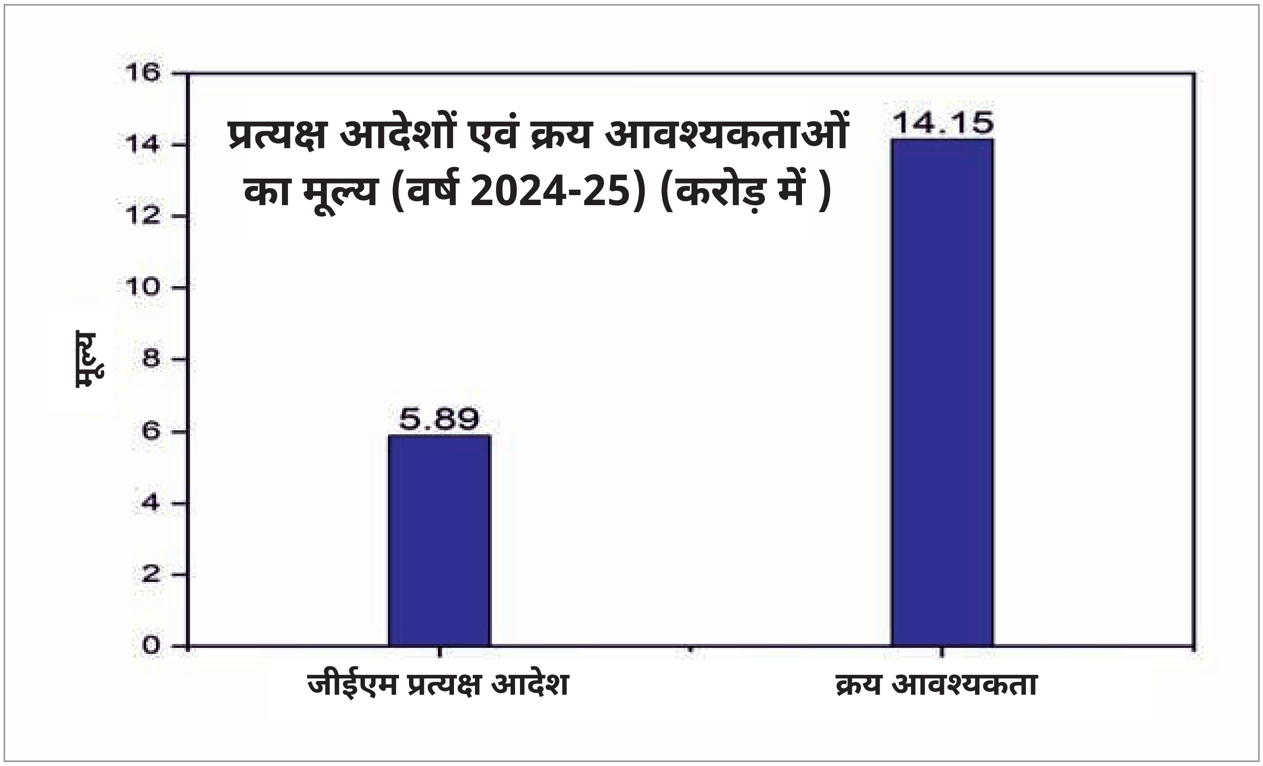
प्रत्यक्ष आदेशों एवं क्रय आवश्यकताओं का मूल्य (वर्ष 2024-25) (करोड़ में)
मूल्य
16
14
12
10
8
6
4
2
0
5.89
14.15
जीईएम प्रत्यक्ष आदेश
क्रय आवश्यकता

चित्र - 8

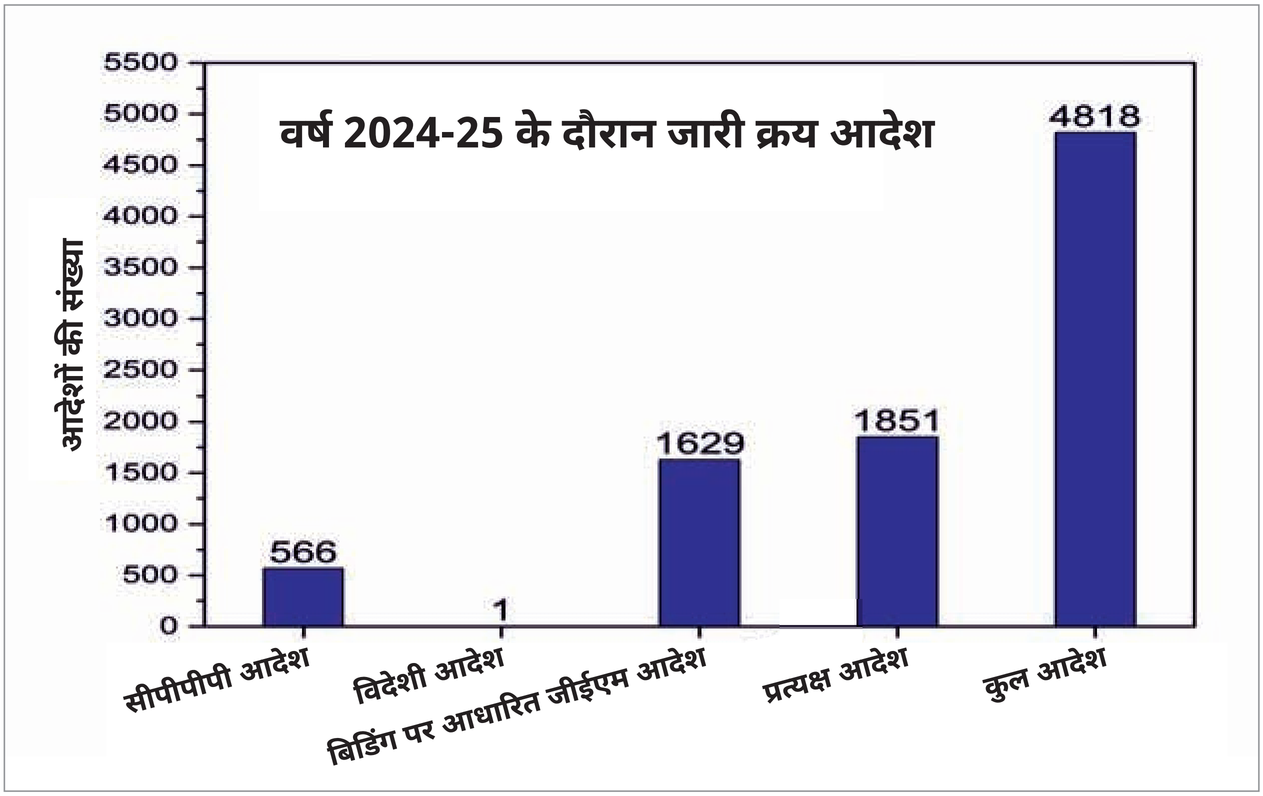
वर्ष 2024-25 के दौरान जारी क्रय आदेश
आदेशों की संख्या
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
566
1
1629
1851
4818
सीपीपीपी आदेश
विदेशी आदेश
बिडिंग पर आधारित जीईएम आदेश
प्रत्यक्ष आदेश
कुल आदेश

चित्र - 9

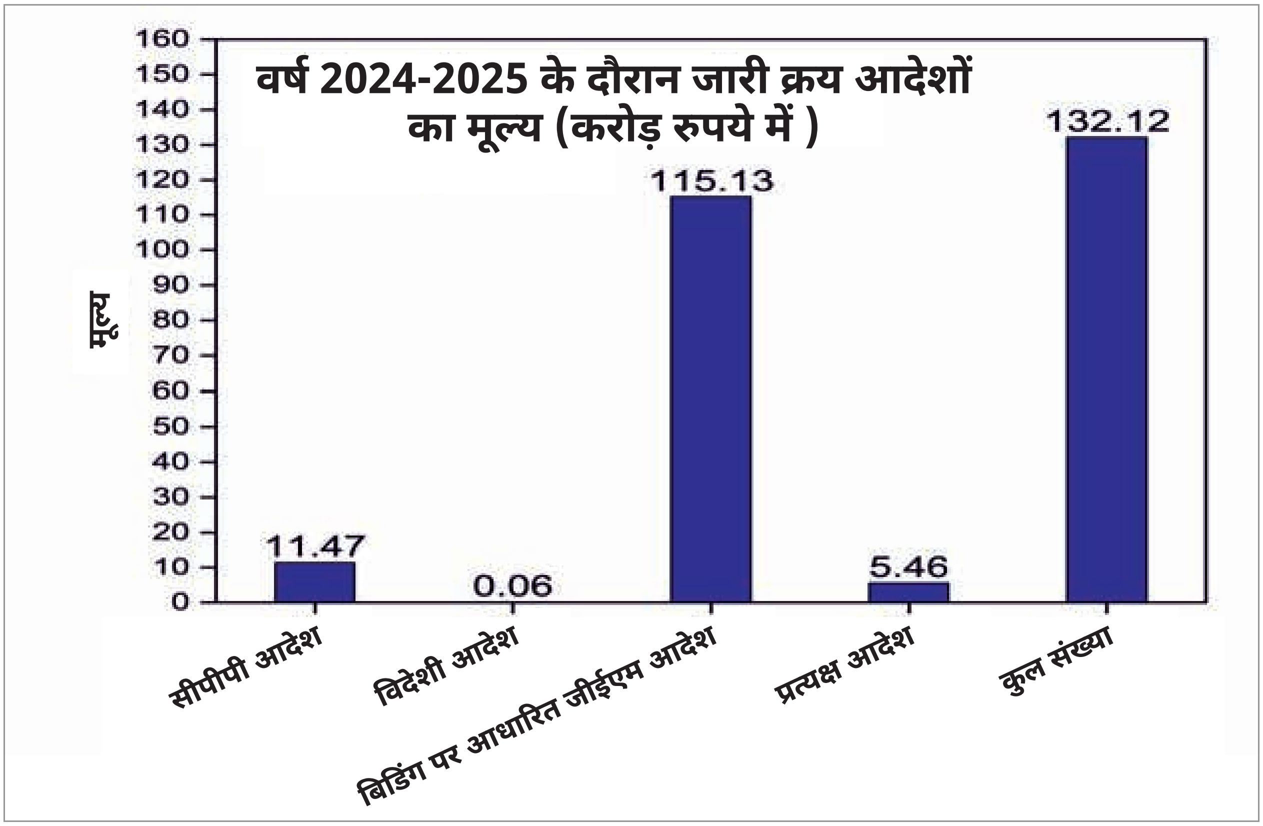
वर्ष 2024-2025 के दौरान जारी क्रय आदेशों का मूल्य (करोड़ रुपये में)
मूल्य
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
11.47
0.06
115.13
5.46
132.12
सीपीपी आदेश
विदेशी आदेश
बिडिंग पर आधारित जीईएम आदेश
प्रत्यक्ष आदेश
कुल संख्या

चित्र - 10

हैदराबाद क्षेत्रीय क्रय एवं भंडार एकक (एचआरपीएसयू)

क्रय, भंडार एवं क्रय लेखा:

क्षेत्रीय निदेशक (पीएंडएस) की अध्यक्षता वाले हैदराबाद क्षेत्रीय क्रय, भंडार एवं लेखा एकक ने वर्ष 2024-25 के दौरान एनएफसी की गतिविधियों को निम्नलिखित तरीके से अपनी सेवाएं प्रदान की:

क्रय:

- वित्तीय वर्ष के दौरान जीईएम एवं सीपीपी पोर्टल पर कुल 1314 निविदाएं संसाधित की गईं, जिनमें से 1237 (94%) जीईएम निविदाएं संसाधित की गईं।
- वित्तीय वर्ष के दौरान, 530 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य के कुल 2862 अनुबंध (स्वदेशी अनुबंध) को अंतिम रूप दिया गया। उपरोक्त में 434 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य के 2738 (96%) जीईएम अनुबंध शामिल हैं।
- वित्तीय वर्ष के दौरान, 197 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य के कुल 1819 जीईएम एमएसई अनुबंधों को अंतिम रूप दिया गया।

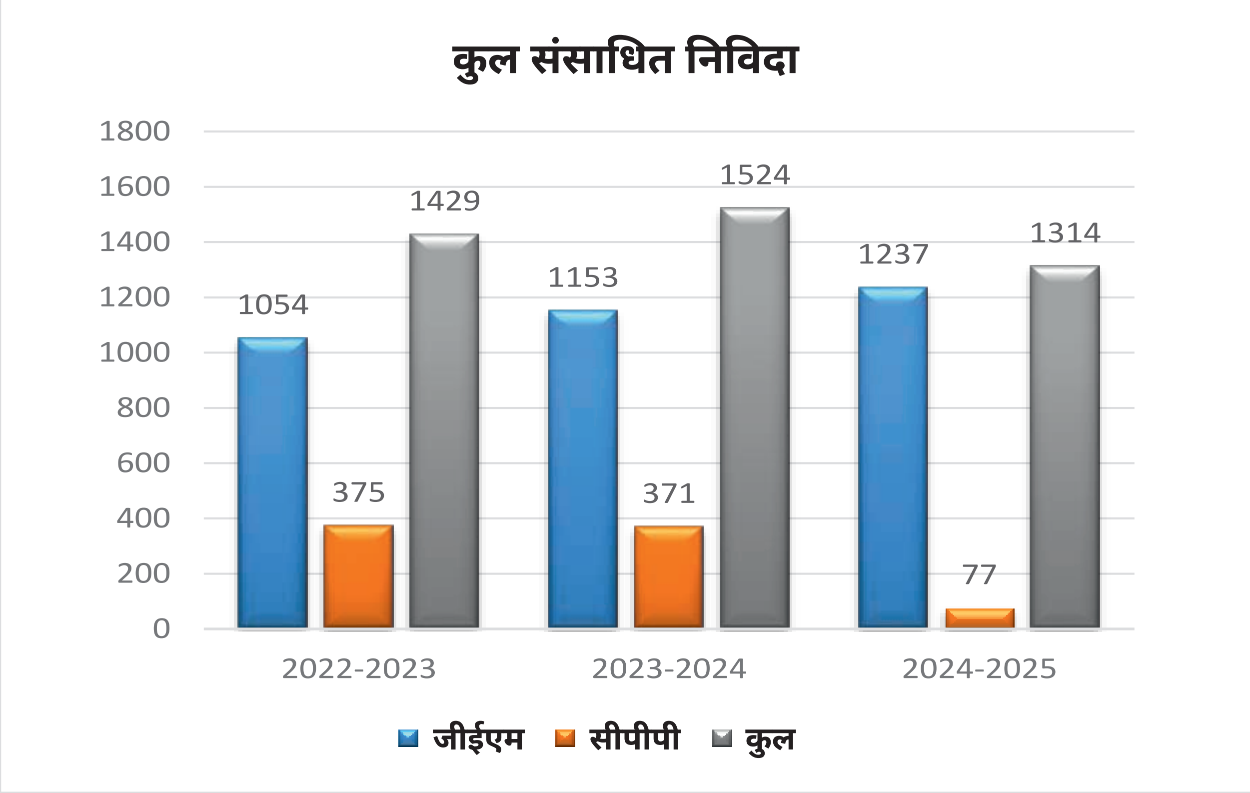

चित्र - 1

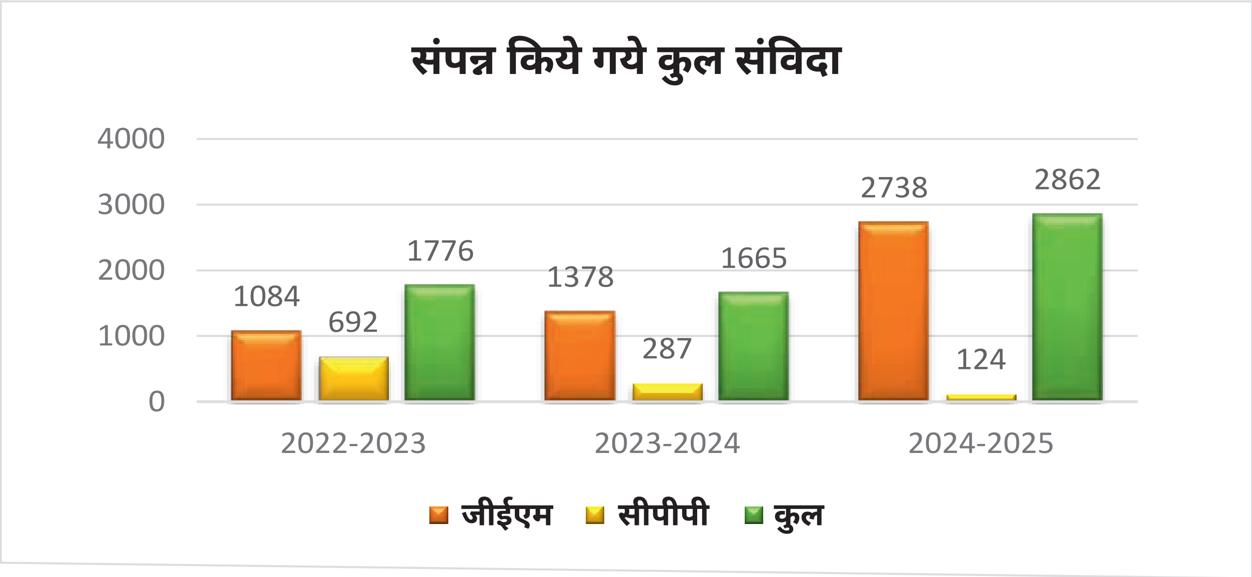

चित्र - 2

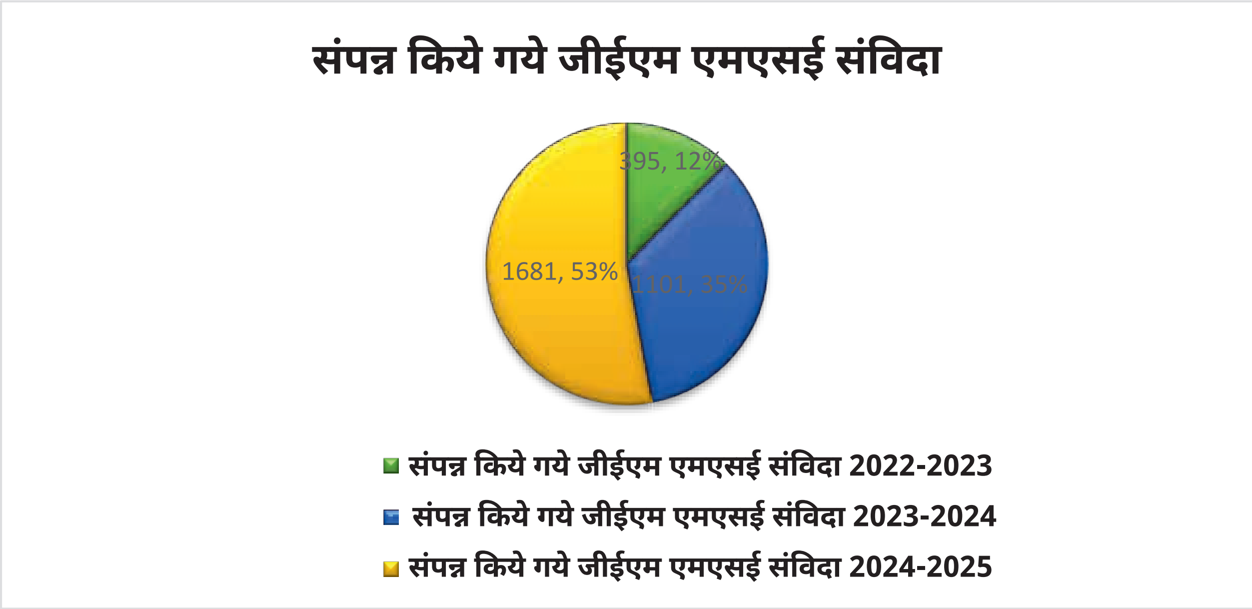

चित्र - 3

भंडार:

प्राप्तियाँ:

अप्रैल, 2024 से मार्च, 2025 तक वर्ष के दौरान कुल **4903** प्राप्तियाँ प्राप्त हुईं और नियमित की गईं, इनमें से **3284** जीईएम प्राप्तियाँ हैं। एनएफसी, कोटा के लिए **484** प्राप्तियाँ प्राप्त हुईं और नियमित की गईं, इनमें से **696** जीईएम प्राप्तियाँ हैं। विभिन्न गैसों के **48633** सिलेंडर प्राप्त हुए।

स्टॉक - निर्गम और लेखा:

15070 वैध आरसीआईवी के लिए कुल **21519**

वस्तुएं उपयोगकर्ता अनुभागों/संयंत्रों को जारी की गईं। एनएफसी, कोटा द्वारा **1022** आरसीआईवी के लिए उपयोगकर्ता अनुभागों/संयंत्रों को **1988** वस्तुएं जारी की गईं।

विभिन्न फैब्रिकेटरों को एफआईएम के रूप में **175.689 मीट्रिक टन जेडआर रॉड और 169.163 मीट्रिक टन** (लगभग) अन्य सामग्री जारी की गई (एफआईएम के रूप में जारी की गई कुल सामग्री **344.852 मीट्रिक टन** थी)।

1899 आरसीआईवी के लिए उपयोगकर्ता संयंत्रों को **47112** विभिन्न गैसें जारी की गईं।

परिवहन एवं निकासी:

129 ट्रक लोड/कंटेनर **सामरिक खेप** और विभिन्न अन्य सामग्री पऊवि की विभिन्न इकाइयों को भेजी गई तथा मेसर्स यूसीआईएल से **खाली ईंधन बॉक्स और एसडीयू/एमडीयू** माल सहित **698** ट्रक लोड रसीदें प्राप्त हुईं। कूरियर/डाकघर के माध्यम से **1523** खेपें (पीओ/जीईएम) प्राप्त हुईं।

वाहनों की आवाजाही:- (रसीदें, स्क्रैप, सामरिक सामग्री के अलावा अन्य परिवहन)

- आने वाले वाहन - **2846** ट्रक/टैंकर
- जाने वाले वाहन - **1921** ट्रक/टैंकर

कुल 53820 ईंधन बंडल भेजे गए, जैसा कि नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाया गया है:

निपटान:

वर्ष के दौरान कुल **742.42 मीट्रिक टन स्क्रैप** का निपटान किया गया, जिससे **406.57 लाख रुपये** का राजस्व प्राप्त हुआ, जिसके कारण **13140 वर्ग फीट क्षेत्र** मुक्त हुआ।

स्क्रैप के निपटान के लिए **जीईएम (फॉरवर्ड ऑक्शन)** के माध्यम से **60 बिक्री निविदाएं** जारी की गईं और **35 बिक्री आदेश** दिए गए।

पिछले तीन वर्षों में जीईएम प्राप्तियों को दर्शाने वाला एक चार्ट नीचे दिखाया गया है:

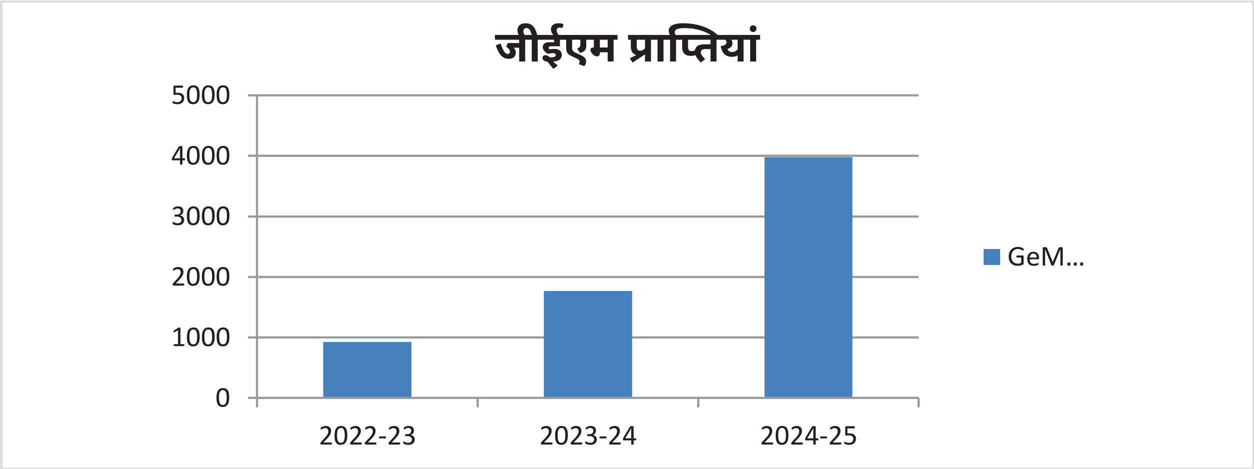

चित्र - 4

पिछले तीन वर्षों के खाली ईंधन बॉक्स सहित प्राप्ति, निर्गम और लेखा को दर्शाने वाला एक चार्ट नीचे दिखाया गया है:

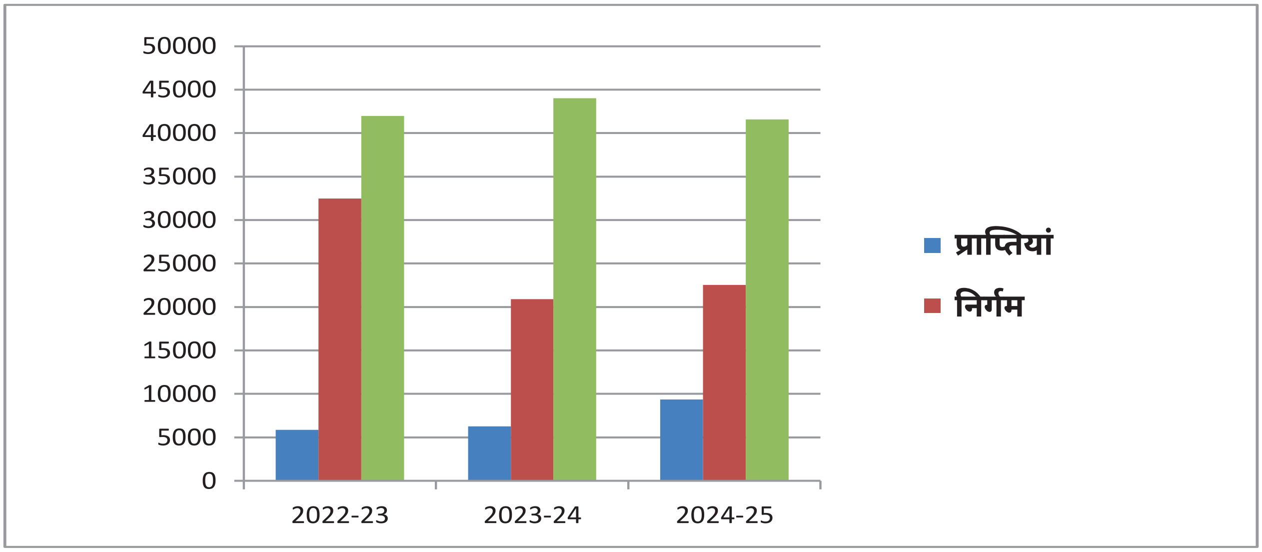

चित्र - 5

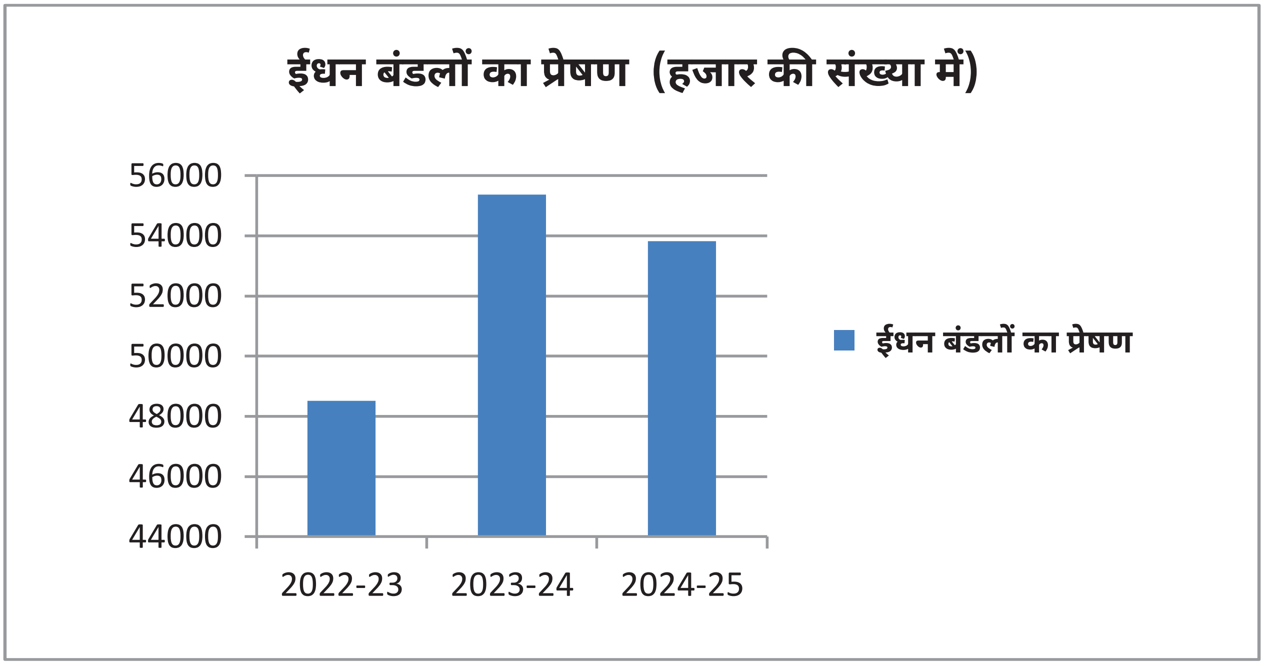

चित्र - 6

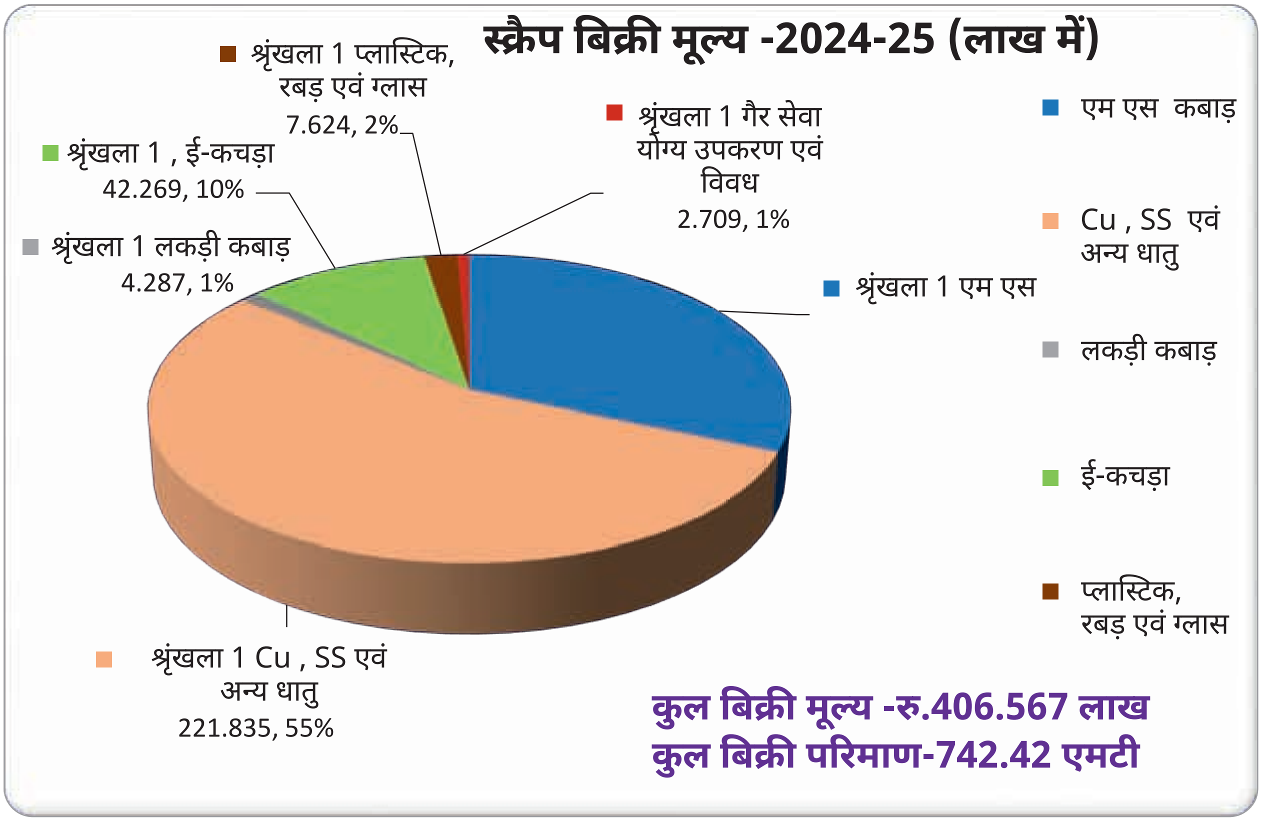

चित्र - 7

विशेष कार्य:-

- हरियाणा के जीएचएवीपी में नवनिर्मित एनपीसीआईएल परियोजना के लिए कैलेंड्रिया और कूलेंट ट्यूब की 12 खेपों का प्रेषण।
- उज्बेकिस्तान से 250 मीट्रिक टन (20 कंटेनर) की रणनीतिक खेप की प्राप्ति और निकासी।
- आईएईए, वियना को सामरिक सामग्री के 2 किलोग्राम के नमूने के 2 पैकेटों का निर्यात।

स्वच्छता गतिविधियाँ:

एचआरपीएसयू/एनएफसी ने परिसर और आस-पास की सफाई जैसी गतिविधियाँ शुरू की, जिसमें फाइलों को अलग करना, पुरानी फाइलों की समीक्षा करना और उन्हें छांटने के लिए उनकी पहचान करना शामिल है।

एचआरपीएसयू ने सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से क्रय की कुल 3237 पुरानी फाइलों और भंडार के कुल 72,897 पुराने रिकॉर्ड/पुराने स्टॉक कार्ड की समीक्षा की, उन्हें छांटने के लिए चिन्हित किया और उन्हें नष्ट किया कटे हुए कागजों को पुनर्चक्रण के लिए दिया गया और एनएफसी के माध्यम से सरकारी खाते में 10,000/- रुपये की राशि जमा की गई। स्वच्छता गतिविधियों में एक सतत प्रक्रिया के रूप में, भंडार एकक द्वारा वर्ष के दौरान 97 वस्तुओं की पहचान कम जरुरत वाली वस्तुओं के रूप में की गई और उन्हें परिचालित किया गया।

क्रय लेखा:

1)	जारी किये गए भुगतान आदेशों की संख्या	4190
2)	पूर्व-लेखापरीक्षा फाइलों की संख्या	2630
3)	प्राप्त बिलों/सीएसआरवी/सीआरएसी की संख्या	6373
4)	मेसर्स यूसीआईएल को भुगतान (परिवहन सहित)	1963.02 करोड़ रुपये
5)	अन्य आपूर्तिकर्ताओं (एमएंडएस, उपभोग्य सामग्रियों और पूंजी) को भुगतान	445.75 करोड़ रुपये
6)	मेसर्स आईआरईएल (एमओयू) को भुगतान	45.80 करोड़ रुपये

इंदौर क्षेत्रीय क्रय एवं भंडार एकक (आईआरपीएसयू)

इंदौर क्षेत्रीय क्रय एवं भंडार एकक (आईआरपीएसयू) मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र (आरआरसीएटी) की क्रय संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। आरआरसीएटी, परमाणु ऊर्जा विभाग की एक इकाई है, जो लेजर, कण त्वरक और संबंधित प्रौद्योगिकियों के गैर-परमाणु अग्रिम पंक्ति अनुसंधान क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में लगी हुई है।

वर्ष 2024-2025 में आईआरपीएसयू द्वारा की जाने वाली प्रमुख गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं।

प्रापण:

- तालिका-1 और चित्र 1 से 4 में वर्ष 2024-2025 के दौरान के प्रापण के आँकड़े दिए गए हैं।

- उपयोगकर्ताओं के विभिन्न प्रश्नों का समय पर समाधान करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। निदेशक, क्रभंनि की उपस्थिति में आईआरपीएसयू सम्मेलन कक्ष में विशेष बातचीत सत्र आयोजित किया गया, जहाँ आईआरपीएसयू स्टाफ और मांगकर्ताओं ने जीईएम पर काम करते समय आने वाली समस्याओं पर चर्चा की।

- आईआरपीयू टीम ने मुंबई में क्रभंनि दिवस समारोह में भी भाग लिया और अपनी संगीतमय उपस्थिति दर्ज कराई।

- विशेष उपलब्धियाँ:

1) आईआरपीयू ने जीईएम पोर्टल पर भुगतान विवरण अपडेट करके सभी तीन द्वितीयक खरीदारों से रेड फ्लैग हटाने में सफलता प्राप्त की है।

2) कोई लंबित ऑडिट पैरा नहीं हैं। आईआरपीयू ने वर्ष 2024-2025 के दौरान सभी ऑडिट पैरा का जवाब दिया है।

3) आईआरपीयू ने 9 विदेशी खेपों के लिए आयात और संबंधित दस्तावेज तैयार किए हैं। इसके अलावा 2 खेपों को फर्मी लैब, यूएसए के लिए निर्यात किया गया है।

4) काफी समय से लंबित कानूनी मामलों को आईआरपीयू ने संभाला और इस वित्तीय वर्ष में निपटाया।

भंडार:

- आईआरएसयू को सामग्री की प्राप्ति, लेखा, स्थानांतरण और उपयोगकर्ताओं को जारी करने का काम सौंपा गया है। विभिन्न पऊवि घटक इकाइयों में सामग्री का परिवहन और स्क्रैप का निपटान भी इसकी जिम्मेदारी है।

कम्प्यूटरीकृत समाधानों का उपयोग:

- आईआरपीयू सटीकता, दक्षता और उत्पादकता और डेटा रिकॉर्डिंग में सुधार के लिए कम्प्यूटरीकृत समाधानों के उपयोग पर लगातार काम कर रहा है। डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित सीएसआरवी के मुद्दे को ईमेल अलर्ट के साथ जोड़ा गया है, जिसके परिणामस्वरूप एसडीबीजी के निर्वहन के लिए समय पर कार्रवाई की जा रही है।

- प्रोजेक्ट डेटा मैनेजमेंट सिस्टम (पीडीएमएस) में नियमों के अनुसार रिकॉर्ड की अवधारण अवधि पूरी होने के बाद फाइलों को छांटने के लिए स्वचालित रिपोजिटरी का निर्माण शुरू किया गया है।

- आईआरएसयू ने 129.15 मीट्रिक टन के सामान्य स्क्रैप आइटम और 80.86 मीट्रिक टन के अनुपयोगी उपकरणों का निपटान करके क्रमशः 72.39 लाख रुपये और 84.90 लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया।

- इस अवधि के दौरान जीईएम फॉरवर्ड नीलामी के माध्यम से कुल 28 निपटान निविदाएं जारी की गईं।
- आईआरएसयू ने इस अवधि के दौरान 99 करोड़ रुपये की लागत से 1106 आर.वी. तैयार किए हैं।

आरआरसीएटी में आयोजित "हिंदी पखवाडा- 2024-2025" के अंतर्गत आयोजित प्रतियोगिता में इंदौर क्षेत्रीय क्रय एकक के श्री अश्विनी कुमार शर्मा - कनिष्क क्रय सहायक को" हिन्दी काव्य-पाठ प्रतियोगिता " मे प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया |

तालिका क्रमांक - 1

क्रम संख्या	विवरण	संख्या	रुपये करोड़ में
1.	संसाधित मांगपत्रों की कुल संख्या	751	138.71
2.	संसाधित स्वदेशी आदेशों की संख्या	748	56.11
3.	विदेशी अनुबंधों की संख्या	4	0.47
4.	जीईएम आदेशों की संख्या	722	53.28
5.	आदेशों की कुल संख्या	752	56.57

तालिका क्रमांक - 2

जीईएम पोर्टल में अग्रिम नीलामी के माध्यम से स्क्रैप/अनुपयोगी वस्तुओं का निपटान:

क्रम संख्या	स्क्रैप का विवरण	स्क्रैप की मात्रा	बिक्री (लाखों में)
1	सामान्य स्क्रैप आइटम	129.15 एमटी	72.39
2	अनुपयोगी उपकरण निपटान	80.86 एमटी	84.90

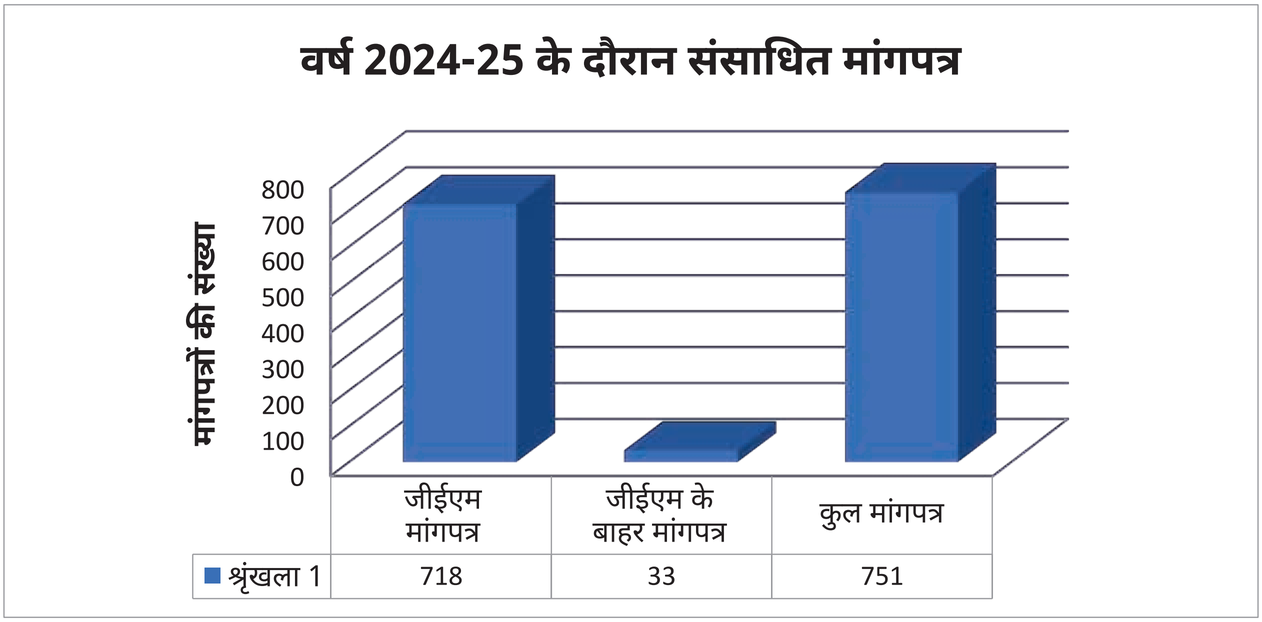

चित्र - 1

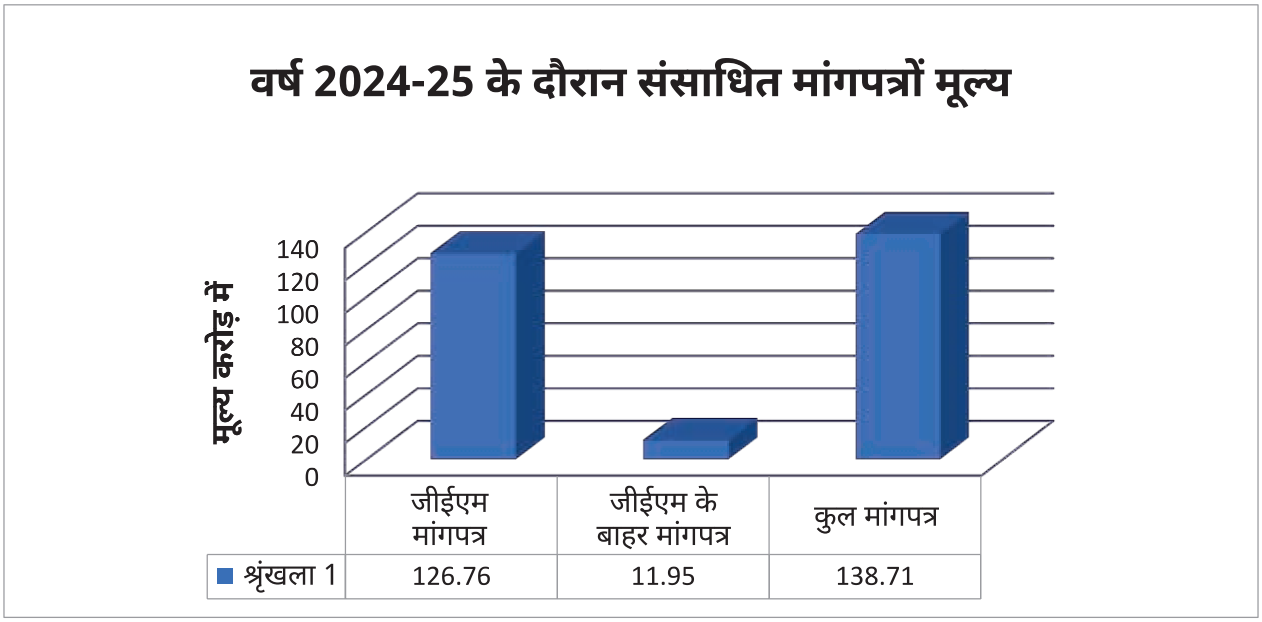

वर्ष 2024-25 के दौरान संसाधित मांगपत्रों मूल्य
मूल्य करोड़ में
140
120
100
80
60
40
20
0
जीईएम मांगपत्र
जीईएम के बाहर मांगपत्र
कुल मांगपत्र
श्रृंखला 1
126.76
11.95
138.71

चित्र - 2

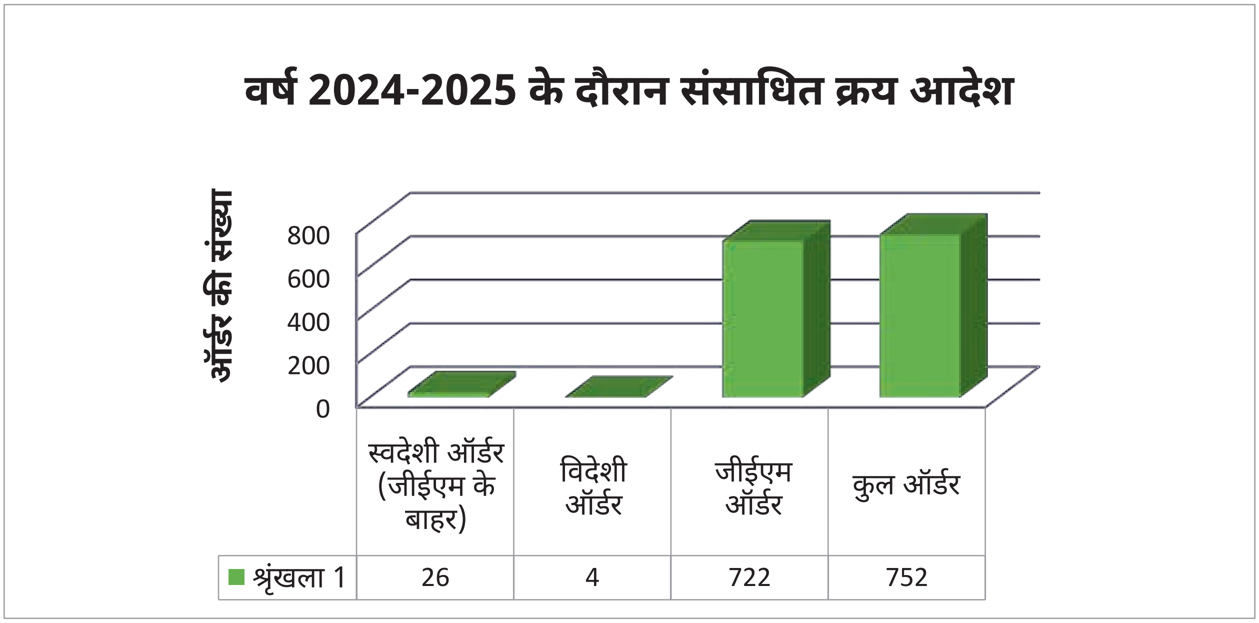

वर्ष 2024-2025 के दौरान संसाधित क्रय आदेश
ऑर्डर की संख्या
800
600
400
200
0
स्वदेशी ऑर्डर (जीईएम के बाहर)
विदेशी ऑर्डर
जीईएम ऑर्डर
कुल ऑर्डर
श्रृंखला 1
26
4
722
752

चित्र - 3

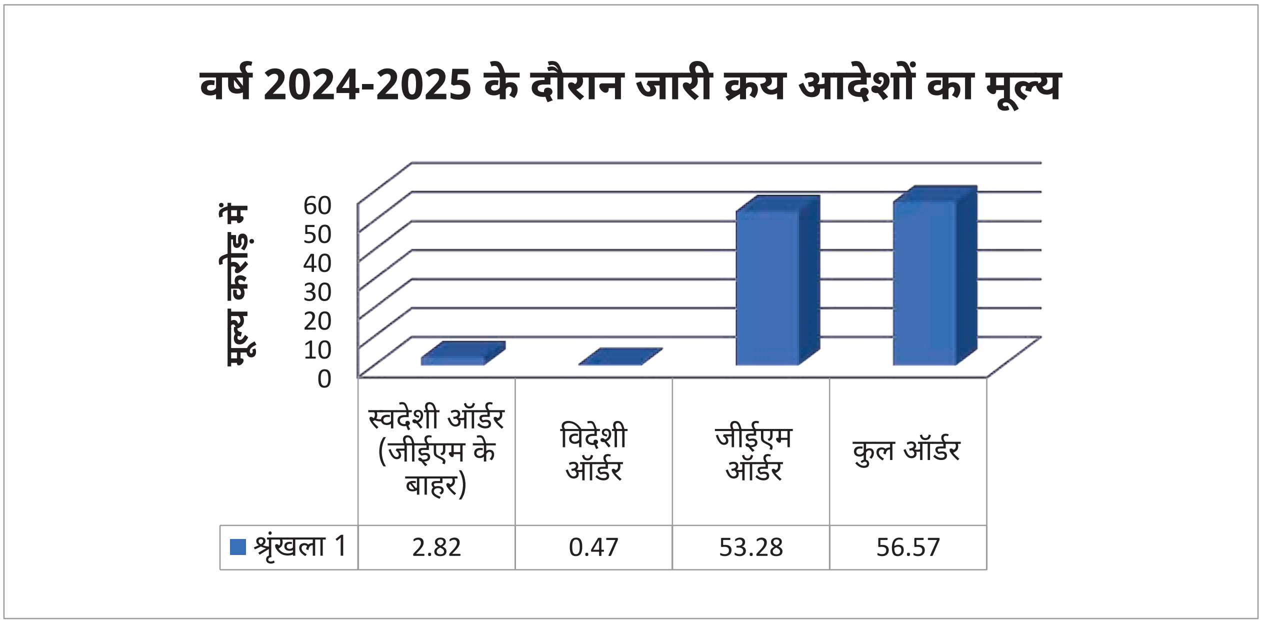
वर्ष 2024-2025 के दौरान जारी क्रय आदेशों का मूल्य
मूल्य करोड़ में
60
50
40
30
20
10
0
स्वदेशी ऑर्डर (जीईएम के बाहर)
विदेशी ऑर्डर
जीईएम ऑर्डर
कुल ऑर्डर
श्रृंखला 1
2.82
0.47
53.28
56.57

चित्र - 4

नाभिकीय पुनःचक्रण बोर्ड क्रय एवं भंडार एकक (एनआरबीपीएसयू)

परमाणु पुनःचक्रण बोर्ड (एनआरबी) भापाअकेंद्र के भीतर एक बहु-विषयक इकाई है जो परमाणु ऊर्जा का दोहन करने तथा समाज के लाभ के लिए इसके अनुप्रयोग के लिए कार्यक्रम चलाती है। एनआरबी भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के पहले और दूसरे चरण को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

वर्ष 2009 में अपनी स्थापना के बाद से, एनआरबीपीएसयू एनआरबी की सभी सामग्री प्रबंधन गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। अणुशक्तिनगर, मुंबई में स्थित क्रय एकक परियोजनाओं और परिचालन संयंत्रों के लिए परिवहन अनुबंधों सहित क्रय अनुबंधों को पूरा करता है तथा एनआरबी मुख्यालय की भंडारण गतिविधियों का प्रबंधन करती है। तारापुर में स्थित भंडार एकक खेप की प्राप्ति, सुरक्षित भंडारण, परियोजनाओं और परिचालन संयंत्रों के लिए वस्तुओं का निर्गम तथा अग्रिम नीलामी के माध्यम से स्क्रैप के निपटान का ध्यान रखता है।

वर्ष 2024-25 के दौरान की जाने वाली प्रमुख गतिविधियाँ: -

- सक्षम प्राधिकारी से सभी अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, भापासं (बड़ौदा) के मुख्य संयंत्र को संयंत्र के अधिकारियों के सहयोग से बिना किसी घटना के सुरक्षित रूप से विघटित करके निपटान किया गया।
- निपटान की गई कुल मात्रा 4785 मीट्रिक टन है। उत्पन्न राजस्व: 24.99 करोड़"
- कुल 288.92 करोड़ रुपये मूल्य के कुल 2010 मांगपत्र संसाधित किए गए।
- कुल 1626 अनुबंध किये गए, जिनका कुल मूल्य 78.69 करोड़ रुपये था।
- सीपीपीपी के माध्यम से कुल 32 अनुबंध किये गए, जिनका कुल मूल्य 28.10 करोड़ रुपये था।
- पीटी के लिए कुल 20.70 करोड़ रुपये मूल्य के कुल 56 अनुबंध किये गए।
- टीपीटी के लिए कुल 31 अनुबंध किये गए, जिनका कुल मूल्य 14.02 करोड़ रुपये था।
- 2361 आरवी के लिए कुल 3422 वस्तुएं प्राप्त हुईं, जिनका नियमितीकरण किया गया।
- 12709 वैध आरसीआईवी के पक्ष में कुल 29093 वस्तुएं जारी की गईं।
- ईमैटमैन सिस्टम में कुल 4050 वस्तुओं को संहिताबद्ध किया गया तथा लेखांकन के लिए एमएमएस में अंतरित किया गया।
- फॉरवर्ड नीलामी के माध्यम से 26 बोलियां जीईएम पोर्टल पर अपलोड की गईं। सफल बोलीदाताओं को कुल 4938.826 मीट्रिक टन सामान्य स्क्रैप वस्तुओं के लिए 22 बिक्री आदेश जारी किए गए, जिनका कुल मूल्य 26,15,37,827/- रुपये था।
- निर्माण, ड्राइंग, क्रेता द्वारा मुफ्त जारी सामग्री के अलावा अपेक्षित सामग्रियों की आपूर्ति, निर्माण, परियोजना स्थल से एफआईएम के संग्रह हेतु मेसर्स भिलाई इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को क्रय आदेश जारी किया गया, जिसका कुल मूल्य 24,14,45,971/- रुपये था।

  जारी किए गए एफआईएम की कुल मात्रा 896.477 मीट्रिक टन (एसएस 304 एल प्लेट्स, पाइप्स, हॉलो बार नोजल, स्क्वायर बॉक्स, सीमलेस पाइप रिड्यूसर और हॉलो कोन स्प्रे नोजल) थी।

- 896.477 मीट्रिक टन में से जारी की गई मात्रा में से, प्राप्त तैयार माल केवल 317.952 मीट्रिक टन था और मेसर्स बीईसी के पास शेष 578.525 मीट्रिक टन की मात्रा रणनीतिक योजना और परिवहन के साथ 37 खेपों में वापस प्राप्त की गई।
- एनआरबीपीएसयू, क्रय एकक ने एनआरबी द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों यानी योग दिवस, मराठी भाषा दिवस, महिला दिवस में सक्रिय रूप से भाग लिया।

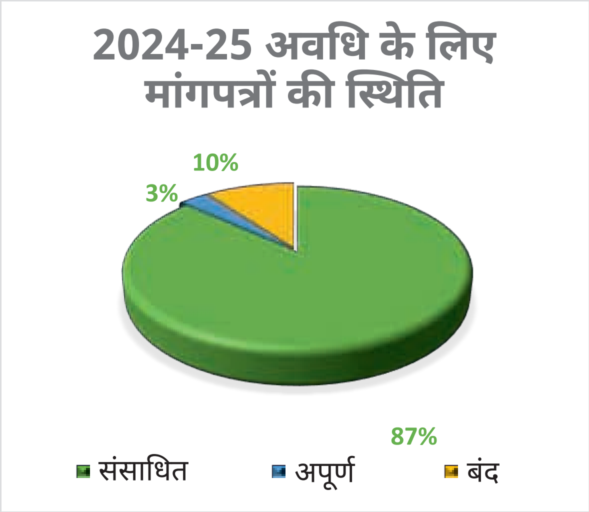

चित्र - 1

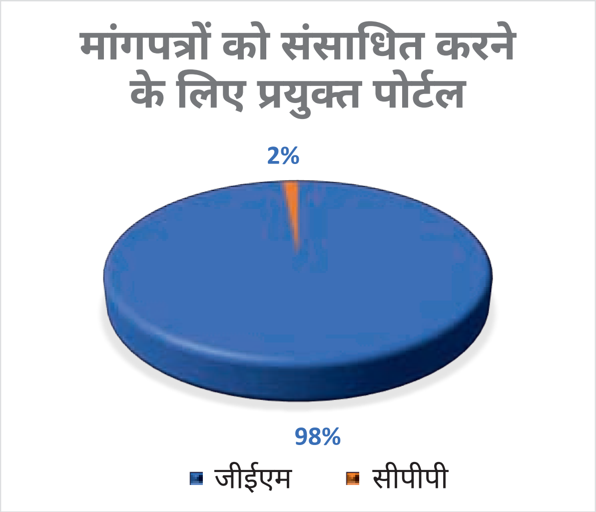

चित्र - 2

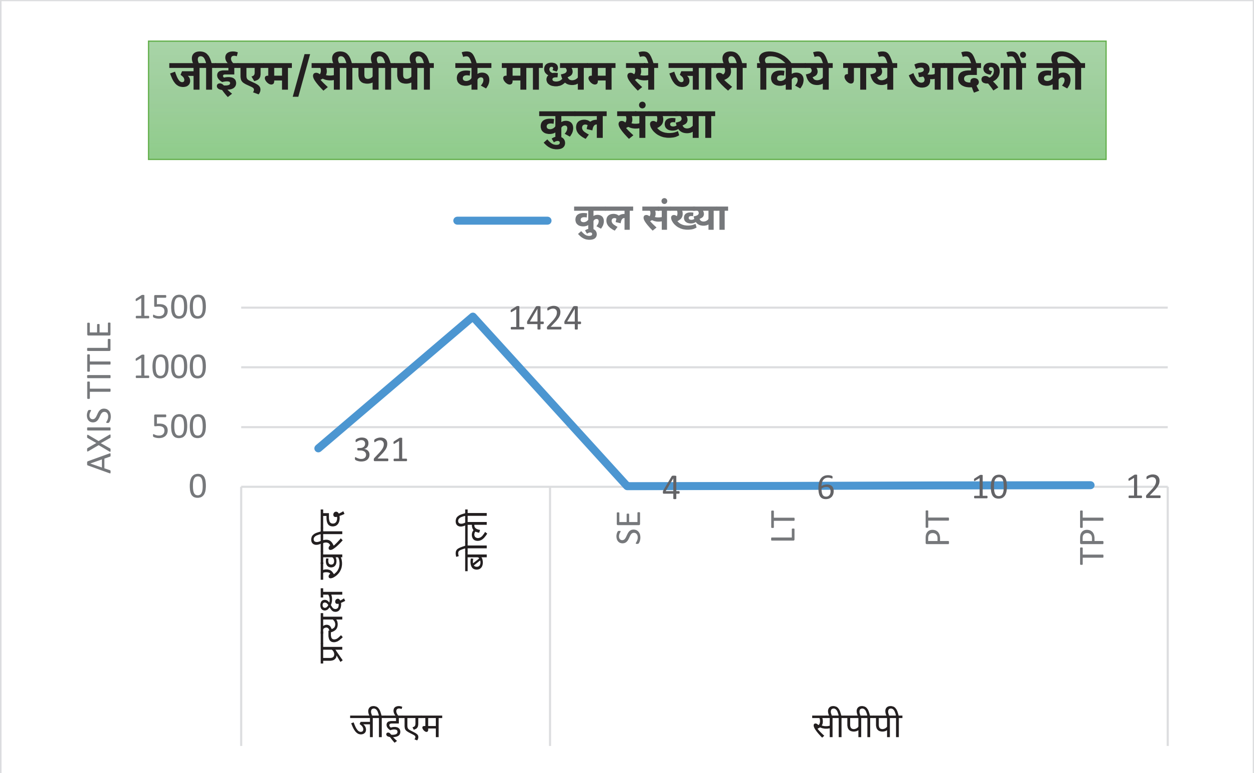

चित्र - 3

केंद्रीय प्रशासन एकक

केंद्रीय प्रशासन एकक (सीएडीएमयू) विक्रम साराभाई भवन, क्रय एवं भंडार निदेशालय (क्रभंनि) मुख्यालय, मुंबई में स्थित है। इसमें भर्ती, स्थापना, प्रशासन, सतर्कता, सामान्य और हिंदी अनुभाग तथा एमआरपीयू का एक प्रशासन एकक शामिल है। क्रभंनि का प्रशासन सेवा मामलों, सतर्कता मुद्दों पर त्वरित ध्यान, कैलेंडर के अनुसार भर्ती और पदोन्नति प्रक्रियाओं का व्यवस्थित रूप से पालन सुनिश्चित करने संबंधी क्षेत्रों में अपने अधिकारियों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान कर रहा है।

स्थापना अनुभाग

स्थापना अनुभाग मुख्य रूप से 406 व्यक्तिगत फाइलों और सेवा पुस्तकों (मुंबई में तैनात लोगों की) के रखरखाव से संबंधित कार्यों को संभालता है। इसकी मुख्य गतिविधियों में व्यक्तिगत अभिलेखों का रखरखाव और उसे अद्यतन करना, प्रशासनिक, नियमित सेवा आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अभिलेखों की आवधिक समीक्षा करना और सेवा अभिलेखों का सत्यापन तथा आवधिक रिपोर्ट तैयार करना हैं। इसके अलावा, पदोन्नति/एमएसीपी पर वेतन निर्धारण, पीएफ अग्रिम/आहरण, एलटीसी, स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति/मृत्यु के संबंध में यात्रा भत्ता, छुट्टी आदेश जारी करना, बच्चों की शिक्षा हेतु भत्ता, नामांकन (जीपीएफ/ग्रेच्युटी/समूह बीमा), बाहरी रोजगार के लिए आवेदनों को अग्रेषित करना, पहचान/सेवा प्रमाणपत्र जारी करना/जाति का सत्यापन आदि जैसी स्थापना संबंधी गतिविधियों के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए फाइलों को रूट करना आदि कार्य भी शामिल हैं।

इसके अलावा यह पेंशन और संबंधित कार्यों (वर्ष 2024 में 43 मामले), स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रस्ताव, परिवीक्षा समाप्ति से संबंधित कार्य, रोजगार की पुष्टि, पीआरआईएस (जी) का संकलन, एएआईआईएस से संबंधित प्रश्नों का समन्वय और समाधान करता है।

सतर्कता अनुभाग

क्रभंनि एक सेवा संगठन है और पऊवि में सभी प्रकार के प्रापण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में जांच और सतर्कता के दायरे में आता है क्योंकि यह आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा है। क्रभंनि के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी क्रभंनि के अंशकालिक सतर्कता अधिकारी हैं। सतर्कता अनुभाग को केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 1964 के तहत आचार संहिता को लागू करने और सीवीसी के मानदंडों के अनुसार सतर्कता दृष्टिकोण से भ्रष्टाचार की निगरानी और रोकथाम करने का काम सौंपा गया है। सतर्कता अनुभाग सीसीएस (सीसीए) नियम 1965 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने, एफआर 56 (जे) के तहत सेवाओं की समीक्षा, क्रभंनि के सभी अधिकारियों के लिए सतर्कता मंजूरी जारी करने का काम करता है। यह क्रभंनि के सभी अधिकारियों के लिए रिक्त एपीएआर तैयार करने और जारी करने का काम करता है और क्रभंनि के सभी अराजपत्रित कर्मचारियों के संबंध में एपीएआर डोजियर का संरक्षक भी है। यह क्रभंनि की सभी इकाइयों के लिए प्रिस (ओ) और (जी) के लिए स्वीकृति आदेश जारी करता है।

यह क्रभंनि के सभी अधिकारियों की चल/अचल संपत्ति लेनदेन फाइलों और एआईपीआर फाइलों का रखरखाव करता है। इस वर्ष डिजिटल समाधानों के कार्यान्वयन की दिशा में एक पहल के रूप में, क्रभंनि के एएआईआईएस पोर्टल पर अचल संपत्ति मॉड्यूल शुरू किया गया है। दिनांक 28/10/2024 से 03/11/2024 की अवधि के दौरान केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत "राष्ट्र की समृद्धि के लिए अखंडता की संस्कृति"

विषय पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2024 मनाया गया। 'नैतिकता और शासन', 'निवारक सतर्कता' और 'क्रय' पर विशेष वार्ता आयोजित की गई। विक्रेताओं की शिकायतों के समाधान के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया गया। सतर्कता गतिविधियों पर सामान्य जागरूकता पर प्रश्नोत्तरी, निबंध, तात्कालिक भाषण और पोस्टर प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

भर्ती अनुभाग

क्रभंनि का भर्ती अनुभाग जूनियर क्रय सहायक/कनिष्ठ भंडारी के पद के लिए सीधी भर्ती से संबंधित सभी कार्यों को देखता है। कनिष्ठ क्रय सहायक/कनिष्ठ भंडारी के पद हेतु उम्मीदवारों के लिए छह माह का परिचयात्मक प्रशिक्षण आयोजित करने में सहायता करना। सीएजी सत्यापन, जाति सत्यापन और पऊवि से विशेष सत्यापन का पालन करना। कनिष्ठ क्रय सहायक/कनिष्ठ भंडारी को ' नियुक्ति का प्रस्ताव' जारी करना और नए प्रशिक्षुओं की सेवा पुस्तिका तैयार करना। एमएससीपी, एनएफयूजी, अनुकंपा नियुक्ति, एसएससी से चयनित लोगों की प्रवर श्रेणी लिपिक के रूप में नियुक्ति से संबंधित सभी कार्य। मैनपावर संबंधी डेटा का रखरखाव और मैनपावर से संबंधित रिपोर्ट भर्ती अनुभाग द्वारा बनाई जाती है। भर्ती अनुभाग द्वारा इसके अलावा संसदीय प्रश्न, भंडारी तथा वरिष्ठ भंडारी के लिए निष्ठा गारंटी नीति के नवीनीकरण का मुद्दा, एटीआई और एटीआई केंद्रों के अलावा अन्य केंद्रों पर प्रशिक्षण के लिए नामांकन की प्रक्रिया की जाती है। प्रशासन से संबंधित सीएजी ऑडिट और आईआईडब्ल्यू ऑडिट मामलों के बारे में समन्वय। सेवानिवृत्ति के बाद परामर्शदाता की पुनः नियुक्ति से संबंधित मामले को भर्ती अनुभाग द्वारा निपटाया जाता है।

वर्ष के दौरान, अधिनियम [धारा 4 (1) (बी)] के तहत आवश्यक अनिवार्य जानकारी क्रभंनि की वेबसाइट पर अपलोड की गई है और इस जानकारी को समय-समय पर अपडेट किया जाता है। कनिष्ठ क्रय सहायक/कनिष्ठ भंडारी के लिए परिचयात्मक प्रशिक्षण का तीसरा बैच दिनांक 11.11.2024 से शुरू हुआ और दिनांक 10.05.2025 तक पूरा हो जाएगा। अप्रैल से दिसंबर, 2024 की अवधि के दौरान, कुल 286 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए और उनका निपटारा किया गया। ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त आरटीआई आवेदन और प्राप्त अपीलों का निपटारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है।

सामान्य अनुभाग

सामान्य अनुभाग क्रभंनि के कानूनी मामलों को देखता है, जिसमें कैट, न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय, सिविल न्यायालय और एक कर्मचारी मुआवजा मामला शामिल है। मसौदा तैयार करना और उसे माननीय कैट न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना। खरीद और भंडार के कानूनी मामलों में दायर किए जाने वाले मसौदे के लिए पऊवि से अनुमोदन प्राप्त करना और विधि मामलों के मंत्रालय से वकील की नियुक्ति करना। सामान्य अनुभाग यह भी सुनिश्चित करता है कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित विभिन्न दिवस क्रभंनि द्वारा मनाए जाएं। सामान्य अनुभाग क्रभंनि एसोसिएशन के चुनाव के लिए अधिकारी का नामांकन, एसोसिएशन के सदस्यों को आकस्मिक अवकाश आदि जैसे एसोसिएशन संबंधी मामलों को भी देखता है। क्रभंनि पश्चिमी क्षेत्र की कार्यालय परिषद की बैठक/बैठकों और क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित करना। सामान्य अनुभाग कार्यशाला, श्रमदान गतिविधियाँ, बेस्ट टू वेल्थ प्रदर्शनी, स्वच्छता रैली और मुंबई में क्रभंनि स्वच्छता गतिविधियों के लिए समापन समारोह भी आयोजित करता है।

सामान्य अनुभाग ने क्रभंनि के मुंबई में तैनात कर्मचारियों के लिए "महिलाओं के मामलों में सुरक्षा और सुरक्षा उपाय" और "महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में सामान्य जागरूकता" विषय पर दो विशेष वार्ताएँ आयोजित कीं। सामान्य अनुभाग लंबित मामलों को कम करना, स्वच्छता पखवाड़ा, संसदीय मामले आदि से संबंधित विभिन्न प्रकार की रिपोर्टों के संकलन का भी कार्य करता है और उन्हें पऊवि को भेजता है। सामान्य अनुभाग की जिम्मेदारी क्रभंनि, मुंबई के स्वच्छता कार्यक्रम और महिला दिवस कार्यक्रम के समन्वय और संचालन के की भी है।

प्रशासन अनुभाग

प्रशासनिक अनुभाग मुख्य रूप से क्रय, भंडार, प्रशासन एवं लेखा संवर्ग में क्रभंनि अधिकारियों की पदोन्नति, स्थानान्तरण, पदस्थापना से संबंधित कार्य करता है। क्रय अधिकारी, भंडार अधिकारी, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक के पदों को भरने के लिए प्रस्ताव तैयार करना तथा उसे पऊवि को अग्रेषित करना। विभागीय परीक्षा आयोजित करना, डीपीसी आयोजित करना, एलडीई एवं एससीएफ पैनल तैयार करना तथा रिक्ति होने पर उसका संचालन करने का कार्य भी प्रशासन अनुभाग द्वारा किया जाता है। प्रशासनिक अनुभाग सीधी भर्ती वाले पदों को छोड़कर सभी पदोन्नति ग्रेडों के रोस्टर बनाए रखने तथा वरिष्ठता सूची तैयार करने एवं उसे परिचालित करने के लिए भी जिम्मेदार है। स्थानांतरण समिति की बैठकें आयोजित करना तथा प्रशासनिक एवं लेखा संवर्ग से संबंधित कर्मचारियों के पारस्परिक स्थानान्तरण पर विचार करने का कार्य भी प्रशासनिक अनुभाग द्वारा किया जाता है।

इस अनुभाग को क्रभंनि अधिकारियों के स्थापना/सेवा मामलों का भी दायित्व सौंपा गया है, जिसके लिए सेवा पुस्तिका सहित लगभग 114 व्यक्तिगत फाइलें तथा बाहरी इकाइयों में तैनात कर्मचारियों की 241 शैडो फाइलें (कुल 355) रखी गई हैं। पीएफ एडवांस/आहरण, छुट्टी यात्रा रियायत संबंधी दावे, स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति संबंधी यात्रा भत्ता, दौरे पर यात्रा भत्ता, परिवीक्षा समाप्ति, सेवा पुस्तिकाओं को अद्यतन करना, सीईए दावे, मकान किराया भत्ता/ यात्रा भत्ता/गेस्ट हाउस के अनुदान के लिए मंजूरी, वेतन निर्धारण, कार्यमुक्ति आदेश जारी करने और संबंधित स्थापना अनुभाग को बाहरी इकाई के अनुमोदन की सूचना देने के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु फाइल प्रस्तुत करने का कार्य भी प्रशासन अनुभाग द्वारा किया जाता है। एएआईआईएस सॉफ्टवेयर का उपयोग मुंबई, तारापुर, मैसूर, विजाग और वडोदरा में तैनात कर्मचारियों को प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। प्रशासनिक अनुभाग की क्रभंनि के सभी अधिकारियों की प्रिस पात्रता की गणना की भी जिम्मेदारी है।

हिंदी अनुभाग

हिंदी अनुभाग में सरकारी दस्तावेजों का हिंदी से अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया जाता है। हिंदी अनुभाग द्वारा प्रत्येक तिमाही में कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में हिंदी अनुभाग द्वारा राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए हिंदी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, जिससे क्रय एवं भंडार निदेशालय में भारत सरकार की राजभाषा नीति का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होता है।

केंद्रीय लेखा एकक

केंद्रीय लेखा एकक (सीएयू), क्रभंनि का अभिन्न अंग है, और यह लेखा तथा वित्त संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है। वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों के आहरण से संबंधित कार्यों के प्रबंधन के अलावा, केंद्रीय लेखा एकक क्रभंनि के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पूर्व-लेखा परीक्षा, आपूर्तिकर्ताओं के बिलों का निपटान, खरीदी गई सामग्री के लिए विदेशी मुद्रा भुगतान आदि जैसे अन्य महत्वपूर्ण लेखा/ वित्तीय कार्य भी संभालता है। क्रभंनि में लेखा के कार्य क्रभंनि के पदानुक्रम के तहत क्षेत्रीय क्रय एवं भंडार एककों या पऊवि की संबंधित इकाइयों के पीएओ के माध्यम से भी किए जाते हैं, जैसे: -

1. चेन्नई में स्थित मद्रास क्षेत्रीय लेखा एकक का स्वतंत्र वेतन और लेखा कार्यालय है जो एमआरपीएसयू की दिन-प्रतिदिन की लेखा गतिविधियों का ख्याल रखता है।

2. हैदराबाद में स्थित हैदराबाद क्षेत्रीय लेखा एकक एचआरपीएसयू की लेखा गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। परमाणु ऊर्जा विभाग (पऊवि) को मासिक खातों का प्रतिपादन पीएओ, एनएफसी, हैदराबाद द्वारा किया जाता है।

3. कोलकाता में स्थित कलकत्ता क्षेत्रीय लेखा एकक, सीआरपीएसयू की लेखा गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है और पऊवि को मासिक खाते प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी पीएओ, वीईसीसी, कोलकाता की है।

4. मनुगुरु में स्थित क्षेत्रीय क्रय एकक में लेखा एकक आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान जारी करने, खरीद फाइलों की पूर्व-लेखा परीक्षा और पऊवि को खाते प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है, जिसे वेतन लेखा कार्यालय, भापासं, मनुगुरु द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

5. इंदौर में स्थित इंदौर क्षेत्रीय लेखा एकक आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान जारी करने, प्रापण फाइलों की पूर्व-लेखा परीक्षा और पीएओ, आरआरसीएटी, इंदौर द्वारा समर्थित पऊवि को खाते प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है।

केंद्रीय लेखा एकक, क्रभंनि, मुंबई में विभिन्न अनुभागों के कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रभंनि, मुंबई में केंद्रीय लेखा एकक (सीएयू) को विभिन्न अनुभागों में वर्गीकृत किया गया है:

i) वेतन अनुभाग
ii) नकद और सामान्य अनुभाग
iii) पूर्व-लेखा परीक्षा अनुभाग
iv) जीईएम I, II और III अनुभाग
v) विदेशी मुद्रा अनुभाग
vi) स्थानीय बिल I और II अनुभाग

वेतन अनुभाग

वेतन अनुभाग मुंबई, तारापुर, विशाखापत्तनम, मैसूर और वडोदरा सहित विभिन्न स्थानों पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को भुगतान का प्रबंधन करता है।

वेतन भुगतान के अलावा, यह अनुभाग निम्नलिखित कार्य करता है:

1. सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) और अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) खातों का प्रबंधन।
2. पूरे भारत में तैनात क्रभंनि कर्मचारियों के पेंशन (सेवानिवृत्ति, वीआरएस और मृत्यु मामले) और अनंतिम पेंशन मामलों पर कार्यवाही।
3. यात्रा भत्ता और अवकाश यात्रा रियायत से संबंधित अग्रिमों का भुगतान, समय पर निपटान सुनिश्चित

करना, पीआरआईएस का भुगतान, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) डेटा अपलोड करना और निगरानी करना।

नकद एवं सामान्य अनुभाग

नकद एवं सामान्य अनुभाग सभी भुगतान-संबंधी कार्यों की देखरेख करता है। यह अनुभाग भुगतान के लिए सभी अनुभागों से प्राप्त वाउचरों पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु एक मजबूत इन-हाउस विकसित कार्यक्रम का उपयोग करता है। उल्लेखनीय रूप से, सीएयू ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान उल्लेखनीय बड़ी संख्या में लगभग 14,776 वाउचर पर आवश्यक कार्रवाई की।

नैतिकता और सादगी सीएयू द्वारा अपनाए गए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो आवंटित बजट और उसके व्यय संबंधी दोनों कार्यों में परिलक्षित होते हैं। ये गुण नैतिक आचरण और कुशल वित्तीय प्रबंधन के लिए विभाग की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।

लेन-देन प्रक्रियाओं को सरल बनाने और परेशानी मुक्त अनुभव सुनिश्चित करने के लिए, विभिन्न प्रकार के भुगतान जैसे कि बयाना जमा (ईएमडी), स्क्रैप की बिक्री, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निविदा शुल्क अब भारतकोश, भारत सरकार के गैर-कर रसीद पोर्टल के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं।

कर्मचारियों और ठेकेदारों/स्क्रैप डीलरों से वसूले गए आयकर पर टीडीएस का उचित हिसाब लगाया जाता है और मासिक/तिमाही/वार्षिक आधार पर रिटर्न दाखिल किया जाता है।

प्री-ऑडिट अनुभाग

प्रापण प्रक्रिया में विभिन्न चरण- जैसे एनआईटी शुरू करना, बोलियां प्राप्त करना, तकनीकी मापदंडों का आकलन करना, इंडेंटिंग अधिकारी से खरीद सिफारिशें प्राप्त करना और लागतों का मूल्यांकन करना। शामिल होते हैं।

जीईएम अनुबंधों के अलावा अन्य क्रय आदेश जारी करने से पहले, प्री-ऑडिट अनुभाग ऐसी खरीद फाइलों का प्री-ऑडिट करता है, जिन्हें सीपीपी पोर्टल के माध्यम से सीमित निविदा, खुली निविदा, दो-भागीय निविदा जारी करके अंतिम रूप दिया जाता है। विशिष्ट नियमों व शर्तों के साथ समेकित चिकित्सा मांगपत्रों और उसके बाद जारी किए गए दर अनुबंधों से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों को भी जारी करने से पहले प्री-ऑडिट किया जाता है।

प्रारंभ में, फॉरवर्ड नीलामी कार्यक्षमता का उपयोग करके जीईएम पर स्क्रैप की बिक्री के लिए फ्लोटिंग टेंडर के प्रस्तावों को लेखा द्वारा प्रमाणित किया जाता है। बोलियां प्राप्त होने पर, प्री-ऑडिट अनुभाग उच्चतम बोलीदाता (H1) के बिक्री आदेश और बोली स्वीकृति पत्रों को प्रमाणित करता है।

प्री-ऑडिट अनुभाग जीईएम अनुबंधों के संबंध में मूल्य मिलान के प्रस्तावों की जांच करता है और सीपीपीपी और जीईएम पोर्टल पर स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए प्रस्तावों का मूल्यांकन करता है।

प्री-ऑडिट अनुबंध या क्रय आदेश में उल्लिखित शर्तों के साथ सटीकता और अनुपालन सुनिश्चित करता है, जिससे दक्षता में वृद्धि होती है। सार्वजनिक प्रापण में दक्षता, मितव्ययिता और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए क्रय आदेश प्रस्तावित किए जाते हैं।

जीईएम अनुभाग I, II और III

ये अनुभाग जीईएम के माध्यम से किए गए अनुबंधों के तहत की गई आपूर्ति हेतु भुगतान करने के लिए जिम्मेदार

हैं। चालान, सीआरएसी, स्वीकृति आदेश, अनुबंध प्रतियां, इंडेंट फॉर्म, आईसीटी प्रमाणपत्र, पीएसडीबीजी स्वीकृति और विक्रेता के बैंक विवरण जैसे दस्तावेज़ प्राप्त होने पर, उनकी सटीकता के लिए सावधानीपूर्वक जाँच की जाती है। फिर निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान हेतु तेजी लाई जाती है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में, लगभग 9800 जीईएम बिल और लगभग 510 करोड़ रुपये के भुगतान जारी किए गए, जो इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से किए गए लेनदेन की उल्लेखनीय मात्रा को दर्शाता है।

विदेशी मुद्रा अनुभाग

विदेशी मुद्रा (एफई) अनुभाग विभिन्न तरीकों जैसे लेटर ऑफ़ क्रेडिट, वायर ट्रांसफ़र, डीआरआर (प्रेषण के लिए प्राप्त दस्तावेज़) के माध्यम से विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान से संबंधित कार्य करता है।

इसके अतिरिक्त, विदेशी मुद्रा अनुभाग अन्य संबंधित कार्यों को संभालता है जिनमें शामिल हैं:

1. सीमा शुल्क का भुगतान।
2. कस्टम हाउस एजेंट बिलों का निपटान
3. माल ढुलाई शुल्क का वितरण
4. बीमा/पुनर्बीमा भुगतानों की प्रक्रिया
5. रणनीतिक भुगतान (गुप्त परियोजनाएँ)
6. विविध बिल (निर्यात, डीएचएल एक्सप्रेस, पत्रिका सदस्यता आदि)
7. पूर्व-जमा भुगतान (कानूनी मामले)
8. अग्रिम भुगतान (कानूनी मामले)

इसके अलावा, विदेशी मुद्रा अनुभाग की जिम्मेदारी एनएफसी की ओर से 1 करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन और कस्टम हाउस एजेंट बिलों (कुछ मामलों के लिए) के लिए सीमा शुल्क के भुगतान की भी है।

स्थानीय बिल अनुभाग I और II

स्थानीय बिल अनुभाग भारतीय आपूर्तिकर्ताओं को जारी किए गए वैश्विक निविदा पूछताछ (जीटीई) अनुबंधों और विभिन्न विविध भुगतानों से संबंधित कार्य करता है। भुगतान के लिए आवश्यक कार्रवाई दस्तावेज़ीकरण पर बहुत अधिक निर्भर करती है जिसमें शामिल हैं:

1. सामग्री की प्राप्ति और स्वीकृति पर भुगतान – सीएसआरवी
2. प्रारंभिक निरीक्षण रिपोर्ट और आपूर्ति के बाद भुगतान – पीआईआर
3. सामग्री की डिलीवरी या प्राप्त करने पर भुगतान – आरडीसी
4. सहायक क्रय अधिकारी द्वारा प्रमाणित मूल शिपिंग रिलीज़।
5. निःशुल्क जारी सामग्री- इंडेंटिंग अधिकारी और सहायक भंडार अधिकारी द्वारा प्रमाणित उपयोगिता प्रमाणपत्र
6. बैंक/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रस्तुत दस्तावेजों के विरुद्ध भुगतान - पीएसडी।
7. इंडेंटिंग अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाने पर आनुपातिक / चरण भुगतान / अग्रिम भुगतान / गोपनीय मुख्यालय फाइल भुगतान। भुगतान पर कार्रवाई – 100%, 90-10%, 80-20%।
8. संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने और संबंधित क्रय अनुभाग से रिलीज़ पत्र प्राप्त होने पर पीएसडी की वापसी।

स्थानीय बिल अनुभाग की रिकॉर्ड रखने और ऑडिट के प्रयोजनों के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों जैसे चालान, मूल शिपिंग रिलीज, रसीद डिलीवरी चालान आदि को एमएमएस में स्कैन करने और अपलोड करने संबंधी जिम्मेदारी है।

ज्ञान साझा करना

क्रभंनि वस्तुओं को एक समान कोडबद्ध करने की ओर अग्रसर

एक सेवा संगठन के रूप में क्रय एवं भंडार निदेशालय का अधिदेश अनुसंधान एवं विकास, खनन, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में पऊवि संगठनों को सेवा प्रदान करना है। भंडार एकक की गतिविधियाँ माल की प्राप्ति, उसके भंडारण से लेकर उसके अंतिम निर्गमन/निपटान तक होती हैं। इस प्रक्रिया के दौरान, भंडार में प्राप्त और रखी गई प्रत्येक वस्तु को कोडबद्ध किया जाता है।

कोडीकरण का तात्पर्य इन्वेंट्री में प्रत्येक वस्तु को एक अद्वितीय, मानकीकृत कोड प्रदान करने की प्रक्रिया से है। वर्गीकरण की इस प्रणाली से अस्पष्टता के बिना सामग्रियों की पहचान करने में मदद करती है, चाहे उनका भौतिक स्थिति, प्रकार या निर्माता कुछ भी हो। कोडीकरण प्रणाली में आमतौर पर अल्फ़ान्यूमेरिक कोड का उपयोग किया जाता है जो सामग्री की विशिष्ट विशेषताओं, जैसे कि श्रेणी, विनिर्देशों या उत्पत्ति को दर्शाती है। विभिन्न स्थानों पर प्रत्येक एकक द्वारा एक ही कोडिंग संरचना का उपयोग किया जाना सुनिश्चित किए जाने पर सामग्रियों को ट्रैक करना, संग्रहीत करना और प्रबंधित करना आसान हो जाता है।

एक कोड में शब्दों, अक्षरों या प्रतीकों की एक प्रणाली होती है जिसका उपयोग वस्तुओं/सामग्रियों को दर्शाने के लिए किया जाता है। कोडिकरण में इन विवरणों को व्यवस्थित रूप से कोड में संगठित करना शामिल है, जिससे सामग्री की पहचान आसान हो सके, संचार में सुधार हो, संक्षिप्तता बनी रहे, गोपनीयता सुनिश्चित हो सके, तथा इसे सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों के साथ संगत बनाया जा सके।

कोड के प्रकार

1. संख्यात्मक कोड: संख्यात्मक कोड में केवल संख्याएँ होती हैं। संख्याओं का समूह विभिन्न वर्गों की वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला कोड है जैसे बीआईएस, आईएसओ, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ़ नोमेनक्लेचर (एचएसएन)। इस प्रकार की कोडिंग आईटी के अनुकूल है।

2. दशमलव कोड संख्यात्मक कोड होते हैं, लेकिन संख्याओं के प्रत्येक सेट के बीच दशमलव बिंदुओं का उपयोग किया जाता है।

3. वर्णमाला कोड: ये वर्णमाला के विशेष अक्षरों का उपयोग करने वाले कोड होते हैं।

4. मिश्रित कोड: यह वर्णमाला के साथ-साथ संख्यात्मक कोड का मिश्रण होता है।

5. दृश्य कोड: यह वस्तु की पहचान का सबसे सरल तरीका है, लेकिन इसका दायरा सीमित है।

6. बार कोड: हाल ही में, बार कोड का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है क्योंकि यह पूरी तरह से स्वचालित है और आईटी कार्यक्रमों के अनुकूल है।

विशिष्ट रूप से अनुकूलित सामग्रियों से जुड़ी विविध प्रकार की गतिविधियाँ जो अनुसंधान एवं विकास, खनन, उद्योग और सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवश्यक हैं। देश भर में पऊवि की सभी इकाइयों में, इन वस्तुओं में महत्वपूर्ण निवेश किया गया है, जो लाखों रुपये में है। इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए, वस्तुओं की एक समान पहचान के लिए एक विश्वसनीय प्रणाली को स्थापित किया जाना आवश्यक है। "सामग्री प्रबंधन" में सबसे रोमांचक प्रगति में से एक तर्कसंगत कोडीकरण प्रणाली को लागू किया जाना है जिसमें संगठन की आवश्यकताओं के अनुसार उपकरण, कच्चे

माल, घटकों और पुर्जों को प्रभावी ढंग से वर्गीकृत किया जाता है।

कार्यात्मक कोडीकरण के पुराने तरीके से बढ़ती हुई इन्वेंट्री और विविध स्टॉक रेंज के साथ तालमेल नहीं बिठाया रखा सकता है। इससे विभिन्न भंडारों में अलग-अलग नामों और कोड के तहत स्टॉक दोहराव के परेशान करने वाले मामले सामने आए हैं, जहाँ वस्तुएं आमतौर पर कई श्रेणियों में पाई गई हैं। इन वस्तुओं को समेकित करके, मानकीकरण को बढ़ावा देना, विविधता को कम करना और मूल्य विश्लेषण और परिचालन अनुसंधान जैसी आधुनिक सामग्री प्रबंधन तकनीकों को लागू करना संभव है।

अंततः लक्ष्य यह है कि हमारे गोदामों में आवश्यक न्यूनतम इन्वेंट्री के साथ रिटर्न को अधिकतम किया जाए। एक समान तरीके से मानकीकरण अपनाने से न केवल प्रापण सस्ता और आसान हो जाता है, बल्कि प्रतिस्थापन लागत को कम करने में भी मदद मिलती है।

क्रय एवं भंडार निदेशालय के भंडार एकक जैसे कई एककों वाले संगठन में सामग्रियों के एकसमान कोडीकरण का महत्व से कई प्रमुख लाभ प्राप्त होते हैं:

1. कई एककों में एकरूपता

भारत के विभिन्न भागों में भंडार एकक स्थित हैं अतः इन सभी के साथ एकरूपता बनाए रखने के लिए सामग्री को कोडित करना, वर्गीकृत करना और पहचानना महत्वपूर्ण है। मानकीकरण के बिना, गड़बड़ी हो सकती है, जिसके चलते त्रुटियाँ, देरी और अनावश्यक लागत का सामना करना पड़ सकता है। एक समान कोडिंग प्रणाली के जरिये सामग्रियों को सभी स्थानों पर समान रूप से पहचाना सुनिश्चित हो जाता है।

2. सरलीकृत इन्वेंट्री प्रबंधन

एक समान कोडीकरण प्रणाली केंद्रीकृत इन्वेंट्री ट्रैकिंग को सक्षम बनाती है, जिससे कई स्थानों पर बड़ी मात्रा में माल का प्रबंधन करते समय विशेष रूप से लाभ मिलता है। इससे भंडार प्रबंधकों को स्टॉक के स्तर को जल्दी से पहचानने, सामग्रियों को फिर से ऑर्डर करने और गोदाम में और बाहर माल की आवाजाही को ट्रैक करने में मदद मिलती है। इससे स्टॉक ख़त्म होने या अधिक स्टॉक होने की संभावना कम हो जाती है और इन्वेंट्री का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित होता है।

3. बेहतर प्रापण प्रक्रिया

जब अलग-अलग एकक समान कोडीकरण प्रणाली का अनुसरण करते हैं, तो प्रापण का कार्य अधिक कुशल हो जाता है। खरीदार कोडित प्रणाली के आधार पर आसानी से सामग्री, विनिर्देशों और आपूर्तिकर्ताओं की पहचान कर सकते हैं, जिससे आदेश जारी करना, कीमतों पर बातचीत करना और खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना आसान हो जाता है। यह स्थिरता सुनिश्चित करती है कि भारत भर में स्थित सभी इकाइयों के लिए सही सामग्री खरीदी जाए, जिससे गलतियों की संभावना कम हो और समग्र आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार हो।

4. सुव्यवस्थित संचार और रिपोर्टिंग

एक समान कोडीकरण से स्पष्ट संचार और बेहतर रिपोर्टिंग की जा सकती है। चाहे स्टॉक की स्थिति के बारे में हो या सामग्री के उपयोग के बारे में जानकारी साझा करना हो, एक मानकीकृत प्रणाली से यह सुनिश्चित हो जाता है कि सभी इकाइयों की राय एक ही हों। समय लेने वाले डेटा समाधान की आवश्यकता के बगैर, सभी स्थानों पर इन्वेंट्री की स्थिति का व्यापक अवलोकन देने हेतु प्रत्येक स्तर पर रिपोर्ट तैयार की जा सकती है।

5. बेहतर अनुपालन और ऑडिटिंग

एक मानकीकृत कोडीकरण प्रणाली उद्योग विनियमों और ऑडिटिंग प्रक्रियाओं के अनुपालन को सरल बनाती है। सभी सामग्रियों को एक समान कोड के तहत वर्गीकृत करने से, ऑडिट अधिक कुशलता से किए जा सकते हैं और नियामक आवश्यकताओं को आसानी से पूरा किया जा सकता है।

संक्षेप में, एक समान कोडीकरण प्रणाली के लाभ परिचालन दक्षता में सुधार से कहीं अधिक हैं।

एक समान कोडिंग के अतिरिक्त लाभ हैं,

लागत में बचत: समान कोडीकरण से त्रुटियों, स्टॉक विसंगतियों और ओवरस्टॉकिंग की संभावनाओं को कम किया जा सकता है, साथ ही इन्वेंट्री से संबंधित लागतों को कम करने में मदद मिलती है। जब सामग्री आसानी से पहचानी और वर्गीकृत की जा सकती है, तो वह संगठन आपूर्तिकर्ताओं के साथ बेहतर कीमतों पर बातचीत भी कर सकते हैं।

तेजी से निर्णय लेना: इन्वेंट्री और सामग्री की स्थिति में स्पष्ट दृश्यता के साथ, प्रबंधक तेज़ी से और अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं, चाहे वह प्रापण, वितरण या मांग के पूर्वानुमान के बारे में हो।

आपूर्तिकर्ता के साथ बेहतर संबंध: एक समान कोडिंग प्रणाली से आपूर्तिकर्ता आसानी से सामग्री के ऑर्डर की पहचान करने और उन्हें पूरा कर पाते हैं, जिससे सुचारू लेनदेन और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित होती है।

मापनीयता (स्केलेबिलिटी): जैसे-जैसे संगठन नए क्षेत्रों में विस्तार करते हैं या अपने संचालन को बढ़ाते हैं, एक समान कोडीकरण प्रणाली को अंतर्निहित बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव किए बिना कुशलतापूर्वक विस्तारित किया जा सकता है।

भारत भर में एक समान कोडीकरण को लागू करने में चुनौतियाँ

हालाँकि एक समान कोडीकरण के लाभ स्पष्ट हैं, संगठनों को ऐसी प्रणालियों को लागू करने में डेटा माइग्रेशन और एकीकरण जैसी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जिन संगठनों में पुरानी प्रणालियां हैं, उनके लिए मौजूदा डेटा को नई समान कोडिंग प्रणाली में अंतरित करना समय लेने वाला और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अतः सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाना, डेटा का सत्यापन और मौजूदा सॉफ़्टवेयर सिस्टम के साथ एकीकरण की आवश्यकता होती है।

एक समान कोडीकरण को लागू करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाएं

क्रभंनि भंडारों और भारत में स्थित पऊवि के इकाइयों के नेटवर्क में एक समान कोडीकरण प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए, संगठनों को निम्नलिखित सर्वोत्तम प्रथाओं पर विचार करना चाहिए:

1. एक स्पष्ट और सरल कोडिंग संरचना विकसित करना: यह सुनिश्चित करना कि कोडिंग प्रणाली सहज हो और सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा आसानी से समझी जा सके। एक तार्किक पदानुक्रम का उपयोग करना जो सामग्री को कार्य, प्रकार या विनिर्देशों के आधार पर वर्गीकृत करता हो।

2. स्वचालन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना: कोडीकरण प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए आधुनिक सॉफ़्टवेयर टूल और इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणालियों का लाभ उठाएं। इससे मानवीय त्रुटि कम

हो सकती है और सामग्री ट्रैकिंग की सटीकता में सुधार हो सकता है।

3. सभी इकाइयों में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना: सभी स्थानों पर कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित करें ताकि उन्हें नई कोडीकरण प्रणाली से परिचित कराया जा सके। यह सुनिश्चित किया जाए कि बेहतर समझ के लिए प्रशिक्षण सामग्री स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध हो।

4. निरंतर निगरानी और अपडेट: कोडीकरण प्रणाली की नियमित समीक्षा करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह प्रभावी रूप से काम कर रही है। आवश्यकतानुसार प्रणाली को (गतिशील होने के नाते) अनुकूलित और संशोधित करें ताकि बदलती व्यावसायिक आवश्यकताओं और बाजार स्थितियों को पूरा किया जा सके।

5. डेटा अखंडता को सुनिश्चित करना: यह सुनिश्चित करें कि सभी सामग्रियों को सही ढंग से कोड किया गया है, और डेटा में किसी भी विसंगति को तुरंत हल किया गया है। इन्वेंट्री सिस्टम की सटीकता बनाए रखने के लिए नियमित ऑडिट किए जाने चाहिए।

निष्कर्ष

भारत भर में फैली इकाइयों वाले किसी संगठन में, सामग्रियों का एक समान कोडीकरण कार्यकुशलता में सुधार, त्रुटियों को कम करने और समग्र आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति है। हालाँकि शुरू में चुनौतियाँ हो सकती हैं, लेकिन सुव्यवस्थित संचालन, बेहतर संचार, लागत बचत और मापनीयता जैसे इसके दीर्घकालिक लाभ इसमें आनेवाली प्रारंभिक बाधाओं से कहीं अधिक हैं। एक समान कोडीकरण प्रणाली की दिशा में अपने कदम में क्रय एवं भंडार निदेशालय ने उन कर्मियों की पहचान करने में पहला कदम उठाया है जो इस विशाल कार्य का नेतृत्व करेंगे। वे एक समान कोडिंग प्रणाली को तैयार करने और उसे लागू करने से पहले उक्त कार्यप्रणाली को समझने के लिए हमारे जैसे अन्य संगठनों जैसे कि एमएपीएस, एनपीसीआईएल, रेलवे, सार्वजानिक क्षेत्र के उपक्रम या हमारे देश भर में उपलब्ध सुव्यवस्थित निजी क्षेत्रों जैसे अन्य संगठनों का दौरा करेंगे।

एक मानकीकृत कोडिंग प्रणाली को अपनाकर, संगठन सुचारू संचालन, तेजी से निर्णय की प्रक्रिया और अधिक कुशल संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित कर सकते हैं, जिससे वे तेजी से बढ़ रहे प्रतिस्पर्धी बाजार में सफलता के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं।

जीईएम प्रापण को आसान बनाया गया - क्या यह हकीकत है?

अगस्त 2016 में अपनी शुरुआत के बाद से और जीएफआर के नियम 149 में परिभाषित अधिदेश के साथ, सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) पोर्टल ने सार्वजनिक प्रापण के क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करने में लंबी छलांग लगाई है। जीईएम, जो शुरू में सार्वजानिक प्रापण के लिए एक अन्य पोर्टल के रूप में शुरू हुआ था, अब सभी पात्र सार्वजानिक प्रापण से संबंधित गतिविधियों को करने के लिए मुख्य पोर्टल के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। यह एक फेसलेस और गतिशील प्रणाली है, जिसमें प्रापण के लिए एंड-टू-एंड समाधान मिलता है, तथा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए एक पारदर्शी, कुशल और उपयोगकर्ता के अनुकूल मंच प्राप्त होता है। इस ऑनलाइन मार्केटप्लेस ने देरी को कम करके, पारदर्शिता बढ़ाकर और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर प्रापण प्रक्रिया में काफी सुधार किया है। जीईएम का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह सरकारी प्रापण में पारदर्शिता लाता है। पारंपरिक प्रापण विधियों की अक्सर बोझिल और भ्रष्टाचार से ग्रस्त होने के लिए आलोचना की जाती थी। जीईएम एक डिजिटल, एंड-टू-एंड प्रापण प्रणाली प्रदान करके इन अक्षमताओं को समाप्त करता है। स्वचालित कार्यप्रवाह, ई-बोली और रिवर्स नीलामी निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और वस्तुओं और सेवाओं के लिए सर्वोत्तम मूल्य सुनिश्चित होता है।

जीईएम प्रापण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिसमें प्रक्रिया प्रवाह में अच्छी तरह से परिभाषित चरण शामिल हैं: क्रेता और आपूर्तिकर्ता दोनों द्वारा पंजीकरण, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उत्पाद सूचीकरण, क्रेता द्वारा उत्पाद सूची का मूल्यांकन, उपयोगकर्ता विभाग से सहायक तकनीकी इनपुट लेकर क्रेता द्वारा या तो प्रत्यक्ष खरीद या बोली के माध्यम से प्रापण प्रक्रिया की शुरुआत, उपयोगकर्ता विभाग की उचित तकनीकी योग्यता की मदद से क्रेता द्वारा प्रस्तावों का मूल्यांकन, अनुबंध किया जाना, प्राप्त आपूर्ति की स्वीकृति, आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान।

मेनू संचालित इन पूर्व-निर्धारित चरणों से यह सुनिश्चित हो जाता है कि संपूर्ण प्रापण जीवन-चक्र एक निर्धारित समय सीमा के भीतर और किसी भी चरण में बिना किसी अस्पष्टता के पूरा हो जाए। उदाहरण के लिए, बोली की तैयारी के दौरान तैयार किए गए नियम और शर्तें जो अंततः अनुबंध का हिस्सा बनती हैं, यह सुनिश्चित करती हैं कि अनुबंध निर्माण के दौरान बाद में कोई निविदा-पश्चात शर्तें शामिल न की जाएं, आपूर्ति की स्वीकृति, भुगतान जारी करने जैसी आपूर्ति के बाद की प्रक्रियाओं को नियमित करने हेतु तय की गई समय-सीमा से यह सुनिश्चित होता है कि आपूर्तिकर्ताओं को उनके द्वारा की गई आपूर्ति के लिए समय पर भुगतान प्राप्त हो। इसके अलावा, सार्वजनिक प्रापण नीतियों का पालन सुनिश्चित किया जाता है क्योंकि पोर्टल खरीद चक्र के सभी प्रासंगिक चरणों में इसके अनुपालन के लिए संकेत देता है और ऐसा न करने पर पोर्टल में आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिलती है। आदेश की स्थिति, भुगतान तथा नीतिगत परिवर्तनों के बारे में त्वरित सूचनाएं बेहतर संचार और ट्रैकिंग सुनिश्चित करती हैं।

जीईएम विक्रेताओं से सीधी खरीद को सक्षम बनाता है, बिचौलियों को खत्म करता है, जिससे लागत कम होती है। इस प्लेटफ़ॉर्म से पारदर्शी बोली प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण को बढ़ावा मिलता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सरकारी एजेंसियाँ न्यूनतम संभव दरों पर उत्पाद और सेवाएँ प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त, कई विकल्पों की तुलना करने की क्षमता से लागत-प्रभावी निर्णय लेने को बढ़ावा मिलता है। प्रत्यक्ष खरीद, उत्पाद आईडी आधारित बोली, कस्टम या बीओक्यू बोली जैसी प्रापण प्रक्रिया की कार्यक्षमताओं की वजह से प्रापण प्रक्रिया बहुत आसान हो गई है।

प्रत्यक्ष खरीद की कार्यक्षमता से खरीदार विभिन्न सूचीबद्ध उत्पादों में से अपनी विशिष्टताओं के अनुरूप वस्तुओं की तत्काल खरीद सुनिश्चित कर पाते हैं। जीईएम को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया गया है, जिससे सरकारी खरीदार आसानी से उत्पादों की खोज कर सकते हैं, कीमतों की तुलना कर सकते हैं और ऑर्डर दे सकते हैं। उत्पाद आईडी आधारित बोली प्रक्रिया के कारण, क्रेता पोर्टल में उपलब्ध विकल्पों का चयन करके प्रापण के सभी नियमों और शर्तों को पहले से ही परिभाषित कर पाता है, जिससे संभावित विक्रेताओं से प्रासंगिक प्रस्ताव प्राप्त होना सुनिश्चित होता है। कस्टम या बीओक्यू बोली की कार्यक्षमता से खरीदार ऐसी वस्तुओं की खरीद करने में सक्षम हो जाता है जो पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हैं। हालाँकि ऐसी बोलियों के लिए प्राप्त प्रस्तावों की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता को जीईएम द्वारा सत्यापित नहीं किया जाता है, जबकि उत्पाद आईडी आधारित बोली के लिए प्राप्त प्रस्तावों की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की पुष्टि नहीं की जाती है, फिर भी क्रेता द्वारा प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन में विवेकशीलता सुनिश्चित करने से यह सुनिश्चित होगा कि प्रापण प्रक्रिया प्रभावी हो सके।

यह प्लेटफॉर्म छोटे और बड़े दोनों तरह के विक्रेताओं के लिए सुलभ है, जो समान अवसर सुनिश्चित करता है। पंजीकरण सरल है, और आधार, पैन और बैंक खातों को एकीकृत किये जाने पर व्यवसायों के लिए लेन-देन को सरल हो जाता है और हितधारकों की विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है। जीईएम सरकारी प्रापण में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की भागीदारी को बढ़ाने में सहायक रहा है। एक प्रत्यक्ष और पारदर्शी मंच प्रदान किये जाने से, छोटे व्यवसाय बिना किसी बाधा के बड़ी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। सरकार तरजीही नीतियों के माध्यम से एमएसएमई को बढ़ावा देती है, जिससे उनकी वृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित होती है।

संक्षेप में यह एक वास्तविकता है कि जीईएम ने वास्तव में सार्वजानिक प्रापण को काफी हद तक सरल बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। जीईएम ने खरीद प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी, कुशल और लागत प्रभावी बनाकर बदल दिया है। बिचौलियों को खत्म करके, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देकर, जीईएम ने सरकारी संस्थाओं के लिए प्रापण की आसानी में काफी सुधार किया है। हालाँकि, यह भी एक तथ्य है कि ऐसी कई विशेषताएं हैं जो अभी भी जीईएम पर उपलब्ध नहीं हैं और इसलिए कुछ प्रकार के प्रापण के लिए जीईएम का उपयोग सीमित है। निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देने से भी जीईएम की शोभा बढ़ेगी, जैसे उत्पादों- विशेष रूप से कम लागत वाली सामग्रियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जाँच को शामिल करना, केवल इन कम लागत वाली सामग्रियों के लिए स्थानीयकृत एमएसई को अनुमति देने वाली विशेषताएं (जीईएम में लागत सामग्री विशेषताओं को ठीक करके) जो गुणवत्ता सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल आवश्यक हैं। स्टार्ट-अप को खरीदारों द्वारा तय किये गए नियमों का पालन करना मुश्किल लग रहा है, जिसे विक्रेता-क्रेता बैठकों के माध्यम से हल किया जा रहा है। दूरदराज के स्थानों के सूक्ष्म विक्रेताओं के लिए इंटरनेट सुविधा/सर्वर उपलब्धता तक समान पहुँच प्रदान करना बहुत आवश्यक है, ऐसा न करने पर उनकी भागीदारी सीमित हो सकती है जिससे उन विक्रेताओं के लिए एकाधिकार वाले मैक्रो आपूर्तिकर्ताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो सकता है।

गतिशील होने के कारण, निरंतर प्रगति और अद्यतनों तथा नए संस्करण के अपेक्षित तरीके से शामिल किये जाने के साथ, जीईएम का भविष्य आशाजनक दिखता है तथा पोर्टल में सार्वजानिक प्रापण के लिए नए मानक स्थापित करने की क्षमता है, जिससे सरकार और व्यवसाय दोनों को लाभ होगा।

विक्रेता-क्रेता सम्मेलन - वास्तविक अर्थों में पारदर्शिता

क्रभंनि, पऊवि के माध्यम से सार्वजनिक प्रापण में विक्रेता की भागीदारी को मजबूत करना

प्रापण प्रक्रिया में विश्वास होना और प्रतिबद्धता इसकी रीढ़ है तथा क्रेता और विक्रेता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह जवाबदेही, समावेशिता और पारदर्शिता के माध्यम से बनाए रखा गया एक सहजीवी संबंध है। रणनीतिक और संवेदनशील सार्वजानिक प्रापण के क्षेत्र में, पारदर्शिता केवल एक सिद्धांत नहीं है- अपितु यह एक अनिवार्य आवश्यकता है। परमाणु ऊर्जा विभाग (पऊवि) के तहत प्रापण के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी के रूप में, क्रय एवं भंडार निदेशालय (क्रभंनि) यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि प्रापण प्रक्रियाएँ ईमानदारी, निष्पक्षता, समावेशिता और उच्च स्तर की पारदर्शिता के उच्चतम मानकों के साथ संचालित की जाती हैं। इस प्रयास में सबसे प्रभावी साधनों में से एक विक्रेता-क्रेता सम्मेलन रहा है – यह एक ऐसा मंच है जो विशेष रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) की भागीदारी को बढ़ावा देने में "सच्चे अर्थों में पारदर्शिता" का उदाहरण प्रस्तुत करता है।

पऊवि की अनूठी प्रापण आवश्यकताओं में कड़े मानकों, विशेष परिरक्षण सामग्री, अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरण और विशेष सेवाओं से जुड़े उच्च परिशुद्धता इंजीनियरिंग घटक शामिल हैं - जिसके लिए एक विश्वसनीय और उत्तरदायी विक्रेता आधार की आवश्यकता होती है। हालाँकि, क्रभंनि समझता है कि कई सक्षम एमएसई अक्सर अवसरों, प्रक्रियाओं या तकनीकी अपेक्षाओं से अनजान होते हैं। विक्रेता क्रेता बैठक विक्रेताओं के लिए एक प्रवेश द्वार प्रदान करती है और पहुँच संबंधी अंतर को कम करने हेतु क्रेताओं और विक्रेताओं दोनों को जोड़ती है।

विक्रेता क्रेता बैठक क्रय एवं भंडार निदेशालय के क्रय अधिकारियों और विक्रेताओं के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करती है, जिससे जिससे उन्हें आगामी आवश्यकताओं और निविदा अवसरों को समझने, विनिर्देशों और अनुपालन मानदंडों को स्पष्ट करने, ई-खरीद प्रणालियों, जीईएम एकीकरण, विक्रेता पंजीकरण प्रक्रियाओं के बारे में जानने और सुझावों या चिंताओं को साझा करने में मदद मिलती है जो प्रापण संबंधी रणनीतियों को परिष्कृत करने में मदद कर सकती हैं।

क्रय एवं भंडार निदेशालय में, पारदर्शिता हर खरीद गतिविधि के ताने-बाने में अंतर्निहित है। विक्रेता क्रेता बैठक कई ठोस तरीकों से इस प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करती है। खुली प्रस्तुतियों और चर्चाओं के माध्यम से, विक्रेता सीधे क्रय एवं भंडार निदेशालय के साथ बातचीत करते हैं, जिससे व्याख्या या संचार संबंधी त्रुटियों की संभावना कम हो जाती है। सभी विक्रेताओं, चाहे वे नए प्रवेशक हों या मौजूदा आपूर्तिकर्ता, के साथ समान व्यवहार किया जाता है और उन्हें अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए उचित मंच दिया जाता है। विक्रेता क्रेता सम्मेलन के दौरान, भाग लेने वाले विक्रेताओं को एमएसई और स्टार्टअप्स को दिए जाने वाले लाभों जैसे ईएमडी छूट, एमएसई और एमआईआई खरीद वरीयता आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन के आधार को समझाकर विक्रेता मूल्यांकन मानदंड पर स्पष्टता प्रदान की जाती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि विक्रेता यह समझें कि सफल बोली क्या होती है।

बोली लगाते समय क्या करें और क्या न करें, विनिर्देशों और अन्य नियमों और शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बारे में विक्रेताओं को स्पष्ट जानकारी और मार्गदर्शन मिलता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे

तकनीकी शब्दजाल या दस्तावेज़ीकरण अंतर के कारण अनजाने में बोली से बाहर न हो जाएं।

क्रय एवं भंडार निदेशालय द्वारा आयोजित विक्रेता क्रेता सम्मेलन क्षमता निर्माण के लिए उत्प्रेरक हैं, जिसमें विक्रेताओं को प्रक्रियात्मक अनुपालन, दस्तावेज़ीकरण और निविदा बारीकियों पर स्पष्टता मिलती है। विक्रेता क्रेता सम्मेलन में भाग लेने वाले कई नए विक्रेता पऊवि की इकाइयों के लिए सफल दीर्घकालिक आपूर्तिकर्ता बन जाते हैं।

विक्रेता क्रेता सम्मेलनों में पारदर्शिता बनी रहती है, लेकिन क्षेत्र-विशिष्ट और क्षेत्र-वार सम्मेलनों का आयोजन करके, देश भर के विक्रेताओं तक पहुँचने के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का लाभ उठाकर, व्यापक पारदर्शिता के लिए विक्रेता क्रेता सम्मेलन के परिणामों और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का दस्तावेज़ीकरण और प्रकाशन करके, भविष्य की प्रापण प्रथाओं को बेहतर बनाने हेतु संरचित प्रतिक्रिया तैयार करके इसका दायरा बढ़ाया जाता है। एमएसएमई निदेशालय, एनएसआईसी आदि जैसे संगठनों द्वारा आयोजित आमंत्रित विक्रेता क्रेता सम्मेलनों में क्रय एवं भंडार निदेशालय भी सक्रिय रूप से भाग लेता है, जो अन्य सरकारी विभागों/मंत्रालयों के विक्रेताओं और प्रतिभागियों के व्यापक स्पेक्ट्रम के साथ बातचीत करने का एक उत्कृष्ट अवसर है, जिसके परिणामस्वरूप उद्योग निकायों और एमएसएमई संघों के साथ-साथ अन्य सरकारी विभागों/मंत्रालयों के साथ मजबूत सहयोग होता है।

विक्रेता क्रेता सम्मेलन जैसी पहलों के माध्यम से क्रय एवं भंडार निदेशालय न केवल प्रापण को सरल बना रहा है - बल्कि भारतीय उद्योग के लिए एक पारदर्शी, समावेशी और सहभागी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण भी कर रहा है। इन विक्रेता क्रेता सम्मेलनों में एमएसई को सबसे आगे रखकर, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और नवाचार संचालित औद्योगिक आधार का निर्माण कर सकता है, यह सुनिश्चित होगा कि प्रापण केवल एक लेनदेन नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय विकास की रणनीति है।

ये कार्य इस बात का उदाहरण हैं कि पारदर्शिता को जब भावना और व्यवहार में संस्थागत रूप दिया जाता है, तो यह प्रापण को अनुपालन कार्य से राष्ट्रीय विकास के रणनीतिक प्रवर्तक में परिवर्तित कर सकती है।

क्रभंनि: युवा मस्तिष्क प्रदर्शन, भागीदारी और बदलाव करता है

आज के युवा कल के नेता हैं - यह एक ऐसा तथ्य है जो अनगिनत युवा दिमागों द्वारा लगातार वैश्विक स्तर पर सीखने, बढ़ने और बदलावों को अपनाने के द्वारा बार-बार सिद्ध किया गया है। आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट का उपयोग करके दुनिया को प्रभावित किया जा सकता है, और आज के युवा ऐसे महत्वपूर्ण बदलावों के पीछे प्रेरक शक्ति हैं। जेन-एक्स, मिलेनियल्स और जेन-जेड के बीच का अंतर केवल परवरिश से कहीं अधिक है- तकनीकी, सामाजिक-पर्यावरणीय और मनोवैज्ञानिक अंतर राय, विश्वदृष्टि और कार्यप्रणाली में व्यापक भिन्नता को सुनिश्चित करते हैं। आज की दुनिया में जहाँ हर दिन नए नवाचार पेश किए जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में आधुनिक कार्यबल में अब युवाओं को दूर रखने का जोखिम नहीं उठाया जा सकता।

कोई संगठन उतना ही अच्छा होता है जितना उसके संसाधन होते हैं, और क्रभंनि ने अपने सबसे विविध संसाधनों में से एक – अपने युवा कार्यबल का उपयोग करने में महत्वपूर्ण काम किया है। प्रशासनिक सहायता, नीति कार्यान्वयन, डिजिटलीकरण और आईटी सहायता और डेटा विश्लेषण में उनका विशिष्ट रूप से उपयोग किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में, क्रभंनि में युवा कार्यबल में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विभिन्न भर्ती अभियानों के माध्यम से 200 से अधिक नए कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है, जिससे डीपीएस के कार्यबल में एक नई ऊर्जा आई है – वर्ष 2020 के बाद से ऐसे नए कर्मचारियों के लिए छह महीने की लंबी अवधि का परिचयात्मक प्रशिक्षण लेना भी आवश्यक किया गया है। इसके परिणाम सहयोगात्मक टीमवर्क से लेकर सकारात्मकता और समावेशिता को बढ़ावा देने तक बहुत आश्चर्यजनक रहे हैं, नए नियुक्त लोगों ने बार-बार युवा दिमागों के एक मजबूत प्रशिक्षित कार्यबल के महत्व को दिखाया है।

क्रभंनि ने पिछले कुछ वर्षों से, अपने कार्य चक्र के हर पहलू में युवा कर्मचारियों को शामिल करने का ईमानदार प्रयास किया है। संगठन के वरिष्ठ अधिकारी इन युवा दिमागों को दिन-प्रतिदिन के कार्य, प्रापण प्रक्रिया की पेचीदगियों, सरकारी नीतियों की व्याख्या और कार्यान्वयन आदि का ज्ञान देकर प्रोत्साहित और पोषित करते हैं और तथा नए नियुक्त लोगों को अपनाने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। नए विचार प्रचुर मात्रा में हैं, लेकिन खामियों को दूर करने और अच्छे विचारों को प्रोत्साहित करने हेतु विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। इसके परिणामस्वरूप युवा कर्मचारियों का समूह नीति कार्यान्वयन से लेकर निर्णय लेने तथा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) एवं कार्रवाई अनुमोदन पदानुक्रम जैसी प्रमुख उपलब्धियों को डिजाइन कर उन्हें निष्पादित करने में सक्रिय भागीदार बन रहा है। वे प्रापण प्रक्रिया और नीतियों में नवीनतम महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए इंडेंटिंग अधिकारियों को लक्षित करने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं।

आज के युवाओं के महत्व पर जोर देना और हम जिस डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं उसका उल्लेख न करना चूक होगी। डिजिटलीकरण पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है – जो सार्वजनिक सेवा के दोनों अपरिहार्य साधन हैं। तकनीकी क्रांति के साथ बढ़ते हुए, आज के युवा दिमाग इनसे निपटने के लिए अद्वितीय रूप से सुसज्जित हैं और इन उपकरणों का अपने पक्ष में उपयोग करने के लिए सुझाव प्रदान करते हैं, और उन्होंने क्रभंनि में कागज-रहित कार्यालय प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु बनाई गई टीम का हिस्सा होने के दौरान उचित परिश्रम का प्रदर्शन किया है।

यह युवा कर्मचारियों के प्रतिभाशाली समूह के समग्र

स्वभाव का ही प्रमाण है कि स्वच्छ भारत अभियान और मराठी भाषा दिवस जैसी गैर-खरीद सरकारी नीतियों को किसी भी अन्य कार्य की तरह समान उत्साह और समर्पण के साथ मनाया जाता है। जीवन के प्रति उत्सुक, भावुक और जोश से भरे- क्रभंनि के युवा कर्मचारी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लेखन, निर्देशन करते हैं और उनमें भाग लेते हैं और अपने भावपूर्ण प्रदर्शन से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। क्रभंनि वर्तमान में मानव संसाधन विंग स्थापित करने की प्रक्रिया में है- और युवा कार्यबल इसके लिए एक प्रमुख प्रेरक शक्ति रहा है। वे चुनौतीपूर्ण और अनूठी सोच के लिए उपयोग किए जाने वाले कर्मचारियों की एक रचनात्मक टीम अर्थात मेक ए डिफरेंस (एमएडी) समूह के गठन में भी भाग ले रहे हैं- इस भूमिका को निभाने के लिए वे पूरी तरह से तैयार हैं।

व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक विकास की इच्छा और इस दुनिया में बदलाव लाने की गहरी जिम्मेदारी से प्रेरित, और संगठन में वरिष्ठों के अविश्वसनीय प्रोत्साहन, मार्गदर्शन और सहयोग से समर्थित, ये युवा कर्मचारी अपने कौशल को बढ़ाने और अपने काम में बेहतर योगदान देने के लिए आगे के प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और विविध क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त करने के अवसरों की सक्रिय रूप से तलाश करते हैं। इस अमूल्य संपत्ति का उपयोग करके, क्रभंनि भीड़ से अलग खड़ा होने में और अपनी एक स्थायी छाप छोड़ने में कामयाब हो रहा है।

ग्राहक संतुष्टि - लिटमस टेस्ट

क्रय एवं भंडार निदेशालय (क्रभंनि) परमाणु ऊर्जा विभाग के लिए सामग्रियों के प्रापण और प्रबंधन कार्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परमाणु अनुसंधान एवं विकास की मुख्य गतिविधि के अलावा, परमाणु ऊर्जा विभाग की गतिविधियाँ कृषि, चिकित्सा, स्वास्थ्य देखभाल और खाद्य के क्षेत्र में विकिरण प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में भी फैली हुई हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग की आवश्यकता इसकी परिष्कृत, जटिल, रणनीतिक आवश्यकता के कारण अद्वितीय प्रकृति की है और इसके लिए तकनीकी क्षमता और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद के प्रापण की आवश्यकता होती है।

क्रभंनि का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा निर्दहरित नियमों, विनियमों, आदेशों और दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन में परमाणु ऊर्जा विभाग की सामग्री प्रबंधन गतिविधियों को प्रभावी और कुशल तरीके से पूरा करना है। इसका मुख्य ध्यान औद्योगिक, अनुसंधान एवं विकास और अन्य सेवा इकाइयों के लिए काम करना और वर्ष 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग को समर्थन देना है।

सामग्री प्रबंधन प्रक्रिया में ग्राहक संतुष्टि की ओर अग्रसर रहते हुए, मुख्य ध्यान सभी हितधारकों, मांगकर्ता अधिकारी, क्रय एवं भंडार एककों, लेखा एककों तथा आपूर्तिकर्ताओं के साथ सामंजस्य में काम करना है।

कुशल प्रापण कार्य के लिए निविदाएँ जारी करने से लेकर आवश्यक भण्डारों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तक-समय पर मांगपत्रों की प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। इसलिए, यह अपरिहार्य है कि मांगकर्ता अधिकारियों को मेक इन इंडिया जैसी सरकारी सार्वजानिक प्रापण नीतियों, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) आदि के लिए समर्थन तथा वैश्विक आयातों के लिए दिशा-निर्देशों के बारे में जागरूक किया जाए, जो प्रापण दक्षता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्रभंनि अपने निदेशक के मार्गदर्शन में, मांगकर्ता अधिकारियों के लिए इंटरैक्टिव सत्र तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुविधाजनक बनाने के लिए समर्पित टीमों का गठन किया गया है। मांगकर्ताओं के लिए पाक्षिक इंटरैक्टिव सत्र निर्धारित किया गया है, जिससे उन्हें सहायता या मार्गदर्शन प्राप्त करने तथा अपने मांगपत्रों की स्थिति जानने या सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस उद्देश्य के लिए एक अलग ईमेल आईडी भी बनाई गई है। इन पहलों का उद्देश्य मांगकर्ता अधिकारियों को बार-बार संचार के कारण होने वाली देरी को कम करने के लिए सटीक और व्यापक रूप से मांगपत्र प्रस्तुत करने में सक्षम बनाना है। इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप कार्य प्रवाह में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और क्रय एकक और उपयोगकर्ता विभाग के बीच बेहतर समझ विकसित हुई है।

भंडार ने अनेक वस्तुओं को वर्गीकृत किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मांगकर्ता अधिकारी केवल तभी मांगपत्र जारी करे जब आवश्यक वस्तु स्टॉक में उपलब्ध न हो। इस दृष्टिकोण के चलते स्टॉक अधिक हो जाने (ओवरस्टॉकिंग) को रोकने में मदद मिली है और इन्वेंट्री लागत को कम हुई है। माल प्राप्ति, निरीक्षण और संस्थापन रिपोर्ट तैयार करने सहित सभी लेन-देन सामग्री प्रबंधन प्रणाली (एमएमएस) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज किए जाते हैं। पोर्टल में सभी संबंधित भंडार लेखा अभिलेखों को भी बनाए रखा जा जाता है। यह डेटा मांगकर्ता अधिकारियों, क्रय और लेखा एककों के लिए सुलभ है। परिणामस्वरूप, मांगकर्ता अधिकारी आपूर्ति की स्थिति को ट्रैक कर सकता है, तथा लेखा

एकक भुगतान को तुरंत संसाधित करने के लिए बेहतर ढंग से सक्षम हो जाता है।

लेखा एकक की आपूर्तिकर्ताओं को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी है। क्रय और भंडार एकक, और मांगकर्ता अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी प्रासंगिक दस्तावेज़ लेखा एकक को उपलब्ध कराए जाएँ। पोर्टल सभी हितधारकों के साथ एकीकृत है, जिससे भुगतान की स्थिति और उसके विवरण की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग की जा सकती है। एमएमएस पोर्टल वर्तमान में उन्नयन का कार्य चल रहा है।

सार्वजानिक प्रापण एजेंसी के रूप में, क्रभंनि पारदर्शिता, निष्पक्षता सुनिश्चित करने और सभी बोलीदाताओं को समान अवसर प्रदान करने तथा प्रतिस्पर्धी बोली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह है। अधिकांश निविदाएं जीईएम पोर्टल, एक एकीकृत और फेसलेस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से संसाधित की जाती हैं। इस प्लेटफ़ॉर्म में विक्रेता के साथ-साथ खरीदार को स्पष्टीकरण मांगने की सुविधा भी है। भुगतान, ईएमडी रिफंड और बैंक गारंटी रिटर्न से संबंधित आपूर्तिकर्ताओं के प्रश्नों को हल करने के लिए क्रभंनि में एक समर्पित हेल्पडेस्क स्थापित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, क्रभंनि "मेक इन इंडिया" पहल को बढ़ावा देने और वैश्विक निविदा पूछताछ के माध्यम से प्रापण की गई वस्तुओं के स्वदेशीकरण की सुविधा हेतु अपने विक्रेता विकास कार्यक्रम को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है। विक्रेताओं को अपनी नई तकनीक प्रदर्शित करने और हमारी रणनीतिक आवश्यकता पर प्रभाव डालने के लिए आमंत्रित करते हुए प्रदर्शनियाँ आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा, यह विभाग प्रभावी बोली लगाने और प्रापण मानकों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु नियमित रूप से विक्रेता बैठक आयोजित कर रहा है।

क्रभंनि अपने सॉफ्टवेयर में सुधार और स्वचालन कर रहा है, तथा सभी हितधारकों को एक एकीकृत मंच में शामिल कर रहा है। इससे न केवल दक्षता और गति बढ़ी है बल्कि पारदर्शिता में भी काफी सुधार हुआ है। डिजिटलीकरण ने प्रतिस्पर्धा को और बढ़ाया है।

ग्राहक सेवा- लिटमस टेस्ट इस बात को दर्शाता है कि क्या प्रापण प्रक्रिया में शामिल सभी हितधारकों को प्रतिक्रिया, समय पर समर्थन, वास्तविक समय ट्रैकिंग और एक सामान्य मंच पर पहुंच मिलती है और क्रभंनि अपने ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु कड़ी मेहनत कर रहा है। मुख्य भूमिका निभाने वाले व्यक्ति कर्मचारी हैं। उनकी नैतिकता और कार्यकुशलता में सुधार लाने हेतु प्रशासन इकाई द्वारा मानव संसाधन सुधार कार्यक्रम तैयार किया गया है। कर्मचारी मान्यता कार्यक्रम, व्यावसायिक विकास के अवसर, स्वास्थ्य पहल, टीम निर्माण कार्यक्रम सभी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं।

क्रभंनि ने पारंपरिक तरीके से लेकर डिजिटलीकरण तक, समग्र रूप से सामग्री प्रबंधन प्रणाली में व्यापक बदलाव किया है, जिससे उत्कृष्टता हासिल हुई है।

प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: एक संगठन एक प्रणाली

आज के तेज गति वाले डिजिटल युग में, खंडित तकनीकी प्रणालियाँ बड़े संगठनों में निर्बाध संचार और परिचालन दक्षता में बाधा डालती हैं। पूरे भारत में वित्तीय लेनदेन में क्रांति लानेवाले यूपीआई जैसे प्लेटफार्मों के साथ समानताएं दर्शाते हुए, यह स्पष्ट हो जाता है कि एक एकीकृत प्रणाली अंतर को पाट सकती है और प्रदर्शन को बढ़ा सकती है।

क्रय एवं भंडार निदेशालय (क्रभंनि) एक प्रतिष्ठित केंद्रीय सरकारी संगठन है, जिसके एकक कई भारतीय राज्यों में है, जो एक मजबूत प्रणाली के अधीन एकीकृत है, वे एक धागे की तरह कार्य करते हैं जो इस संगठन के प्रत्येक एकक को एक हार के कीमती मोतियों की तरह जोड़कर रखते हैं।

चाहे मुंबई और उसके आसपास के एककों में संचालित सामग्री प्रबंधन प्रणाली (MMS) हो, चेन्नई में प्रचलित ई-प्रोक (इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट) सॉफ़्टवेयर हो, इंदौर में चल रही खरीद सूचना प्रबंधन प्रणाली (पीआईएम एस), मैसूर की सामग्री सूचना प्रणाली (एमआईएस), क्रभंनि एककों और हैदराबाद में ई-ऑफ़िस हो, यह स्पष्ट है कि प्रत्येक एकक ने प्रापण प्रक्रिया को संबोधित करने तथा उसे आसान बनाने और खुद को ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म पर लाने की दिशा में अपनी स्वयं की तकनीकी पद्धति को समझा और तैयार किया है।

यद्यपि प्रत्येक एकक ने स्वतंत्र रूप से प्रौद्योगिकी को अपनाया है, एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म के न होने की वजह से प्रौद्योगिकीय बिखराव होता है। केंद्रीकरण की यह कमी प्रापण प्रक्रियाओं में देरी, अक्षमता, डेटा अवरोध और कर्मचारियों को उनके अंतर-इकाई स्थानांतरण के दौरान कठिनाइयों का कारण बनती है।

क्रभंनि ने काम के सरलीकरण और मानकीकरण के लिए विभिन्न एसओपी जारी किए हैं और समितियों का गठन किया है। एक एकीकृत प्रणाली से रियल टाइम निगरानी, केंद्रीकृत डेटा एक्सेस और बेहतर प्रक्रियात्मक एकरूपता आएगी। यह उत्पादकता बढ़ाएगा, ऑन-बोर्डिंग समय को कम करेगा और सूचना हानि को कम करेगा। एकीकृत प्रणाली को अपनाने से न केवल संचालन सुव्यवस्थित होगा बल्कि क्रभंनि को एक दूरदर्शी, एकजुट संगठन के रूप में भी स्थापित किया जा सकेगा जो कल की चुनौतियों का सामना करने के लिए तत्पर है।

"गो पेपरलेस" पहल के साथ तालमेल बिठाते हुए, यह संगठन के कार्बन-न्यूट्रल टेक-सेवी निकाय बनने के लक्ष्य का भी समर्थन करता है। इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए, क्रभंनि का लक्ष्य शुरुआत में सीपीयू, क्रभंनि, मुंबई में कागज़-रहित कार्यालय जैसी उन्नत तकनीकों को एकीकृत करना है, जो डिजिटल इंडिया की दिशा में एक कदम है।

- एमएमएस प्रणाली में निम्नलिखित विशेषताएं भी लागू की गईं हैं:
- मांगपत्र, क्रय आदेश, रसीद वाउचर आदि के लिए डिजिटल हस्ताक्षर।
- डिजिटल बीजी स्वीकृति/डिस्चार्ज नोट।
- प्रस्ताव की स्वीकृति/मुक्ति/स्पष्टीकरण मांगने संबंधी प्रस्ताव नोटिंग।
- उपयोगकर्ता को भेजा जानेवाला डिलीवरी अवधि विस्तार संशोधन अनुरोध और उपयोगकर्ता से अनुशंसा की प्राप्ति।
- एमएमएस के माध्यम से प्रस्तुत किया जानेवाला संशोधन प्रस्ताव।
- एमएमएस के माध्यम से उपयोगकर्ताओं, लेखा, भंडार के साथ पत्राचार का निर्माण।

- कागज रहित कार्य के लिए नोटिंग मॉड्यूल का निर्माण।
- बीएफ फाइलों तक पहुंच के लिए एमएमएस में 'आगे ले जाया गया' को शामिल करना।
- एमएमएस में संपूर्ण प्रापण चक्र दस्तावेज यानी निविदा, सीएसटी, अनुबंध, बीजी आदि को अपलोड करना।

बाद के चरण की जटिलताओं से बचने के लिए आयात खेपों के लिए अपनाने योग्य तौर-तरीके

परिचय:

हालांकि एमआईआई नीति के तहत स्वदेशी निर्माताओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वैश्विक निविदा पूछताछ (जीटीई) को प्रतिबंधित किया गया है, फिर भी कई अवसरों पर मौजूदा आयातित उपकरणों के लिए ओईएम/ ओपीएम/ ओईएस से स्पेयर/उपभोग्य सामग्रियों/कच्चे माल के प्रापण हेतु (या) जहां निविदा मूल्य 200 करोड़ रुपये से कम होने पर भी आवश्यकता बनी रहती है (या) जहां निविदा का मूल्य 200 करोड़ रुपये से अधिक है, जीटीई आधार पर निविदाएं जारी करना अपरिहार्य हो जाता है।

वर्तमान तौर-तरीके:

क्रय एवं भंडार निदेशालय (क्रभंनि) देश भर में पऊवि की विभिन्न इकाइयों के लिए माल, भंडार और सामग्री के परिवहन के प्रापण हेतु एक नोडल एजेंसी है, साथ ही पऊवि के तहत अनुसंधान और विकास इकाइयों, औद्योगिक इकाइयों और अनुसंधान संस्थानों के लिए आयात और निर्यात खेपों की शिपमेंट और सीमा शुल्क निकासी की व्यवस्था भी करता है। क्रभंनि दुनिया भर के विभिन्न हवाई अड्डों से कार्गो की एयरलिफ्टिंग और मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता जैसे भारतीय हवाई अड्डों पर पहुंचने पर सीमा शुल्क निकासी के लिए एक अनुबंध (एयर कंसोलिडेशन कम कस्टम्स क्लीयरेंस कॉन्ट्रैक्ट) करता है, जो अखिल भारतीय आधार पर क्रभंनि/क्षेत्रीय एककों द्वारा संचालित होता है। क्रभंनि द्वारा किए गए निर्यात में सामान्यतः मरम्मत के लिए भेजी गई दोषपूर्ण वस्तुएं या गैर-वापसी योग्य आधार पर विदेशी आपूर्तिकर्ता को लौटाई गई दोषपूर्ण वस्तुएं, आईएईए, वियना समझौतों के तहत विभिन्न नमूने शामिल होते हैं।

अपनाने योग्य तौर-तरीके:

इनकोटर्म्स, 2020 के अनुसार, अपनाने योग्य तौर-तरीकों को आईसीसी (इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स) द्वारा प्रकाशित किया गया है और तदनुसार एफसीए, एफओबी शर्तों को क्रभंनि एनआईटी फॉर्म में शामिल किया गया है। हालांकि, सीएफआर (इनकोटर्म्स, 2010 के अनुसार सीएंडएफ) समुद्र के माध्यम से आयात किए जा रहे माल/सामग्री के लिए दो अतिरिक्त अनुबंधों को पूरा करने के उपरोक्त मुद्दे को हल करने हेतु एफओबी मूल्य अवधि के साथ अपनाने के लिए सबसे अच्छी मूल्य शर्तों में से एक है।

विश्लेषण:

एक सामान्य नियम के रूप में, मूल विदेशी हवाई अड्डे पर एफसीए गेटवे हवाई अड्डा और एफओबी मूल विदेशी बंदरगाह को अपनाया जाता है। हालांकि, क्रभंनि नवीनतम इनकोटर्म्स के अनुसार सही और अधिक उपयुक्त शिपमेंट चुनने के लिए लचीलापन अपनाता है। भापअकेंद्र, आईजीसीएआर और वीईसीसी जैसे अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के लिए समुद्री खेप के आयात हेतु एफओबी मूल बंदरगाह का चयन किया जाता है। एनएफसी, हैदराबाद जैसी औद्योगिक इकाई के लिए, सीपीटी (कैरिज पेड टू) हैदराबाद को चुना जाता है, जहाँ विक्रेता आईसीडी (इनलैंड कंटेनर डिपो), हैदराबाद तक मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट का उपयोग करके हैदराबाद तक का भाड़ा वहन करता है और बीमा की व्यवस्था खरीदार द्वारा की जाती है; और एनएफसी का भंडार एकक एनएफसी, हैदराबाद में डोर डिलीवरी के लिए आईसीडी, सनतनगर में निकासी की व्यवस्था करता है। एनएफसी, कोटा की इकाई के लिए, पसंदीदा शिपमेंट अवधि सीएंडएफ- जेएनपीटी (जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट), न्हावा शेवा, नवी मुंबई है, जिसमें

जेएनपीटी से परियोजना स्थल, रावत भाटा, कोटा तक परिवहन और मौजूदा दीर्घकालिक अनुबंधों का उपयोग करके विभाग द्वारा व्यवस्थित पारगमन बीमा शामिल है।

मूल शिपमेंट के एफओबी बंदरगाह के लिए, विभिन्न इकाइयों के स्थान की निकटता के आधार पर विदेशी बंदरगाह से भारतीय बंदरगाह तक कार्गो की आवाजाही हेतु अलग-अलग समुद्री परिवहन अनुबंध किया जाता है।

वारंटी के दौरान निःशुल्क आपूर्ति के लिए, आपूर्तिकर्ताओं को डीडीपी शर्तों के तहत खरीदारी करने के लिए कहा जाता है। अर्थात वितरित शुल्क का भुगतान- साइट पर अंतिम गंतव्य तक का सभी खर्च आपूर्तिकर्ता के खाते होगा।

भारत सरकार के शिपिंग मंत्रालय, चार्टरिंग विंग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, क्रभंनि के निर्देशों के अनुसार, आयात खेप को सीआईएफ (लागत, बीमा और माल ढुलाई) सहित किसी भी उपयुक्त शिपमेंट शर्तों के साथ बुक किया जा सकता है। आम तौर पर, सीआईएफ/सीआईपी शिपमेंट के अलावा, वेयरहाउस-टू-वेयरहाउस आधार पर मौजूदा ओपन जनरल इंश्योरेंस कवरेज के अनुसार क्रभंनि की अधिकृत बीमा कंपनी के माध्यम से बीमा की व्यवस्था की जाती है।

निष्कर्ष भौगोलिक राजनीतिक स्थिति सहित विभिन्न कारकों के आधार पर कोयला, तेल, उर्वरक आदि जैसे बल्क कार्गो को छोड़कर अन्य के लिए सही शिपमेंट अवधि का चयन करना अनिवार्य है।

अनुभव साझा करना

टेबल के दूसरी तरफ बैठना

श्री. अविनाश पुणतांबेकर, पूर्व क्षेत्रीय निदेशक, आईआरपीएसयू

परिप्रेक्ष्य

मैंने राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र (आरआरसीएटी) इंदौर के त्वरक कार्यक्रम में 3 दशकों से अधिक समय तक कार्य करने के बाद, दिनांक 22 फरवरी, 2021 को इंदौर क्षेत्रीय क्रय एवं भंडार एकक (आईआरपीएसयू) के क्षेत्रीय निदेशक (आरडी) का पदभार संभाला। इससे मुझे टेबल के दूसरी तरफ बैठने का मौका मिला, जिसके परिणामस्वरूप मेरी भूमिका और जिम्मेदारियों में पूरी तरह से बदलाव आया। प्रापण गतिविधियों के एक भाग के रूप में, मेरी पूर्व इंडेंटिंग अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी की भूमिका से लेकर एकक के क्रय विंग के प्रमुख तक के बदलाव को मैंने देखा। मेरे लिए यह नए क्षेत्र को सीखने और बड़े स्तर पर केंद्र की सेवा करने में सक्षम होने का एक शानदार अवसर था। तकनीकी क्षेत्र में वांछित तकनीकी परिणाम प्राप्त करने, परियोजना समयसीमा को पूरा करने तथा वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने की कड़ी आवश्यकताओं के साथ सरकारी प्रापण नीतियों और प्रापण प्रक्रिया में बाधाओं के सीमित ज्ञान के साथ काम करते हुए, हम (मैं और मेरे कई अन्य सहकर्मी) प्रापण में होनेवाली देरी के कारण परेशान हो जाते थे और हर चीज के लिए क्रय एवं भंडार निदेशालय (क्रभंनि) के कर्मचारियों को दोषी ठहराते थे। हालाँकि, जब मुझे 3 वर्षों से कुछ अधिक समय के लिए क्षेत्रीय निदेशक, आईआरपीएसयू के रूप में काम करने का अवसर मिला, तो मेरा दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गया!!

यहाँ नीचे मैं अपने अनुभव को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसने मुझे नए क्षेत्र को सीखने तथा समय पर प्रापण में आने वाली समस्याओं को समझने तथा उनसे निपटने के लिए कुछ सुझाव देने में मदद की।

वैज्ञानिक क्षेत्र में कार्य करना तथा प्रापण के कार्य करना:

टेबल के दूसरी तरफ बैठकर यह स्पष्ट रूप से देखा गया कि प्रापण का कार्य करना बहुत अलग था। कुछ प्रमुख अंतर नीचे सूचीबद्ध हैं:

तकनीकी क्षेत्र में वांछित परिणाम प्राप्त करने हेतु कई मार्गों और विकल्पों की खोज की जाती है, जबकि संपूर्ण प्रापण गतिविधियाँ वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा प्रकाशित सामान्य वित्तीय नियमावली तथा माल की खरीद के लिए मैनुअल द्वारा के तहत निर्देशित होती हैं। प्रापण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए भी इनका सख्ती से पालन करना होगा, लेकिन उल्लंघन करने की ज्यादा स्वतंत्रता नहीं है।

तकनीकी गतिविधियाँ आंतरिक/विभागीय समीक्षा के प्रति उत्तरदायी हैं, जबकि संपूर्ण प्रापण गतिविधि सार्वजनिक डोमेन में है और आरटीआई और सीपीजीआरएएम के दायरे में आती है।

तकनीकी क्षेत्र में लिए गए निर्णयों में कुछ गलतियाँ कुछ हद तक सही जा सकती हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग गतिविधियों और आरएंडडी में अनिश्चितताओं का स्वरूप बहुत बुनियादी होता है। दूसरी ओर, प्रापण में गलतियाँ और जीएफआर का उल्लंघन क्षमा करने योग्य नहीं है, जिसके लिए व्यक्ति की जिम्मेदारी तय की जानी होती है।

क्रय/भंडार/लेखा अनुभाग में कार्यरत कर्मचारियों को ईमानदारी और पदोन्नति के मुद्दों के कारण अक्सर स्थानांतरित किया जाता है, जबकि तकनीकी कर्मचारियों को कमोबेश उसी इकाई से सेवानिवृत्त होना पड़ता है जिसमें वे तैनात होते हैं! क्रभंनि के कई कर्मचारी अपने परिवारों की देखभाल करने और अपने बच्चों की

उच्च शिक्षा और अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए सप्ताहांत में अपने गृहनगर चले जाते हैं। संभवतः इसी कारण से क्रभंनि के कर्मचारी संबंधित इकाइयों की परियोजना संबंधी गतिविधियों और परियोजना(ओं) से खुद को जुड़ा हुआ नहीं पाते हैं।

क्रभंनि में प्रापण का प्रबंधन करने हेतु कोई पूर्णकालिक कंप्यूटर पेशेवर नहीं है और सभी प्रकार की आईटी सहायता संबंधित इकाइयों द्वारा प्रदान की जाती है। इससे क्रभंनि कर्मचारियों को अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्हें किसी अन्य इकाई में स्थानांतरित होने पर विभिन्न इकाइयों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न सॉफ़्टवेयर सीखने की आवश्यकता होती है। यह भी देखा गया कि क्रभंनि के कर्मचारी सख्त पदानुक्रम के अधीन काम करते हैं जो तकनीकी क्षेत्र में बहुत ही असामान्य है।

किसी न किसी तरह से ऊपर सूचीबद्ध मुद्दे अप्रत्यक्ष रूप से प्रापण से संबंधित दैनिक कामकाज को प्रभावित करते हैं, जिनके बारे में टेबल के दूसरी तरफ बैठे हुए लोग अनभिगनी अनभिज्ञ होते हैं।

प्रापण में देरी और सीखे गए सबक

वास्तव में प्रापण में देरी के बारे में सभी को पता है और यह क्रभंनि और पऊवि इकाइयों दोनों के लिए चिंता का एक बड़ा कारण है। इसी कारण मैं इस बात पर अपने अनुभव साझा करनेवाले इस लेख में मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करता हूँ। प्रापण और भंडार गतिविधियों का नेतृत्व करते हुए मुझे उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नज़र रखने का अवसर मिला, जिससे मुझे बहुआयामी कार्यक्षमताओं, विभिन्न अनिवार्य आवश्यकताओं, शामिल विभिन्न प्रक्रियाओं, उनकी चुनौतियों, पेचीदगियों और सीमाओं को समझने में मदद मिली।

पूरे प्रापण चक्र में कई एजेंसियाँ शामिल होती हैं, जैसे; मांगकर्ता अधिकारी और उनके सक्षम प्राधिकारी (सीए), क्रय, भंडार, लेख, स्थानीय इकाई की आईटी सहायता, विभिन्न समितियाँ, बोलीदाता, आपूर्तिकर्ता, रसद (ट्रांसपोर्टर), परियोजना समन्वय आदि। क्रभंनि को हमेशा आँख मूंदकर दोष देने की सामान्य गलत धारणा के विपरीत, यह पता चला कि प्रापण में देरी कई कारणों से होती है, जैसे मांगकर्ता, लेखा, आपूर्तिकर्ता और कई बार अन्य हितधारकों की मौजूदा प्रक्रिया और कार्यक्षमताओं के बारे में पर्याप्त जानकारी की कमी। यह भी देखा गया कि मांगकर्ता और क्रय एकक दोनों ही अपने स्वतंत्र क्षेत्र में काम करते हैं, तथा एक-दूसरे के कामकाज के बारे में सीमित समझ रखते हैं और दूसरे के क्षेत्र को जानने में अनिच्छा रखते हैं।

प्रापण में देरी के लिए कुछ महत्वपूर्ण और सामान्य कारण प्रमुख रूप से देखे गए हैं, जैसे फाइलों का बंद होना/पुनः निविदा जारी करना, मांगकर्ता अधिकारियों/क्रय/भंडार/लेखा/आपूर्तिकर्ता द्वारा क्रय संबंधी फाइलों पर आवश्यक कार्रवाई करने में देरी। यह प्रमुख रूप से देखा गया कि मांगपत्र की गुणवत्ता, उसके उचित तकनीकी विनिर्देश, लागत और वितरण अवधि का अनुमान, वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक जटिलता और कार्य प्रयास, भुगतान की शर्तें, और संस्थापन के लिए स्थल पर तैयारी क्रय फाइल के समय पर प्रसंस्करण में बहुत अंतर लाती है।

क्रय और मांगकर्ता अधिकारियों से संचार में देरी से प्रतिक्रिया के मामले सामने आए हैं। कुछ अन्य घटनाओं में आपूर्तिकर्ता के साथ अनुबंध के बाद उचित अनुवर्ती कार्रवाई नहीं करना, मांगकर्ता अधिकारियों और विक्रेता के दृष्टिकोण से एलडी क्लॉज की स्वीकार्यता के साथ/बिना आपूर्ति अवधि विस्तार के लिए समय पर प्रसंस्करण नहीं करना शामिल है। ऐसे मामलों में, फाइलें कई बार इंडेंटिंग अधिकारियों के साथ संवाद से गुजरती

हैं, जिसमें कई फाइलों में दोहराए जाने वाले प्रश्न होते हैं।

यह विशेष रूप से देखा गया कि प्रापण चक्र में शामिल विभिन्न एजेंसियां अपनी-अपनी भूमिका को अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ तरीके से निभाती हैं, हालांकि यह देखा गया कि ऐसी कोई भी एजेंसी नहीं है जो पूरे प्रापण चक्र (इंडेंट प्रस्तुत करने से लेकर पीएसडीबीजी के लागू हिस्से को जारी करने तक) की समयबद्ध कार्रवाई के लिए सभी एजेंसियों के साथ निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई करती हो। प्रत्येक एजेंसी अपने काम को पूरा करने की अभ्यस्त है और जब फाइल उनके पास नहीं होती है, तो वे उन विलंबों पर ध्यान नहीं देते जो उनके कारण नहीं होते। मेरी राय में यह उन प्रमुख कारणों में से एक था जिसके परिणामस्वरूप ऐसी देरी हुई, जिसे टाला जा सकता था। किसी भी प्रणाली या परियोजना में टालने योग्य देरी की पहचान करना और उसे टालना बहुत महत्वपूर्ण है।

जिस तरह प्रापण में देरी के लिए क्रय अनुभाग को दोषी ठहराया जाता है, उसी तरह भुगतान में देरी के लिए लेखा अनुभाग को दोषी ठहराया जाता है। कई भुगतान देरी की सावधानीपूर्वक निगरानी करने के बाद यह पता चला कि भुगतान के लिए आवश्यक दस्तावेज लेखा अनुभाग को मिले ही नहीं थे। वे मांग अधिकारी, क्रय, भंडार, आपूर्तिकर्ता और बजट सेल आदि से प्राप्त होने बाकी थे और सभी दस्तावेज मिलते ही लेखा अनुभाग बिना किसी अनुस्मारक के निर्धारित समय के भीतर भुगतान कर देता है।

जीईएम और मेक-इन-इंडिया नीति की शुरूआत से उत्पन्न समस्याएँ

मैं जब टेबल के दूसरी तरफ बैठा था तो यही समय सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) युग और मेक-इन-इंडिया नीति की शुरूआत का था। तत्कालीन डीजीएसएंडडी की जगह एकमात्र केंद्र सरकारी प्रापण एजेंसी के रूप में जीईएम की शुरूआत होने के साथ ही डीजीएसएंडडी से प्राप्त छूट का पऊवि का विशेषाधिकार समाप्त हो गया। इसके अलावा "आत्मनिर्भर भारत" को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 5 लाख से लेकर 200 करोड़ तक के प्रापण के लिए आपूर्तिकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियों (श्रेणी-I और II स्थानीय आपूर्तिकर्ता और गैर स्थानीय आपूर्तिकर्ता) के साथ मेक-इन-इंडिया नीति की शुरुआत की। इसके परिणामस्वरूप प्रतिदिन नई चुनौतियाँ सामने आणे लगी। यह देखा गया कि कुछ क्रभंनि कर्मचारी प्रापण की नई प्रणाली को अपनाने के लिए उत्साहित नहीं थे, हालाँकि हाल ही में उचित प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ भर्ती की गई, जिसके कारण युवा कनिष्ठ क्रय सहायक और कनिष्ठ भंडारी ने इन परिवर्तनों को जल्दी से सीख लिया और अपना लिया। यह भी देखा गया कि कई इंडेंटिंग अधिकारीयों/इंडेंट अनुमोदन प्राधिकारियों का ज्यादातर ध्यान परियोजना के कार्यक्रमों पर होता है, नई प्रापण प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों को समझने की दिशा में ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। साथ ही यह महसूस किया गया कि ये वे पहलू हैं जिन पर क्रभंनि द्वारा सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है, विशेष रूप से जीईएम की कार्यात्मकताएं और समय रेखाएं (जैसे जीईएम की प्रापण पद्धति- उत्पाद आईडी/कस्टम बोली/प्रत्यक्ष खरीद/एल1 खरीद/माल के निरीक्षण की समय पर प्रक्रिया/स्वीकृति और भुगतान)। जैसा कि पहले इंडेंटिंग अधिकारी ज्यादातर निविदा और आदेश देने की प्रक्रिया से अलग-थलग थे, अब उन्हें इन गतिविधियों में भी शामिल करना आवश्यक हो गया था। प्रत्यक्ष खरीद के लिए इंडेंटिंग अधिकारी को दी गई सेकेंडरी क्रेता लॉगिन आईडी धीरे-धीरे लोकप्रिय हो रहा है। इसके अलावा, 'सेवा अनुबंध' को अब तकनीकी अधिकारियों द्वारा जीईएम सेकेंडरी क्रेता आईडी के

माध्यम से प्रबंधित किया जाना है।

नई दिल्ली में जीईएम मुख्यालय के साथ बातचीत करना और क्रभंनि के लिए जीईएम से संबंधित कई मुद्दों का समाधान करवाना मेरे लिए एक और शानदार अनुभव था। तकनीकी उपयोगकर्ताओं के लिए जीईएम अधिकारियों के साथ कई बातचीत बैठकें आयोजित की गईं, जिससे क्रभंनि और तकनीकी कर्मचारियों दोनों को जीईएम को तेज़ी से आत्मसात करने और अपनी शंकाओं का समाधान करने में मदद मिली। मेरी समझ से जीईएम द्वारा अपनी वेबसाइट पर डाले गए विभिन्न प्रशिक्षण मॉड्यूल जानकारी का एक बहुत अच्छा स्रोत हैं, जिसका उपयोग तकनीकी उपयोगकर्ताओं और क्रभंनि के कर्मचारियों, दोनों को पूरी तरह से करना चाहिए।

ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी (जीटीई) के लिए पऊवि की मंज़ूरी लेना सीखने और साझा करने के लिए एक और बेहतरीन उदाहरण था। एक और आम धारणा थी कि जीटीई के लिए पऊवि की मंज़ूरी पाना बहुत मुश्किल है। इसमें शामिल मूल चरण में इकाई प्रमुख द्वारा अनुमोदित फ़ॉर्म को ठीक से भरना, प्रापण योजना को वेबसाइट पर प्रकाशित करना, डीपीआईआईटी अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना और कुछ वचनबद्धताओं को लेना शामिल था। एक बार ज़रूरतें समझ में आने के बाद, उन्हें सभी हितधारकों तक पहुँचाया गया और 2-3 सप्ताह के भीतर जीटीई के लिए पऊवि की मंज़ूरी मिलना एक नियमित प्रक्रिया बन गई थी।

विचारार्थ कुछ सुझाव

1. टेबल के दूसरी तरफ बैठकर मैंने जाना कि उप निदेशक (या समकक्ष पद) की स्थिति और भूमिका इकाई के साथ-साथ उस केंद्र के संबंधित क्रभंनि एकक के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। उप निदेशक (या समकक्ष पद) वरिष्ठ पद पर होने के कारण उसे तकनीकी ज्ञान और अनुभव होता है और साथ ही वह अधिकांश तकनीकी उपयोगकर्ताओं और उनके सक्षम अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत संपर्क में रहता है। साथ ही उप निदेशक को मौजूदा प्रक्रिया और नियमों पर खरीद, भंडार और अकाउंट से सभी मूल्यवान इनपुट भी मिलते हैं। इसलिए वह दोनों के बीच संपर्क स्थापित करने और प्रापण को यथाशीघ्र सुनिश्चित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। यह देखकर आश्चर्य हुआ कि भापअकेंद्र और वीईसीसी जैसी महत्वपूर्ण इकाइयों में उप निदेशक का कोई पद नहीं है। इन (और अन्य) इकाइयों में पद को उचित महत्व देते हुए उप निदेशक (या समकक्ष) पद रखने का सुझाव है।

2. सभी संभावित तरीकों से क्रय फाइलों को पुनः प्रस्तुत करने से बचना या कम से कम फाइलों को बंद करने पर नियंत्रण रखा जाना (विशेष रूप से बहुत बाद के चरण में) बहुत महत्वपूर्ण है। फ़ाइल को बंद करने या फिर से टेंडर करने से सभी क्षेत्रों से संसाधनों की बर्बादी होती है, साथ ही लागत में वृद्धि का जोखिम भी होता है और परियोजना के कीमती समय की हानि होती है। इस मुद्दे को हल करने के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि स्थानीय इकाई के आईटी समर्थन की मदद से ए) फ़ाइल को बंद करने; बी) फ़ाइल को फिर से टेंडर करने के कारणों संबंधी एक डेटा बेस बनाया जाना चाहिए। आईआरपीयू में किए गए कार्य से यह पता चला कि केस फ़ाइलों को बंद करने या फिर से टेंडर करने के 'कारण' कई मामलों में दोहराए गए हैं और इसलिए यह महसूस किया गया कि हितधारक इस मुद्दे पर संवेदनशील नहीं हैं। यह स्थिति किसी भी संगठन के लिए वास्तव अच्छी नहीं है कि उनके कर्मचारी पहले से ही पिछली फ़ाइलों या अन्य अधिकारी मामले में हो चुकी गलतियों से सीखते हैं।

3. जैसा कि पहले बताया गया है कि ऐसी कोई एक एजेंसी नहीं है जो संपूर्ण प्रापण चक्र की समयबद्ध कार्रवाई के लिए सभी एजेंसियों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई करती हो। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए, विभिन्न हितधारकों (क्रय, मांग अधिकारी, लेखा, भंडार, परियोजना समन्वय सेल, बोलीदाता/ आपूर्तिकर्ता) के बीच प्रभावी संपर्क के लिए "संरचित संपर्क" की आवश्यकता का सुझाव दिया जा रहा है, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

   a) कुछ केस फाइलों पर चर्चा करना, जिनसे महत्वपूर्ण सबक सीखे गए (बंद/पुनः निविदा/ प्रतिनिधित्व/ लेखा परीक्षा प्रश्न आदि) और "सभी संबंधित एजेंसियों से महत्वपूर्ण फीडबैक लेना"।

   b) इस प्रकार प्राप्त अनुभव के आधार पर, विभिन्न हितधारकों के लिए एसओपी और चेक लिस्ट तैयार करना और मांग अधिकारी तथा मांग स्वीकृत करने वाले अधिकारियों को इनके बारे में शिक्षित करना।

   c) विभिन्न प्रापण मोड और समय-सीमा के बारे में उनके अपडेट के साथ गतिशील जीईएम कार्यात्मकताओं को समझना और विभिन्न हितधारकों को शिक्षित करना।

   d) जीईएम में शिकायत दर्ज करने और उनके समाधान, जीईएम के साथ डिफॉल्टर विक्रेता के खिलाफ घटनाओं को उठाने और समाधान तक की कार्यवाही के बारे में सभी हितधारकों को उचित प्रशिक्षण।

   e) अनुबंध की प्रगति की निगरानी करना तथा हितधारकों को डीपी डिलीवरी अवधि विस्तार सहित समय पर कार्रवाई का सुझाव देना।

   f) विभिन्न एजेंसियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई - विलंबित प्रतिक्रियाओं (जैसे एक सप्ताह से अधिक) के मामले में मांग अधिकारी/ खरीद/ लेखा/भंडार/पीसीसी। चूंकि क्रय के विभिन्न चरण अलग-अलग मांग मूल्यों के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं, इसलिए उन चरणों की निगरानी और "सिस्टम जनरेटेड रिमाइंडर्स का उपयोग करके" अनुवर्ती कार्रवाई अगले उच्च स्तर तक बढ़ाना जब तक कि वह कार्रवाई पूरी न हो जाए, इसे आईटी समर्थन से लागू किया जा सकता है। ऐसे कई सिस्टम जनरेटेड रिमाइंडर पर आईआरपीयू में अनुभव बहुत उपयोगी रहा!

   इस संरचित संपर्क को सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करने हेतु प्रस्तावित किया गया है, न कि केवल समीक्षा तंत्र के रूप में और न ही एक और बाधा बनने के लिए।

4. इंडेंटिंग अधिकारियों और सक्षम अधिकारियों को प्रापण प्रक्रियाओं में उचित प्रशिक्षण और अभिविन्यास की सख्त आवश्यकता है। यह अनुशंसा की जाती है कि प्रत्येक इंडेंटिंग अधिकारी को क्रय में 3 महीने के लिए अनिवार्य अभिविन्यास प्रशिक्षण दिया जाए। पाठ्यक्रम, संकाय और परीक्षा पैटर्न को विषय विशेषज्ञ की सहायता से उचित रूप से डिज़ाइन किया जाना चाहिए। निविदा से लेकर लागू बीजी जारी करने तक सभी चरणों के माध्यम से फ़ाइल को स्वयं संसाधित करने (वरिष्ठ क्रय कर्मचारियों के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में) के लिए क्रय एकक में बैठने से बेहतर कोई शिक्षा नहीं है।

5. प्रापण में शामिल विभिन्न एजेंसियों की जिम्मेदारी के साथ पहचाने गए चरणों के साथ फ्लो चार्ट तैयार करना और उसका उपयोग करना।

6. संबंधित क्रभंनि कर्मचारियों को तकनीकी क्षेत्रों में तकनीकी दौरे कराए जाएं, ताकि उन्हें परियोजना में शामिल होने का अहसास हो और साथ ही वे विभिन्न वस्तुओं और उपकरणों के अनुप्रयोग को जान सकें और समझ सकें, जिनके प्र[पण में उनकी भूमिका हो।

7. क्रय/भंडार और इंडेंटिंग अधिकारियों के लिए आवधिक एवं नियमित प्रशिक्षण और साथ ही आदान-प्रदानात्मक बैठक आयोजित करना ताकि उन्हें मौजूदा प्रक्रिया के साथ-साथ नए अपडेट के बारे में शिक्षित किया जा सके और उनके रोजमर्रा के प्रश्नों का समाधान किया जा सके।

मैं चाहता हूं कि उपरोक्त प्रस्तावों में से कुछ पर उचित स्तर पर विचार किया जाए, जिससे समग्र प्रापण प्रणाली को और बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहूंगा कि टेबल के दूसरी तरफ बैठना मेरे लिए सीखने का एक बेहतरीन अनुभव था। इससे मुझे नई चीजें सीखने और यूनिट तथा विभाग की बड़े पैमाने पर सेवा करने में भी मदद मिली।

मैं इस अवसर पर श्री एस वी नाखे, पूर्व निदेशक आरआरसीएटी, श्री यू डी मालशे, निदेशक आरआरसीएटी, डॉ जी पद्मकुमार पूर्व निदेशक क्रभंनि, श्री वेद सिंह निदेशक, क्रभंनि के साथ-साथ आरआरसीएटी और क्रभंनि के सहकर्मियों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने उप निदेशक, आईआरपीएसयू के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान मुझे बहुमूल्य इनपुट दिए और नई चीजें सीखने तथा यूनिट की सेवा करने में मदद की।

मैं क्रभंनि और इसके कर्मचारियों को चुनौतियों से भरे और उन पर विजय पाने के लिए सफलता से प्रेरित उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं।

चार दशकों की यात्रा: अनुभव और सीख

श्रीमती गीता के, पूर्व उप निदेशक, एमआरपीएसयू

मेरा सरकारी जीवन मेरी पढाई के तुरंत बाद शुरू हुआ, जो शैक्षणिक जगत की परिचित दुनिया से कार्यालय के संरचित वातावरण की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव था। यह कहानी मेरे व्यावसायिक विकास के साथ-साथ मेरे व्यक्तिगत और भावनात्मक विकास की कहानी है, जो व्यापक सीख के रूप में सामने आएगी, और मुझे आशा है कि यह युवा पीढ़ी को भी प्रभावित करेगी।

शुरुआती दिन और मूलभूत शिक्षा:

मुझे सौंपे गए शुरुआती कार्य में निविदाओं पर हाथ से पते का प्राथमिक कार्य शामिल था, जो डिजिटल युग से पहले के दौर का एक स्पष्ट परिचय था, जहां हर काम मैन्युअल होता था। इसके तुरंत बाद, मैंने एमएपीएस के शुरू होने से पहले संगठन के एक अनुभाग में स्थानांतरित हो गई। यहां, मेरी आगामी कमीशनिंग से संबंधित फ़ाइलों की एक बड़ी मात्रा के प्रेषण का प्रबंधन करने और सावधानीपूर्वक रजिस्टरों को बनाए रखने और इन दस्तावेजों को भौतिक रूप से अंतरित करने की जिम्मेदारी थी। मुझे यह शुरुआती काम नीरस और निराशाजनक लगा, जिससे मेरे मन में अपने उद्देश्य पर सवाल उठने लगे और मैं खोई हुई महसूस करने लगी।

मेरे कार्य में एक टर्निंग पॉइंट एक क्रय सहायक के माध्यम से आया, जो कार्यालय में मेरा पहला मार्गदर्शक था। उन्होंने मेरे उत्साह में कमी को देखा और मुझे बुद्धिमानी से सलाह दी कि मैं अपने काम के प्रति लगाव पैदा करूं और व्यवस्थित प्रक्रियाएं अपनाऊं। इस सलाह ने मेरे भीतर एक चिंगारी को प्रज्वलित किया और मैंने अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाने तथा अधिक तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाने का संकल्प लिया।

सीख: अपने काम को जिम्मेदारी और लगाव के साथ अपनाएँ, चाहे उसका स्वरूप कुछ भी हो। यह सकारात्मक दृष्टिकोण चुनौतियों के बीच भी व्यक्तिगत और संगठनात्मक विकास को बढ़ावा देता है।

यह मानते हुए कि पेशेवर जीवन अक्सर बिना कठिनाइयों के नहीं होता, मैंने अपनी योग्यता बढ़ाने और बेहतर अवसरों की तलाश करने के लिए आगे की शिक्षा लेने का फैसला किया।

मैंने काम और अध्ययन के बीच संतुलन रखते हुए बी.कॉम. की डिग्री हासिल की और उसके बाद आईसीडब्ल्यूएआई (आई) की डिग्री पूरी की। हालांकि शुरू में नई संभावनाएं आकर्षित करती रहीं, लेकिन मेरे बेटे के आगमन के बाद मेरी प्राथमिकताओं को कार्य-जीवन संतुलन और परिचित वातावरण के आराम की ओर मोड़ दिया। परिणामस्वरूप, मैंने संगठन के भीतर ही बने रहने का निर्णय लिया और मैटेरियल्स मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करके विशेषज्ञता हासिल की।

सीख: काम करते समय भी निरंतर शिक्षा प्राप्त करना संभव है। समर्पण और दृढ़ता से महत्वपूर्ण पेशेवर और शैक्षणिक उन्नति हो सकती है।

तकनीकी प्रगति का मार्गदर्शन करना:

1990 के दशक के मध्य में एमआरपीयू में कम्प्यूटरीकरण की शुरुआत हुई, जिसने इसे क्रभंनि के भीतर इस तकनीकी बदलाव में अग्रणी इकाई के रूप में स्थापित किया। मुझे इस निर्णायक टीम का हिस्सा बनने के लिए चुना गया, मुझे जिससे कम्प्यूटरीकरण कार्यों के साथ खरीद जिम्मेदारियों का तालमेल बिठाने की दोहरी भूमिका मिली। हालांकि यह अनुभव चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इससे समग्र कार्यप्रवाह के बारे में मेरी समझ बढ़ी। समर्पित सहयोगियों द्वारा संचालित कम्प्यूटरीकरण की तीव्र गति एक महत्वपूर्ण सीखने का

अनुभव था, जो बाद में वर्ष 2006 में मेरे द्वारा हैदराबाद में एक स्वतंत्र एकक के सहायक क्रय अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालने के बाद अमूल्य साबित हुआ। एमआरपीयू में मेरे अनुभव ने मुझे वर्ष 2010 में अपने प्रस्थान से पहले एएमपीयू में भी इसी प्रकार की प्रणाली लागू करने में सक्षम बनाया, जिसमें दो समर्पित सहकर्मियों का अटूट सहयोग मिला।

इसके बाद वर्ष 2011 में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया, जब क्रभंनि ने जीएफआर आवश्यकताओं के अनुरूप ई-टेंडरिंग को पूर्णतः अपनाने का आदेश दिया। मुझे एमआरपीयू में पहला सहायक क्रय अधिकारी (ई-टेंडर) नियुक्त किया गया, जो सार्वजनिक निविदा मूल्य तक सभी निविदाओं को अपलोड करने और जारी करने के लिए जिम्मेदार था। बोझिल और जटिल प्रक्रियाओं के कारण इसके शुरुआती चरण चुनौतियों से भरे थे। हालांकि, हमारी प्रतिक्रिया ने एक सरलीकृत ई-टेंडर प्रणाली के विकास में योगदान दिया, जिसे बाद में सभी अन्य इकाइयों में अपनाया गया। हमारी छोटी टीम का समर्पण, विशेष रूप से एक क्रय क्लर्क जिसने उल्लेखनीय रुचि के साथ सभी अपलोड प्रबंधित किए, सराहनीय था। तत्कालीन कंप्यूटर अनुभाग प्रमुख और उनकी टीम का सहयोग भी इस यात्रा में महत्वपूर्ण रहा। जीईएम और अन्य पोर्टलों की शुरुआत के बाद से कम्प्यूटरीकरण का परिदृश्य नाटकीय रूप से बदल गया है।

सीख: चुनौतियों के प्रति अनुकूलनशीलता और सक्रिय दृष्टिकोण प्रगति के लिए महत्वपूर्ण हैं। सीखने और विकसित हो रही प्रणालियों में योगदान देने के अवसरों को अपनाएँ। सकारात्मक दृष्टिकोण और नई ज़िम्मेदारियाँ लेने की इच्छा पेशेवर विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।

मुख्य भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ:

एमआरपीयू में एपीओ के रूप में मेरे कार्यकाल ने इस पद की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया, जो सौंपे गए अनुभागों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सभी फाइलों, विशेष रूप से प्राथमिकता वाली फाइलों की स्थिति की पूरी समझ होना सर्वोपरि है। लीडर की सक्रिय भागीदारी से प्रेरित प्रभावी टीम समर्थन भी उतना ही आवश्यक है। मैंने कुशल संचालन के लिए स्थापित मापदंडों (प्रिस) का लगन से पालन करने के महत्व को महसूस किया, जिसके लिए निरंतर स्वयं और अनुभाग की निगरानी की आवश्यकता होती है। जिम्मेदारी से काम करने की गंभीरता को पहचानना, यह समझना कि छोटी-छोटी चूक भी बड़ी जटिलताओं को जन्म दे सकती है, एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया।

क्रभंनि मुंबई में क्रय अधिकारी के रूप में मेरी बाद की पोस्टिंग एक समृद्ध अनुभव था। प्रेरक वातावरण ने उद्देश्य की एक मजबूत भावना प्रदान की। यहाँ, मैंने भापअकेंद्र अस्पताल और अन्य इकाइयों के लिए दवाओं की खरीद तथा नियमित प्रापण गतिविधियों के साथ-साथ कई अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ संभालीं। दर अनुबंधों की मात्रा काफी अधिक थी, और हमने खरीद आवश्यकताओं का समय पर निष्पादन सुनिश्चित किया, चूकों का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया और सुधारात्मक कार्रवाइयों को लागू किया। टीमवर्क असाधारण था। जीएसटी के क्रियान्वयन और उसके बाद हुए कई संशोधनों ने एक बड़ी चुनौती पेश की।

सीख: सभी चल रहे कार्यों के बारे में जानकारी रखते हुए और नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए रूटीन काम से बचें। खासकर वरिष्ठ पदों पर कार्य करते हुए, प्रापण संबंधी नियमों के बारे में हितधारकों को शिक्षित करना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में संयम और कूटनीति बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है।

कोविड के बाद एमआरपीयू में मेरी वापसी मेरे करियर

के सबसे चुनौतीपूर्ण समय में से एक थी। इस चुनौतीपूर्ण समय में वहाँ एक नए क्षेत्रीय निदेशक ने नेतृत्व संभाला और मेरा मानना है कि संगठन की स्थिरता के लिए मेरा अटूट समर्थन महत्वपूर्ण था। मई 2020 के बाद की अवधि में सार्वजनिक प्रापण नीतियों के संबंध में कई बदलाव हुए, जैसे 'मेक इन इंडिया' नीति का सख्त अनुपालन, सभी प्रापण गतिविधियों के लिए जीईएम का अनिवार्य उपयोग आदि। इसका मतलब था कि कर्मियों को नए बदलावों के साथ तालमेल बिठाना था। क्षेत्रीय क्षेत्रीय एककों में एक सुसंगत परिचालन दृष्टिकोण बनाए रखने से इन अनेक परिवर्तनों को अपनाने में सुविधा हुई, हालांकि इसके लिए काफी प्रयास करना पड़ा।

अनगिनत डिलीवरी अवधि संशोधनों और कोविड-संबंधी छूटों का प्रबंधन, साथ ही सीपीपीपी पोर्टल पर माइग्रेशन, कौशल उन्नयन और समयसीमा के पालन के मामले में भारी चुनौतियां पेश करता है। इसके अलावा, एमआरपीयू को एक मध्यस्थता मामले का सामना करना पड़ा, जो एक नया अनुभव था जिसके लिए सीमित कानूनी विशेषज्ञता के बावजूद हमारी पूरी प्रतिबद्धता की आवश्यकता थी। इस अवधि के दौरान, एमआरपीयू को मुख्यालय से महत्वपूर्ण सहयोग और समन्वय प्राप्त हुआ। परिचालन संयंत्रों के लिए महत्वपूर्ण रसायनों और गैसों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने पर भी निरंतर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता थी। हमने रसायनों के लिए वार्षिक दर अनुबंध स्थापित करके और तत्काल गैस आवश्यकताओं के लिए स्टॉक बनाए रखकर इस समस्या का समाधान किया।

सीख: चुनौतीपूर्ण समय में दृढ़ रहें। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें और प्रक्रिया पर भरोसा रखें। चिंताओं का समाधान करना महत्वपूर्ण है, लेकिन नियामक ढांचे के भीतर समाधान की दिशा में सक्रिय रूप से काम करना सार्वजनिक प्रापण में एक बुनियादी जिम्मेदारी है।

अंतिम अध्याय: उप निदेशक:

उप निदेशक बनने पर मुझे एक व्यापक जिम्मेदारी का अहसास हुआ, जिसमें न केवल क्रय बल्कि एमआरपीयू के भंडार एकक भी शामिल थे, यह मेरे लिए एक नया क्षेत्र था। मेरी जिम्मेदारी में यह बदलाव भंडार टीम के सहयोग के कारण आनंददायक साबित हुआ।

अग्रिम भुगतान के बावजूद महत्वपूर्ण वस्तुओं से जुड़े दो महत्वपूर्ण अनुबंधों में देरी हुई। इस समस्या के समाधान के लिए कई उच्च-स्तरीय बैठकें हुईं, जिनमें मैंने सक्रिय रूप से भाग लिया। अंततः सभी के अथक प्रयासों से आपूर्ति शुरू हुई, जो इकाई के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी।

नीतिगत बदलावों के चलते कामकाज सुचारू रूप से चलने लगा ही था कि एक अप्रत्याशित घटना के कारण परिचालन बाधित हो गया। हमारी 70 साल पुरानी इमारत की ऊपरी मंजिल पर भयंकर जलभराव के कारण कार्यालय को अस्थायी स्थानांतरण का सामना करना पड़ा और अंततः एमआरपीयू को पल्लवरम में स्थायी रूप से स्थानांतरित करना आवश्यक हो गया। यह एक संयोग ही था कि ठीक उसी समय क्षेत्रीय निदेशक सेवानिवृत्त हो गए, जिससे मुझे उप निदेशक, एमआरपीयू के कर्तव्यों के प्रबंधन की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल गई। कार्यालय के स्थानांतरण में न केवल भौतिक आवागमन शामिल था, बल्कि कलपक्कम से इंट्रानेट और इंटरनेट कनेक्टिविटी को पुनः स्थापित करने का जटिल कार्य भी शामिल था, जिसके लिए स्थान की गंभीर कमी के बीच व्यापक समन्वय और धैर्य की आवश्यकता थी।

इसके साथ ही, रूस-यूक्रेन युद्ध और निर्दिष्ट बंदरगाह के बंद होने के कारण एक महत्वपूर्ण खेप के फंस जाने के कारण हमें लॉजिस्टिक संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बीमा प्राप्त करना असंभव साबित हुआ।

आपूर्तिकर्ता के दबाव और पहले से किए गए अग्रिम भुगतान के बावजूद, हमने इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया, सावधानीपूर्वक योजना और समस्या-समाधान के माध्यम से खेप को चेन्नई तक पहुँचाया। सभी स्तरों पर शीर्ष प्रबंधन से मिला अटूट सहयोग अमूल्य साबित हुआ। इस अवधि के दौरान एमआरपीयू/ भंडार /लेखा कर्मचारियों का समर्पण बेजोड़ था।

इसके बाद, एमआरपीयू में पहली महिला क्षेत्रीय निदेशक को तैनात किया गया। मौजूदा चुनौतियों के बारे में उनका निर्णायक दृष्टिकोण और समझ तुरंत स्पष्ट हो गई। उन्होंने एमआरपीयू के लिए बेहतर स्थान आवंटन में मदद की, जिससे बेहतर परिचालन में तालमेल स्थापित हुआ। एमआरपीयू में मेरे आखरी कार्यकाल के दौरान उनके समर्थन के चलते उनके नेतृत्व के प्रति मेरे मन में कृतज्ञता और सम्मान भर दिया है।

मैंने अपने पूरे करियर के दौरान, लेखा और प्रशासन के साथ एक मजबूत तालमेल विकसित किया, जिससे इन विभागों के बीच के पारंपरिक टकराव की धारणा दूर हो गई। रूसी खेप के लिए समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में लेखा कर्मियों द्वारा किये गए असाधारण प्रयास, यहां तक कि ऑफ-ऑवर्स के दौरान भी, विशेष रूप से सराहनीय थे। मेरे आखरी वर्षों के दौरान क्रभंनि, मुंबई और एमआरपीयू प्रशासन द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण और जिम्मेदार भूमिकाएं भी उल्लेखनीय थीं।

आखिरकार, एक लंबी और समाधान से भरी यात्रा के बाद मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का फैसला किया, 30 अगस्त, 2024 को पद त्याग दिया। मैंने जो रास्ता तय किया और जिन अनगिनत व्यक्तियों ने मेरे जीवन को प्रभावित किया, उन पर विचार करते हुए, यह मेरे लिए एक अविश्वसनीय रूप से समृद्ध अनुभव रहा।

आखरी सबक:

- सभी हितधारकों के साथ नियमित, प्रत्यक्ष बातचीत स्पष्टता की सुविधा देती है और प्रगति को बल मिलता है।
- जटिल, उच्च-मूल्य वाले मांगपत्रों का गहन प्रारम्भिक विश्लेषण करने से अनुपालन सुनिश्चित होता है और इस पर कार्यवाही सुविधाजनक हो जाती है।
- टीमवर्क सर्वोपरि है और जो लोग सिस्टम को कमजोर करते हैं, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए।
- प्रभावी तनाव और समय प्रबंधन आवश्यक है; कार्यालय समय के बाहर काम के तनाव से दूर रहना सीखें।
- जुनून और पूरी भागीदारी के साथ काम करें।
- कार्यों को परिश्रमपूर्वक, साफ-सुथरे ढंग से और समय पर पूरा करें।
- नौकरी श्रृंखला में समग्र कार्यक्षमता और शुद्धता हेतु हर भूमिका और पदानुक्रम में प्रत्येक पद का अपना महत्वपूर्ण स्थान है, जो मतभेद के बजाय सहयोग को बढ़ावा देता है।
- अपन काम भले ही वह नीरस क्यों न हो, के प्रति लगन विकसित करें; आपकी व्यस्तता आपको विकास की ओर ले जाएगी।
- तकनीकी प्रगति को अपनाएँ और अपने कौशल को लगातार अपडेट करते रहें।
- केवल उम्र नहीं, जिम्मेदारी भी आपको परिपक्व बना देती है।

क्रभंनि में मैनुअल मोड से ई-प्रोक्योरमेंट तक का मेरा सफर

श्री. सुनील रामचंदानी, पूर्व उप निदेशक, सीपीयू

मैं भी अन्य किसी युवा उम्मीदवार की तरह भाग्यशाली और प्रसन्न था कि मुझे दिसंबर 1986 में परमाणु ऊर्जा विभाग के क्रय एवं भंडार निदेशालय (क्रभंनि) में क्रय क्लर्क के पद पर कार्यारम्भ करने का मौका मिला। भारत के एक प्रमुख बहु-विषयक परमाणु अनुसंधान केंद्र में सेवा करना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी।

एक क्रय क्लर्क (लेखा/प्रशासन संवर्ग में लोअर डिवीजन क्लर्क के समकक्ष और अब यह पद समाप्त हो चुका है) के रूप में, मुझे जो प्राथमिक काम सौंपा गया था, वह निविदा पूछताछ तैयार करना था। उन दिनों, क्रभंनि में अनुभागों का नाम खरीदी जाने वाली वस्तुओं के स्वरूप के आधार पर रखा गया था जैसे: निर्माण संबंधी वस्तुओं के लिए एफएबी; पूंजीगत वस्तुओं के लिए सीएपी, इंजीनियरिंग वस्तुओं के लिए इंजीनियरिंग अनुभाग जिसमें डिजाइन, इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग वस्तुओं की खरीद शामिल है, आयातित विद्युत वस्तुओं के लिए आईईई; रासायनिक सामग्रियों के लिए केम, सामान्य वस्तुओं की खरीद के लिए सामान्य अनुभाग आदि। क्रभंनि में लगभग 20-25 अनुभाग थे।

एनपीसीआईएल के लिए प्रापण गतिविधियों के लिए आवश्यक अनुबंध और सामग्री प्रबंधन के गठन से पहले, एनएपीएस, एमएपीएस, आरएपीएस, टीएपीएस आदि जैसी बिजली परियोजनाओं की प्रापण गतिविधियों का कार्य भी क्रभंनि को सौंपा गया था।

सभी प्रापण गतिविधियां मैनुअल तरीके से की गईं। संभावित बोलीदाताओं को डाक द्वारा निविदाएं जारी की गईं। जिन मांगों की अनुमानित लागत एक लाख से कम थी, उनके लिए क्रभंनि के पास उपलब्ध आपूर्ति के स्रोत के आधार पर सीमित आपूर्तिकर्ताओं को निविदाएं जारी की गईं, जो पहले की निविदाओं में समान वस्तुओं के लिए प्राप्त प्रतिक्रिया पर भी आधारित थीं, जिन मांगों की अनुमानित लागत एक लाख और उससे अधिक थी, उनके लिए सार्वजनिक निविदा आवश्यक थी। ऐसे मामले में, प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशित की जानी थी और सभी संभावित आपूर्तिकर्ताओं को सूचना पत्र जारी करना था। संभावित बोलीदाताओं को ऐसी सूचना प्राप्त होने पर या प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन देखने के बाद, उक्त निविदा दस्तावेज खरीदने के लिए क्रभंनि कार्यालय जाना था और तदनुसार बोली प्रस्तुत करनी थी। ऐसी फर्म से प्रस्ताव प्राप्त होने के मामले में, जिसे क्रभंनि ने निविदा जांच जारी नहीं की है और न ही फर्म ने निविदा दस्तावेज खरीदा है, ऐसे प्रस्तावों को अनचाहे माना जाता और अस्वीकार कर दिया जाता। सामान्य वित्तीय नियमों में हाल ही में किए गए संशोधन में 50,000/- रुपए तक की सामान्य भंडार वस्तुओं के प्रापण के लिए सीधे ऑर्डर देने का प्रावधान किया गया है, जबकि पहले सभी संभावित आपूर्तिकर्ताओं को निविदा जांच जारी करने की आवश्यकता होती थी और निर्धारित तिथि पर बंद निविदाओं के लिए सहायक क्रय अधिकारी और सार्वजनिक निविदाओं और दो भाग निविदाओं के लिए क्रय अधिकारी में से किसी एक द्वारा निविदाओं को मैन्युअल रूप से खोला जाता था।

सरकारी दिशा-निर्देशों के आधार पर कि सभी निविदाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जानी चाहिए, क्रभंनि ने उक्त सेवाओं के लिए बोलियां आमंत्रित करने के बाद मेसर्स नेक्स्टेंडर्स को अनुबंध प्रदान किया, जो सार्वजनिक/निजी भागीदारी पर अपने पोर्टल पर क्रभंनि निविदाओं को प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार थे, जिसका अर्थ है कि पोर्टल पर किसी भी बोली का प्रकाशन और संभावित बोलीदाता द्वारा किसी भी बोली को अपलोड करना खरीदार के साथ-साथ बोलीदाता द्वारा मेसर्स नेक्स्टेंडर को भुगतान के अधीन था।

चूंकि सरकारी प्रापण का कार्य एक प्रमुख कार्य है और पारदर्शिता रखने के लिए, भारत सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल नामक एक पोर्टल शुरू किया है और सभी निविदाएं सीपीपी पोर्टल के माध्यम से अपेक्षित थीं। सभी अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, क्रभंनि ने भी उक्त सीपीपी पोर्टल के माध्यम से निविदाएं शुरू कीं और उक्त पोर्टल पर बोलियों के प्रकाशन के लिए जिम्मेदार सभी संबंधित अधिकारियों को डीएससी जारी किए।

अगस्त 2016 में, भारत सरकार ने सरकारी ई मार्केट प्लेस की शुरुआत की। पोर्टल पूरी तरह से फेसलेस और संपर्क रहित है। प्रारंभ में सरकारी विभागों के लिए आवश्यक सभी वाहन जीईएम पोर्टल के माध्यम से खरीदे गए थे और मैं क्रभंनि में पहला अधिकारी था जिसे जीईएम पोर्टल में द्वितीयक खरीदार की भूमिका के लिए नामित किया गया था, धीरे-धीरे पोर्टल को अपग्रेड किया गया और सभी ऑफ-द-शेल्फ वस्तुओं को जीईएम पोर्टल पर विभिन्न बोलीदाताओं द्वारा सूचीबद्ध किया गया।

जीईएम आज के समय की जरूरत है और सार्वजनिक प्रापण में इसकी भूमिका पूरी तरह से अपरिहार्य है। सरकारी आदेश के अनुसार, सभी सार्वजनिक प्रापण गतिविधियाँ जीईएम पोर्टल के माध्यम से की जानी हैं। जैसे-जैसे जीईएम पोर्टल विकसित हुआ और विभिन्न मंत्रालयों की ज़रूरतों के अनुसार, कस्टम बिड और बीओक्यू बिडिंग जैसी सुविधाएँ भी शुरू की गईं। चूँकि पऊवि अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में लगा हुआ है और हमारी ज़रूरतें रणनीतिक प्रकृति की हैं, इसलिए कस्टम बिडिंग विभाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आज जीईएम के युग में, सभी प्रकार का प्रापण जीईएम पोर्टल पर किया जा सकता है, सिवाय उन वस्तुओं के, जिनके लिए जीएफआर में वैश्विक स्रोत के माध्यम से प्रापण की अनुमति है।

मैनुअल खरीद- जिसमें डाक द्वारा निविदा पूछताछ भेजना और बोलियां भौतिक रूप से खोलना शामिल था, से लेकर जीईएम जैसी पूर्णतया डिजिटल, पारदर्शी प्रणाली तक की यात्रा उल्लेखनीय रही है। ई-प्रापण की वजह से न केवल प्रक्रियाएं सरल हुई हैं, बल्कि सार्वजनिक प्रापण में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही भी आई है।

जब मैं क्रभंनि में अपने सफ़र को देखता हूँ, तो मुझे प्रापण कार्य के दोनों युगों- ऑफ़लाइन और ऑनलाइन तक, मैनुअल से लेकर ई-प्रापण तक, लालफीताशाही वाली भारी-भरकम फाइलों से लेकर कागज़-रहित दफ़्तर तक का हिस्सा होने पर गर्व होता है। मैंने क्रभंनि में अपने करियर की शुरुआत एक टाइपराइटर से की और इसे एक हाई एंडेड पर्सनल कंप्यूटर पर समाप्त किया। इस बदलाव का हिस्सा होने के नाते, इस परिवर्तन का हिस्सा होने के नाते, मैं भारत के प्रापण क्षेत्र के विकास में योगदान देने और उसका साक्षी बनने पर गर्व महसूस करता हूँ। जब मैं कार्यालय में शामिल हुआ, तो मैं एक छात्र था, जब मैंने कार्यालय छोड़ा, तब भी मैं एक छात्र था, सीखने और तलाशने के लिए और अधिक उत्सुक था।

आउटरीच

परमाणु ऊर्जा विभाग का सम्मेलन

ऐसी दुनिया में जहां प्रौद्योगिकी नई मुद्रा है, परमाणु ऊर्जा विभाग पिछले 71 वर्षों से प्रौद्योगिकी, परमाणु, स्वास्थ्य सेवा, कृषि और अनुसंधान क्षेत्रों में विकास के माध्यम से राष्ट्र की सेवा करते हुए एक ही लक्ष्य की ओर प्रयास कर रहा है- भारत को ऊर्जा के मामले में स्वतंत्र बनाना। परमाणु ऊर्जा विभाग न केवल भारत को विश्व के ऊर्जा मानचित्र में अग्रणी बनाने के लिए, बल्कि प्रत्येक नागरिक के लिए बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है।

परमाणु ऊर्जा विभाग के इतिहास में अपनी तरह का पहला सम्मेलन- 22 से 26 अक्टूबर, 2024 तक ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित परमाणु ऊर्जा विभाग के एक सहायता प्राप्त संस्थान, राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (नाइसर) में आयोजित किया गया। यह विभिन्न घटक इकाइयों में काम करने वाले प्रबुद्ध लोगों को एकजुट करने की दिशा में पहला कदम था। इसके पीछे दो विचार थे, पहला- वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, सेवा प्रदाताओं और शिक्षाविदों और नीति-निर्माताओं के सदस्यों के बीच सौहार्द को बढ़ावा देना।

यदि हमें सफल होना है तो उत्कृष्टता हेतु प्रयास करना सामूहिक प्रयास होना चाहिए, और पऊवि ने इन सभी महान लोगों को एक छत के नीचे लाकर ठीक यही लक्ष्य रखा। इसके अलावा, इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रत्येक क्षेत्र को अन्य सभी क्षेत्रों में हो रहे नए विकास से परिचित कराना था - ताकि प्रतिभागियों को नवीनता लाने और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में अग्रणी बनने के लिए प्रेरित किया जा सके।

नाइसर, भुवनेश्वर में व्यवस्थित तरीके से आयोजित पऊवि के इस सम्मेलन में पऊवि के विभिन्न संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले कई अग्रणी व्यक्तित्वों द्वारा विविध विषयों पर प्रस्तुतियाँ, वार्ताएँ और प्रदर्शन जैसी गतिविधियाँ शामिल थीं, जो सभी अपने नवाचारों में अत्याधुनिक थे। इस पाँच दिवसीय कार्यक्रम के तीन दिनों तक चला पोस्टर प्रस्तुति कार्यक्रम मुख्य आकर्षणों में से एक था, जिसमें छात्रों, पीएचडी विद्वानों और विभिन्न पऊवि संगठनों के अग्रदूतों की प्रस्तुतियाँ शामिल थीं।

पऊवि द्वारा बताए गए उद्देश्य सरल थे -

1. निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास प्रस्तुत करना:

   (i) ऊर्जा सुरक्षा

   (ii) खाद्य, जल सुरक्षा और शहरी अपशिष्ट प्रबंधन

   (iii) स्वास्थ्य देखभाल

   (iv) महत्वपूर्ण सामग्री, उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी, 3डी प्रिंटिंग, और लेजर, प्लाज्मा, एआई और एमएल, त्वरक, साइबर सुरक्षा जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां आदि।

   (v) इंस्ट्रूमेंटेशन और नियंत्रण प्रणालियों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियां

   (vi) शिक्षा और प्रशिक्षण में अनुसंधान और नवाचारों को निर्देशित करने वाले बुनियादी विज्ञानों में वैज्ञानिक उपलब्धि।

2. समाज, छात्रों, युवा शोधकर्ताओं, उद्योगों, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों आदि के लाभ हेतु पऊवि प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना।

पऊवि के तहत आनेवाले 28 संस्थानों के 500 से अधिक वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें

50 प्रदर्शक शामिल थे और 200 से अधिक पोस्टर प्रस्तुतियाँ दी गईं- जिनमें से एक क्रय और भंडार निदेशालय (क्रभंनि) द्वारा की गई थी, जिसमें निम्नलिखित विषयों को शामिल किया गया था:-

1. बड़े पैमाने पर वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और उद्योगपतियों को सेवा संगठन से परिचित कराने हेतु वैज्ञानिक जगत के लिए 'क्रभंनि का अवलोकन- राष्ट्रव्यापी पहुंच और इस प्रतिष्ठित संगठन की उत्पत्ति पर ध्यान केंद्रित करना'।

2. क्रभंनि की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली नीतियों में निम्नलिखित विषयों पर जोर दिया जाता है:

   (i) वित्तीय औचित्य के सिद्धांत - प्रतिभागियों को प्रापण के मूल नियमों से परिचित कराना

   (ii) प्रमुख प्रापण नीतियाँ, जैसे - सामान्य वित्तीय नियम (2017) इसके संशोधन; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नीति; मेक इन इंडिया नीति

   (iii) सार्वजनिक धन का उपयोग करते समय अनुचित प्रापण से जुड़े नुकसानों को ध्यान में रखना चाहिए जैसे:

      (ए) सार्वजनिक प्रापण नीति से संभावित विचलन
      (बी) सार्वजनिक धन और समय की बर्बादी
      (सी) संसाधनों की बर्बादी
      (डी) समान अवसर प्रदान करने में कमी
      (ई) भ्रष्टाचार

3. क्रभंनि में पारदर्शिता और सक्रिय कार्रवाई के लिए शिकायत निवारण के तरीके - नीतियों और सार्वजनिक निधियों के दुरुपयोग से उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले का समाधान करना और निम्नलिखित विनियमों का अनुपालन करना:

   (i) सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम पोर्टल

   (ii) पीपीपी-एमआईआई (2017) के उल्लंघन के लिए शिकायत पोर्टल

   (iii) केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस)

   (iv) क्रभंनि हेल्पडेस्क

   (v) मांगकर्ता सहायता डेस्क (support.indentor@dpsdae.gov.in)

   (vi) विक्रेता सहायता डेस्क (support.vendor@dpsdae.gov.in)

   (vii) सरकारी ई-मार्केटप्लेस घटना प्रबंधन नीति

4. क्रभंनि द्वारा वर्षों से समर्पित रूप से किए जा रहे अविश्वसनीय कार्य - क्रभंनि के कार्य को शामिल करने वाले सभी प्रमुख क्षेत्रों की एक तालिका- मांगपत्र, स्वदेशी और विदेशी अनुबंध, बिक्री आदेश, निपटाए गए स्क्रैप और वस्तुओं का संहिताकरण।

5. दक्षता के लिए क्रभंनि द्वारा अपनाई गई मानकीकृत प्रक्रियाएँ - मांगपत्रों का संपूर्ण प्रक्रियात्मक प्रवाह, सिस्टम में एंट्री करने के बाद समय पर प्रापण में सेवा प्रदान करना और मांगकर्ता/प्रतिभागियों द्वारा सामना की जाने वाली अनिश्चितताओं को दूर करना।

6. पारदर्शिता, दक्षता और समावेशिता के लिए जीएफआर (2017) के नियम 149 के अनुसार

क्रभंनि में अपनाए जाने वाले जीईएम प्रापण के तरीके -

(i) प्रत्यक्ष खरीद

(ii) एल1 3 ओईएम तुलना

(iii) उत्पाद आईडी आधारित बोली

(iv) कस्टम और बीओक्यू बोली

(v) रिवर्स नीलामी

(vi) फॉरवर्ड नीलामी

(vii) सेवा बोली

7. क्रभंनि के अंग- कार्यकुशलता को अधिकतम करने और हर संसाधन का उपयोग करने हेतु आवंटित किए गए हैं और हर दिन राष्ट्र की सेवा करने के लिए एकदम सही तालमेल के साथ काम कर रहे हैं

(i) क्रय

(ii) भंडार

(iii) लेखा

(iv) प्रशासन

8. क्रभंनि के वर्तमान केंद्रित लक्ष्य और भविष्य के दीर्घकालिक चिंतन शिविर अमृतकाल 2047 के लक्ष्य - उन्हें स्मार्ट (विशिष्ट, मापने-योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध) बनाए रखना और यह देखना है कि वे समग्र रूप से परमाणु ऊर्जा विभाग के लक्ष्यों के साथ किस प्रकार जुड़े हुए हैं और इसके माध्यम से किए गए व्यापक कार्यों को लोगों तक पहुँचाने की उम्मीद है, तथा इसे प्राप्त करने के लिए सभी से संपर्क और सहयोग प्राप्त करने की आशा है।

9. इंडेंटिंग अधिकारियों से अपेक्षाएँ – वे प्रापण की प्रक्रिया शुरू करने वाले पहले व्यक्ति होते हैं, और वे अपनी जरूरतों के प्रापण को आसान बनाने हेतु इस प्रक्रिया को गति देने में मदद कर सकते हैं- ताकि संभाव्य देरी और प्रक्रियागत लालफीताशाही को कम किया जा सके।

क्रभंनि को पऊवि द्वारा 22 से 26 अक्टूबर, 2024 तक ओडिशा के नाइसर में आयोजित पहले कॉन्क्लेव में भागीदार के रूप में इतिहास का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिससे क्रभंनि को कई लोगों तक पहुंचने में मदद मिली और पूरे विभाग के लाभ हेतु संचार और सूचना के आदान-प्रदान के रास्ते खुल गए।

प्रतिभागियों को पोस्टर के लिए केवल एक दिन आवंटित किया गया था, लेकिन निदेशक, क्रभंनि के विशेष अनुरोध और पहल तथा पऊवि सम्मेलन के आयोजकों के सौजन्य से, क्रभंनि को पोस्टर प्रस्तुतियों के सभी तीन दिनों में भाग लेने का अनूठा अवसर प्रदान किया गया।

इसके अलावा, क्रभंनि को पहला स्लॉट दिया गया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि इसका उपयोग आगंतुकों द्वारा किया जा सके, जिसमें सम्मेलन के प्रतिभागियों के साथ-साथ नाइसर के छात्र समुदाय भी शामिल थे। क्रभंनि द्वारा प्रस्तुत पोस्टर अपनी विषय-वस्तु की प्रकृति में अद्वितीय था, इसने प्रतिभागियों पर काफी प्रभाव डाला। यह पोस्टर सेवा उन्मुख 'बेमेल' होने के कारण, इसने अधिक ध्यान और रुचि आकर्षित की, साथ ही सार्वजनिक प्रापण के बारे में वास्तविक जिज्ञासा भी पैदा की- कुछ ऐसा जिसके बारे में वैज्ञानिक आबादी में से कई लोगों को पहली बार पता चला। प्रस्तुति के दौरान पूछे गए अधिकांश प्रश्न जीईएम पोर्टल के माध्यम से प्रापण

गतिविधियों के बारे में थे। प्रस्तुति में आए अधिकांश आगंतुकों के लिए 'सार्वजनिक प्रापण' ज्ञान का एक नया क्षेत्र होने के कारण, इस विषय के प्रति तुरंत ही रुचि पैदा निर्माण हो गई और यह सभी के बीच पसंदीदा विषय बन गया, जिसमें प्रापण चक्र और प्रापण के तरीकों पर विशेष ध्यान दिया गया। प्राप्त प्रतिक्रिया इतनी अविश्वसनीय रूप से जबरदस्त थी कि सम्मेलन में भाग लेने वाले संगठनों ने जीईएम से संबंधित गतिविधियों पर क्रभंनि द्वारा प्रशिक्षण सत्रों को आयोजित किए जाने की संभावना के बारे में भी पूछताछ की, जिसे सहर्ष स्वीकार कर लिया गया और आवश्यकता पड़ने पर संपर्क विवरण साझा किए गए।

नाइसर में आयोजत परमाणु ऊर्जा विभाग के इस सम्मेलन के आयोजकों द्वारा सार प्रस्तुत करने, पोस्टर प्रस्तुत करने और आवास की व्यवस्था के बारे में दिए गए हार्दिक सहयोग और आतिथ्य का यहाँ उल्लेख न करना अनुचित होगा। यहां तक कि कई दिनों तक राज्य को प्रभावित करने वाले भयंकर चक्रवाती तूफ़ान दाना के बावजूद, प्रत्येक प्रतिभागी का उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ। बजाय इसके, यह सम्मेलन न केवल जारी रहा, बल्कि भारत के वैज्ञानिक समुदाय का जश्न मनाने के लिए सभी गुटों के एक साथ आने से यह और भी कामयाब रहा। यह एक बहुत जरूरी आयोजन था तथा सहकर्मियों और नीति-निर्माताओं के बीच एकजुटता हेतु एक सफल प्रयास था और क्रय एवं भंडार निदेशालय को उनमें से एक होने और सफलता के मार्ग पर अपनी छाप छोड़ने पर गर्व महसूस होता है।

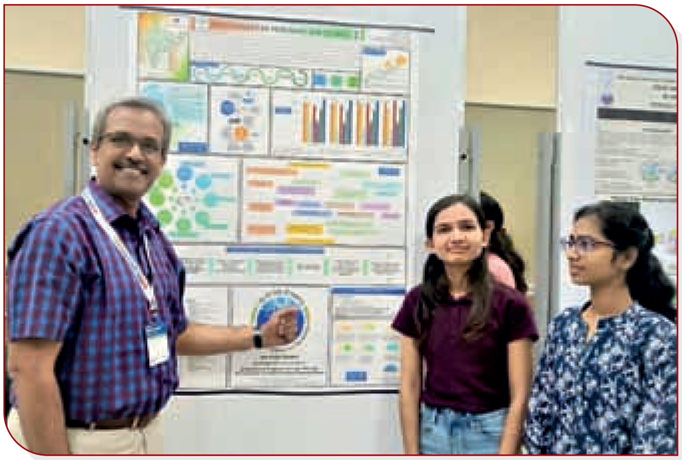

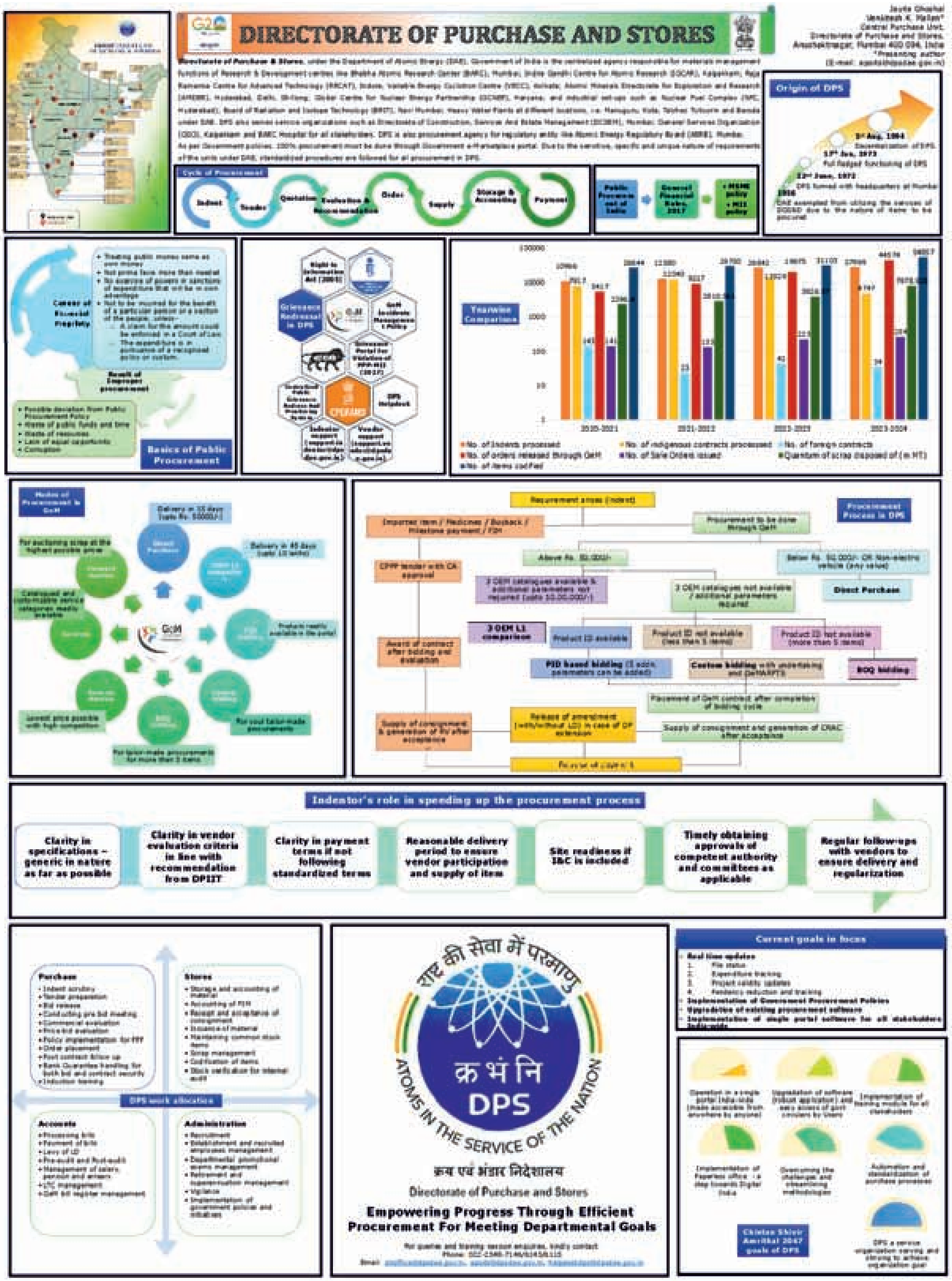
DIRECTORATE OF PURCHASE AND STORES
Origin of DPS
Cycle of Procurement
Indent
Tender
Quotation
Evaluation & Recommendation
Order
Supply
Storage & Accounting
Payment
Yearwise Comparison
Basics of Public Procurement
Modes of Procurement in GeM
Procurement Process in DPS
Indentor's role in speeding up the procurement process
Clarity in specifications – generic in nature as far as possible
Clarity in vendor evaluation criteria in line with recommendation from DPIIT
Clarity in payment terms if not following standardized terms
Reasonable delivery period to ensure vendor participation and supply of item
Site readiness if I&C is included
Timely obtaining approvals of competent authority and committees as applicable
Regular follow-ups with vendors to ensure delivery and regularization
DPS work allocation
Purchase
Stores
Accounts
Administration
Current goals in focus
राष्ट्र की सेवा में परमाणु
क्र भं नि
DPS
ATOMS IN THE SERVICE OF THE NATION
क्रय एवं भंडार निदेशालय
Directorate of Purchase and Stores
Empowering Progress Through Efficient Procurement For Meeting Departmental Goals

एमएसएमई के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम

मेसर्स ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास मंत्रालय और अंधेरी ईस्ट, मुंबई में स्थित उनके सुविधा कार्यालय के सहयोग से दिनांक 12 और 13 फरवरी, 2025 को एक विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किया। इस विक्रेता विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई के लिए- विशेष रूप से रबर उत्पादों के लिए मंच तैयार करना था।

उनके निमंत्रण पर, क्रभंनि के निदेशक द्वारा विक्रेता विकास कार्यक्रम में क्रभंनि/पऊवि का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। श्रीमती राजश्री वाघमारे, क्रय अधिकारी, श्री दीपक के.एस., सहायक भंडार अधिकारी, श्री सलिल कुमार, भंडारी की एक समिति ने विक्रेता विकास कार्यक्रम में क्रभंनि /पऊवि का प्रतिनिधित्व किया। उद्घाटन सत्र के बाद, क्रभंनि द्वारा प्रापण प्रक्रिया पर एक प्रस्तुति दी गई जिसमें क्रभंनि/पऊवि की गतिविधियों के साथ-साथ बोली प्रक्रिया के दौरान बोली लगाने वाले द्वारा पालन की जाने वाली अनिवार्य आवश्यकताओं को दर्शाया गया। इस प्रस्तुति में जीईएम पोर्टल के बारे में विक्रेता जागरूकता की आवश्यकता और बोली प्रक्रिया के दौरान क्रभंनि द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों जैसे एमएसएमई निर्माताओं की कम भागीदारी, आवश्यकता के अनुसार उत्पाद की गुणवत्ता से मेल खाने में एमएसई आपूर्तिकर्ता की लगातार विफलता, अनुबंधों का निष्पादन न करना आदि पर भी जोर दिया गया। सत्र के दौरान विक्रेताओं द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का समाधान किया गया और उनका उत्तर दिया गया, जिसकी एमएसएमई के सहायक निदेशक श्री प्रफुल उमरे ने सराहना की।

भापअकेंद्र में रबर उत्पादों की आवश्यकता का पता लगाने हेतु, बीटीएस के माध्यम से एक नोट प्रसारित किया गया था, जिसके अनुसार सुरक्षा जूते, रबर हैंड दस्ताने, रबर गास्केट, रबर वाल्व आदि के नमूने प्राप्त हुए और उन्हें क्रभंनि द्वारा इस कार्यक्रम में प्रबंधित एक स्टाल में प्रदर्शित किया गया। स्टाल पर आने वाले आगंतुकों को भापअकेंद्र की उत्पाद आवश्यकता के बारे में जानकारी दी गई और उन्हें एमएसएमई आरक्षित वस्तुओं की आपूर्ति के लिए जीईएम में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया गया।

इस विक्रेता विकास कार्यक्रम के दौरान आरक्षित वस्तुओं, लिवरी वस्तुओं और वस्तुओं की गुणवत्ता के लिए एमएसई विक्रेताओं की गैर-भागीदारी से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए एमएसएमई अधिकारियों के साथ बातचीत का कार्यक्रम भी रखा गया था। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि इस संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

दो दिवसीय विक्रेता विकास कार्यक्रम का समापन सरकारी खरीदारों के अभिनंदन और एमएसएमई के सहायक निदेशक श्री प्रफुल उमरे तथा एमएसएमई के निदेशक श्री बारापात्रे द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट समारोह के साथ हुआ। इस विक्रेता विकास कार्यक्रम में क्रभंनि की सक्रिय और उत्साही भागीदारी के लिए अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ से प्रशंसा पत्र दिया गया।

Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises (MSME), Government of India
in Association with
ALL INDIA RUBBER INDUSTRIES ASSOCIATION, WESTERN REGION
AIRIA
OUR VALUED BUYERS

Certificate of Participation

VENDOR DEVELOPMENT PROGRAM (VDP)

विक्रेता बैठकें

क्रय एवं भंडार निदेशालय (क्रभंनि), एक सेवा संगठन है, जिसे परमाणु ऊर्जा विभाग के लिए सामग्री प्रबंधन और संबद्ध सेवाएं प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है, जो विभाग की विभिन्न परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभाग की आवश्यकता अत्यधिक तकनीकी और रणनीतिक है, इसलिए वस्तुओं का स्रोत खोजना एक वास्तव में एक चुनौती है। प्रापण में, मूल उद्देश्य लागत और आवश्यकता के बीच सही संतुलन हासिल करना होता है। साथ ही, सार्वजनिक प्रापण एक गतिशील क्षेत्र है, जहाँ नीतियों की लगातार समीक्षा की जाती है और कार्यान्वयन में बदलाव के लिए उन्हें उन्नत किया जाता है। योग्य और सक्षम आपूर्तिकर्ता सार्वजनिक प्रापण में दक्षता, अर्थव्यवस्था और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं।

क्रय एजेंसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सही स्रोत की पहचान करने की उनकी क्षमता है। तकनीकी प्रगति की तीव्र गति ने सोर्सिंग के बड़े रास्ते खोल दिए हैं। इनमें से एक रास्ता भारत सरकार की विभिन्न पहलों पर सूचना के प्रसार के लिए विक्रेता बैठकें आयोजित करना हैं और फीडबैक तथा विचारों के मुक्त प्रवाह की अनुमति देना है।

विक्रेता बैठक के माध्यम से वैज्ञानिक और अनुसंधान गतिविधियों के लिए आवश्यक गैर-मानक वस्तुओं के बारे में जानकारी संभावित आपूर्तिकर्ताओं के साथ साझा की जाती है। जीईएम पोर्टल पर क्या करें और क्या न करें, प्राप्तकर्ता की भूमिका, प्रस्ताव प्रस्तुत करना, जीईएम रिवर्स नीलामी, बाय-बैक नीलामी आदि, एमएसई के लिए प्रापण नीतियां, सामान्य स्टॉक वस्तुओं की खरीद, दवाओं की खरीद, वस्तुओं की डिलीवरी और गुणवत्ता कैसे आवश्यक है और यह पऊवि के लिए किस प्रकार से बहुत अभिन्न है आदि पर प्रस्तुतियाँ दी जाती हैं।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रभावी प्रथाओं के बारे में क्रेता और विक्रेता दोनों के लिए एक सीखने का एक मंच प्रदान करना है, जिसका पालन प्रत्येक को विक्रेता आधार को व्यापक बनाने, नए विक्रेताओं के विकास और खरीदारों की आवश्यकताओं को समझने के लिए करना चाहिए।

वर्ष 2024-2025 के लिए, भारत भर में विभिन्न स्थानों पर विक्रेता बैठकें आयोजित की गईं, जिससे विक्रेताओं को अपने-अपने स्थानों पर भाग लेने की सुविधा मिली। प्रत्येक बैठक में एक खुला प्रश्नोत्तर सत्र रखा गया, जहाँ भाग लेने वाले विक्रेताओं ने अधिकारियों के साथ चिंता के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की और अपने प्रश्नों का स्पष्टीकरण प्राप्त किया। विक्रेता आधार को व्यापक बनाने के लिए क्रभंनि द्वारा की गई पहलों और उपयुक्त उद्यमियों को खोजने के लाभों पर प्रकाश डालते हुए बैठकों का समापन किया गया, जिससे कई उत्पादों को स्वदेशी बनाने में मदद मिली।

क्रभंनि के विभिन्न एककों में आयोजित विक्रेता बैठकों का सारांश इस प्रकार है:

केंद्रीय क्रय एकक चिकित्सा विक्रेताओं की बैठक

विक्रेता-क्रेता बैठक दिनांक 23 अगस्त, 2024 को मुंबई में केंद्रीय क्रय इकाई (क्रभंनि) में आयोजित की गई थी। इस बैठक में निर्माताओं और वितरकों सहित 53 विक्रेताओं के 78 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. डी.के. असवाल, समूह निदेशक, एचएसएंडईजी और एसोसिएट निदेशक, मेडिकल ग्रुप, बीएआरसी थे। अन्य उपस्थित लोगों में श्री वेद सिंह, निदेशक, क्रभंनि, श्री पी.वी.एस. चंद्रशेखर,

सलाहकार, क्रभंनि, डॉ. एस.यू. नाडकर्णी, चिकित्सा प्रभाग के प्रमुख, उप निदेशक और क्रभंनि के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

बैठक का उद्देश्य दवा उद्योग के विक्रेताओं के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध बनाना, अनुभव साझा करना तथा व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए बाधाओं को दूर करना था। डॉ. एस.यू. नाडकर्णी ने प्रापण प्रक्रिया में उपयोगकर्ता विभाग की भूमिका तथा फार्माकोपिया समिति पर चर्चा की। श्री वेद सिंह ने भाग लेने वाले विक्रेताओं को धन्यवाद दिया तथा उन्हें बैठक का लाभ उठाने तथा अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर लेने की सलाह दी।

डॉ. असवाल ने कहा कि क्रभंनि परमाणु ऊर्जा विभाग के लिए एकमात्र प्रापण एजेंसी है तथा बैठक से प्रापण प्रक्रिया में आने वाली विभिन्न समस्याओं को समझने तथा अस्पतालों एवं औषधालयों को समय पर दवाइयों की आपूर्ति में मदद मिलेगी। अन्य प्रस्तुतियों में दवाइयों के प्रापण हेतु नियम एवं शर्तें, दवाइयों की आपूर्ति एवं प्राप्ति, तथा केंद्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल पर क्रभंनि निविदाओं के लिए बोली लगाते समय बरती जाने वाली सावधानियों जैसे विषयों को शामिल किया गया।

इसके पश्चात एक संवादात्मक सत्र हुआ, जिसमें विक्रेताओं ने 21 दिन की डिलीवरी अवधि के प्रस्ताव, थोक प्रापण, दवाइयों की 80% शेल्फ लाइफ, उच्च ईएमडी राशि, दर अनुबंध समाप्ति तथा भुगतान में देरी से संबंधित प्रश्न पूछे। सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर विक्रेता संतुष्ट हुए।

इंदौर क्षेत्रीय क्रय एवं भंडार एकक, इंदौर

14 सितंबर, 2024 को विक्रम साराभाई हॉल, कन्वेंशन सेंटर आरआरसीएटी, इंदौर में "क्रेता विक्रेता बैठक" आयोजित की गई। देश भर से 51 बोलीदाताओं/विक्रेताओं सहित लगभग 100 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। इस बैठक का उद्देश्य तकनीकी उपयोगकर्ता और क्रय पक्ष के उद्देश्यों को संबोधित करना था, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुतियाँ दी गईं। बैठक का उद्घाटन आरआरसीएटी के अपर निदेशक श्री टी.ए. पुणतांबेकर ने किया और उद्घाटन भाषण आरआरसीएटी के निदेशक श्री उन्मेश डी. मालशे ने दिया। तकनीकी प्रस्तुति के दौरान, टीडीएसजी के निदेशक श्री जिष्णु द्विवेदी ने 'भारत में लिनक्स के निर्माण के महत्व' पर प्रकाश डाला। एक्सेलरेटिंग स्ट्रक्चर डेवलपमेंट लैब के प्रमुख श्री आर एस संधा ने लिनक्स के निर्माण की समग्र योजना प्रस्तुत की। दोपहर के भोजन के बाद के सत्र में, इंदौर क्षेत्रीय क्रय और भंडार एकक के क्षेत्रीय निदेशक श्री अविनाश पुणतांबेकर ने जीएफआर के नियम 149 की शुरूआत के साथ विशेष रूप से जीईएम युग में नई प्रापण प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों पर चर्चा की। उन्होंने प्रापण नीतियों में बदलावों के बारे में बताया तथा क्रय, भंडार, लेखा से संबंधित मुद्दों को प्रस्तुत किया और विक्रेताओं को बताया कि अस्वीकृति से बचने के लिए अपने प्रस्तावों को सही तरीके से कैसे प्रस्तुत किया जाए।

अंतिम सत्र उद्योग प्रतिभागियों और तकनीकी उपयोगकर्ता पक्ष के प्रतिनिधियों के साथ एक बातचीत सत्र के रूप में था, जिसमें अग्रिम भुगतान, जीईएम में प्रापण के तीन-चरणीय निविदा मोड और भुगतानों की समय पर प्रक्रिया की आवश्यकता के बारे में चर्चा की गई। सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर विक्रेता संतुष्ट हुए।

बैठक का समापन श्री आरएस संधा के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिसमें उन्होंने सुनिश्चित किया कि इस बैठक से उपयोगकर्ताओं द्वारा तकनीकी आवश्यकताओं को ठीक से तैयार करने और बोलीदाताओं द्वारा बोलियों को सही ढंग से प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय उद्योगों द्वारा औद्योगिक लिनक्स के निर्माण के लिए प्रापण प्रक्रिया में आसानी होगी।

क्रय एवं भंडार एकक, कोलकाता

वर्ष 2024-25 के लिए प्रिस संबंधी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिनांक 8 नवंबर 2024 को क्रभंनि, वीईसीसी, कोलकाता में एक क्रेता-विक्रेता बैठक आयोजित की गई थी। इस कार्यक्रम में पूर्वी क्षेत्र में स्थित परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाइयों में आवश्यक उत्पादों और सेवाओं के लिए बिक्री, क्रय, सेवा, लॉजिस्टिक्स और और सी.एच.ए. से संबंधित 120 संभावित ठेकेदारों, क्रेताओं और विक्रेताओं ने भाग लिया। पंजीकरण काउंटर का उद्घाटन क्रभंनि के निदेशक श्री वेद सिंह, ने किया; इस अवसर पर श्री सुमित सोम, प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और अन्य भी उपस्थित थे। अतिथि वक्ता श्री सुभाष राम, वैज्ञानिक अधिकारी/जी और प्रभारी, एएमडी, कोलकाता ने एएमडी के भूवैज्ञानिकों द्वारा आवश्यक वस्तुओं की विशिष्ट और अनोखी प्रकृति और पूर्वी क्षेत्र में उनके प्रापण से जुड़े मुद्दों को साझा किया। डॉ. अरूप बंद्योपाध्याय, उत्कृष्ट वैज्ञानिक, वीईसीसी, कोलकाता ने "कैसे वस्तुओं की डिलीवरी और गुणवत्ता आवश्यक है और परमाणु ऊर्जा विभाग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है' इस विषय पर विस्तृत प्रस्तुति दी।

क्रेता और विक्रेता के रूप में पंजीकरण कैसे करें, फॉरवर्ड नीलामी, सेवा अनुबंध, लॉजिस्टिक्स, जीईएम के माध्यम से सीएचए समाशोधन सेवाएं, रिवर्स नीलामी, बाय-बैक नीलामी आदि के बारे में जागरूकता लाने के लिए जीईएम प्रशिक्षक श्री अभिषेक नायक द्वारा प्रस्तुतियां दी गईं। बोलीदाताओं को बोली लगाने संबंधी ज्ञान को बढ़ाने के लिए "प्राप्तकर्ता की भूमिका", "प्रस्ताव प्रस्तुत करना" पर भी प्रस्तुतियां दी गईं।

मद्रास क्षेत्रीय क्रय एवं भंडार एकक, चेन्नई

दिनांक 26 नवंबर 2024 को मद्रास क्षेत्रीय क्रय एव भंडार में एक मेडिकल विक्रेता बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रापण प्रक्रिया, प्राप्ति और स्वीकृति, और आपातकालीन और जीवन रक्षक दवाएं प्राप्त करने में आनेवाली कठिनाइयों पर चर्चा की गई। इस बैठक में 28 विक्रेताओं ने भाग लिया। डॉ. किथेरी जोसेफ, क्षेत्रीय निदेशक, मद्रास क्षेत्रीय क्रय एव भंडार एकक, डॉ. आर. दिवाकर, समूह निदेशक, एमएमजी, मेडिकल ग्रुप, जीएसओ-पऊवि अस्पताल, डॉ. मीना नायर, चिकित्सा अधीक्षक और एस. अन्नपूर्णी, क्रय अधिकारी ने बैठक में

भाग लिया। क्रेता के दृष्टिकोण से दवाओं के प्रापण, निविदा प्रक्रिया, सरकारी नीतियों और प्रस्तावों को स्वीकार करने के बुनियादी सिद्धांतों पर एक व्याख्यान दिया गया तथा आपूर्ति के साथ अनिवार्य दस्तावेजों की सूची और आपूर्ति को अस्वीकार करने के कारणों के बारे में भी विस्तार से बताया गया। बैठक में एक संवादात्मक सत्र, फीडबैक फॉर्म जमा करना भी शामिल था तथा राष्ट्रगान के साथ बैठक का समापन हुआ।

केंद्रीय भंडार एकक, मुंबई

एमएसई/एमएसएमई विक्रेताओं को क्रभंनि की प्रापण नीतियों में नए विकास से अवगत कराने के उद्देश्य से दिनांक 11 दिसंबर 2024 को एक विक्रेता क्रेता बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 59 विक्रेताओं ने भाग लिया। विक्रेता बैठक का प्राथमिक उद्देश्य विक्रेताओं/स्क्रैप डीलर को विभिन्न स्क्रैप वस्तुओं के प्रापण/निपटान के क्षेत्र में वर्तमान स्थिति का मूलभूत ज्ञान दिलाना था। विक्रेताओं को सामान्य स्टॉक वस्तुओं की खरीद, गैसों और सेवा अनुबंधों के समापन, निपटान गतिविधियों, केंद्रीय भंडार द्वारा जीईएम अनुबंध के तहत सामग्री के प्रसंस्करण से संबंधित विभिन्न विभिन्न प्रस्तुतियों के माध्यम से अवगत कराया गया। भापअकेंद्र के सुरक्षा अनुभाग ने भापअकेंद्र में सुरक्षा की भूमिका प्रस्तुत की और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके बाद एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया, जिसमें विक्रेताओं ने डिलीवरी अवधि विस्तार, बोली वैधता अवधि, प्राप्तकर्ता द्वारा सामग्री की प्राप्ति आदि से संबंधित कई प्रश्न उठाए। यह सत्र दोनों पक्षों के लिए अत्यंत जानकारीपूर्ण सर रहा।

केंद्रीय क्रय एकक, मुंबई

केंद्रीय क्रय एकक, क्रभंनि ने दिनांक 8 जनवरी 2025 को सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के साथ विक्रेता-क्रेता बैठक आयोजित की। इस कार्यक्रम में 67 विक्रेताओं के 87 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में परमाणु ऊर्जा विभाग के सीसीए श्री संदीप उके मुख्य अतिथि थे और बीएआरसी के आरपीडी प्रमुख श्री धर्मेंद्र नारायण बैठक के विशेष अतिथि थे। एमएसएमई के संयुक्त निदेशक श्री नितिन बारापात्रे और एमएसएमई के सहायक निदेशक श्री प्रफुल उमरे आमंत्रित अतिथि थे। क्रभंनि के निदेशक श्री वेद सिंह, क्रभंनि के सलाहकार श्री पीवीएस चंद्रशेखर, क्रभंनि के उप निदेशक और

वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। एमएसएमई के मुख्य अतिथियों ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए विभिन्न प्रापण नीतियों के बारे में विस्तार से बताया, जिनमें छूट एवं रियायतें, सामान्य स्टॉक आवश्यकताएं, सामग्री की प्राप्ति एवं स्वीकृति, तथा भुगतान शर्तें शामिल थीं। “जीईएम पोर्टल पर क्या करें और क्या न करें”, “एमएसई के लिए खरीद नीतियां जिसमें एमएसई के लिए छूट और रियायतों को दर्शाया गया है”, “सामान्य स्टॉक आवश्यकताएं, सामग्री की प्राप्ति और स्वीकृति” और “विक्रेताओं को भुगतान जिसमें भुगतान जारी करने में देरी के लिए जिम्मेदार कारणों को दर्शाया गया है” पर प्रस्तुतियां दी गईं। बैठक का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक प्रापण प्रणाली में पारदर्शिता पर ध्यान केंद्रित करना और विक्रेताओं के प्रश्नों का समाधान करना था। विक्रेताओं को स्थानीय सामग्री के प्रमाणीकरण, जीईएम पोर्टल में भुगतान शर्तों, रिवर्स नीलामी और प्रदर्शन बांड के बारे में जागरूक किया गया।

क्रभंनि भंडार एकक, कलपक्कम

दिनांक 12 फरवरी 2025 को जीईएसओ एनेक्सी बिल्डिंग, कलपक्कम में फॉरवर्ड नीलामी और जीईएम पोर्टल के माध्यम से अन्य सेवा अनुबंधों के माध्यम से स्क्रैप/अनुपयोगी वस्तुओं के निपटान में जानकारी और भागीदारी पर चर्चा करने के लिए एक विक्रेता बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 27 स्क्रैप खरीदारों और सेवा प्रदाताओं ने भाग लिया, जिसमें मुख्य अतिथि, गणमान्य व्यक्ति और प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में स्क्रैप उत्पादन, निपटान के विभिन्न चरणों और जीईएम पोर्टल के माध्यम से फॉरवर्ड नीलामी और सेवाओं में भाग लेने की प्रक्रियाओं पर चर्चा की गई। फीडबैक एकत्र किया गया और बैठक में उपस्थित लोगों के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

हैदराबाद क्षेत्रीय क्रय एवं भंडार एकक, हैदराबाद

हैदराबाद क्षेत्रीय क्रय एवं भंडार एकक (एचआरपीएसयू), परमाणु ईंधन परिसर (एनएफसी), हैदराबाद द्वारा दिनांक 18 फरवरी 2025 को गुरुकुल कॉम्प्लेक्स में विक्रेता-क्रेता बैठक 2025 का आयोजन किया गया। प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी एनएफसी, डॉ कोमल कपूर ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री वी नागा भास्कर, क्षेत्रीय निदेशक, एचआरपीएसएयू और एनएफसी के अन्य कार्यकारी समिति के सदस्य भी शामिल हुए।

क्षेत्रीय निदेशक ने अपने संबोधन में कहा कि इस बैठक के आयोजन का उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बढ़ावा देना और विकसित करना, सरकारी दिशानिर्देशों/ नीतियों के अनुपालन में एमआईआई पहलों को प्रोत्साहित करना और विक्रेताओं को एनएफसी में

अपनाई जा रहे प्रापण जीवन चक्र तंत्र की समग्र जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। श्री वेद सिंह, निदेशक, क्रभंनि, मुंबई, अपनी व्यस्तता के कारण इस बैठक में शामिल नहीं हो सके, उन्होंने इस अवसर पर एक ऑडियो-वीडियो संदेश भेजा, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि ये बैठकें विक्रेताओं को हमारे विभाग की वर्तमान आवश्यकताओं को समझने में सक्षम बनाती हैं। एनएफसी के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी, प्रतिष्ठित वैज्ञानिक डॉ. कोमल कपूर ने कहा कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हाल के विकास से प्रापण की बड़ी जरूरतें निर्माण हुई हैं।

एनएफसी के सामग्री नियोजन अनुभाग के महाप्रबंधक श्री वी. श्रीनिवास राव ने एक प्रस्तुति दी, जिसमें एनएफसी द्वारा वार्षिक आधार पर नियमित रूप से खरीदे जाने वाले उत्पादों, उपभोग्य सामग्रियों और कच्चे माल की विस्तृत सूची और उनकी संबंधित मात्राओं को प्रस्तुत किया गया तथा एनएफसी द्वारा किए गए पांच वर्षों के प्रापण का सारांश भी प्रस्तुत किया गया। क्रय अनुभाग द्वारा दी गई प्रस्तुति में नवीनतम सरकारी दिशा-निर्देशों और बोलियों को अपलोड करते समय बरती जाने वाली सावधानियों पर चर्चा की गई, जबकि भंडार अनुभाग द्वारा दी गई प्रस्तुति में माल की डिलीवरी और परिवहन अनुबंधों के विषय पर चर्चा की गई, जिसमें माल प्राप्त करने और निःशुल्क जारी सामग्री जारी करने के दौरान भंडार अनुभाग की प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। अंत में लेखा अनुभाग की ओर से प्रस्तुतीकरण में सुचारू एवं परेशानी मुक्त भुगतान निपटान संबंधी आवश्यकताओं के बारे में बताया गया।

अंत में रखे गए एक इंटरैक्टिव सत्र में, प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, रिवर्स नीलामी, मूल्य मिलान, ईएमडी की वापसी और जीईएम पर भुगतान प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न प्रश्नों का समाधान किया गया। सभी विक्रेताओं से विधिवत भरे गए फीडबैक फॉर्म प्राप्त किए गए। विक्रेताओं से प्राप्त फीडबैक के समग्र सारांश से पता चला कि यह बैठक बहुत ही इंटरैक्टिव और वास्तव में जानकारीपूर्ण थी। बैठक का समापन धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ, जिसके बाद सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया गया।

एएमडीईआर - उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली

दिनांक 21 मार्च, 2025 को कॉन्फ्रेंस हॉल, एएमडीईआर, उत्तरी क्षेत्र, पश्चिम ब्लॉक-VII, आर.के. पुरम, सेक्टर- I, नई दिल्ली - 110066 में एक विक्रेता-क्रेता बैठक आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में निर्माताओं और वितरकों सहित 32 विक्रेताओं के 34 प्रतिनिधियों के साथ-साथ एएमडीई, उत्तरी क्षेत्र के 12 प्रभारी/अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत एक उद्घाटन सत्र, दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुई।

विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों और अतिथियों के मुख्य भाषणों में डॉ. दीप प्रकाश, विशेष कार्य अधिकारी, परियोजना निदेशक, जीसीएनईपी (मुख्य अतिथि), डॉ. जॉयदीप सेन, क्षेत्रीय निदेशक, एएमडी उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली (विशिष्ट अतिथि), श्री वेद सिंह, निदेशक, क्रभंनि, श्री तुषार अग्रवाल, श्री पी.वी.एस. चंद्रशेखर, सलाहकार, क्रभंनि, श्रीमती मंदाकिनी भांगे, उप निदेशक, पीएंडएस, भंडार अधिकारी, सहायक भंडार अधिकारी और डीपीएस के सहायक क्रय अधिकारी शामिल थे।

सीएसयू की भंडार अधिकारी श्रीमती वसुंधरा मोरुडकर ने परमाणु ऊर्जा विभाग (पऊवि) के भीतर क्रय एवं भंडार निदेशालय (क्रभंनि) की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, जो इसकी विभिन्न इकाइयों की विविध मांगों को पूरा करता है। पीएंडएस की उप निदेशक श्रीमती मंदाकिनी भांगे ने बैठक के उद्देश्यों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की तथा विक्रेताओं और खरीदारों के बीच सार्थक बातचीत के लिए एक खुला और समावेशी मंच स्थापित करने के महत्व पर जोर दिया।

क्रभंनि के सलाहकार श्री पी.वी.एस. चंद्रशेखर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि किसी भी प्रणाली की सफलता प्रतिभागियों की समझ पर निर्भर करती है, उन्होंने विभाग के उद्देश्यों को प्राप्त करने में विक्रेता सहयोग के महत्व पर जोर दिया। एएमडी उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. जॉयदीप सेन ने विक्रेताओं का स्वागत किया और विभाग द्वारा अपने विक्रेताओं से गुणवत्तापूर्ण कार्य की अपेक्षा पर जोर दिया।

जीसीएनईपी के ओएसडी और परियोजना निदेशक डॉ. दीप प्रकाश ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की अध्यक्षता की और इस कार्यक्रम को सहयोग को बढ़ावा देनेवाले और आपसी विकास को सुगम बनानेवाले एक असाधारण मंच के रूप में रेखांकित किया। उन्होंने विभाग के बारे में जानने और विक्रेताओं को अपने दृष्टिकोण साझा करने के लिए प्रोत्साहित करने, और अधिक सामंजस्यपूर्ण वातावरण को बढ़ावा देने में कार्यक्रम के महत्व पर भी बल दिया।

आयोजन

महिला दिवस समारोह

मुंबई

8 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सिर्फ़ प्रशंसा और आभार प्रकट करने का अवसर नहीं है; बल्कि यह कार्यबल में महिलाओं के अथक और दृढ़ योगदान को स्वीकार करने का एक मौका है। इस वर्ष, थीम 'कार्रवाई में तेजी लाना' निर्धारित की गई थी, जो वास्तविक समय में बदलाव हेतु कदम उठाने के लिए साधारण जागरूकता से आगे बढ़ने का आह्वान है। इक्कीसवीं सदी में प्रवेश करने के बाद, अब निष्क्रिय रूप से जश्न मनाना ही पर्याप्त नहीं है, हमें वह बदलाव लाने के लिए कदम उठाने होंगे जो हम देखना चाहते हैं - समानता का भविष्य।

क्रय एवं भंडार निदेशालय (क्रभंनि) ने ने 7 मार्च, 2025 (शुक्रवार) को मल्टीपर्पज हॉल ट्रेनिंग स्कूल हॉस्टल, अणुशक्तिनगर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। मंच पर गणमान्य व्यक्तियों और मुख्य अतिथियों का स्वागत किए जाने के बाद श्रीमती शशिकला कांबले, श्री वेद सिंह, (निदेशक, क्रभंनि) और श्री एस. वाई. कांबले, (सीएओ, क्रभंनि) की उपस्थिति में, कार्यक्रम की शुरुआत शुभ संकेत देने के लिए श्रीमती शशिकला कांबले (मुख्य अतिथि), श्रीमती मंदाकिनी भांगे (उप निदेशक, पीएंडएस) और श्रीमती वसुंधरा मोरुडकर (एसओ) द्वारा दीप प्रज्जवलन के साथ हुई। श्रीमती हर्षिता मित्तल (तकनीकी अधिकारी, ईसीआईएल) और जयिता घोषाल (जेपीए) द्वारा इन-हाउस डिज़ाइन किए गए पोस्टर में इस उत्सवपूर्ण आयोजन के महत्व पर जोर दिया गया था और क्रभंनि कार्यबल में शामिल महिलाओं की प्रतिभा को प्रदर्शित किया था।

श्रीमती माणिक हरियाण (कनिष्ठ क्रय सहायक) और कुमारी नीतू सिंह (जेपीए) द्वारा संचालित इस कार्यक्रम की शुरुआत श्रीमती रेखा वर्सोलकर और श्रीमती हेमलता अमीन द्वारा सरस्वती वंदना के मधुर गायन से हुई और मुख्य अतिथियों को सम्मान के रूप में गमले में लगे पौधे भेंट किए गए। किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकीं श्रीमती वीना सिंह द्वारा भेजा गया भावपूर्ण संदेश आमंत्रितों के समक्ष पढ़ा गया। श्रीमती वसुंधरा मोरुडकर (एसओ) ने अपने भावपूर्ण और सशक्त संबोधन में खुले दिमाग में क्रांति लाने के लिए विकसित दुनिया में सक्रिय कार्रवाई के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके बाद, जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाली महिला कर्मचारियों को श्रीमती शशिकला कांबले द्वारा क्रभंनि को आज इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए उनकी कड़ी मेहनत के लिए सराहना के प्रतीक के साथ सम्मानित किया गया।

इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण- सांस्कृतिक कार्यक्रम था, जो एक मजेदार और रंगारंग कार्यक्रम के साथ संपन्न हुआ, जिसकी शुरुआत केन्द्रीय भंडार एकक के प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत मिश्रित नृत्य से हुई, इसके बाद जागृति चौरसिया (जेएसके) द्वारा कविता पाठ, कुम सुलोचना कांबले, श्रीमती सुनीता जादव और श्रीमती रेखा वर्सोलकर द्वारा मराठी भाषा को समर्पित पोवाड़ा और कु. मेघा चोपडेकर द्वारा एक गीत प्रस्तुत किया गया। सभी प्रतिभाशाली प्रतिभागियों को श्रीमती कलावती पिल्लई (उप निदेशक, पीएंडएस) द्वारा उपहार देकर सम्मानित किया गया।

इस आयोजन का एक अनूठा आकर्षण विभिन्न मजेदार खेल और 'अंताक्षरी' थे।

कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, तथा सम्मेलन हॉल के प्रवेश द्वार पर इस अवसर को यादगार बनाने वाली रंगोली के लिए श्रीमती हर्षिता मित्तल (तकनीकी अधिकारी), श्री सौरभ विल्टन (पीए), श्री प्रशांत नांदोस्कर (जेपीए) और जयिता घोषाल (जेपीए) का विशेष आभार भी व्यक्त किया गया।

एनआरबीपीएसयू, तारापुर

श्रीमती रामेश्वरी ए पाटील, जेएसके, श्रीमती प्रहिती पी पाटील, एसके और श्रीमती अंजलि बी कांबले ने दिनांक 07.03.2025 को बीएआरसी, कम्युनिटी हॉल, तारापुर में आयोजित महिला दिवस समारोह में भाग लिया। इस

समारोह का आयोजन बीएआरसी (टी) के महिला प्रकोष्ठ द्वारा किया गया।

एचआरपीएसयू, हैदराबाद

हैदराबाद के न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में 08.03.2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। हैदराबाद क्षेत्रीय क्रय एवं भंडार और लेखा एकक की सभी महिला कर्मचारियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर पूर्व आईएएस अधिकारी एवं रक्षा मंत्रालय की पूर्व उपनिदेशक श्रीमती एम. बाला लता को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। श्रीमती एम. बाला लता ने आधुनिक विश्व के निर्माण में महिलाओं की भूमिका पर एक प्रेरक भाषण दिया। कार्यक्रम पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद का आयोजन किया गया था। एनएफसी में कार्यरत ४० वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए नेत्र जांच शिविर का भी आयोजन किया गया। उपरोक्त कार्यक्रम के क्रम में, हैदराबाद क्षेत्रीय क्रय भंडार एवं लेखा एकक की महिला कर्मचारी एचआरएसयू के अणुभंडार सम्मेलन हॉल में एकत्रित हुईं और "म्यूजिकल चेयर", "अंताक्षरी" आदि खेलकर इस दिवस को मनाया।

एमआरपीएसयू, चेन्नई

क्रय, प्रशासन एवं लेखा एकक: - एमआरपीएसयू, चेन्नई में 7 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भव्य तरीके से मनाया गया। यह हमारे संगठन में कार्यरत असाधारण महिलाओं मान्यता देने और उन्हें सम्मानित करने हेतु प्रेरणादायक भाषणों और मजेदार गतिविधियों के साथ आयोजित एक प्रेरक कार्यक्रम था। जीएसओ-पऊवि अस्पताल की पूर्व चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एम. जयश्री ने कार्यबल में महिलाओं के लिए कार्य-जीवन संतुलन पर एक आकर्षक व्याख्यान प्रस्तुत किया। इस दौरान खेल और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और पुरस्कार वितरित किए गए।

भंडार एकक:- केंद्रीय भंडार एकक, आईजीसीएआर, कलपक्कम में 19 मार्च 2025 को क्रभंनि कर्मचारियों के लिए महिला दिवस समारोह मनाया गया। श्रीमती किथेरी जोसेफ, क्षेत्रीय निदेशक, एमआरपीएसयू ने एफआरएफसीएफ भंडार अधिकारी के साथ इस समारोह की अध्यक्षता की। श्रीमती गायत्री, मुख्य प्रबंधक, एसबीआई, कलपक्कम और श्रीमती मनिका, एसबीआई, कलपक्कम इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थीं। मौजूदा वित्तीय स्थिति, लाभकारी वित्तीय साधन, निवेश, बचत योजना आदि के बारे में दोनों मुख्य अतिथियों द्वारा शानदार भाषण दिए गए। क्षेत्रीय निदेशक, एमआरपीएसयू और भंडार अधिकारी ने महिला सशक्तिकरण के बारे में भाषण दिया। कर्मचारियों के लिए जलपान की व्यवस्था की गई थी, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम, मजेदार खेल आयोजित किए गए और पुरस्कार वितरित किए गए।

आरपीयुएम, हैदराबाद

स्वच्छता पखवाड़ा

मुंबई

इस निदेशालय ने सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाकर स्वच्छता पखवाड़ा मनाने की शुरुआत की। क्रय एवं भंडार निदेशालय (क्रभंनि) के कर्मचारियों ने अणुशक्तिनगर कॉलोनी से लगभग 9 किलोमीटर दूर ट्रॉम्बे गांव (मछुआरों की कॉलोनी) में स्वच्छता पर नारे लिखे बैनर और तख्तियां लेकर स्वच्छता रैली निकाली, और निवासियों के बीच स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्वच्छता थीम- "स्वच्छ भारत- स्वस्थ भारत" के नारे लगाये। क्रभंनि के कर्मचारियों द्वारा "स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत" शीर्षक से एक नुक्कड़ नाटक की भी प्रस्तुतु की गई, जिसमें इस तथ्य पर जोर दिया गया कि सूक्ष्म स्तर पर व्यवहार में बदलाव से महत्वपूर्ण अंतिम परिणाम मिल सकते हैं। स्वच्छता गतिविधियों पर जन जागरूकता अभियान के तहत, अपशिष्ट से धन तक की प्रदर्शनी, स्वच्छता विषयक पेंटिंग, सेल्फी बूथ और हस्ताक्षर अभियान आयोजित किए गए। वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया, जिसमें वैश्विक पर्यावरण के लिए वृक्षों के महत्व, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने, वायु की गुणवत्ता में सुधार, जल संसाधनों के संरक्षण आदि के बारे में बताया गया।

इस पखवाड़े के दौरान निदेशालय द्वारा की गई

महत्वपूर्ण सामुदायिक आउटरीच पहल में महाराष्ट्र के पालघर जिले के आदिवासी क्षेत्र, तालुका मोखाड, जिला-पालघर, के दो गांवों अर्थात् पोरियाचा पाड़ा और कातकरी पाड़ा के जिला परिषद स्कूल में शौचालयों का नवीनीकरण और इस क्षेत्र के तीन स्कूलों में वाटर फिल्टर लगाना शामिल था। जिला परिषद स्कूलों के अधिकारियों ने प्रेस विज्ञप्ति और औपचारिक प्रशंसा

पत्रों के माध्यम से निदेशालय के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। पखवाड़े का समापन 28.02.2025 को औपचारिक समापन समारोह के साथ हुआ।

RNI No-MAHMAR 2023/89445

दैनिक **विदर्भ न्यायव्रती**

Email-vidharbhanyayvrati@gmail.com

डिपीएस मुंबई यांच्याकडून जिल्हा परिषद शाळा राजेवाडी, कातकरीपाडा व पोऱ्याच्यापाडा शाळांना मदत

● विदर्भ न्यायव्रती ●

— मोखाडा प्रतिनिधी. —

मोखाडा : जिल्हा परिषद आय एस ओ शाळा राजेवाडी येथे डिपीएस, अनुशक्तीनगर, मुंबई यांच्या माध्यमातून उत्तम अशी मुलांना शुध्दपाणी पिण्यासाठी सुविधा करण्यात आली. या साठी भारत सरकारच्या परमाणू ऊर्जा विभाग अंतर्गत असलेले खरेदी आणि भंडार निदेशलाय (DPS) यांच्याकडून वाॅटर फिल्टर, पाण्याची टाकी व संपूर्ण पाईप लाईन तयार करुन दिली. सदर कामाचे उदघाटु प्रसंगी डिपीएस चे डायरेक्टर वेद सिंग, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, संजय कांबळे, डेप्युटी डायरेक्टर सौ. मदांकिनी भांगे मॅडम, भंडार अधिकारी सुरेश कुचेकर, सहलेखा अधिकारी मयूर धुरी, सह खरेदी अधिकारी व्यंकेटेशन मल्लन, हर्षल कोळी, अभिलाष मेनन, गिते, जोग, लाखन, दिपक वाईकर सर संपूर्ण डिपीएस टिम मुंबई यांच्या माध्यमातून दि.२७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी मोखाडा तालुका येथे मोठ्या प्रमाणात मदत मिळाली, यामध्ये जिल्हा परिषद शाळा राजेवाडी, पोऱ्याचपाडा व कातकरीपाडा येथे चांगल्या प्रकारचे शौचालय दुरुस्ती करुन दिली. तसेच येथे मुलांना शुध्दपाणी पिण्यासाठी व्यवस्था करुन आदिवासी भागात मोठ्या प्रमाणात मदत केली शेवटी सर्व मुलांना खाऊ वाटप करण्यात आले. भारत सरकारच्या "स्वच्छता अभियान २०२५" च्या माध्यमातून या तीनही शाळेतील ग्रामस्थ, विद्यार्थी व शिक्षक वर्गाकडून डिपीएस मुंबई यांचे आभार व्यक्त करण्यात आले आणि राजेवाडी शाळेत तयार झालेला भाजीपाला डिपीएस च्या सर्व मान्यवरांना देऊन आभार व्यक्त करण्यात आले.

॥ विद्या विनयेन शोभते ॥

जिल्हा परिषद शाळा राजेवाडी

केंद्र-वाकडपाडा, तालुका-मोखाडा, जिल्हा-पालघर.

जा.क्र.

दिनांक १/०३/२०२५

आभार पत्र

प्रति,

सन्मानिय,

मा.श्री.वेद सिंग साहेब (डायरेक्टर),

अनुशक्तिनगर, DPS, मुंबई.

आमच्या जिल्हा परिषद ISO शाळा राजेवाडी येथे आपल्या अनुशक्तिनगर, DPS, मुंबई यांच्या माध्यमातून उत्तम अशी मुलांना शुध्द पिण्यासाठी पाण्याची सुविधा करण्यात आली. या पाणी फिल्टर, टाकी, व DPS मुंबई यांनी दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी मोखाडा तालुका येथे मोठ्या प्रमाण मदत करण्यात आली. यामध्ये आमच्या जिल्हा परिषद शाळा राजेवाडी येथे मुलांना शुध्द पिण्यासाठी पाण्याची व्यवस्था करुन दिल्याबद्दल आपले मनापासून आभार व्यक्त करण्यात येत आहे.

आपला विश्वासू

जिल्हा परिषद पालघर

जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कातकरीपाडा

ता. मोखाडा जि.पालघर

udise-2736080230 email id- katkaripada@gmail.com

जा. क्र. ०१

दिनांक - ०१/०३/२०२५

आभार पत्र

प्रती,

सन्मानीय,

मा.श्री. वेद सिंग साहेब (डायरेक्टर)

अनुशक्तीनगर, DPS, मुंबई

आमच्या जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कातकरीपाडा येथे आपल्या अनुशक्तीनगर ,DPS, मुंबई यांच्या माध्यमातून मुलांना शुद्ध पिण्यासाठी पाणी यामध्ये फिल्टर, पाण्याची टाकी, शौचालय दुरुस्ती व नळ जोडणी इत्यादी DPS मुंबई यांनी दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी उद्घाटन करून विद्यार्थ्यांना वापराकरिता वरील सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या .

आमच्या जिल्हा परिषद शाळा कातकरीपाडा येथे वरील सुविधा उपलब्ध करून दिल्याबद्दल शाळा व्यवस्थापन समिती कातकरीपाडा, विद्यार्थी व शिक्षक यांच्या कडून आपले मनापासून आभार व्यक्त करण्यात येत आहे.

आपला विश्वासू

एमआरपीयू, चेन्नई

एमआरपीयू, क्रभंनि द्वारा "स्वच्छता पखवाड़ा 2025" के एक भाग के रूप में निम्नलिखित गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

ए) अक्टूबर 2024 के दौरान एमआरपीयू, टीएंडसी गोदाम, पल्लवरम, चेन्नई में पेड़-पौधे लगाए गए।

बी) 31.01.2025 को एमआरपीयू कार्यालय में एक सैनिटरी पैड डिस्पेंसर/इंसिनेरेटर लगाया गया।

सी) बच्चों को व्यक्तिगत और पर्यावरणीय स्वच्छता के बारे में जागरूक करने के लिए स्वच्छता पर एक सामान्य व्याख्यान आयोजित किया गया, और निम्नलिखित स्कूलों के दौरे के दौरान स्वच्छ भारत मिशन पर प्रश्नोत्तरी के बाद छात्रों के साथ संवादात्मक सत्र भी आयोजित किया गया:

(i) पल्लवरम कॉर्पोरेशन प्राइमरी स्कूल, पल्लवरम- दिनांक 20.02.2025 को 10.30 बजे

(ii) पंचायत यूनियन मिडिल स्कूल, पसुम्पोन नगर, दिनांक 21.02.2025 को चेन्नई 10.30 बजे

(iii) श्री वेंकटेश्वर हिंदू मिडिल स्कूल, हिंदू कॉलोनी, नांगनल्लूर, चेन्नई में दिनांक 28.02.2025 को 13.30 बजे।

डी) हमारे एमआरपीयू स्टाफ द्वारा छात्रों के साथ "अपने आस-पास की सफाई बनाए रखना" विषय पर शपथ ली गई।

ई) स्कूलों को झाड़ू, बड़े आकार के डस्टबिन, फिनाइल, फ्लोर क्लीनर, मोप स्टिक, साबुन तेल आदि से युक्त सफाई किट भेंट की गई।

एफ) स्वच्छता गतिविधि- 2025 के एक भाग के रूप में, दिनांक 28.02.2025 को पल्लवरम में स्थित एमआरपीयू कार्यालय में स्वच्छता प्रतिज्ञा और सफाई अभियान का आयोजन किया गया। सभी कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और कार्यालय के बाहरी परिसर की सफाई की।

जी) उपरोक्त गतिविधियों के अलावा, स्वच्छ और हरित भारत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की दृश्य रूप में याद दिलाने के लिए एक मॉड्यूलर सेल्फी बूथ भी स्थापित किया गया था।

क्रभंनि, एएमडी (ईआर), टाटानगर

एएमडी, पूर्वी क्षेत्र कार्यालय से जुड़े इस एकक ने एएमडी, ईआर, खासमहल, जमशेदपुर इकाई द्वारा आयोजित "स्वच्छता पखवाड़ा" कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्वच्छता कार्यक्रम गतिविधियों में भाग लिया। एएमडी पूर्वी क्षेत्र आवासीय परिसर में पर्यावरण स्थिरता के संदेश को प्रसारित करने हेतु दिनांक 16/02/2025 को वृक्षारोपण अभियान के साथ-साथ उद्घाटन और शपथ ग्रहण समारोह के बाद निम्नलिखित गतिविधियाँ आयोजित की गईं: -

क) दिनांक 18/02/2025 को मध्य विद्यालय, भाटिन और प्राथमिक विद्यालय, धोबनी स्कूलों में डस्टबिन वितरित किए गए, जिससे छात्रों और कर्मचारियों को कचरे का उचित निपटान करने में मदद मिलेगी और छात्रों में पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा।

ख) दिनांक 19/02/2025 को कार्यालय क्षेत्र के पास की सोसायटी (पुलिस थाना, बीडीओ कार्यालय, सदर अस्पताल के सामने) में जागरूकता नारे के साथ सफाई अभियान चलाया गया।

ग) कुल 35 “सफाई कर्मचारी” जो क्षेत्र को साफ रखने के लिए एएमडी कार्यालय और आवासीय कॉलोनी में लगे हुए हैं, उन्हें दिनांक 20/02/2025 को “स्वच्छता” कार्यक्रम के एक भाग के रूप में सम्मानित किया गया है।

घ) दिनांक 21/03/25 (16.30 बजे-17.30 बजे) को एएमडी परिसर में श्रमदान गतिविधियों के साथ “स्वच्छ भारत दिवस” मनाया गया।

च) दिनांक 22/02/2025 को एएमडी परिसर के बाहर स्वच्छता जागरूकता रैली और हस्ताक्षर अभियान आयोजित किया गया।

छ) दिनांक 23/02/2025 को "स्वच्छता" कार्यक्रम के एक भाग के रूप में एएमडी आवासीय परिसर से कचरा और ई-कचरा एकत्र करना और उसका निपटान।

ज) दिनांक 24/02/2025 को कार्यालय में फाइलों की छंटाई और स्क्रैप को हटाने का कार्य किया गया तथा उसी दिन कार्यालय परिसर में अलग-अलग कमरों/कार्यालयों की सफाई की गई।

झ) फील्ड ऑफिस परिसर और उसके आसपास के क्षेत्र में दिनांक 25/02/2025 से 27/02/2025 तक स्वच्छता अभियान चलाया गया।

ट) "स्वच्छ भारत मिशन" के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई और विजेताओं को दिनांक 28/02/2025 को आयोजित समापन समारोह में पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

क्रभंनि, एएमडी/एसआर, बेंगलुरु

क्रभंनि भंडार एकक, एएमडी, दक्षिणी क्षेत्र, बेंगलुरु को एएमडी/एसआर, बेंगलुरु द्वारा दिनांक 16.02.2025 से 27.02.2025 तक आयोजित स्वच्छता पखवाड़ा गतिविधियों के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार श्री पी. राजू, सहायक भंडार अधिकारी और क्रभंनि भंडार एकक के कर्मचारियों ने श्री सिबी के वर्गिस, क्षेत्रीय निदेशक, एएमडी दक्षिणी क्षेत्र, बेंगलुरु के हाथों से प्राप्त किया। इस अवसर पर श्री एम.जी.मुरुगन, अध्यक्ष, स्वच्छता समिति, एएमडी/ एसआर भी उपस्थित थे।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह

क्रभंनि, मुंबई

सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन हर साल सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती (31 अक्टूबर) के दौरान मनाया जाता है और आयोग ने निर्णय लिया कि इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह दिनांक 28 अक्टूबर से 3 नवंबर, 2024 तक मनाया जाए। तदनुसार, क्रय और भंडार निदेशालय ने दिनांक 28/10/2024 से 03/11/2024 की अवधि के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह- 2024 मनाया। पूरे सप्ताह के दौरान विक्रम साराभाई भवन, मुंबई के प्रवेश द्वार पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह का बैनर प्रदर्शित किया गया।

सभी क्रभंनि अधिकारियों ने 28/10/2024 को सत्यनिष्ठा की शपथ ली। क्रभंनि के सभी अधिकारियों को निदेशक, क्रभंनि द्वारा हिंदी में और आईएफए, क्रभंनि द्वारा अंग्रेजी में सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई। उप निदेशक, सीएसयू ने भंडार एकक, मुंबई के कर्मचारियों को शपथ दिलाई।

वी.एस. भवन, मुंबई में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के हिस्से के रूप में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस वर्ष की थीम "राष्ट्र की समृद्धि के लिए अखंडता की संस्कृति" पर क्रभंनि के कर्मचारियों के लिए पोस्टर प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता, तात्कालिक भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। कार्यक्रमों को क्रभंनि के कर्मचारियों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली और उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया।

दिनांक 04/11/2024 को समापन समारोह और पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पऊवि, मुंबई के निदेशक (सतर्कता) डॉ. नितिन बी. जावले उपस्थित थे। उन्होंने विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में प्रबंध निदेशक के पद पर और भारत में विभिन्न जिलों के कलेक्टर के रूप में सतर्कता में अपने अनुभव पर प्रकाश डालते हुए 'नैतिकता और शासन' पर एक विशेष व्याख्यान दिया। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, क्रभंनि ने सतर्कता जागरूकता और पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिए क्रभंनि द्वारा उठाए गए कदमों का एक संक्षिप्त परिचय दिया। निदेशक, क्रभंनि ने सतर्कता जागरूकता के माध्यम से पारदर्शिता और दक्षता प्राप्त करने पर अपने विचार व्यक्त किए। समापन समारोह के दिन क्रभंनि के कर्मचारियों द्वारा सतर्कता जागरूकता से संबंधित उद्धरणों को प्रदर्शित करने वाली तख्तियां लेकर सेल्फी लेने के लिए सेल्फी प्वाइंट स्थापित किया गया था।

SAY NO TO
CORRUPTION

ETHICS AND
GOVERNANCE

I AM AS GREAT
IN ACT AS I
HAVE BEEN IN
THOUGHT.

CARE TO
DARE
- EXTEMPORE
SPEECH
COMPETITION -

मद्रास क्षेत्रीय क्रय एवं भंडार इकाई, क्रभंनि, चेन्नई

दिनांक 14/11/2024 को एमआरपीयू में क्रभंनि कर्मचारियों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके अलावा, दिनांक 14/11/2024 को सतर्कता जागरूकता पर एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया। श्रीमती एस. अरुलमथी, संयुक्त नियंत्रक और सतर्कता अधिकारी, प्रिंसिपल सीसीए कार्यालय, दूरसंचार विभाग ने सार्वजनिक सेवा में पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक प्रथाओं को सुनिश्चित करने में निवारक सतर्कता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए एक व्याख्यान प्रस्तुत किया। इस सत्र में जोखिम की पहचान, विनियमों का अनुपालन और मजबूत व्हिसल ब्लोअर तंत्र की भूमिका जैसे प्रमुख विषयों को शामिल किया गया था। प्रतिभागियों ने चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लिया, अपनी अंतर्दृष्टि साझा की और सतर्कता प्रथाओं पर प्रश्न उठाए। कार्यक्रम का समापन सभी उपस्थित लोगों द्वारा ईमानदारी बनाए रखने और भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण की दिशा में काम करने की सामूहिक प्रतिबद्धता के साथ हुआ।

क्रभंनि के सभी कर्मचारियों के ईमेल आईडी पर साप्ताहिक सतर्कता उद्धरण साझा किए गए और क्रभंनि कर्मचारियों ने दिनांक 16 अगस्त से 15 नवंबर 2024 तक तीन महीने की अभियान अवधि के दौरान प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और सतर्कता अनुभाग, पऊवि द्वारा आयोजित सतर्कता सम्मेलन में भी भाग लिया।

भंडार एकक, वीईसीसी, कोलकाता

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर भंडार अधिकारी, डॉ. इंदिरा प्रकाश को अजय दिवातिया व्याख्यान हॉल, वीईसीसी में प्रापण पर सीवीसी दिशानिर्देशों पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था।

योग दिवस

इस वर्ष 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसका विषय है "स्वयं और समाज के लिए योग।" योग, एक परिवर्तनकारी अभ्यास है, जो मन और शरीर के सामंजस्य, विचार और क्रिया के बीच संतुलन और संयम और पूर्ति की एकता का प्रतिनिधित्व करता है। योग हमारे शरीर, मन, आत्मा और आत्मा को एकीकृत करता है, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है जो हमारे व्यस्त जीवन में शांति लाता है। परिवर्तन करने की इसकी शक्ति ही है जिसका हम इस विशेष दिन पर जश्न मनाते हैं। पऊवि के निर्देशों के अनुसार, क्रभंनि में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। श्री शरद बी हटवार, सहायक क्रय अधिकारी, सीपीयू, क्रभंनि जिन्होंने अंबिकाल योग कुटीर, ठाणे में प्राणायाम पाठ्यक्रम किया है, ने योग पर व्यावहारिक सत्र के दौरान प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया।

योग दिवस के अवसर पर, योग प्रशिक्षकों - श्रीमती लक्ष्मी ठाकुर और श्रीमती अमुथा द्वारा एमआरपीयू में योग सत्र का आयोजन किया गया। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तथा तनाव प्रबंधन जैसे विषयों को शामिल किया गया। योग सत्र को कार्यालय के माहौल के अनुरूप बनाया गया था और पिंगला नाड़ी सफाई को उचित महत्व दिया गया था। इसमें एमआरपीयू के लगभग 25 कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और योग आसन किए तथा सरल श्वास अभ्यास भी किए गए।

क्रभंनि भंडार ने 21 जून, 2024 को वीईसी सेंटर, कोलकाता में योग करके कार्यक्रम में भाग लिया।

हिंदी राजभाषा दिवस

श्री अंकुर कटियार, भंडारी ने भापअकेंद्र, विजाग में आयोजित हिंदी राजभाषा दिवस समारोह के दौरान वाद-विवाद में दूसरा पुरस्कार प्राप्त किया।

सांस्कृतिक और खेल

क्रभंनि भंडार एकक, विजाग ने भापअकेंद्र, विजाग द्वारा आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

क्रभंनि भंडार एकक के श्री दुर्गा प्रसाद, कनिष्ठ भंडारी ने दिसंबर 2024 के दौरान भापअकेंद्र, विजाग द्वारा आयोजित अंतर-विभागीय क्रिकेट लीग मैचों में भाग लिया।

श्री अंकुर कटियार, भंडारी ने निबंध लेखन और नारा लेखन प्रतियोगिता के लिए प्रथम पुरस्कार श्री एम.एस. राव, परियोजना निदेशक, भापअकेंद्र, विजाग के करकमलों से प्राप्त किया।

श्री साइप्रियन नेट्टो जी, सहायक भंडार अधिकारी, क्रभंनि विजाग और श्री अंकुर कटियार, भंडारी, क्रभंनि विजाग ने भापअकेंद्र, विजाग की स्वच्छता गतिविधियों के हिस्से के रूप में भापअकेंद्र कर्मचारी मनोरंजन क्लब द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर 2024 को आयोजित वॉकथॉन में भाग लिया।

श्री साइप्रियन नेट्टो जी, सहायक भंडार अधिकारी, क्रभंनि भंडार एकक, XXXIX पऊवि खेल एवं सांस्कृतिक मीट 2024-25 के तहत वॉलीबॉल टूर्नामेंट के आयोजन समिति के प्रमुख सदस्यों में से एक थे और उन्होंने इस आयोजन के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्हें XXXIX पऊवि खेल एवं सांस्कृतिक मीट 2024-25- वॉलीबॉल टूर्नामेंट

में उनके योगदान के सम्मान में श्री एम.एस. राव, परियोजना निदेशक, भापअकेंद्र, विजाग द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किया गया।

मराठी भाषा दिवस

एनआरबी तारापुर में क्रभंनि कर्मचारियों ने मराठी दिवस समारोह में सक्रिय रूप से भाग लिया।

आंतरिक शिकायत समिति की बैठक

एमआरपीयू द्वारा आंतरिक शिकायत समिति के संबंध में दिनांक 16/05/2024 को विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। ग्रामीण महिला सामाजिक शिक्षा केंद्र की एनजीओ सदस्य श्रीमती एन. श्रीलक्ष्मी ने "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम" पर व्याख्यान दिया, जिसमें सम्मेलन कक्ष में सभी कर्मचारियों ने भाग लिया। उन्होंने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम के बारे में बताया और सभी महिला कर्मचारियों- चाहे वे नियमित रूप से, अस्थायी रूप से तदर्थ या दैनिक वेतन के आधार पर कार्यरत हों, के कल्याण को सुनिश्चित करने के बारे में बताया।

डॉ. (श्रीमती) किथेरी जोसेफ, क्षेत्रीय निदेशक, एमआरपीयू ने महिला कर्मचारियों के प्रति क्या नहीं करना चाहिए और महिला कर्मचारियों द्वारा क्या किया जाना चाहिए, के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जहां तक केंद्रीय सरकारी विभाग का संबंध है, आईसीसी समिति के निर्णय को गंभीरता से लिया जाएगा और उनकी शिकायत या दंड या टिप्पणी कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड में दर्ज की जायेगी। उन्होंने केस स्टडी के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि यौन-भावना से प्रेरित टिप्पणियां अत्यधिक व्यक्तिपरक होती हैं तथा महिला कर्मचारियों पर पड़ने वाला प्रभाव, पुरुष कर्मचारी के इरादे से अधिक महत्वपूर्ण होता है।

श्रीमती के. गीता, पूर्व उप निदेशक, एमआरपीयू, चेन्नई ने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के महत्व के बारे में जानकारी दी। महिलाएं विशेष रूप से इसे तब तक गंभीरता से नहीं लेती हैं जब तक कि यह उनके स्वास्थ्य को प्रभावित न करे और इसलिए कार्यालय और घर दोनों में शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने हेतु अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना अनिवार्य है।

रक्तदान शिविर

एमआरपीयू द्वारा वीएचएस ब्लड सेंटर, तारामणि, चेन्नई में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्टाफ सदस्यों ने लगभग 09 यूनिट रक्त दान किया, जिसका उपयोग थैलेसीमिया और अन्य रोगियों के लिए किया जाएगा।

अग्नि सुरक्षा

आईजीसीएआर, कलपक्कम के सीआईएसएफ कर्मियों ने दिनांक 9/12/2024 को एमआरपीयू के सभी कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा और अग्निशमन पर व्याख्यान दिया। आग और उसके बुझाने वाले यंत्र को संभालने के लिए एक प्रदर्शन/व्यावहारिक सत्र आयोजित किया गया।

विश्व पर्यावरण दिवस

विश्व पर्यावरण दिवस पर अजय दिवातिया व्याख्यान हॉल, वीईसीसी, कोलकाता में वृक्षारोपण, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और व्याख्यान में सभी क्रभंनि कर्मचारियों ने भाग लिया।

विश्व पर्यावरण दिवस समारोह -2024
5 जून 2024 को वीईसीसी बिधाननगर परिसर, कोलकाता

विश्व पर्यावरण दिवस-2024 के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम

नवागंतुकों का स्वागत

प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को परिचयात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम (इंडक्शन ट्रेनिंग) के लिए प्रशिक्षु के रूप में चुना गया। प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद निम्नलिखित उम्मीदवारों ने वर्ष 2024-25 के दौरान कनिष्ठ क्रय सहायक (जेपीए)/कनिष्ठ भंडारी (जेएसके) के रूप में क्रभंनि में कार्यग्रहण किया। नए कनिष्ठ क्रय सहायक (जेपीए)/कनिष्ठ भंडारी (जेएसके) का हार्दिक स्वागत है:-

क्रम संख्या	कर्मचारी पहचान पत्र संख्या	कर्मचारी का नाम	पद का नाम	एकक का नाम
1	1623	श्री शरथ डी. मडिवल	कनिष्ठ भंडारी	भंडार एकक, मैसूर
2	1626	कुमारी वी. एम. कविया	कनिष्ठ भंडारी	भंडार एकक, कलपक्कम
3	1625	कुमारी सुसिता एस.	कनिष्ठ भंडारी	भंडार एकक, कलपक्कम
4	1633	श्री निक्षिथ एस.	कनिष्ठ भंडारी	भंडार एकक, कलपक्कम
5	1630	श्री स्वप्ननील कलिता	कनिष्ठ भंडारी	भंडार एकक, मुंबई
6	1628	श्री संजय आर	कनिष्ठ भंडारी	केंद्रीय क्रय एकक
7	1627	श्रीमती श्रीलक्ष्मी जी.	कनिष्ठ क्रय सहायक	केंद्रीय क्रय एकक
8	1649	श्री कार्तिक वी.	कनिष्ठ क्रय सहायक	मद्रास क्षेत्रीय क्रय एकक
9	1637	कुमारी हर्षदा सुदर्शन फुसाटे	कनिष्ठ क्रय सहायक	हैदराबाद क्षेत्रीय भंडार एकक
10	1636	श्री रविपल्ली लोकेश	कनिष्ठ भंडारी	हैदराबाद क्षेत्रीय भंडार एकक
11	1632	कुमारी आयुषी	कनिष्ठ क्रय सहायक	केंद्रीय क्रय एकक
12	1631	श्रीमती आकांशा भदोला	कनिष्ठ भंडारी	भंडार एकक, मुंबई
13	1638	श्री अरविन्द कुमार	कनिष्ठ क्रय सहायक	हैदराबाद क्षेत्रीय क्रय एकक
14	1639	श्री अशीम देब नाथ	कनिष्ठ भंडारी	भंडार एकक, एएमडी, शिलांग
15	1635	कुमारी नीतू बिजेन्द्र सिंह	कनिष्ठ क्रय सहायक	केंद्रीय क्रय एकक
16	1634	कुमारी रेखा देवी	कनिष्ठ भंडारी	भंडार एकक, मुंबई
17	1644	श्री दीपेन्द्र प्रताप सिंह	कनिष्ठ क्रय सहायक	एनआरबी क्रय एवं भंडार
18	1643	श्री हर्षित मिश्रा	कनिष्ठ भंडारी	भंडार एकक, मुंबई
19	1642	श्री पारस कुमार	कनिष्ठ क्रय सहायक	भंडार एकक, मुंबई
20	1641	कुमारी नेहा	कनिष्ठ भंडारी	भंडार एकक, मुंबई
21	1640	श्री कपिल राणा	कनिष्ठ क्रय सहायक	केंद्रीय क्रय एकक
22	1646	श्री पुनित कुमार	कनिष्ठ भंडारी	भंडार एकक, मुंबई
23	1645	श्री गौरव आर्य	कनिष्ठ भंडारी	भंडार एकक, मुंबई
24	1647	श्री साहिल	कनिष्ठ क्रय सहायक	केंद्रीय क्रय एकक
25	1650	श्री शुभम विजयराव डाबले	कनिष्ठ भंडारी	भंडार एकक, मुंबई
26	1648	कुमारी हरप्रीत कौर	कनिष्ठ भंडारी	भंडार एकक, मुंबई
27	1651	कुमारी भावना बंगारी	कनिष्ठ भंडारी	भंडार एकक, मुंबई
28	1659	श्री स्वास्तिक पंडित	कनिष्ठ भंडारी	भंडार एकक, टाटानगर

क्रम संख्या	कर्मचारी पहचान पत्र संख्या	कर्मचारी का नाम	पद का नाम	एकक का नाम
29	1652	श्री पोलामारसेट्टी दुर्गा प्रसाद	कनिष्ठ भंडारी	भंडार एकक, भापअकेंद्र, विजाग
30	1654	श्री शाश्वत मालाकर	कनिष्ठ भंडारी	केंद्रीय क्रय एकक
31	1656	श्री राकेश कुमार	कनिष्ठ भंडारी	भंडार एकक, मुंबई
32	1655	श्री साहिल नरेंद्र लाड	कनिष्ठ भंडारी	भंडार एकक, मुंबई
33	1657	श्री. मनीष कुमार	कनिष्ठ भंडारी	भंडार एकक, तारापुर
34	1658	श्री रूपवते सुशांत गौतम	कनिष्ठ भंडारी	भंडार एकक, मुंबई
35	1660	श्री अरमान आनंद	कनिष्ठ भंडारी	भंडार एकक, मुंबई
36	1661	श्री संदीप कुमार	कनिष्ठ भंडारी	भंडार एकक, तूतीकोरिन
37	1662	श्री नीलेश महादेव मुधाले	कनिष्ठ भंडारी	भंडार एकक, मुंबई
38	1663	श्री सोनल गर्ग	कनिष्ठ भंडारी	भंडार एकक, मुंबई
39	1670	कुमारी मलरेड्डी साई प्रिया	कनिष्ठ भंडारी	मद्रास क्षेत्रीय क्रय एकक
40	1669	कुमारी दम्मा भार्गवी	कनिष्ठ क्रय सहायक	भंडार एकक, भापासं, मनुगुरु
41	1667	श्री सोहित	कनिष्ठ भंडारी	भंडार एकक, मुंबई
42	1666	श्री निरंजन सुधाकर अहिरे	कनिष्ठ भंडारी	केंद्रीय क्रय एकक
43	1665	कुमारी सग्निका दास	कनिष्ठ भंडारी	भंडार एकक, मुंबई
44	1668	श्री हार्दिक विजय बेदमुथा	कनिष्ठ भंडारी	भंडार एकक, मुंबई
45	1673	श्री सिद्धार्थ शर्मा	कनिष्ठ भंडारी	भंडार एकक, मुंबई
46	1672	कुमारी एकता बिंजोला	कनिष्ठ क्रय सहायक	केंद्रीय क्रय एकक
47	1671	श्री रमेश भाटी	कनिष्ठ भंडारी	भंडार एकक, तारापुर
48	1674	कुमारी मडेपल्ली श्री अच्युथा	कनिष्ठ क्रय सहायक	मद्रास क्षेत्रीय क्रय एकक
49	1675	श्री सचिन मंजूनाथ राठौड़	कनिष्ठ भंडारी	भंडार एकक, कलपक्कम
50	1677	श्री हर्षित गुप्ता	कनिष्ठ भंडारी	भंडार एकक, मुंबई
51	1676	श्री अकीब हुसैन	कनिष्ठ क्रय सहायक	केंद्रीय क्रय एकक
52	1678	श्री शिवांश कुमार द्विवेदी	कनिष्ठ भंडारी	भंडार एकक, भापासं एफ, वडोदरा
53	1679	कुमारी श्रुतिका सिंह	कनिष्ठ क्रय सहायक	हैदराबाद क्षेत्रीय क्रय एकक
54	1680	श्री ओमवीर सिंह बांकावत	कनिष्ठ भंडारी	भंडार एकक, मुंबई
55	1681	श्रीमती बेलापुकोंडा अंजना श्री प्रिया	कनिष्ठ क्रय सहायक	क्षेत्रीय क्रय एकक (मनुगुरु)
56	1683	श्री कट्टा प्रेमजीवन	कनिष्ठ भंडारी	भंडार एकक, भापासं, मनुगुरु
57	1686	श्री आर्यन प्रताप सिंह	कनिष्ठ भंडारी	भंडार एकक, मुंबई
58	1685	श्री साहिल	कनिष्ठ भंडारी	भंडार एकक, मुंबई
59	1692	श्री राम प्रकाश राय	कनिष्ठ भंडारी	भंडार एकक, मुंबई

कृतज्ञता के साथ विदाई

अप्रैल, 2024

श्रीमती एस आर खानविलकर
भंडारी,
केन्द्रीय भंडार एकक, मुंबई

अप्रैल, 2024

श्रीमती एम पी सूर्यवंशी
उप निदेशक,
केन्द्रीय क्रय एकक, मुंबई

अप्रैल, 2024

श्रीमती मेघा वी राउल
भंडारी,
भंडार एकक, मुंबई

मई, 2024

श्रीमती राजेश्वरी गुरुमूर्ति
तारापुर सहायक भंडार अधिकारी,
केन्द्रीय भंडार एकक, मुंबई

मई, 2024

श्री वी वी रविप्रकाश
सहायक भंडार अधिकारी,
भंडार एकक, कलपक्कम

मई, 2024

श्रीमती मीना उमामहेश्वरन
सहायक क्रय अधिकारी,
एमआरपीयू, चेन्नई

मई, 2024

श्री टी डी शिंदे
सहायक,
भंडार एकक, मुंबई

मई, 2024

श्री हेमन्त बी साराविया
भंडारी,
केन्द्रीय भंडार एकक, मुंबई

मई, 2024

श्री अशोक कुमार के ई नायर
सीनियर पीएस,
क्रभंनि, मुंबई

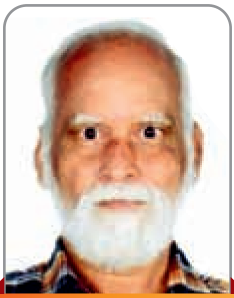

मई, 2024

श्री वी स्वामीनाथन
भंडारी,
भंडार एकक, कलपक्कम

मई, 2024

श्रीमती जयश्री एस.अय्यर
वरिष्ठ लेखा अधिकारी,
केन्द्रीय लेखा एकक, मुंबई

जून, 2024

श्री विनायक जी कुलकर्णी
भंडार अधिकारी,
केन्द्रीय भंडार एकक, मुंबई

जून, 2024

श्रीमती अपूर्वा एल पंगेरकर
भंडारी,
केन्द्रीय भंडार एकक, मुंबई

जून, 2024

श्री पी वी एस चन्द्रशेखर
संयुक्त निदेशक,
केन्द्रीय क्रय एकक, मुंबई

जून, 2024

श्री एल एल प्रजापति
भंडारी,
भंडार एकक, भारी पानी संयंत्र, कोटा

जून, 2024

श्री आर एम शेंडे
सहायक भंडार अधिकारी,
केन्द्रीय भंडार एकक, मुंबई

जून, 2024

श्री ए वासुदेव रेड्डी
भंडार अधिकारी,
आरएमपी, मैसूर

जून, 2024

श्रीमती गौरी रवीन्द्र लाटकर
स्टेनो-II,
केन्द्रीय क्रय एकक, मुंबई

जून, 2024

श्री पुगाझेंधी एन एस
उप लेखा नियंत्रक,
एमआरएयू, चेन्नई

जुलाई, 2024

श्रीमती सोसम्मा थॉमस
उप निदेशक,
केन्द्रीय क्रय एकक, मुंबई

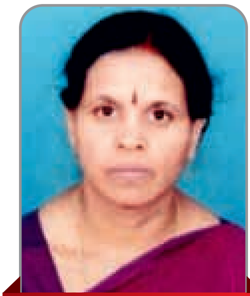

जुलाई, 2024

श्रीमती सुजाता श्रीनिवास
सहायक क्रय अधिकारी,
एचआरपीयू, हैदराबाद

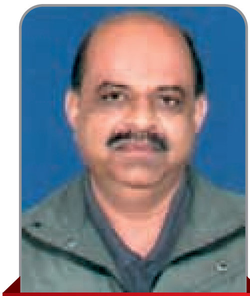

जुलाई, 2024

श्री पी के सक्सेना
भंडारी,
भंडार एकक, भारी पानी संयंत्र, कोटा

अगस्त, 2024

श्री प्रवीण वी क्षीरसागर
सहायक,
सीएडीएमयू, मुंबई

अगस्त, 2024

श्रीमती सुनीता वी आगरकर
सहायक क्रय अधिकारी,
केन्द्रीय क्रय एकक, मुंबई

अगस्त, 2024

कुमारी तरुलता जे मालंदकर
सहायक लेखा अधिकारी,
केन्द्रीय लेखा एकक, मुंबई

सितंबर, 2024

श्री टी के चंद्रशेखर
वरिष्ठ लेखा अधिकारी,
केन्द्रीय लेखा एकक, मुंबई

अक्टूबर, 2024

श्री सजीवन के नायर
भंडार अधिकारी,
भंडार एकक, मनुगुरु

अक्टूबर, 2024

श्रीमती सुनेत्रा एस खरसीकर
सहायक क्रय अधिकारी,
केन्द्रीय क्रय एकक, मुंबई

अक्टूबर, 2024

श्री दीपक बी पवार
क्रय सहायक,
केन्द्रीय क्रय एकक, मुंबई

नवंबर, 2024

श्रीमती पी बालासुब्रमण्यम
क्रय सहायक,
केन्द्रीय क्रय एकक, मुंबई

नवंबर, 2024

श्री वी सी एस रविकांत
सहायक भंडार अधिकारी,
एचआरएसयू, हैदराबाद

नवंबर, 2024

श्रीमती आरती डी गुरवे
सहायक,
सीएडीएमयू, मुंबई

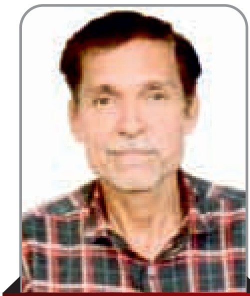

दिसंबर, 2024

श्री अनुपम तामरा
भंडारी,
आईआरएसयू, इंदौर

जनवरी, 2025

श्री डी ए डिमरी
सहायक लेखाकार,
केन्द्रीय लेखा एकक, मुंबई

जनवरी, 2025

श्रीमती मेघा पी पाटिल
सहायक,
केन्द्रीय प्रशासन एकक, मुंबई

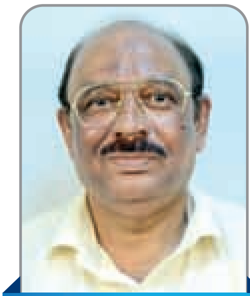

जनवरी, 2025

श्री राजेंद्र सी दुर्वे
सहायक भंडार अधिकारी,
केन्द्रीय भंडार एकक, मुंबई

जनवरी, 2025

श्रीमती रोहिणी बी कोरे
कनिष्ठ भंडारी,
केन्द्रीय भंडार एकक, मुंबई

जनवरी, 2025

श्रीमती सुजाता विश्वनाथन
सहायक कार्मिक अधिकारी,
केन्द्रीय प्रशासन एकक, मुंबई

जनवरी, 2025

श्रीमती मीना पिचैमानी
उच्च श्रेणी लिपिक,
केन्द्रीय प्रशासन एकक, मुंबई

फरवरी, 2025

श्री सुनील आर रामचंदानी
उप निदेशक,
केन्द्रीय क्रय एकक, मुंबई

फरवरी, 2025

श्रीमती मीनाक्षी ए सावंत
क्रय सहायक,
केन्द्रीय क्रय एकक, मुंबई

फरवरी, 2025

श्रीमती सुरेखा ए वाघ
क्रय सहायक,
एनआरबीपीएसयू, मुंबई

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

श्रीमती अलका जयंत चव्हाण
भंडारी,
केन्द्रीय भंडार एकक, मुंबई

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

श्रीमती संगीता एस म्हात्रे
वरिष्ठ लिपिक,
सीएयू, मुंबई

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

श्रीमती सुजाता एस पडवे
उच्च श्रेणी लिपिक,
सीएयू, मुंबई

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

श्रीमती के गीता
उप निदेशक,
एमआरपीयू, चेन्नई

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

श्रीमती साधना एस दानी
क्रय सहायक,
केन्द्रीय क्रय एकक, मुंबई

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

श्री डी. नागेश्वरन
सहायक क्रय अधिकारी,
एचआरपीयू, हैदराबाद

दुर्भाग्यपूर्ण निधन

श्रीमती पुष्पा एच मारू
वरिष्ठ क्लर्क,
सीएयू, मुंबई

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एफएक्यू को निम्नलिखित उप-खंडों में विभाजित किया गया है:

(क) मांगपत्र और निविदा चरण

(ख) टेंडर खुलने के बाद: बोली अस्वीकृति संबंधी मुद्दे

(ग) बिना किसी स्थानीय मूल्य संवर्धन के विदेशी स्रोतों से प्रापण

(घ) आदेश के बाद का चरण

(क) मांगपत्र और निविदा चरण	
ए.1	**वर्तमान प्रापण के तरीके क्या हैं**? वर्तमान में, 100% प्रापण जीईएम के माध्यम से किया जाता है और केवल पात्र मामलों के लिए केंद्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल के माध्यम से की जाती है।
ए.2	**सीपीपी पोर्टल के माध्यम से मांगपत्र कब संसाधित किया जा सकता है**? उत्तर ए17 देखें।
ए.3	**100% माल जीईएम के माध्यम से क्रय करना क्यों आवश्यक है**? डीएई कार्यालय ज्ञापन संख्या 10/8(3)/2021-एसयूएस/4965 दिनांक 17-04-2023 के अनुसार, भारत सरकार द्वारा सभी मंत्रालयों और विभागों को वस्तुओं और सेवाओं की जीईएम के माध्यम से 100% क्रय सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
ए.4	**जीईएम पर "उत्पाद आईडी" प्रापण और कस्टम बोली प्रापण के बीच मुख्य अंतर क्या है**? उत्पाद आईडी प्रापण का मतलब है कि आइटम जीईएम पोर्टल पर एक विशिष्ट श्रेणी के तहत और 'उत्पाद आईडी' के साथ उपलब्ध है। इस मामले में, **विक्रेता** के साथ-साथ उनके पंजीकृत **उत्पाद कैटलॉग** को जीईएम द्वारा सत्यापित किया जाता है। यदि आइटम किसी भी श्रेणी के तहत जीईएम पर उपलब्ध नहीं है, तो क्रेता इंडेंटिंग अधिकारी द्वारा प्रदान किए गए "तकनीकी विनिर्देश" के आधार पर "कस्टम कैटलॉग" बनाता है। इस मामले में, विक्रेता के साथ-साथ ऑफ़र किए गए उत्पाद कैटलॉग और ऑफ़र की प्रामाणिकता जीईएम द्वारा सत्यापित नहीं की जाती है।
ए.5	**जीईएम पर 'कस्टम बिड' के प्रकाशन के बारे में संभावित बोलीदाता को कैसे सूचित करें**? उत्पाद आईडी आधारित बोली के मामले में, इंडेंटिंग अधिकारी इंडेंट के साथ संभावित बोलीदाताओं की

	ईमेल आईडी प्रस्तुत कर सकता है। बोली तैयार करते समय 100 मेल आईडी तक जोड़े जा सकते हैं और बोली जारी होने के बाद, जीईएम बोली के प्रकाशन के बारे में संबंधित बोलीदाताओं को अलर्ट भेजता है। कस्टम बोली के लिए, अग्रेषित अंडरटेकिंग में इंडेंटिंग अधिकारी द्वारा इंगित श्रेणियों का उपयोग कस्टम बोली बनाते समय किया जाएगा और बोली जारी होने के बाद, जीईएम उस श्रेणी के तहत पंजीकृत सभी आपूर्तिकर्ताओं को अधिसूचना जारी करेगा।
ए.6	**यदि पोर्टल पर उपलब्ध जीईएम उत्पाद आईडी इंडेंटिंग अधिकारी के विनिर्देशों से पूरी तरह मेल नहीं खाती है तो क्या होगा**? उत्पाद आईडी आधारित बोली बनाते समय, उत्पाद आईडी विनिर्देशों के अलावा अतिरिक्त वांछित **05** पैरामीटर और उसके मान शामिल करने का विकल्प होता है।
ए.7	**कई बार**, **L1 उद्धृत मूल्य इंडेंट अनुमान की तुलना में बहुत कम पाया जाता है। ऐसी स्थितियों से कैसे निपटें**? इंडेंट अनुमान हमेशा जीईएम पोर्टल खोज परिणामों पर आधारित नहीं होना चाहिए। पिछले क्रयों पर विचार करके, अन्य स्रोतों से बजटीय उद्धरण प्राप्त करके भी इंडेंट अनुमान लगाया जा सकता है।
ए.8	**जीईएम पर गोल्डन और ग्रे पैरामीटर क्या हैं**? पीले रंग से चिह्नित विनिर्देश गोल्डन पैरामीटर हैं। उत्पाद कैटलॉग के ये पैरामीटर वे विनिर्देश हैं जिनका तकनीकी पहलुओं और उत्पाद की लागत पर अधिकतम प्रभाव पड़ता है। ग्रे विनिर्देश उत्पाद की लागत को प्रभावित नहीं करते हैं।
ए.9	**जीईएम पर प्रत्यक्ष क्रय क्या है**? प्रत्यक्ष क्रय क्रेता को जीईएम पर उपलब्ध उत्पादों को बिना बोली प्रक्रिया (ऑटोमोबाइल को छोड़कर) के, जीईएम पर उपलब्ध किसी भी विक्रेता के माध्यम से, अपेक्षित गुणवत्ता, विनिर्देश और प्राप्तकर्ता स्थान को पूरा करते हुए, ₹25,000/- तक के मूल्य पर क्रय करने में सक्षम बनाती है।
ए.10	**क्या क्रेता के लिए डिलीवरी अवधि को संशोधित करना संभव है**? नहीं, क्रेता के लिए डिलीवरी तिथि को संशोधित करना संभव नहीं है। हालाँकि, क्रेता अनुबंध निर्माण के बाद डिलीवरी अवधि में संशोधन कर सकता है, लेकिन निर्धारित डिलीवरी अवधि को कम नहीं किया जा सकता है।
ए.11	**जीईएम पर L1 डायरेक्ट परचेज ऑर्डर क्या है**? **i)** जीईएम के अनुसार, L1 क्रय ₹25,000/- से लेकर **₹5,00,000/-** तक के मूल्य के ऑर्डर के लिए सीधे क्रय को सक्षम बनाती है।

	ii) क्रेता को जीईएम पर तीन अलग-अलग ब्रांड (ओईएम) और विक्रेता/सेवा प्रदाताओं की तुलना करनी होगी, जो अपेक्षित गुणवत्ता, मात्रा, प्राप्तकर्ता स्थान और विनिर्देशों की मांग को पूरा करते हैं। सिस्टम इन आवश्यकताओं से मेल खाते हुए L1 उत्पाद की सिफारिश करेगा। **iii)** क्रेता को सीधे क्रय ऑर्डर देने के लिए सिस्टम द्वारा अनुशंसित L1 का चयन करना होगा। इस मामले में भी कोई बोली नहीं है।
ए.12	**प्रत्यक्ष क्रय के तहत मूल्य उचितता सुनिश्चित करने हेतु जीईएम पर कौन से साधन उपलब्ध हैं**? जीईएम क्रेता के लिए मूल्य उचितता सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत निर्णय समर्थन प्रणाली प्रदान करता है। क्रेता जीईएम पर उस उत्पाद के ऐतिहासिक लेनदेन के आधार पर मूल्य प्रवृत्तियों को भी देख सकता है।
ए.13	**जीईएम पर "बिल ऑफ क्वांटिटी (बीओक्यू)" बोली क्या है**? बोली लगाने का बिल ऑफ क्वांटिटी मोड तब इस्तेमाल किया जाता है जब एक ही इंडेंट में अलग-अलग मात्रा वाले कई आइटम होते हैं। **बीओक्यू** बोली निर्माण प्रक्रिया के दौरान क्रेता के लिए अब निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं: • कुल मूल्य-वार मूल्यांकन • मद -वार मूल्यांकन • समूह-वार मूल्यांकन क्रेता को सभी प्रकार के बोली मूल्यांकन मोड के लिए बोली का अनुमानित मूल्य निर्दिष्ट करना होगा। मद -वार मूल्यांकन के मामले में, क्रेता को प्रत्येक शेड्यूल के लिए बोली का अनुमानित मूल्य निर्दिष्ट करना होगा और समूह-वार मूल्यांकन के लिए, प्रत्येक समूह के लिए बोली का अनुमानित मूल्य अपडेट करना होगा। क्रेता बीओक्यू शीर्षक निर्दिष्ट कर सकता है ताकि बोली प्रकाशित होने के बाद इसे आसानी से खोजा जा सके। बीओक्यू के तहत आवश्यकता को जीईएम पोर्टल पर एक्सेल शीट के रूप में अपलोड किया जाता है। क्रेता तकनीकी मूल्यांकन के बाद बोली को रिवर्स नीलामी में ले जाने का विकल्प भी चुन सकता है। हालाँकि, कस्टम बोली के संबंध में, इंडेंटिंग अधिकारी को बीओक्यू बोली आरंभ करने के लिए एक "वचन" प्रदान करना होगा।
ए.14	**जीईएम पर रिवर्स ऑक्शन (आरए) विकल्प क्या है**? जीईएम में रिवर्स ऑक्शन एक ऐसी सुविधा है, जिसमें आपूर्तिकर्ता एक-दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए ऑनलाइन बोलियाँ जमा करते हैं। फॉरवर्ड ऑक्शन के विपरीत, जहाँ नीलामी आगे बढ़ने के साथ बोलियाँ बढ़ती जाती हैं, रिवर्स ऑक्शन में, बोली उच्चतम संभव कीमत से शुरू होती है और धीरे-धीरे घटती जाती है और अंत में, सबसे कम बोली को चुन लिया जाता है ।

ए.15	**मैं जीईएम पर प्रशिक्षण सामग्री कहां देख सकता हूं**? कृपया देखें : https://gem.gov.in/training/training_module
ए.16	**जीईएम के अलावा अन्य कौन-सा प्रापण मोड उपलब्ध है**? केंद्रीय सार्वजनिक प्रापण (सीपीपी) पोर्टल।
ए.17	**किस मामले में**, **वस्तुओं को सीपीपी पोर्टल (जीईएम के बाहर) के माध्यम से क्रय करने की अनुमति है**? i) यदि वस्तुएं आईटी, साइबर सुरक्षा, निगरानी, चिकित्सा उपकरण श्रेणी को कवर करने वाली श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं और जहां उपकरणों के माध्यम से डेटा ट्रांसफर की संभावना है। ii) वैश्विक निविदा जांच के माध्यम से प्रक्रिया करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के बाद। iii) वित्त द्वारा विधिवत सहमति और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित स्वामित्व लेख प्रमाण पत्र (पीएसी) के साथ विदेशी मूल के उपकरणों के पुर्जे।

(बी) निविदा खुलने के बाद: बोली अस्वीकृति के मुद्दे

बी.1	**क्रभंनि द्वारा बड़ी संख्या में बोलियों को अयोग्य/अस्वीकार क्यों किया जा रहा है**? कोई भी बोली जो एनआईटी शर्तों के अनुरूप प्रस्तुत नहीं की जाती है, उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। बहुत बार, बोलीदाता आवश्यक दस्तावेज जैसे "अनुलग्नक-XI", "अनुलग्नक-XII", ईएमडी छूट का गलत दावा और अन्य "घोषणा दस्तावेज" जमा नहीं करते हैं। इसलिए, उन प्रस्तावों को अस्वीकार/अयोग्य घोषित किया जा रहा है।
बी.2	**यदि L1 मूल्य अनुमानित मूल्य से अनुचित रूप से कम है तो क्या करें**? **यदि जीईएम पर** L1 **अव्यवहार्य है तो क्या होगा**? असामान्य रूप से कम बोली वह होती है जिसमें बोली मूल्य, बोली के अन्य तत्वों के साथ मिलकर, इतना कम प्रतीत होता है कि यह बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित मूल्य पर अनुबंध निष्पादित करने की क्षमता के संबंध में भौतिक चिंताएँ उत्पन्न करता है। इंडेंटिंग अधिकारी वित्त की सहमति के बाद सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से **L1** अव्यवहार्य विकल्प आरंभ करने के लिए क्रभंनि को सलाह दे सकता है। क्रय करने वाली इकाई बोलीदाता से ऐसी बोलियों के लिए पूर्ण विश्लेषण सहित लिखित स्पष्टीकरण मांग सकती है। यदि क्रय करने वाली इकाई यह निर्धारित करती है कि बोलीदाता प्रस्तावित मूल्य पर अनुबंध वितरित करने की अपनी क्षमता प्रदर्शित करने में काफी हद तक विफल रहा है, तो क्रय करने वाली इकाई बोली/प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकती है। हालांकि, अनुमानित लागत से कम मानक प्रतिशत तय करना उचित नहीं होगा, जिसे स्वचालित रूप से असामान्य रूप से कम दर वाली बोली के रूप में माना जाएगा। एक बार जब L1

	अव्यवहार्य हो जाता है, तो उसी निविदा में जीईएम के माध्यम से अगले उच्च बोलीदाता को ऑर्डर संसाधित किया जा सकता है।
बी.3	**यदि केवल एक ही उपयुक्त प्रस्ताव है, तो क्या पुनः निविदा की आवश्यकता है?** नहीं, केवल उपयुक्त प्रस्ताव ही पुनः निविदा का कारण नहीं है, बशर्ते कि बाजार का पूरी तरह से अन्वेषण किया गया हो। प्रस्ताव तकनीकी रूप से उपयुक्त होना चाहिए और स्वतंत्र लागत अनुमान के आधार पर मूल्य उचित होना चाहिए।
बी.4	**अनुलग्नक XI क्या है?** अनुलग्नक-XI बोलीदाताओं से "मेक-इन-इंडिया" (MII) नीति के अनुपालन के लिए मांगी गई घोषणा है, जिसमें उद्धृत उत्पाद में किए गए स्थानीय मूल्य संवर्धन का विवरण घोषित किया जाना है। घोषणा अनिवार्य है, जहां आवश्यक मूल्य ₹5 लाख से अधिक है।
बी.5	**बोलीदाता द्वारा "अनुलग्नक-XI" भरने के बाद भी क्रभंनि द्वारा बोली स्वीकार क्यों नहीं की जाती?** निम्नलिखित परिस्थितियों में बोलियाँ स्वीकार नहीं की जातीं: i) यदि अनुलग्नक-XI को एनआईटी के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार ठीक से नहीं भरा और प्रस्तुत किया जाता है। ii) बोली संदर्भ संख्या "अनुलग्नक-XI" में इंगित नहीं की गई है। iii) प्रस्तुत अनुलग्नक-XI पर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। iv) उस स्थान का पता जहाँ स्थानीय मूल्य संवर्धन किया गया था, बोलीदाता द्वारा उल्लेखित नहीं किया गया है। v) स्थानीय मूल्य संवर्धन का प्रतिशत खाली छोड़ दिया गया है। vi) "अनुलग्नक-XI" में गलत बोली संदर्भ संख्या का उल्लेख किया गया है।
बी.6	**अनुलग्नक XII क्या है?** अनुलग्नक-XII एक घोषणा है जो विक्रेताओं से GFR 144(xi) के अनुपालन के लिए मांगी जाती है कि उद्धृत उत्पाद उन देशों द्वारा निर्मित नहीं है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं।
बी.7	**क्या किसी बोलीदाता को भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से आने वाले उत्पाद के साथ भाग लेने की कोई छूट है?** 8 फरवरी, 2021 के ओएम एफ.18/37/2020-पीपीडी के अनुसार - जीएफआर 144 (xi) के तहत प्रतिबंध: बोलीदाता को भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के विक्रेताओं से कच्चा माल, घटक, उप-असेंबली आदि क्रय करने की अनुमति है। ऐसे विक्रेताओं को सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत

	होने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसे 'उप-अनुबंध' नहीं माना जाता है। हालाँकि, यदि किसी बोलीदाता ने भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के विक्रेताओं से प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रूप से क्रय किए गए तैयार माल की आपूर्ति करने का प्रस्ताव दिया है, तो ऐसे विक्रेताओं को सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत होना आवश्यक होगा।
बी.8	**ईएमडी क्या है**? बयाना राशि जमा (ईएमडी) हमारी बोली के लिए एक ज़मानत है, ताकि अनुबंध दिए जाने से पहले फ़र्मों द्वारा बोली में बदलाव या बोली से पीछे हटने से बचा जा सके। ईएमडी केवल ₹25 लाख से अधिक मूल्य के इंडेंट के लिए लागू है। ईएमडी की दर ₹ 10 करोड़ तक के इंडेंट मूल्य का 2% है, जो अधिकतम ₹10 लाख तक हो सकती है और ₹ **10** करोड़ से अधिक के इंडेंट मूल्य का 1% है, जो अधिकतम ₹20 लाख तक हो सकती है।
बी.9	**किन बोलीदाताओं को ईएमडी जमा करने से छूट दी गई है**? सीपीपीपी के माध्यम से जारी निविदाओं के लिए:- i) सूक्ष्म और लघु श्रेणी के अंतर्गत आने वाली और एमएसई/एनएसआईसी/क्रभंनि के साथ पंजीकृत फर्मों को ईएमडी जमा करने से छूट दी गई है, बशर्ते वे प्रस्तावित उत्पाद/सेवाओं के लिए पंजीकृत हों। ii) एफई में सीधे कोटेशन देने वाले विदेशी बोलीदाता को भी ईएमडी जमा करने से छूट दी गई है। हालांकि, अगर विदेशी मूल के प्रिंसिपल की ओर से भारतीय एजेंट द्वारा आईएनआर में कोटेशन जमा किया जाता है, तो भारतीय एजेंट को ईएमडी जमा करनी होगी, यदि लागू हो, अन्यथा क्रभंनि द्वारा बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा। जीईएम के माध्यम से जारी निविदाओं के लिए:- i) सूक्ष्म और लघु उद्यम जो प्राथमिक उत्पाद श्रेणी के निर्माता या प्राथमिक सेवा श्रेणी के सेवा प्रदाता हैं और बोली जमा करते समय इस आशय की विशिष्ट पुष्टि करते हैं और जिनके क्रेडेंशियल उद्यम पंजीकरण/उद्योग आधार (जैसा कि समय-समय पर सरकार द्वारा मान्य किया जाता है) और अपलोड किए गए सहायक दस्तावेजों के माध्यम से ऑनलाइन मान्य हैं। ii) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप। iii) केवीआईसी, एसीएएसएच, डब्ल्यूडीओ, कॉयर बोर्ड, ट्राइफेड और केंद्रीय भंडार। iv) विक्रेता जिन्होंने प्राथमिक उत्पाद/प्राथमिक सेवा जिसके लिए बोली/रिवर्स नीलामी आमंत्रित की गई है, के लिए विक्रेता मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा विक्रेता मूल्यांकन की प्रक्रिया के माध्यम से अपने क्रेडेंशियल सत्यापित करवाए हैं। v) विक्रेता/सेवा प्रदाता जिनका वार्षिक कारोबार कम से कम पिछले तीन पूर्ण वित्तीय वर्षों में से एक में 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक है। vi) प्राथमिक उत्पाद श्रेणी के लिए बीआईएस लाइसेंस रखने वाले विक्रेता/सेवा प्रदाता जिनके क्रेडेंशियल बीआईएस डेटाबेस और अपलोड किए गए सहायक दस्तावेजों के माध्यम से मान्य हैं।

	vii) केंद्रीय/राज्य पीएसयू। viii) क्रेता द्वारा बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट नामित एजेंसी/प्राधिकरण के साथ पंजीकृत विक्रेता/सेवा प्रदाता – ऐसे बोलीदाता को बोली लगाते समय बोली सुरक्षा दस्तावेज के स्थान पर प्रासंगिक पंजीकरण दस्तावेज की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी।
(सी) स्थानीय मूल्य संवर्धन के बिना विदेशी स्रोतों से क्रय	
सी.1	**उत्पाद की कीमत ₹5 लाख से कम है और वह आयातित है, तो इंडेंटिंग अधिकारी उस वस्तु का क्रय कैसे कर सकता है**? आवश्यकता को जीईएम पोर्टल के माध्यम से कस्टम बिडिंग मोड के माध्यम से संसाधित किया जाएगा। ओएम के अनुसार, ₹5 लाख से कम और ₹200 करोड़ से अधिक की लागत वाली वस्तुओं को सचिव, डीएई से जीटीई अनुमोदन प्राप्त किए बिना ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी (जीटीई) के तहत संसाधित करने से छूट दी गई है। इस मामले में अनुलग्नक-XI (MII) की आवश्यकता लागू नहीं होगी।
सी.2	**उत्पाद की कीमत 5 लाख रुपये से अधिक है और वह आयातित है, तो इंडेंटिंग अधिकारी उस वस्तु को कैसे क्रय सकता है**? शुरुआत में जीईएम पोर्टल पर कस्टम बिड जारी करके आवश्यकता का पता लगाएं। यदि यह पाया जाता है कि कम से कम 20% से अधिक स्थानीय सामग्री वाली कोई बोली नहीं है (वस्तु पूरी तरह से आयातित है) तो, **सीपीपी** पोर्टल के माध्यम से मामले को संसाधित करने के लिए जीटीई के लिए डीएई से अनुमोदन प्राप्त करें।
सी.3	**मांग की गई वस्तु के आपूर्तिकर्ता विदेशी मूल के हैं और उनके पास कोई भारतीय एजेंट नहीं है, तो संभावित बोलीदाता निविदा में कैसे भाग ले सकता है**? विदेशी आपूर्तिकर्ता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम होने के लिए सीपीपी पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना चाहिए।
सी.4	**सीपीपी पोर्टल पर विदेशी विक्रेताओं के पंजीकरण के लिए गाइड कहां से प्राप्त करें**? कृपया देखें : https://eprocure.gov.in /cppp/
सी.5	**जी.टी.ई. की स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है**? जी.टी.ई. की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए: i) प्रारंभ में जी.ई.एम. पोर्टल (कस्टम बिडिंग) या सी.पी.पी. पोर्टल के माध्यम से निविदा आमंत्रित करके स्थानीय स्तर पर आवश्यकता का पता लगाना होगा और यदि कोई स्वदेशी प्रस्ताव प्राप्त नहीं होता है (माल की आयातित प्रकृति के कारण)।

	ii) डी.पी.आई.टी. के साथ पत्राचार नीचे दिए गए पते पर किया जाता है और डी.पी.आई.टी. द्वारा कोई स्रोत प्रदान नहीं किया जाता है। श्री अखिलेश कुमार, निदेशक डी.पी.आई.टी. फोन 23062343, मो. 9432015776 ईमेल: <akhilesh.kumar1965@gov.in>। (समय की बचत के लिए, चरण 2 को चरण 1 के साथ-साथ शुरू किया जा सकता है) iii) जी.टी.ई. की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव उपयोगकर्ता विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में डी.पी.आई.टी. के साथ किए गए पत्राचार के सहायक दस्तावेजों और इकाई की वेबसाइट पर प्रकाशित 3/5 वर्षीय क्रय योजना की प्रति के साथ प्रदान किया जाना चाहिए। iv) प्रस्ताव को समूह निदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए और क्रभंनि को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जो जीटीई अनुमोदन प्राप्त करने के लिए डीएई को भेजने से पहले इकाई के प्रमुख की मंजूरी लेगा। v) 8 जनवरी, 2021 के ओएम नंबर एफ.20/45/2020-पीपीडी के पैरा 3 के अनुसार प्रमाणीकरण।
सी.6	**क्या जी.टी.ई. अनुमोदन की आवश्यकता के बिना माल के आयात के लिए कोई छूट है**? मूल उपकरण निर्माता/मूल उपकरण आपूर्तिकर्ता या मूल उत्पाद निर्माता से नामांकन के आधार पर उपकरण/संयंत्र और मशीनरी आदि के स्पेयर पार्ट्स की क्रय के लिए, क्योंकि ऐसे मामलों में कोई प्रतिस्पर्धी निविदाएं आमंत्रित नहीं की जाती हैं।
सी.7	**क्या कोई भारतीय एजेंट विदेशी आपूर्तिकर्ता की ओर से सीपीपीपी में भाग ले सकता है**? हां, वे विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी प्राधिकरण के अधीन उत्पादन में भाग ले सकते हैं।
(डी) ऑर्डर के बाद का चरण	
डी.1	**जीईएम पर आपूर्तिकर्ता डिलीवरी अवधि विस्तार और बार-बार अनुस्मारक के बाद भी माल की आपूर्ति नहीं कर रहा है**? यदि BG मौजूद है, तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से उसे जब्त किया जा सकता है। उपयोगकर्ता को नए लेनदेन करने, नए उत्पादों/सेवाओं को अपलोड करने से रोका जाएगा। उसका अपलोड किया गया उत्पाद दिखाई नहीं देगा और वह बोलियों में भाग नहीं ले पाएगा। यदि पहले से चल रही बोलियों में भाग लिया है, तो क्रेता को उनके डैशबोर्ड पर उचित कार्रवाई के लिए इस निलंबन के बारे में सूचित किया जाएगा। कार्ट में रखे गए उत्पादों को हटा दिया जाएगा। हालांकि, विक्रेता/सेवा प्रदाता पहले से तय किए गए लेनदेन जैसे डिलीवरी, भुगतान रसीद आदि को पूरा करने में सक्षम होंगे। जीईएम निलंबित विक्रेताओं की सूची यहां उपलब्ध है: https://gem.gov.in/incidentmanagent/sellers.
डी.2	**जीईएम के तहत आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता बहुत खराब है।** ऐसे मामलों में, आपूर्ति की गई वस्तु को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए और आपूर्तिकर्ता को यह सूचित

	किया जाना चाहिए कि अनुबंध में दिए गए विनिर्देश के अनुसार ही प्रतिस्थापन किया जाना चाहिए। इंडेंटिंग अधिकारी को सलाह दी जाती है कि वे जीईएम पर घटना को दर्ज करने की सिफारिश करें। जीईएम बोलीदाताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता है, जिसमें देश भर में सरकारी क्रय में बोली प्रक्रिया में आगे की भागीदारी से निलंबन शामिल है। इंडेंटिंग अधिकारी, क्रेता को विश्वसनीय विक्रेताओं के बारे में पता होना चाहिए ताकि उन्हें जीईएम पर शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
डी.3	**सामग्री की स्वीकृति कितने दिनों में पूरी होनी चाहिए**? जीईएम पोर्टल पर, वस्तु की प्राप्ति के 04 दिनों के भीतर, अनंतिम प्राप्ति प्रमाणपत्र तैयार किया जाता है और **10** दिनों के बाद, स्वीकृति नहीं मिलने पर स्वतः सीआरएसी तैयार किया जाता है।
डी.4	**ऑटो सीआरएसी क्या है**? 10 दिनों के बाद, यदि आइटम को न तो स्वीकार किया जाता है और न ही अस्वीकार किया जाता है, तो जीईएम सिस्टम स्वचालित रूप से "कंसाइनी प्राप्ति और स्वीकृति प्रमाणपत्र" (सीआरएसी) उत्पन्न करेगा, जो सिस्टम द्वारा माल की स्वीकृति को दर्शाता है।
डी.5	**यदि सामग्री 10 दिनों के भीतर स्वीकार नहीं की जा सकती है, तो क्या होगा, क्योंकि इसमें इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग शामिल है**? कृपया संबंधित भंडार अधिकारियों को मेल द्वारा इसके बारे में सूचित करें ताकि ऑटो सीआरएसी से बचने के लिए उनके द्वारा उचित कार्रवाई शुरू की जा सके।

नोट: चूंकि प्रापण नीतियां और साथ ही जीईएम का स्वरूप विकासशील एवं परिवर्तनीय है, अतः पाठकों से अनुरोध है कि वे नवीनतम अपडेट के लिए संबंधित वेबसाइट देखें।

पारिभाषिक शब्दावली

पारिभाषिक शब्द से अभिप्राय :

रसायन विज्ञान, भौतिकी, दर्शनशास्त्र, राजनीति विज्ञान आदि जैसे ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट शब्द पारिभाषिक (तकनीकी) शब्द कहलाते हैं। किसी शब्द के अर्थ को संबंधित ज्ञान के क्षेत्र में विशेष संदर्भ में सही और स्पष्ट तरीके से परिभाषित करना चाहिए। प्रत्येक शब्द का केवल एक विशिष्ट अर्थ होना चाहिए ताकि अर्थ संप्रेषित करने वालेशब्द में द्वयर्थकता नहो।

पारिभाषिक शब्दों की विशेषताएं : हम पारिभाषिक शब्दों की निम्नलिखित विशेषताएं बतला सकते हैं :

(i) पारिभाषिक शब्द उच्चारण करने में सरल होना चाहिए और इसकी संरचना स्पष्ट होनी चाहिए। यदि ग्रहण किए गए शब्द (borrowed words) इसमें उपयुक्त नहीं बैठते हैं तो इन्हें छोड़ देनाचाहिए।

(ii) ज्ञान के क्षेत्र-विशेष में शब्द का केवल एक ही विशिष्ट अर्थ होना चाहिए।

(iii) इसके अर्थ की स्पष्ट तरीके से परिभाषा दी जानी चाहिए ताकि इसके प्रयोग का संदर्भ स्पष्ट हो जाए।

(iv) संदर्भ की परिभाषा अर्थों के लिए अलग-अलग हो सकती है। जैसे speed (गति) और velocity (वेग) अथवा heat (ऊष्मा) और temperature (तापमान)। परंतु बोलचाल की भाषा में ऐसे शब्द पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं।

(v) इस प्रकार ग्रहण किए शब्दों में संबंधित अर्थों को व्यक्त करने के लिए और शब्द गढ़ने के लिए परिवर्तन किए जा सकते हैं।

पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के मुख्य सिद्धांत इस प्रकार हैं :

(1) पुनरूद्धारवादी सिद्धांत :

इस दृष्टिकोण के समर्थकों का मत है कि संस्कृत में हजारों शब्दों की रचना करने की क्षमता है। यदि किसी व्यक्ति को संस्कृत भाषा की धातुओं (roots) और उसके उपसर्गों/प्रत्ययों के प्रयोग की जानकारी है तो वह कई शब्दों की रचना कर सकता है। अत: इनके अनुसार किन्हीं अन्य स्रोतों से शब्द ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। डॉ. रघुवीर इस विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। उनका विश्वास था कि संस्कृत की धातुओं और उपसर्ग/प्रत्ययों के समुचित प्रयोग से पारिभाषिक शब्दों की क्रमबद्ध रचना की जा सकती है।

(2) शब्द ग्रहण अथवा आदानवादी सिद्धांत :

कई विद्वान अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करने के पक्षधर रहे हैं। शब्दों से परिचित विद्वान, बिना प्रयत्न के भाषा का प्रयोग करने में सफल हो जाते हैं। भारत सरकार ने 1940 में अवतार हैदर की अध्यक्षता में पारिभाषिक शब्दों के निर्माण के लिए सुझाव देने के लिए समिति का गठन किया। इस समिति ने सुझाव दिया कि विदेशों में हो रहे वैज्ञानिक विकास की बराबरी के लिए हमें भी अंतरराष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। 1948 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने मत व्यक्त किया था कि हमें भारतीय शब्दावली का निर्माणकरने का बोझ नहीं उठाना चाहिए। अन्य विद्वानों ने भी उनके इस मत का समर्थन किया। पारिभाषिक शब्दावली बोर्ड ने 1950 में इस निर्णय को अनुमोदित कर दिया।

(3) प्रयोगवादी सिद्धांत :

यह विचारधारा दिन-प्रतिदिन प्रयोग किए जाने वाले हिंदी-उर्दू के संयुक्त रूप 'हिंदुस्तानी भाषा' के शब्दों के प्रयोग में विश्वास रखती है। पंडित सुंदरलाल, जाफर हुसैन, हिंदुस्तानी सांस्कृतिक समाज और उस्मानिया विश्वविद्यालय इस विचारधारा के समर्थक हैं । वे संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि सभी भाषाओं के शब्दों से बनी भाषा हिंदुस्तानी का प्रयोग करना चाहते थे । इस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाली मुख्य शब्दावलियाँ उस्मानिया विश्वविद्यालय द्वारा 1952 में प्रकाशित' समाजशास्त्र की हिंदी शब्दावली' (Hindi Terms of Sociology) और 1954 में 'हिंदुस्तानीसांस्कृतिक समाज द्वारा प्रकाशित पुस्तक' हिंदुस्तानीके लिए शब्दावली कानून' हैं।

(4) उदारतावादी अथवा समन्वयवादी सिद्धांत :

जब सभी सिद्धांत असफल हो जाते हैं तो हम उदारवादी तरीके का आश्रय लेते हैं अर्थात् सभी विचारधाराओंके सही बिंदुओं का चुनाव किया जाता है तथा कठिन प्रक्रियाओंको छोड़ दिया जाता है । अब, अधिकांश विद्वानों को विश्वास है कि संस्कृत धातुओं एवं उपसर्ग/प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए वैज्ञानिक तरीके से नए शब्दों की रचना की जा सकती है । वे यह महसूस करते हैं कि स्पुतनिक (sputnik), रेडियम (radium), पल्सर (pulsar) जैसे अंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त शब्दों का प्रयोगकिया जाना चाहिए । कुछ स्थानों पर नए शब्दों की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन अन्य स्थानों में प्रचलित शब्दों का त्याग नहीं किया जाना चाहिए । इस विचारधारा के समर्थकों के अनुसार पारिभाषिक शब्दों का निर्माण करने के लिए विभिन्न विचारधाराओं के शब्द ग्रहण किए जाने चाहिए। पारिभाषिक शब्दों का निर्माण करते समय प्रचलित शब्दों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के स्थायी आयोग द्वारा स्वीकृत वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के निर्माण के सिद्धांत :

(1) अंतरराष्ट्रीय शब्दों को यथासंभव उनके प्रचलित अंग्रेजी रूपों में ही अपनाना चाहिए और हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं की प्रकृति के अनुसार ही उनका लिप्यंतरण करना चाहिए । अंतरराष्ट्रीय शब्दावली के अंतर्गत निम्नलिखित उदाहरण दिए जा सकते हैं :

(क) तत्वों और यौगिकों के नाम, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि;

(ख) तौल और माप की इकाइयाँ और भौतिक परिणाम की इकाइयाँ, जैसे डाइन, कैलॉरी, एम्पियर आदि

(ग) ऐसे शब्द जो व्यक्तियों के नाम पर बनाए गए हैं जैसे फारेनहाइट के नाम पर फारेनहाइट तापक्रम, वोल्टा के नाम पर वोल्टमीटर और ऐम्पियर के नाम पर ऐम्पियर आदि;

(घ) वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, भूविज्ञान आदि की द्विपक्षी नामावली;

(ङ) स्थिरांक जैसे g आदि;

(च) ऐसे अन्य शब्द जिनका आमतौर पर सारे संसार में व्यवहार हो रहा है, जैसे रेडियो, पेट्रोल, रडार, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि;

(छ) गणित और गणित विज्ञान की अन्य शाखाओं के संख्यांक, प्रतीक, चिह्न और सूत्र, जैसे साइन, कोसाइन, टेन्जेन्ट, लॉग आदि (गणित संक्रियाओं में प्रयुक्त अक्षर रोमन या ग्रीक वर्णमाला के होने चाहिए)।

(2) प्रतीक रोमन लिपि में अंतरराष्ट्रीय रूप में ही रखे जाएँगे परंतु संक्षिप्त रूप नागरी और मानक रूपों में भी, विशेषत: साधारण तौल और माप में लिखे जा सके हैं, जैसे सेंटीमीटर का प्रतीक cm. हिंदी में भी ऐसे प्रयुक्त होगा परंतुइसका नागरी संक्षिप्त रूप से.मी. हो सकता है । यह सिद्धांत बाल-साहित्य और लोकप्रिय पुस्तकों में अपनाया जाएगा परंतु विज्ञान और शिल्प–विज्ञान की मानक पुस्तकों में केवल अंतरराष्ट्रीय प्रतीक,जैसे cm. ही प्रयुक्त करना चाहिए।

(3) ज्यामितीय आकृतियोंमें भारतीय लिपियों के अक्षर प्रयुक्त किए जा सकते हैं, जैसे :

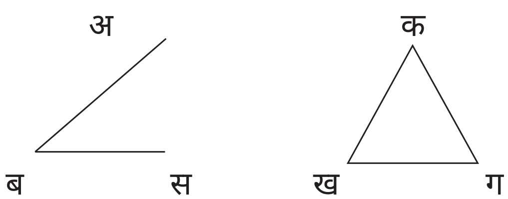

परंतु त्रिकोणमितीय संबंधों में केवल रोमन अथवा ग्रीक अक्षर ही प्रयुक्त करने चाहिए, जैसे साइन A कॉस B आदि ।

(4) संकल्पनाओं को व्यक्त करने वाले शब्दों का सामान्यत: अनुवाद किया जाना चाहिए ।

(5) हिंदी पर्यायों का चुनाव करते समय सरलता, अर्थ की परिशुद्धता और सुबोधता का विशेष ध्यान रखना चाहिए । सुधार विरोधी और विशुद्धतावादी प्रवृत्तियों से बचना चाहिए ।

(6) सभी भारतीय भाषाओं के शब्दों में यथासंभव अधिकाधिक एकरूपता लाना ही इसका उद्देश्य होना चाहिए और इसके लिए ऐसे शब्द अपनानेचाहिए जो :

(क) अधिक से अधिक प्रादेशिक भाषाओं में प्रयुक्त होते हों, और

(ख) संस्कृत धातुओं पर आधारित हों ।

(7) ऐसे देशी शब्द जो सामान्य प्रयोग के वैज्ञानिक शब्दों के स्थान पर हमारी भाषाओं में प्रचलित हो गए हैं । जैसे telegraph, telegram के लिए तार, continent के लिए महाद्वीप, atom के लिए परमाणु आदि । ये सब इसी रूप में व्यवहार किए जाने चाहिए ।

(8) अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के ऐसे विदेशी शब्द जो भारतीय भाषाओं में प्रचलित हो गए हैं, जैसे इंजन, मशीन, लावा, मीटर, लीटर, प्रिज्म, टॉर्च आदि इसी रूप में अपनाए जाने चाहिए ।

(9) अंतरराष्ट्रीय शब्दों का देवनागरी लिपिमें लिप्यंतरण : अंग्रेजी शब्दों का लिप्यंतरण इतना जटिल नहीं होना चाहिए कि उसके कारण वर्तमान देवनागरी वर्णों में नए चिह्न व प्रतीक शामिल करने की आवश्यकता पढ़े । अंग्रेजी शब्दों का देवनागरीकरण करते समय लक्ष्य यह होनाचाहिए क वह मानक अंग्रेजी उच्चारण के अधिकाधिकअनुरूप हों और उसमें ऐसे परिवर्तन किए जाएँ जो भारत के शिक्षितवर्ग में प्रचलित हों ।

(10) लिंग : हिंदी में अपनाए गए अंतरराष्ट्रीय शब्दों को, अन्यथा कारण न होने पर, पुल्लिंग रूप में ही प्रयुक्त करना चाहिए ।

(11) संकर शब्द : वैज्ञानिक शब्दावली में संकर शब्द जैसे ionization के आयनीकरण, voltage के लिए वोल्टता, ringstand के लिए वलय स्टैंड,

saponifier के लिए साबुनीकारक आदि के रूप सामान्य और प्राकृतिक भाषाशास्त्रीय क्रिया के अनुसार बनाए गए हैं और ऐसे शब्द रूपों को वैज्ञानिक शब्दावली की आवश्यकताओं यथा सुबोधता, उपयोगिता और संक्षिप्तता का ध्यान रखते हुए व्यवहार में लाना चाहिए।

(12) वैज्ञानिक शब्दों में संधि और समास : कठिन संधियोंका यथासंभव कम से कम प्रयोग करना चाहिए और संयुक्त शब्दों के लिए दो शब्दों के बीच हाइफन लगा देना चाहिए। इससे नई शब्द-रचनाओं को सरलता और शीघ्रता से समझनेमें सहायता मिलेगी। जहाँ तक संस्कृत पर आधारित 'आदिवृद्धि' का संबंध है, 'व्यावहारिक', 'लाक्षणिक' आदि प्रचलित संस्कृत तत्सम शब्दों में आदिवृद्धि का प्रयोग ही अपेक्षित है, परंतु नव-निर्मित शब्दों में इससे बचा जा सकता है।

(13) हलंत : नए अपनाए हुए शब्दों में आवश्यकतानुसार हलंत का प्रयोग करके उन्हें सही रूप में लिखना चाहिए।

(14) पंचम वर्ण का प्रयोग : पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए, परंतु lens, patent आदि शब्दों का लिप्यंतरण लैंस, पेटेंट या पेटेन्ट न करके लेन्स, पेटेन्ट ही करना चाहिए।

क्रभंनि, आपकी सेवा में

क्रभंनि को मांगपत्र अग्रेषित करना	ऐसी सभी इकाइयों में, जहां सामग्री प्रबंधन प्रणाली (एमएमएस) मॉड्यूल का विस्तार नहीं किया गया है और सीपीयू/मुंबई द्वारा मांगपत्र को संसाधित किया जाना है, मांगपत्र की एक सॉफ्ट कॉपी, निधि की उपलब्धता संबंधी प्रमाणपत्र के साथ एक्सेल प्रारूप में भेजी जानी चाहिए: - cpuindent@dpsdae.gov.in
किसी भी पूछताछ के लिए (जीईएम बोलियों/अनुबंधों सहित)	helpdeskdps@dpsdae.gov.in
मांगकर्ता अधिकारियों के प्रश्न	मांगकर्ता अधिकारियों के सभी प्रश्न इस पर भेजे जा सकते हैं : - support.indentor@dpsdae.gov.in
विक्रेताओं के प्रश्न	विक्रेताओं के सभी प्रश्न इस पर भेजे जा सकते हैं: support.vendor@dpsdae.gov.in
सीपीपीपी से संबंधित मांगकर्ता अधिकारियों के प्रश्न	इस पर भेजे जा सकते हैं:- cppp-support.indentor@dpsdae.gov.in
सीपीपीपी से संबंधित विक्रेताओं के प्रश्न	इस पर भेजे जा सकते हैं:- cppp-support.vendor@dpsdae.gov.in

विक्रम साराभाई भवन, अणुशक्तिनगर, मुंबई 400 094.